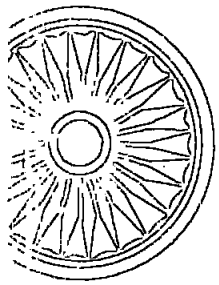

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार

राजभाषा विभाग के सचिव श्री चंद्रधर त्रिपाठी, श्री गोवर्धन ठाकुर की पुस्तक ''राजभाषा प्रबंधन'' का विमोचन करते हुए।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी हैदराबाद का संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान उपस्थित माननीय सांसदों एवं अधिकारियों की एक झलक।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष 16 माघ-फाल्गुन, 1915 शक
अंकः 64 जनवरी-मार्च, 1994

☐ संपादक
राज कुमार सैनी
निदेशक (अनुसंधान)
फोनः 4617807

☐ उपसंपादक
डा॰ गुरुदयाल बजाज
फोन 4698054
सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा
फोन 4699441

संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार का उनसे अथवा राजभाषा विभाग सहमत होना आवश्यक नहीं है।

☐
निःशुल्क वितरण के लिए

☐
पत्र-व्यवहार का पताः
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11वां तल)
खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003

☐ संपादकीय पृष्ठ

☐ चिंतन

1. संसदीय राजभाषा समिति (एक पार्श्विका) — कृष्ण कुमार ग्रोवर — 1.
2. राजभाषा नीति एवं कंप्यूटीकरण — बृज मोहन सिंह नेगी — 18
3. भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीयता — बशीर अहमद मयूख — 20
4. हिन्दी में तमिल परिचय — डा॰ राम जीवन मल्या — 22
5. विश्वविद्यालयों में हिन्दी — डा॰ कृष्ण लाल — 27
6. हेमार्न वान ओल्फन की हिन्दी सेवा — डा॰ भक्त राम शर्मा — 28
7. सांख्यिकी विभाग बनाम अहिन्दी भाषा-भाषी अधिकारीगण — डा॰ हरि ओम मनचंदा — 30
8. अनुवाद दोयम दर्जे का काम क्यों? — डा॰ गार्गी गुप्त — 31
9. प्रशासनिक हिन्दी में अनुवाद का स्थान — जगदीश चतुर्वेदी — 34
10. भाषा विविधता की सार्थकता — सुधा — 36
11. रेडियो, दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारणों की हिन्दी — डा॰ दल सिंगार यादव — 37
12. नागरी प्रचारिणी सभा के सौ साल — डा॰ राम स्वरूप आर्य — 42

☐ साहित्यिकी

13. सेतु के आर-पार — संतोष खन्ना — 43
14. हिन्दी वाङ्मय के शलाका पुरुष आचार्य शिवपूजन सहाय — रामचन्द्र सिंह त्यागी — 53

☐ पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य

15. गुजरात के हिन्दी कवि — डा॰ विष्णु विराट चतुर्वेदी — 54

☐ विश्व हिंदी दर्शन

16. विश्व भाषा हिन्दी के उन्नयन में मरकतद्वीप मारीशस का अवदान — डा॰ लक्ष्मी नारायण दुबे — 55
17. विश्व में हिन्दी — डा॰ लक्ष्मी नारायण दुबे — 58

☐ भारतीय भाषा संगम

जयंत पाठक की गुजराती कविताएं — 60

□ पुस्तक-समीक्षा 61

परंपरा का मूल्यांकन (डा० राम विलास शर्मा), श्री रामायतन (बाबू लाल 'सुमन') पिछला सप्ताह (श्रीराम शरण जोशी), अनुवाद (पत्रिका), सीढ़ियां चढ़ता सूर्य (स्वदेश भारती), भैया एक्सप्रेस (अरुण प्रकाश), जल प्रांतर (अरुण प्रकाश), आहार और पोषण (डा० एल०सी० गुप्ता) तेजधूप (डा० सुधेश), तथापि (मधुर शास्त्री), सम्प्रति (मधुर शास्त्री), रेत की मछली (तरसेम गुजराल), आधी-अधूरी जिन्दगी (मुकेश मानस), कोण से कटे हुए (वीरेन्द्र सारंग), एक पेड़ चांदनी (देवेन्द्र कुमार)

□ राजभाषा सम्मेलन / संगोष्ठियां 69

1. गुणता आश्वासन महानिदेशालय बम्बई में हिन्दी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी
2. छठा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, गोवा
3. परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद बम्बई में राजभाषा वैज्ञानिक संगोष्ठी
4. केनरा बैंक, करनाल के राजभाषा संपर्क अधिकारियों की वार्षिक बैठक
5. यू० जी० सी० की वार्षिक बैठक

□ राजभाषा के बढ़ते चरण 71

- ○ ई०आर०डी०एल० में हिन्दी के बढ़ते चरण
- ○ परमाणु ऊर्जा विभाग में हिन्दी का प्रयोग
- ○ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा में राजभाषा गतिविधियां

□ हिंदी दिवस / सप्ताह / पखवाड़ा / मास 73

□ विविध 78

- ○ समाचार दर्शन
- ○ राजभाषा प्रतियोगिता / प्रोत्साहन / पुरस्कार
- ○ आदेश-अनुदेश
- ○ पाठकों के पत्र

संपादकीय

इस वर्ष डा॰ **सीताकान्त महापात्र** को भारतीय साहित्य में उनके सर्जनात्मक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। डा॰ सीताकान्त महापात्र राजभाषा विभाग के सचिव रह चुके हैं। इसलिए यह हमारे लिए विशेष हर्ष का विषय है। पिछले वर्ष के उत्तरार्द्ध में ही उन्होंने इस पद के कार्यभार से मुक्त होकर संस्कृति विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था।

वयोवृद्ध हिंदी साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर को इस वर्ष **''अर्द्ध नारीश्वर''** उपन्यास पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। श्री विष्णु प्रभाकर राजभाषा विभाग की हिंदी पुस्तक चयन समिति के माननीय सदस्य हैं।

निश्चय ही इन दोनों साहित्यकारों के पुरस्कृत किए जाने से हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दोनों महत्वपूर्ण साहित्यकारों को 'राजभाषा भारती' परिवार की ओर से बहुत-बहुत बधाई।

राजभाषा विभाग के वर्तमान सचिव **श्री चन्द्रधर त्रिपाठी** हिंदी के महान आलोचक और गद्यकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा श्री बाल कृष्ण भट्ट के परिवारों से सम्पृक्त हैं। अतः हिन्दी भाषा के प्रति सहज लगाव उन्हें अपने संस्कार और विरासत में मिला है। इस सहज लगाव को उन्होंने अपने अध्ययन-मनन से परिपुष्ट भी किया है। इनके पिता श्री चन्द्रबली त्रिपाठी संस्कृत और हिंदी के उच्चकोटि के विद्वान थे। उन्होंने **''उपनिषद रहस्य''** शीर्षक से एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की, जो भारतीय वाङमय परम्परा में उनका एक अमूल्य अवदान है।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव **श्री महेन्द्र नाथ** 31 जनवरी, 1994 को सेवानिवृत्त हुए। श्री महेन्द्र नाथ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक अनुभवी और वरिष्ठतम अधिकारी रहे हैं। उनके स्थान पर **श्री देव स्वरुप,** आई॰ए॰एस॰ ने पहली फरवरी, 1994 से राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

"राजभाषा भारती" के इस अंक को तैयार करने में श्री सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा, उप संपादक का भी योगदान रहा है।

पिछले दिनों हिंदी के सुप्रसिद्ध गीतकार श्री गिरिजा कुमार माथुर का निधन हो गया। श्री माथुर के गीत मालवे की काली मिट्टी की सोन्धी गन्ध के लिए हिंदी जगत् में विशेष रूप से चर्चित हुए। इनके गीतों में बुन्देलखंड के दुंधर्ष जंगलों की प्राकृतिक महक और वहां की चट्टानी नदियों का हरहराता प्रवाह है। इस प्रदेश की कुल विविधता इनके गीतों की भी विशेषता रही है। इस अंक के कवर पृष्ठ पर इनके दो महत्वपूर्ण गीत प्रकाशित किए जा रहे हैं। हिंदी गीति काव्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए श्री माथुर हमेशा याद किए जाते रहेंगे। "राजभाषा भारती" परिवार इनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

राजकुमार सैनी

चिंतन

संसदीय राजभाषा समिति

(एक पार्श्विका)

—कृष्ण कुमार ग्रोवर*

भूमिका

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है। किन्तु, संविधान के निर्माण तथा अंगीकरण के समय यह परिकल्पना की गई थी कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए प्रारम्भिक 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। तथापि यह प्रावधान भी किया गया था कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग

राजभाषा संबंधी सांविधिक उपबंध

संघ की राजभाषा नीति का संविधान के अनुच्छेद 120 (भाग-5), अनुच्छेद 210 (भाग-6), अनुच्छेद 343, 344 और 348 से 351 (भाग-17) के अंतर्गत विस्तार से उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग-17 (अनुच्छेद 343 से 351) में संघ तथा राज्यों की राजभाषाओं का निर्धारण किया गया है। संविधान निर्माताओं ने राजभाषा विषय पर ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श किया और देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का निर्णय किया। ज्ञातव्य है कि 1917 ई० में महात्मा गांधी ने भड़ोंच में दिनांक 20 अक्तूबर को सम्पन्न हुए द्वितीय गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह भी कहा था कि राष्ट्रभाषा से निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैः—

(क) उसे सरकारी कर्मचारी आसानी से सीख सकें,

(ख) वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सम्पर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो,

(ग) यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती हो,

(घ) सारे देश के लिए उसे सीखाना आसान हो,

(ङ) ऐसी भाषा को चुनते समय अस्थाई या क्षणिक हितों को महत्व नहीं दिया जाए।

महात्मा गांधी ने ही यह विचार प्रकट किया था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें उपर्युक्त पांचों गुण विद्यमान हैं। संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी अपनाने के संविधान सभा के निर्णय पर चर्चा करते हुए यह भी उल्लेखनीय है कि निर्बाध परिवर्तन हेतु कुछ समय देने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविधान लागू होने से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान किया गया था।

परिवर्तन के लिए पन्द्रह वर्ष की कालावधि पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् निर्धारित की गई थी ताकि उक्त अन्तराल के बाद निर्बाध भाषाई परिवर्तन के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा तैयारी की जा सके। संविधान के निर्माता इस बात के प्रति जागरूक थे कि सभी क्षेत्रों में 1965 तक भाषाई परिवर्तन करना संभव न होगा। संविधान सभा को यह भी अहसास रहा होगा कि सुचारू परिवर्तन के हित में पन्द्रह वर्ष की कालावधि के दौरान भी अंग्रजी के साथ-साथ हिन्दी के क्रमिक प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। कदाचित इसलिए इस विषय पर अपेक्षित कार्रवाई तथा निर्णय सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया। इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 343 के उप-खंड (2) के उपबंध राष्ट्रपति को उक्त अवधि के दौरान संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा के प्रयोग का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान करते हैं और खंड (3) संसद को इस अंतिम तिथि या 1965 के पश्चात् ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसे कि विधि में उल्लिखित हों, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग करने की अवधि को बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है।

यद्यपि सरकार को अंग्रेजी से हिंदी की और परिर्वतन को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक उपाय करने की छूट थी तथापि संविधान सभा के विवेकपूर्ण निर्णय का पालन करते हुए इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 344 में दो राजभाषा आयोगों तथा एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया।

अनुच्छेद 351 केन्द्रीय सरकार को हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करने, उसका विकास करने, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए और जहां तक आवश्यक या वांछनीय हो, वहां तक उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी

*सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11- तीन मूर्ति मार्ग नई दिल्ली

समृद्धि सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। स्पष्ट है कि इस के अनुसार संघ की राजभाषा तथा देश की सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी के विकास की दिशा का संकेत का दिया गया है। संविधान के निर्माताओं ने इस भाषा के एक ऐसे अखिल भारतीय रूप की कल्पना की है जो अन्य भारतीय भाषाओं की सहायता लेकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार्य हो सके।

अनुच्छेद 120, जो संसद से कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषी से संबंधित है, निर्धारित करता है कि संसद में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होगी। तथापि कोई सदस्य, सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष की अनुमति से, अपनी मातृभाषा में भी सदन को संबोधित कर सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपलबंध न करे तब तक अंग्रेजी के प्रयोग का विकल्प भारत के संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात अर्थात 26 जनवरी, 1965 को समाप्त माना जाएगा। किन्तु इस संबंध में संसद द्वारा पारित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अनुसार 1965 के पश्चात भी हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग की भी व्यवस्था दी गई।

भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा और राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप को घोषित करते हुए संविधान लागू होने से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के दौरान भी (जबकि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही किया जाना था) राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था कि वह संघ के के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग भी प्राधिकृत कर सकें। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किए, उनका उल्लेख किया जा रहा है।

राष्ट्रपति का आदेश, 1952

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के अधीन 27 मई, 1952 को एक आदेश जारी किया जिसमें (1) राज्यों के राज्यपालों, (2) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा (3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्ति अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्ति हिंदी और अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी के अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था।

राष्ट्रपति का आदेश, 1955

संविधान के अनुच्छेद 343 की धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने "संविधान (सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा) आदेश, 1955" नामक एक अन्य आदेश जारी किया जिसमें संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया:-

(1) जनता के साथ पत्र-व्यवहार।
(2) प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाएं और संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट।
(3) सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियमितिया ।
(4) जिन राज्य सरकारों ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपना लिया है, उनके साथ पत्र-व्यवहार।
(5) संधियाँ और करार।
(6) अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र-व्यवहार।
(7) राजनीयक तथा कांसुली अधिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत प्रतिनिधियों को जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।

राजभाषा आयोग 1955

संविधान में राजभाषा आयोग और उसकी सिफारिशों की जांच करने के लिए एक राजभाषा समिति गठित करने की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद और फिर 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त करेंगे। इस आयोग का एक अध्यक्ष होगा तथा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे दूसरे सदस्य होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तदनुसार राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 344(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 7 जून 1955 को श्री बी॰जी॰ खेर की अध्यक्षता में निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया:—

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग,
(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब अथवा किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धन,
(ग) संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में सब अथवा किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,
(घ) संघ के किसी एक अथवा अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप,
(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए कोई अन्य विषय।

आयोग के गठन के समय इसमें निम्नलिखित सदस्य थे:—

01	श्री बी॰जे॰ खेर	अध्यक्ष
02	डा॰ बिरिंचि कुमार बरूआ	सदस्य
03	डा॰ एस॰के॰ चटर्जी	सदस्य
04	श्री मगन भाई देसाई	सदस्य
05	श्री डी॰सी॰ पावटे	सदस्य
06	प्रो॰ पी॰एन॰ पुष्प	सदस्य
07	श्री एम॰के॰ राजा	सदस्य
08	डा॰ पी॰ सुब्बारायन	सदस्य
09	श्री जी॰पी॰ नेने	सदस्य
10	डा॰ पी॰के॰ पारीजा	सदस्य
11	सरदार तेजा सिंह	सदस्य
12	श्री एम॰ सत्यनारायण	सदस्य
13	डा॰ बाबूराम सक्सेना	सदस्य
14	डा॰ आबिद हुसैन	सदस्य
15	डा॰ अमरनाथ झा	सदस्य
16	डा॰ आर॰पी॰ त्रिपाठी	सदस्य
17	श्री बालकृष्ण शर्मा	सदस्य

18	श्री मौलि चन्द्र शर्मा	सदस्य
19	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी	सदस्य
20	श्री जयनारायण व्यास	सदस्य
21	श्री एम० अनन्तशयनम अय्यंगार	सदस्य

परन्तु 2 सितम्बर, 1955 को डा० अमरनाथ झन के देहावसान हो जाने से राष्ट्रपति ने 25 नवम्बर, 1955 को उनके स्थान पर प्रो० रामधारी सिंह "दिनकर" को आयोग का सदस्य नियुक्त किया।

बाद में श्री एम० अनन्तशयनम अय्यंगार ने लोक सभा के अध्यक्ष के विशिष्ट पद पर निर्वाचित होने के कारण 8 मार्च, 1956 को आयोग की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

आयोग की प्रथम बैठक 15-16 जुलाई, 1955 को हुई। उसके तुरन्त बाद ही आयोग ने एक प्रश्नावली प्रकाशित कर उसे व्यापक रूप से बांटा तथा इसकी प्रतियां समस्त राज्य सरकारों, राज्यधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं तथा विशिष्ट विद्वानों के पास उनके विचार जानने के लिए भेजी गई। कुल मिलाकर 1,094 लिखित उत्तर अथवा ज्ञापक मिले। इन उत्तरों में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सब भाग "क", "ख" और अधिकतर भाग "ग" की राज्य सरकारों, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, लगभग सभी राज्यों के लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, उच्च न्यायालयों, शिक्षा, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली अनेक संस्थाओं और संगठनों के उत्तर शामिल हैं। सरकारी संस्थाओं और प्राधिकारियों के अतिरिक्त मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों तथा केन्द्रीय सरकार के दूसरे मंत्रियों, राज्यों के राज्यपालों, राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों एवं मंत्रियों, विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने व्यक्तिगत रूप में तथा लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों, सरकारी नौकरों, साहित्य एवं कारोबार में संलग्न विशिष्ट व्यक्तियों, वकीलों, वैज्ञानिकों, प्राविधिज्ञों, प्रोफेसरों और व्यापारी लोगों ने अपने विचार आयोग के सम्मुख रखे।

जो लिखित ज्ञापक प्राप्त हुए, उनके अलावा मौखिक साक्ष्यों के लिए आयोग ने देश के प्रायः सभी बड़े राज्यों में व्यापक दौरे किए। आयोग ने यह साक्ष्य लेने के लिए देश भर में 22 विभिन्न स्थानों पर बैठकें कीं। ये बैठकें 10-11 अक्टूबर, 1955 से 11-20 जून, 1956 के बीच राजकोट, अहमदाबाद, पूना, नागपुर, कलकत्ता, भुवनेश्वर, शिलांग, बंबई, हैदराबाद, कुरनूल, मद्रास, बंगलौर, अर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम, नई दिल्ली, ग्वालियर, जयपुर, पटना, लखनऊ चंडीगढ़ पटियाला तथा श्रीनगर में हुई।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा आयोग ने भारत सरकार की सहमति से यह निर्णय किया कि आयोग का सचिव कुछ समय के लिए सोवियत संघ जाए और यह देखे कि भाषा संबंधी जो समस्याएं इस समय भारत के सामने उपस्थित हैं, रूस में उस प्रकार की समस्याओं को कैसे सुलझया गया है। भारत की भांति ही रूस भी बहुभाषी देश है। उसने बहुभाषावाद की समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाकर एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण उपस्थित किया है। आयोग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि आयोग के सचिव श्रीनगर में होने वाली आयोग की उपान्तिम बैठक और 25 जुलाई, को होने वाली आयोग की अंतिम बैठक के बीच में दो तीन सप्ताह के लिए सोवियत संघ के दौरे पर जाएं। अतः आयोग के सचिव श्री एस० जी० बर्वे 3 जुलाई, 1956 से 20 जुलाई, 1956 तक मास्को के दौरे पर गए। सोवियत संघ में भाषागत समस्याओं का अध्ययन करने के बाद सचिव ने एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत किया जिसकी प्रतियां 25 जुलाई की बैठक में आयोग के सदस्यों में बांटी गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने आयोग की उसी दिन की बैठक में अपने अध्ययन का मौखिक ब्यौरा भी दिया।

आयोग को अपनी सिफारिशें करने में भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखना था। इस आयोग ने जो "खेर आयोग" के नाम से जाना जाता है 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया।

संसदीय राजभाषा समिति 1957

संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) में यह व्यवस्था है कि 30 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी जिसमें 20 लोक सभा के और 10 राज्य सभा के सदस्य होंगे जो कि क्रमशः दोनों सदनों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकलसंक्रमणीय मत द्वारा चुने जाएंगे। खंड (5) में कहा गया है कि समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर परीक्षा करे और उन पर अपनी राय की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें। तदनुसार 3 सितम्बर, 1957 को गृह मंत्री के प्रस्ताव पर समिति के निम्नलिखित सदस्य चुने गए:

राज्य सभा (चुनाव 11.9.1957 को हुआ)

श्री गोविन्द वल्लभ पंत
श्री पुरूषोत्तमदास टंडन
श्री के०पी० माधवन नायर
श्री अल्लूरी सत्यनारायण राजू
प्रो० डा० रघुवीर
सरदार बुध सिंह
श्री भागीरथी महापात्र
डा० ए० रामस्वामी मुदलियर
श्री पी० नारायणन नायर
श्री प्रफुल्ल चन्द्र भजदेव

लोक सभा

सेठ गोविन्द दास
श्री पी०टी० थानु पिल्लई
स्वामी रामानन्द तीर्थ
श्री बी०एस० मूर्ति
पंडित ठाकुरदास भार्गव
श्री हिपर्जुरईमान
श्री बी० भागवती
श्री यू० श्री निवास मल्लिआ
श्री फ्रेंक एन्थोनी
श्री मथुरा प्रसाद मिश्र
श्री मणिक्य लाल वर्मा
श्री भक्तदर्शन
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
कुमारी मणिवेन बल्लभ भाई पटेल
श्री जी०एस० मुसाफिर

श्री अतुल्य घोष
श्री देवराव यशवन्तराव गोहोकर
श्री हीरेन्द्रनाथ मुखर्जी
श्री प्रमथनाथ बनर्जी

16 नवम्बर, 1957 को हुई समिति की प्रथम बैठक में श्री गोविन्द बल्लभ पंत को सर्वसम्मति से समिति का अध्यक्ष चुना गया।

इस समिति की कुल 26 बैठकें हुईं। इन बैठकों में व्यापक विचार-विमर्श के बाद तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति ने 8 फरवरी, 1959 को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

आयोग और समिति दोनों का ही विचार था कि 26 जनवरी, 1965 के पश्चात अंग्रेजी का प्रयोग "सह राजभाषा" के रूप में जारी रहना चाहिए। यद्यपि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग व्यावहारिक आवश्यकता बन गई थी तथापि अंग्रेजी से हिन्दी में यह भाषाई परिवर्तन सहजता से धीरे-धीरे होना चाहिए। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने संविधान के अनुच्छेद 351 के उपबन्धों को पर्याप्त महत्व दिया, जिनमें व्यवस्था है कि हिन्दी का विकास इस प्रकार किया जाए कि वह भारत की मिली-जुली संस्कृति के समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और इस बात पर बल दिया गया था कि सरल और सुबोध शब्द प्रयोग में लाए जाएं। समिति ने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रहना चाहिए और हिन्दी को कुछ समय बाद वैकल्पिक माध्यम के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन पर 2 सितम्बर से 4 सितम्बर तक लोक सभा में तथा 9 सितम्बर, 1989 को राज्य सभा में बहस हुई। प्रधानमंत्री ने 4 सितम्बर, 1959 को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया। राजभाषा के प्रश्न पर सरकार के रवैये को मौटे तौर पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह बात फिर से दोहराई कि अंग्रेजी को एक सहयोगी अथवा अतिरिक्त भाषा बनाया जाना चाहिए और किसी भी राज्य द्वारा भारत सरकार के साथ अथवा अन्य राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार के लिए उसे प्रयुक्त किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक अहिन्दी भाषी क्षेत्र अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग को बन्द करने पर राजी न हो जाएं तब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी जारी रहेगा और इस संबंध में समय-सीमा की कोई बंदिश नहीं होगी।

राष्ट्रपति का आदेश, 1960

संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड (6) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने इस संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा प्रकट किए गए मंतव्य के संदर्भ में 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया जिसमें उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश थे। इन निर्देशों में से, मुख्य निर्देश वैज्ञानिक, प्रशासनिक तथा विधिक प्रयोजनों के लिए हिन्दी शब्दावली के विकास तथा प्रशासनिक और कार्य-विधि संबंधी सामग्री के हिंदी अनुवाद से संबंधित था। आदेश में यह व्यवस्था थी कि:—

1. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक स्थाई आयोग स्थापित करना चाहिए।
2. शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों तथा कार्यविधि साहित्य का अनुवाद हाथ में ले और भाषा में एकरूपता सुनिश्चित करने की आवश्यकता की दृष्टि से यह काम केवल एक ही अभिकरण को सौंपा जाए।
3. एक मानक विधि शब्द-कोष बनाने, हिंदी में विधि के पुनः अधिनियम और विधि शब्दावली के निर्माण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून के विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग स्थापित किया जाए।
4. तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को छोड़ कर उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवा-कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए जिनकी आयु दिनांक 1.1.1961 को 45 वर्ष से कम हो। गृह मंत्रालय टंककों और आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण तथा आशुलेखन का प्रशिक्षण देने के लिए प्रबंध करें।

राष्ट्रपति के इस आदेश में निम्नलिखित प्रावधान भी सम्मिलित थे:—

(क) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे, परन्तु बाद में हिंदी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए।

(ख) अंग्रेजी में बनी संसदीय विधियों का हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध कराया जाए।

(ग) जब परिवर्तन का समय आए तो उच्चतम न्यायालय की भाषा हिंदी होगी।

(घ) जहां तक उच्च न्यायालयों की भाषा का संबंध है, जब परिवर्तन का समय आएगा, सामान्यतः हिंदी सभी क्षेत्रों में निर्णयों, आज्ञप्तियों (डिक्रियों) और आदेशों की भाषा होगी: तथापि, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आवश्यक विधायन करके हिंदी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा का राजभाषा के रूप में विकल्प दिया जा सकता है।

राष्ट्रपति के आदेश से सरकार का यह मन्तव्य स्पष्ट हो गया कि उस समय के बाद से हिंदी को लागू करना सरकार की एक सक्रिय चिन्ता और कार्य-कलाप का अंग होगा। वास्तव में राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के बाद सरकार में इस संबंध में तुरन्त गतिशीलता आई जिसके फलस्वरूप उसने संघ के सरकारी काम में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की।

राजभाषा अधिनियम, 1963

जैसे ही भारतीय संविधान में भाषाई परिवर्तन के लिए नियत 26 जनवरी, 1965 का दिन समीप आने लगा, कुछ अहिंदी भाषी लोगों के मस्तिष्क में अशान्ति और आशंकाएं पैदा हुई कि अब हिंदी उन पर लादी जाएगी। हालांकि, तत्कालीन प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू 7 अगस्त, 1959 को लोक सभा में काफी पहले घोषणा कर चुके थे कि अहिंदी भाषी लोगों पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी और अंग्रेजी सहायक/अतिरिक्त भाषा के रूप में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि अहिन्दी भाषी लोग उसे बनाए रखना चाहेंगे। तथापि प्रधानमंत्री का यह भी दृढ़ मत था कि हिंदी को धीरे-धीरे ही सही परन्तु एक दिन तो अंग्रेजी का स्थान लेना ही है। तथापि राजभाषा के भविष्य और अहिंदी भाषी जनता

की आकांक्षाओं के बीच एक समन्वित सोच अपनाने की दृष्टि से उक्त कठिनाइयों का निराकरण करते हुए 10 मई, 1963 को राजभाषा अधिनियम, 1963 लाया गया।

इस संबंध में यह उल्लेख करना भी संगत होगा कि 1963 के अधिनियम से जनता के सभी वर्गों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। कुछ लोगों का मानना था कि इससे पिछले 15 वर्षों के दौरान सरकार की अकर्मण्यता सिद्ध हुई है, जबकि अन्य लोगों का विचार था कि यह प्रस्ताव स्वीकार करके कि अंग्रेजी को भी इस देश की भाषा के रूप में जारी रखना चाहिए, इस अधिनियम ने हमारे राष्ट्रीय गौरव को आघात पहुंचाया है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा इस विषय पर दिए गए आश्वासनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से 1963 के अधिनियम की पर्याप्तता के बारे में कुछ भ्रांतियां थीं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के आश्वासन को सांविधिक उपबन्ध के माध्यम से प्रतिष्ठापित करने के संबंध में उठी मांग को ध्यान में रखते हुए 27 नवम्बर, 1967 को संसद में सरकार के राजभाषा संकल्प के रखे जाने के साथ-साथ 1963 के अधिनियम को संशोधित करने के लिए संसद में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। संसद द्वारा पारित होने से पहले संशोधनकारी विधेयक पर व्यापक बहस हुई और अन्ततः इसे 8 जनवरी, 1968 को अधिनियमित कर दिया गया। 1967 के संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि जब तक अहिंदी भाषी राज्यों की विधान सभाएं अपनी सहमति न दें और संसद के दोनों सदनों द्वारा उक्त सहमति की पुष्टि न हो जाए तब तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग संघ के राजकीय प्रयोजनों तथा अन्य ऐसे सभी प्रयोजनों के लिए (जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं) जारी रहेगा। इसमें संघ और राज्यों के बीच तथा एक राज्य और अन्य राज्यों के बीच तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया गया कि कतिपय दस्तवेजों के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। अधिनियम की धारा 4 में यह व्यवस्था है कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन इस आशय के संकल्प के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तावित किए जाने पर और दोनों सदनों द्वारा उक्त संकल्प के पारित किए जाने पर, किया जा सकता है। इस समिति में तीस सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल-संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे तथा राज्य सरकारों को उनकी राय के लिए भिजवाएंगे। उक्त प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश जारी करेंगे परन्तु इस प्रकार निकाले गए आदेश अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 ने जहां एक ओर संघीय सरकार की राजभाषा नीति की रूप-रेखा निर्धारित की वहीं दूसरी ओर निकट भविष्य के लिए द्विभाषिकता के युग का भी सूत्रपात किया।

राजभाषा संकल्प, 1968

वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम को संशोधित करने के एक वर्ष बाद संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, जो (राजभाषा संकल्प के नाम से जाना जाता है) इसे भारत के राजपत्र में 18.1.1968 को प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार यह निर्देश दिया गया है कि हिंदी के प्रचार एवं विकास की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ की विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सकार एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करें और उसे कार्यान्वित करें। इस संबंध में किए जाने वाले उपायों एवं होने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी सरकार द्वारा संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाए और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाए।

इस संकल्प में यह भी कहा गया है कि हिंदी के साथ-साथ आठवीं अनुसूची में वर्णित अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से, एक कार्यक्रम तैयार करे और इसे कार्यान्वित किया जाए ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम लें। संकल्प में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों को पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने पर बल देते हुए यह कहा गया है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनकि भारतीय भाषा को (दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए) और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किए जाएं। अंततः इस संकल्प के अनुसार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोकसेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए और उन विशेष सेवाओं और पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों को संतोषजनक निष्पादन के लिए केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी व दोनों, जैसीकि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित हो। इसके अतिरिक्त, परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परिक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति हो।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी किए गए विशिष्ट उपायों में यथा-संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा संकल्प, 1968 के पश्चात् वर्ष 1974 में राजभाषा नियम सामने आए जो राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 के अधीन बनाए गए थे। भारत के सरकारी राजपत्र में दिनांक 28 जून, 1976 को प्रकाशित ये नियम तमिलनाडु के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर लागू हैं।

जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित) के उपबन्धों से केन्द्रीय सरकार के

कामकाज में दीर्घकालीन द्विभाषिक स्थिति की शुरूआत हुई। 1976 के राजभाषा नियमों के प्रवृत्त होने के बाद अब स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को इस बात की छूट है कि वह सरकारी कामकाज में हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा का प्रयोग कर सकता है तथा उससे इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह हिंदी अथवा अंग्रेजी में दी गई अपनी टिप्पणी का दूसरी भाषा में स्वयं अनुवाद करेगा।

साथ ही सरकारी कामकाज के कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 6 के तहत हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की नीति के अनुसार हिंदी के प्रयोग को समझा बुझाकर तथा प्रोत्सहान द्वारा बढ़ाया जाना है। संविधान द्वारा संघ की राजभाषा की प्रसार वृद्धि करने हेतु संघ सरकार को निर्देश दिए गए हैं।

राजभाषा अधिनियम के अधीन संसदीय राजभाषा समिति का गठन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिस तारीख (26 जनवरी, 1965) को अधिनियम की धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी। इसी धारा के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि इस समिति में संसद के 30 सदस्य होंगे-20 लोकसभा से और 10 राज्य सभा से। यह समिति 1976 में गठित की गई। मौटे तौर पर समिति की संरचना में विभिन्न राजनीतिक दलों के दोनों सदनों में समय-समय पर उपलब्ध संख्या की झलक मिलती है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने संयुक्त रूप से श्री ओम मेहता, गृह राज्यमंत्री को समिति का पहला अध्यक्ष नामित किया तथापि, बाद में समिति की दिनांक 3.9.1977 को हुई तीसरी बैठक में अपनाई गई

कार्याविधि और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार समिति के सदस्यों द्वारा समय-समय पर परम्परा अनुसार भारत के गृहमंत्री (क्रम से श्री चरण सिंह, श्री एच०एम० पटेल, श्री जैल सिंह, श्री पी०सी०सेठी, श्री एस०बी० चव्हान, श्री बूटा सिंह और श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) को समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार 1958 में भी तत्कालीन गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्द बल्लभ पन्त ही थे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने कार्यविधि के अनुसार समिति के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए समय-समय पर सर्वश्री ओम मेहता, चिरंजी लाल शर्मा, श्रीकान्त वर्मा और डा० रूद्रप्रताप सिंह को नामित किया। 1976 में गठित समिति में क्रमशः लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य थे:-

लोक सभा

क्र० सं०	नाम	पार्टी	अवधि से	तक
1	2	3	4	
1.	श्री भगवत झा आजाद	कांग्रेस	17.1.76	30.4.76
2.	श्री राम सिंह भाई	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
3.	श्री खेम चन्द भाई चावड़ा	कांग्रेस (ओ)	17.1.76	18.1.77
4.	श्री मूल चन्द डागा	कांग्रेस	17.1.76	30.4.76
5.	श्री के०जी०देशमुख	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
6.	श्री के० गोपाल	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
7.	श्री सरोज मुखर्जी	कम्यूनिस्ट (मा)	17.1.76	18.1.77
8.	श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
9.	श्री सुधाकर पाण्डेय	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
10.	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
11.	श्री नारायण चन्द्र पाराशर	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
12.	श्री पी० पार्थसारथि	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
13.	श्री राम हेडाऊ	फारवर्ड ब्लाक	17.1.76	18.1.77
14.	श्रीमती सावित्री श्याम	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
15.	श्री इरा सेजियान	द्रविड मुन्नेत्र कषगम	17.1.76	18.1.77

16.	श्री विश्वनारायण शास्त्री	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
17.	श्री रामावतार शास्त्री	कम्युनिस्ट	17.1.76	18.1.77
18.	श्री शिव कुमार शास्त्री	स्वतन्त्र	17.1.76	18.1.77
19.	श्री शंकर दयाल सिंह	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
20.	श्री आर०एन० बर्मन	कांग्रेस	17.1.76	18.1.77
21.	श्री एस०एन० सिंह (श्री भगवत झा आजाद के स्थान पर)	कांग्रेस	19.8.76	18.1.77
22.	श्री जगन्नाथ मिश्र (श्री मूल चन्द डागा के स्थान पर)	कांग्रेस	19.8.76	18.1.77

बाद में 1977, 1985 तथा 1989 के लोक सभा के चुनावों के पश्चात समिति का पुनर्गठन हुआ। इन चुनावों के पश्चात समिति कि सदस्यों की समय-समय पर सदस्यता का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष 1977 के लोक सभा चुनाव के पश्चात

क्र० सं०	नाम	पार्टी	अवधि से	तक
1	2	3	4	
1.	श्री चरण सिंह	जनता	6.7.77	23.2.79
2.	श्री नवाब सिंह चौहान	जनता	6.7.77	22.8.79
3.	श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	कांग्रेस (आई)	6.7.77	22.8.79
4.	श्री एडुआर्डो फेलीरो	कांग्रेस (यू)	6.7.77	22.8.79
5.	श्री कुमार आनन्दन	गांधी कामराज राष्ट्रीय कांग्रेस	6.7.77	22.8.79
6.	श्री इस्माइल हुसैन खां	कांग्रेस (यू)	6.7.77	22.8.79
7.	श्री कुंवर महमूद अली खां	जनता	6.7.77	22.8.79
8.	श्रीमती पार्वती कृष्णन	कम्युनिस्ट	6.7.77	30.5.79
9.	श्री लालजी भाई	जनता	6.7.77	22.8.79
10.	श्री लक्ष्मणराव मानकर	जनता	6.7.77	22.8.79
11.	श्री नाथूराम मिर्धा	कांग्रेस (यू)	6.7.77	22.8.79
12.	श्री जी०एस० मिश्र	कांग्रेस (आई)	6.7.77	22.8.79
13.	श्री अरविन्द बाला पजनोर	अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम	6.7.77	22.8.79
14.	श्री विजय कुमार नवल पाटिल	कांग्रेस (आई)	6.7.77	22.8.79
15.	श्री एस० आर० रेड्डी	कांग्रेस (यू)	6.7.77	22.8.79
16.	श्री देवेंद्र सत्पथी	जनता	6.7.77	22.8.79
17.	श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	जनता	6.7.77	22.8.79
18.	श्री सुरेन्द्र झा सुमन	जनता	6.7.77	22.8.79
19.	श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा	अकाली	6.7.77	22.8.79
20.	श्री ओमप्रकास त्यागी	जनता	28.3.79	22.8.79
21.	श्री एच० एम० पटेल (श्री चरण सिंह के स्थान पर)	जनता		

1980 के लोक सभा चुनाव के पश्चात

1.	श्री जैल सिंह	कांग्रेस (आई)	19.3.80	22.7.82
2.	श्री भगवान देव	कांग्रेस (आई)	19.3.80	31.12.84
3.	श्री गिरधर गोमांगों	कांग्रेस (आई)	19.3.80	31.12.84
4.	श्री नरसिंह मकवाना	कांग्रेस (आई)	19.3.80	31.12.84
5.	श्री आर० के० म्हालगी	भारतीय जनता पर्टी	19.3.80	6.3.82
6.	श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	कांग्रेस	19.3.80	24.8.83
7.	श्री रामावतार शास्त्री	कम्युनिस्ट	19.3.80	31.12.84
8.	श्री नाथूराम मिर्धा	कांग्रेस (आई)	19.3.80	31.12.84
9.	श्री जी० एस० मिश्र	कांग्रेस (आई)	19.3.80	13.5.83
10.	श्री विजय कुमार नवल पाटिल	कांग्रेस (आई)	19.3.80	17.1.82
11.	श्री एस० मुरूगेन	द्रविड मुन्नेत्र कषगम	19.3.80	31.12.84
12.	श्री ए०एन० नाडार	डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फ्रंट	19.3.80	31.12.84
13.	प्रो० रूपचन्द्र पाल	कम्युनिस्ट (मा)	19.3.80	31.12.84
14.	श्री रामविलास पासवान	लोकदल	19.3.80	31.12.84
15.	श्री रणजीत सिंह	कांग्रेस (आई)	19.3.80	31.12.84
16.	श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	कांग्रेस (आई)	19.3.80	31.12.84
17.	श्री अमर राय प्रधान	फारवर्ड ब्लाक	19.3.80	31.12.84
18.	श्री चिरंजी लाल शर्मा	कांग्रेस (आई)	19.3.80	31.12.84
19.	श्री के०के० तिवारी	कांग्रेस (आई)	19.3.80	31.12.84
20.	श्री जयराम वर्मा	कांग्रेस (आई)	19.3.80	31.12.84
21.	श्री मोती भाई आर० चौधरी (श्री विजय कुमार नवल पाटिल के स्थान पर	जनता	26.4.82	31.12.84
22.	श्री के०एस० नारायण (श्री आर०के० म्हालगी के स्थान पर	कांग्रेस (आई)	26.4.82	31.12.84
23.	श्री पी०सी० सेठी (श्री जैल सिंह के स्थान पर)	कांग्रेस आई	14.10.82	21.7.84
24.	श्री के०सी० शर्मा (श्री जी०एस० मिश्र के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	4.8.83	31.12.84
25.	श्रीमती विद्या चेन्नुपति (श्री कृष्ण चन्द पाण्डेय के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	19.12.83	31.12.84
26.	श्री पी०वी० नरसिंह राव (श्री पी०सी० सेठी के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	9.8.84	31.12.84

1984 के लोकसभा चुनाव के पश्चात

1.	बेगम आबिदा अहमद	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	13. 9.85
2.	श्री अमर राय प्रधान	फारवर्ड (ब्लाक)	27. 3.85	29. 8.89
3.	प्रो० के० वी थामस	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	27.11.89
4.	श्री पृथ्वी चन्द किस्कू	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	27.11.89
5.	श्री आर० पी० दास	कम्युनिस्ट (मा)	27. 3.85	29. 8.89
6.	श्री एस० जगतरक्षकन	अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम	27. 3.85	27.11.89
7.	श्री चिन्तामणि जेना	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	27.11.89
8.	श्री भरतभाई एम० ओडेडरा	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	27.11.89
9.	श्रीमती इन्दुबाला सुखाडिया	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	27.11.89

10.	श्री जमीलुर रहमान	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	2. 7.85
11.	श्री मनोरंजन हलदर	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	27.11.89
12.	श्री एन० तोम्ब सिंह	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	27.11.89
13.	श्री पी० षणमुगम	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	27.11.89
14.	श्री बालकबि बैरागी	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	27.11.89
15.	श्री बी० वी० देसाई	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	5. 5.86
16.	श्री के० डी० सुल्तानपुरी	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	3. 5.85
17.	श्री जे० वेंगलराव	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	4.12.86
18.	श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर	कांग्रेस (आई)	27. 3.85	27.11.89
19.	श्री विजय कुमार यादव	कम्युनिस्ट	27. 3.85	29.8.89
20.	श्री वी० तुलसी राम	तेलगु देशम	27. 3.85	29. 8.89
21.	श्री एस० बी० चव्हाण (श्री के० डी सुल्तानपुरी के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	15. 5.85	12. 3.86
22.	श्री पी० वी० नरसिंह राव (श्री एस० बी० चव्हाण के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	11. 4.86	19. 5.86
23.	श्री हरीश चन्द रावत (श्री जमीलुर रहमान के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	13. 8.85	27.11.89
24.	श्री रामदेव राय (बेगम आबिदा अहमद के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	6.12.85	27.11.89
25.	श्री बूटा सिंह (श्री पी० वी० नरसिंह राव के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	30. 7.86	27.11.89
26.	श्री नरेश चन्द चतुर्वेदी (श्री बी० वी० देसाई के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	30. 7.86	27.11.89
27.	श्री जे० चोक्का राव (श्री जे० वेंगलराव के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	6. 2.87	27.11.89

1989 के लोकसभा चुनाव के पश्चात

1.	श्री मुफती मोहम्मद सईद	जनता दल	23. 3.90	12.3.91
2.	श्री चित्त बसु	फारवर्ड ब्लाक	23. 3.90	12. 3.91
3.	श्री परसराम भारद्वाज	कांग्रेस (आई)	23. 3.90	अब तक
4.	श्री रमेश चेन्नीथाला	कांग्रेस (आई)	23. 3.90	2. 6.90
5.	श्री भोगेन्द्र झा	कम्युनिस्ट	23. 3.90	12. 3.91
6.	श्री शोपत सिंह मक्कासर	मा० क० पा०	23. 3.90	12. 3.91
7.	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी	23.3.90	12.3.91
8.	श्री रामपूजन पटेल	जनता दल	23.3.90	20.8.90
9.	श्री हरीश रावत	कांग्रेस (आई)	23.3.90	12.3.91
10.	प्रो० रासा सिंह रावत	जनता दल	23.3.90	12.3.91

11.	श्री कपिल देव शास्त्री	जनता दल	23.3.90	12.3.91
12.	प्रो० एन० तोम्बी सिंह	कांग्रेस (आई)	23.3.90	12.3.91
13.	श्री उदय प्रताप सिंह	जनता दल	23.3.90	12.3.91
14.	प्रो० (डा०) शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	भारतीय जनता पार्टी	23.3.90	12.3.91
15.	श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी	कांग्रेस (आई)	23.3.90	12.3.91
16.	श्री एस०बी० थोराट	कांग्रेस (आई)	23.3.90	12.3.91
17.	श्रीमती चेन्नुपति विद्या	कांग्रेस (आई)	23.3.90	12.3.91
18.	श्री रामजी लाल यादव	जनता दल	23.3.90	12.3.91
19.	श्री चुनचुन प्रसाद यादव	जनता दल	23.3.90	12.3.91
20.	श्री सत्यनारायण जटिया	भारतीय जनता दल	23.3.90	12.3.91
21.	श्री पी०ए० एन्टोनी (श्री रमेश चेन्नीथाला के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	31.8.90	12.3.91
22.	श्री दशई चौधरी (श्री रामपूजन पटेल के स्थान पर)	जनता दल	31.8.90	10.12.90

1991 के लोक सभा चुनाव के पश्चात

1.	श्री परसराम भारद्वाज	कांग्रेस (आई)	30.7.91	अब तक
2.	श्री चन्दुभाई देशमुख	भारतीय जनता पार्टी	30.7.91	अब तक
3.	श्री विजय कुमार हांडिक	कांग्रेस (आई)	30.7.91	अब तक
4.	श्री सैयद मसूदल हुसैन	सी०पी०आई० (एम)	30.7.91	अब तक
5.	श्री सत्य नारायण जटिया	भारतीय जनता पार्टी	30.7.91	अब तक
6.	श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर	कांग्रेस (आई)	30.7.91	अब तक
7.	श्री नाथूराम मिर्धा	कांग्रेस (आई)	30.7.91	अब तक
8.	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	कांग्रेस (आई)	30.7.91	20.8.91
9.	डा० लक्ष्मी नारायण पांण्डेय	भारतीय जनता पार्टी	30.7.91	अब तक
10.	श्री राम विलास पासवान	जनता दल	30.7.91	अब तक
11.	श्री राम पूजन पटेल	जनता दल	30.7.91	अब तक
12.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	जनता दल	30.7.91	अब तक
13.	प्रो० रासा सिंह रावत	भारतीय जनता पार्टी	30.7.91	अब तक
14.	श्री के० राममूर्ति (टिंडिवणाम तमिलनाडु)	कांग्रेस (आई)	30.7.91	अब तक
15.	श्री राम लाल राही	कांग्रेस (आई)	30.7.91	अब तक
16.	श्रीपी०एम० सईद	कांग्रेस (आई)	30.7.91	अब तक
17.	श्री उदय प्रताप सिंह	जनता दल	30.7.91	अब तक
18.	श्री चुन चुन प्रसाद यादव	जनता दल	30.7.91	अब तक
19.	श्री विजय कुमार यादव	भा०क०पा०	30.7.91	अब तक
20.	श्री नंदी येलेया	कांग्रेस (आई)	30.7.91	अब तक
21.	श्रीमती संतोष चौधरी (श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही के स्थान पर)	कांग्रेस (आई)	25.3.92	अब तक

संसदीय राजभाषा समिति के लिए निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों की समय-समय पर सदस्यता।

क्रम सं०	नाम	पार्टी	अवधि	
			से	तक
1.	श्री ओम मेहता	कांग्रेस	29.1.76	2.4.76
		(बाद में स्वतंत्र)	26.5.76	2.4.82
2.	श्री योगेन्द्र शर्मा	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	29.1.76	9.4.78
			11.5.78	9.4.84
3.	डा० लोकेश चन्द्र	कांग्रेस	29.1.76	2.4.80
			8.8.80	2.4.86

4.	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	कांग्रेस	29.1.76	23.11.77
5.	श्री लोक नाथ मिश्र	कांग्रेस	29.1.76	2.4.78
6.	श्री एम.एस. अब्दुल खादिर	अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कषगम	29.1.76	2.4.78
7.	श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी	कांग्रेस	29.1.76	9.4.78
8.	श्री मकसूद अली खान	कांग्रेस	29.1.76	9.4.78
9.	श्री कामेश्वर सिंह	कांग्रेस कांग्रेस(एस) बाद में	29.1.76	2.4.80
10.	श्री एम.पी. शुक्ल	कांग्रेस	29.1.76	2.4.76
11.	श्री हर्षदेव मालवीय	कांग्रेस	26.5.76	2.4.78
12.	श्री भीष्म नारायण सिंह	कांग्रेस(आई)	20.12.77	2.4.82
13.	श्री शिव चन्द्र झा	जनता	11.5.78	9.4.84
14.	श्री वी.वेन्का	अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कषगम	11.5.78	2.4.84
15.	श्री जगन्नाथ राव जोशी (श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी के स्थान पर)	जनता बाद में भारतीय जनता पार्टी	11.5.78	2.4.84
16.	श्री गणपत हीरालाल भगत	जनता कांग्रेस(जे) बाद में	11.5.78	2.4.84
17.	श्री गुरुदेव गुप्ता	कांग्रेस(यू)	11.5.78	2.4.82
18.	श्रीमती अजीजा इमाम	कांग्रेस(एस)	8.8.80	2.4.82
19.	श्री रामचन्द्र भारद्वाज	कांग्रेस(आई)	4.5.82	6.7.86
20.	प्रो. सन्तोष कुमार मिश्र	कम्युनिस्ट(मा)	4.5.82	28.3.84
21.	श्री विट्ठल भाई एम.पटेल	कांग्रेस आई	4.5.82	2.4.88
22.	डा. रुद्र प्रताप सिंह	कांग्रेस (आई)	4.5.82	4.7.86 तथा 13.8.86 4.7.92
23.	श्री अरविन्द घोष	कम्युनिस्ट(मा)	8.5.84	8.11.84
24.	श्री इन्द्रदीप सिंह	कम्युनिस्ट	8.5.84	6.7.86
25.	डा.महाबीर प्रसाद	जनता	8.5.84	19.1.85
26.	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	भारतीय जनता पार्टी	8.5.84	2.4.88
27.	श्री सुधाकर पाण्डेय	कांग्रेस(आई)	8.5.84	4.7.86
28.	श्री श्रीकान्त वर्मा	कांग्रेस(आई)	8.5.84	25.5.86
29.	श्री हुकमदेव नारायण यादव	लोकदल	23.3.85	6.7.86
30.	श्री नेपाल देव भट्टाचार्य	कम्युनिस्ट	23.3.85	2.4.88

31.	श्री एम. पी. कौशिक	कांग्रेस (आई)	13.5.86	21.5.87
32.	डा. रत्नाकर पाण्डेय	कांग्रेस (आई)	13.8.86	4.7.92
33.	श्री बन्धु महतो	कांग्रेस (आई)	13.8.86	4.7.90
34.	श्रीमती वीणा वर्मा	कांग्रेस (आई)	13.8.86	2.4.88 तथा
			10.5.88	अब तक
35.	श्री वल्लमपुरी जॉन	अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कषगम	13.8.86	8.5.87
36.	डा. बापू कालदाते	जनता	13.8.86	2.4.90
37.	श्री एम. कदरशा	आल इंडिया अन्ना डी.एम.के.	10.8.87	24.7.89
38.	श्री घनश्याम सिंह		10.8.87	2.4.88
39.	श्री विट्ठल एम. जाधव	कांग्रेस (आई)	10.5.88	अब तक
40.	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	भारतीय जनता पार्टी	10.5.88	20.6.91
41.	श्री मोहम्मद अमीन	कम्युनिस्ट (मा)	10.5.88	अब तक
42.	मीर्जा इर्शाद बेग	कांग्रेस (आई)	10.5.88	9.4.90
43.	श्री जी. स्वामीनाथन	आल इंडिया डी.एम.के.	27.7.89	29.6.92 तथा
			29.7.92	अब तक
44.	श्री शंकर दयाल सिंह	जनता दल	15.5.90	अब तक
45.	श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान	तेलुगू देशम	15.5.90	अब तक
46.	डा. सुब्रमनियम स्वामी	जनता पार्टी	15.5.90	10.12.90
47.	चौ0 हरमोहन सिंह	जनता दल	14.1.91	अब तक
48.	श्री जगदीश प्रसाद माथुर	भा.जनता पार्टी	2.8.91	अब तक
49.	श्री शंकरराव चव्हाण	कांग्रेस (आई)	29.7.92	अब तक
50.	श्री आई.जी. सनदी	कांग्रेस (आई)	29.7.92	अब तक

समिति के कर्त्तव्य के बारे में राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) में व्यवस्था की गई थी कि संसदीय राजभाषा समिति संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करेगी और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर सदन के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे ।

धारा 4(4) के अधीन यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेंगे । परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे ।

कार्यविधि नियमावली

समिति की कार्यविधि और कार्य-संचालन के नियमों के मसौदे पर 14 जून, 1976 को श्री ओम मेहता की अध्यक्षता में समिति की दूसरी बैठक में विस्तारपूर्वक विचार किया गया। बैठक में डा० लोकेश चन्द्र, श्रीमती सुमित्रा गजानन कुलकर्णी, श्रीमती सावित्री श्याम, श्री आर०एन० बर्मन, श्री राम सिंह भाई, श्री खेम चन्द चावडा, श्री के०जी० देशमुख, श्री राम हेडाऊ, श्री एम०एस० अब्दुल कादिर, श्री मकसूद अली खां, श्री हर्षदेव मालवीय, श्री लोक नाथ मिश्र, श्री सरोज मुखर्जी, श्री सुधाकर पाण्डेय, श्री नारायण चन्द पराशर, श्री इरा सेझियान, श्री योगेन्द्र शर्मा, श्री विश्वनारायण शास्त्री, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री रामावतार शास्त्री, श्री शिवकुमार शास्त्री, श्री कामेश्वर सिंह और श्री शंकरदयाल सिंह भी उपस्थित थे। नियमों के मसौदे में आवश्यक परिष्करण और कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को समाविष्ट करने के पश्चात इन नियमों को श्री चरण सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 3 सितम्बर, 1977 को समिति की तीसरी बैठक में अंतिम रूप से अपना लिया गया। इस बैठक में जो अन्य सदस्य उपस्थित थे, उनके नाम नीचे दिए गए हैं:

श्री लालजी भाई, श्री नवाब सिंह चौहान, डा० लोकेश चन्द्र, श्रीमती प्रेमला बाई चव्हाण, श्री इडार्डो फेलीरो, श्री एम०ए० अब्दुल कादिर, श्री इस्माइल हुसैन खान, श्री कुवंर महमूद अली खान, श्री मकसूद अली खान, श्रीमती पार्वती कृष्णन, श्रीमती सुमित्रा गजानन कुलकर्णी, श्री गार्गी शंकर मिश्र, श्री लोक नाथ मिश्र, श्री ए० बाला पजनौर, श्री विजय कुमार नवल पाटिल, श्री एस० आर० रेड्डी, श्री देवेन्द्र सत्पथी, श्री योगेन्द्र शर्मा, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री कामेश्वर सिंह, श्री सुरेन्द्र झा "सुमन", श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा और श्री ओम प्रकाश त्यागी।

प्रमुख विशिष्टताएं

समिति द्वारा अपने कार्य संचालन हेतु बनाई गई नियमावली की विशिष्टताओं का उल्लेख करना भी अप्रासांगिक न होगा। समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समिति द्वारा गठित तीनों उपसमितियों के लिए पृथक-पृथक संयोजकों की व्यवस्था की गई है। उपाध्यक्ष और संयोजक अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। समिति की बैठक के लिए कम से कम दस सदस्यों का कोरम होना चाहिए किन्तु एक परवर्ती निर्णय के अनुसार साक्ष्य संबंधी बैठक के संबंध में इस सीमा में छूट दी गई है। यदि समिति की किसी बैठक के दौरान किसी समय कोरम पूरा नहीं है, तो अध्यक्ष कोरम पूरा होने तक बैठक निलम्बित कर सकते हैं, अथवा किसी दूसरे दिन के लिए बैठक स्थगित कर सकते हैं। परन्तु यदि समिति की बैठक कोरम पूरा न होने के कारण लगातार दो तारीखों पर स्थगित कर दी गई हो, तब अध्यक्ष द्वारा निश्चित की गई अगली तारीख पर कोरम न रहते हुए भी कार्य-संचालन किया जा सकता है।

समिति के सचिव प्रत्येक सदस्य को समिति की बैठकों की तारीख और स्थान की सूचना देते हैं। यदि समिति के अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित हों या बैठक के दौरान चले जाएं तो उपाध्यक्ष बैठक का कार्य-संचालन कर सकते हैं। किन्तु यदि उपाध्यक्ष भी उपलब्ध न हों तो अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य को उस बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित कर सकते हैं। समिति या उपसमिति की किसी बैठक में सभी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं किन्तु किसी मामले के पक्ष-विपक्ष में बराबर-बराबर मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है।

समिति की कार्यवाहियां पूर्ण-रूपेण गोपनीय समझी जाती हैं और बैठक में उपस्थित किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी को इसकी सूचना देने पर रोक है। यह भी व्यवस्था की गई है कि जब कभी कोई पत्र या प्रलेख जिस पर "गुप्त" या "गोपनीय" अंकित हो, समिति के सदस्यों में परिचालित किया जाए, तो सदस्य या अधिकारी उस पत्र या प्रलेख की विषय वस्तु किसी भी रूप में प्रकट नहीं करेंगे। समिति के सदस्यों और समिति सचिवालय के अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को विचार-विमर्श में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

समिति एक या इससे अधिक उपसमितियां नियुक्त कर सकती हैं और उन्हें जांच के लिए कुछ विशिष्ट मामले सौंप सकती है। उपसमिति अपनी रिपोर्ट संयोजक के हस्ताक्षर से समिति को प्रस्तुत करती है।

किसी भी व्यक्ति को वैयक्तिक रूप में या किसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में समिति या उसकी उपसमितियों के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अब तक जिन गणमान्य विशिष्ट व्यक्तियों को साक्ष्य के लिए आमंत्रित किया गया है उनमें न्यायमूर्ति, विधि विशेषज्ञ, केंद्रीय/राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम, स्वायत्त अथवा अर्ध-स्वायत्त निकाय/संगठन और सांविधिक निकाय, हिंदी से संबंधित स्वयं सेवी संगठनों आदि के उच्चतर और उच्चतम अधिकारी शामिल हैं। इन साक्ष्यों को परम गोपनीय माना जाता है।

उपसमितियां

समिति ने 1976 में अस्तित्व में आते ही अपने कार्य-संचालन को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न कार्य पद्धतियां बनाई ताकि वे अपने विचारार्थ विषय के अनुसार अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण कर सके और विचाराधीन विषयों से संबंधित या इनमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों, कार्यालयों/संस्थाओं से आधिकारिक सांख्यिकीय और अन्य सूचना तथा विचार/राय प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रश्नावलियां भी बना सके। समिति ने विशिष्ट कार्यों के लिए समय-समय पर निम्नलिखित उपसमितियों का गठन किया गया।

समिति द्वारा गठित उपसमितियों का विवरण

प्रश्नावली उपसमिति

समिति ने 4 मार्च, 1976 को हुई पहली बैठक में निरीक्षण के प्रयोजन के लिए तीन उपसमितियों के गठन के साथ-साथ प्रश्नावली उप समिति का भी गठन किया। यह बात शिद्दत के साथ महसूस की गई कि प्रश्नावलियां समिति के कार्य का मूलाधार है। अतः इन्हें तैयार करते समय हर प्रकार से ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित सूचना उपलब्ध हो सके। प्रश्नावली उपसमिति का गठन 4 मार्च, 1976 को हुआ जिसमें श्री भागवत झा आजाद, डा० लोकेश चन्द्र, श्री के०जी० देशमुख, श्री के० गोपाल, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री सुधाकर पाण्डे, श्री प्रकाशवीर शास्त्री और श्रीमती सावित्री श्याम सदस्य थे। इस उपसमिति की दो बैठकें दिनांक 8 अप्रैल, 1976 और 12 मई, 1976 को हुई तथा उनमें पांच प्रकार की प्रश्नावलियों की सिफारिशें की गई। पहली प्रश्नावली जनता से, दूसरी प्रश्नावली केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों आदि से, तीसरी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से, चौथी हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाने वाली राज्य सरकारों से तथा पांचवी हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाली राज्य सरकारों से सूचना मांगने के लिए बनाई गई थी।

समिति की 14 जून, 1976 को हुई दूसरी बैठक में इन प्रश्नावलियों पर विचार-विमर्श किया गया और इन्हें अनुमोदित किया गया।

विधि उपसमिति

वर्ष 1977 में यह प्रश्न उठा कि क्या समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संघ के घटक कार्यपालिका के साथ-साथ संघ के अन्य घटक न्यायपालिका और संसद भी शामिल हैं? इस मुद्दे पर विचार करने के लिए समिति ने एक विधि उपसमिति का गठन किया जिसमें ये तीन सदस्य थे—श्री कुंवर महमूद अली खान (संयोजक), श्री यमुना प्रसाद शास्त्री तथा श्री विजय कुमार नवल पाटिल। उठाए गए मसले पर विचार करने के लिए उपसमिति की दो बैठकें 6-4-78 को तथा 19-5-78 को हुई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

साक्ष्यय एवं आलेख उपसमिति

प्रश्नावली उपसमिति द्वारा निर्धारित प्रश्नावलियों के लिखित उत्तरों के माध्यम से जनता तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सूचना/विचार प्राप्त करने के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकर विचारों के आदान-प्रदान की आवश्यकता भी महसूस की गई तथा दिनांक 7 अप्रैल, 1980 को यह निर्णय लिया गया कि निरीक्षण के प्रयोजन के लिए गठित तीनों उपसमितियों के संयोजकों की एक साक्ष्य उपसमिति बनाई जाए जो साक्षियों द्वारा उत्तर देने संबंधी प्रश्नावली, आमंत्रित किए जाने वाले साक्षियों की सूची, साक्ष्य के स्थान संबंधी सभी प्रकार की प्रारंभिक तैयारी के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई संबंधी निर्णय ले और तदनुसार इसकी सूचना समिति को दे। समिति की 7 अप्रैल, 1980 को हुई बैठक में लिए गए उक्त निर्णय के क्रम में 10 अप्रैल, 1981 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तीनों संयोजकों की उपसमिति विचारार्थ विषय के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को दिए जाने वाले प्रतिवेदन की विषयवस्तु को तैयार करने के संबंध में भी विचार करेगी। 29 अगस्त, 1986 को हुई समिति की दसवीं बैठक में इस उपसमिति का पुनर्गठन करते हुए उपाध्यक्ष तथा पहली उपसमिति के संयोजक डा॰ रुद्र प्रताप सिंह, दूसरी उपसमिति के संयोजक श्री एन॰ तोम्बी सिंह, तीसरी उपसमिति के संयोजक श्री वी॰ तुलसीराम, श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी तथा श्रीमती वीणा वर्मा को इसका सदस्य बनाया गया। तदनुसार उपसमिति ने अब तक अनेक प्रकार की प्रश्नावलियों को तैयार करने के अलावा समिति के प्रतिवेदन के विभिन्न खण्डों की रूपरेखा आदि के बारे में सिफारिशें की हैं। इस समय समिति की उपाध्यक्षा, श्रीमती वीणा वर्मा, पहली उपसमिति के संयोजक, श्री विठ्ठल राव माधवराव जाधव, दूसरी उपसमिति के संयोजक, डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डे, तीसरी उपसमिति के संयोजक श्री शंकर दयाल सिंह और श्री नन्दी एलैया इस उपसमिति के सदस्य हैं।

समिति ने अपनी सुविधा और कार्रवाई को सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए मई, 1976 में तीन उपसमितियां गठित की थीं। अपने कार्य के संबंध में निरीक्षण के उद्देश्य से समिति द्वारा तीनों उपसमितियों को मंत्रालयों/विभागों से संबंधित निरीक्षण कार्य का आवंटन किया गया था।

समय-समय पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का पुनर्गठन होने के कारण तथा तीनों उपसमितियों के बीच निरीक्षण संबंधी कार्यभार के संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से उपसमितियों के बीच मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित निरीक्षण कार्य आवंटन में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाता रहा है।

समिति की दिनांक 5 जून, 1985 को हुई 9वीं बैठक में अनुमोदित वर्तमान आवंटन के पश्चात् अद्यतन स्थिति इस प्रकार है:—

पहली उपसमिति

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जल भूतल परिवहन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय।

दूसरी उपसमिति

रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय,विद्युत और अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय,खाद्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय, नागरिक पूर्ति, उपभोक्त मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग, महासागर विकास विभाग और अंतरिक्ष विभाग।

तीसरी उपसमिति

वाणिज्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय।

इन तीनों उपसमितियों की सदस्यता समय-समय पर बदलती रही है तथापि, वर्तमान में इन तीनों उपसमितियों में निम्नलिखित सदस्य हैं:—

पहली उपसमिति

1. श्री विट्ठलराव एम॰ जाधव
2. श्रीमती वीणा वर्मा
3. श्री पी॰ एम॰ सईद
4. श्री राम पूजन पटेल
5. प्रो॰ रासा सिंह रावत
6. श्री चन्दूभाई देशमुख
7. श्री आई॰जी॰ सनदी

दूसरी उपसमिति

1. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डे
2. श्री नाथू राम मिर्चा
3. श्री राम विलास पासवान
4. श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान
5. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. श्री श्री चुन चुन प्रसाद यादव
8. श्री नन्दी एहलैया
9. श्री बी॰के॰ हांडिक

10. श्री के० राममूर्ति
11. श्री चौधरी हरमोहन सिंह
12. श्री सैयद मसूदल हुसैन

तीसरी उपसमिति

1. श्री शंकर दयाल सिंह
2. श्री जी० स्वामीनाथन
3. श्री मोहम्मद अमीन
4. श्री विजय कुमार यादव
5. श्री परसराम भारद्वाज
6. श्री सत्यनारायण जटिया
7. श्री कविन्द्र पुरकायस्थ
8. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर
9. श्रीमती संतोष चौधरी

इन उपसमितियों द्वारा कार्यालयों के निरीक्षण से पूर्व उन्हें अपेक्षित सूचनाएं एक प्रश्नावली में भरकर उपलब्ध कराने को कहा जाता है। निर्धारित प्रश्नावली में दी गई सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उपसमितियां निरीक्षण के लिए चुने गए मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में जाकर निरीक्षण बैठक करती है। मंत्रालयों/विभागों की निरीक्षण संबंधी बैठकों में उनके सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कहीं कहीं इनके प्रभारी मंत्रीगण भी उपस्थित होते रहे हैं। विभागों के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों तथा संस्थानों के निरीक्षणों के दौरान संबंधित विभाग और उपक्रम के मुख्यालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं अन्य मदों के साथ-साथ वहां उपलब्ध हिंदी जानने वाली कार्मिक शक्ति, हिंदी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता और उनके प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं और उनके उपयोग की स्थिति, हिन्दी में काम करने के लिए उपलब्ध यांत्रिक सुविधाओं, सहायक और संदर्भ साहित्य की स्थिति, पत्राचार और विशेष दस्तावेजों में नियमनुसार हिन्दी और अंग्रेजी के प्रयोग और विभागीय परीक्षाओं, प्रशिक्षण तथा कार्यालय के अन्य प्रकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उठाए जा रहे कदमों और इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों आदि के बारे में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के मुख्य और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करती है। चूंकि निरीक्षण के समय समुचित स्तर के अधिकारी तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग/उपक्रम के प्रतिनिधि उपलब्ध होते हैं, अतः समिति वहां राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का पुनर्विलोकन सुचारू रूप से करती है। साथ ही वहीं इस विषय पर, विशेषतः निचले स्तर के कार्यालयों में व्याप्त राजभाषा नीति संबंधी कई भ्रांतियों का समाधान तथा समस्याओं का निराकरण करना भी संभव होता है। ऐसा अनुभव किया गया है कि निरीक्षण के फलस्वरूप राजभाषा नीति के संबंध में कार्यालयों को अपने दायित्व का और स्पष्ट बोध हो जाता है और नीति के कार्यान्वयन में गति आती है। इन निरीक्षण कार्यक्रमों के दौरान समिति के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें उभरकर सामने आते हैं। इन निरीक्षणों के दौरान संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों से हिन्दी की प्रगामी प्रयोग संबंधी विभिन्न पहलुओं पर आवश्यकतानुसार जो चर्चा की जाती है उसके फलस्वरूप उक्त कार्यालयों के अधिकारियों के मन में कई प्रकार की गलतफहमियों को दूर करने में भी सहायता मिलती है। इन निरीक्षणों का केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन पर व्यापक एवं आशातीत प्रभाव पड़ा है।

दिनांक 30.6.1993 तक तीनों उपसमितियों ने स्वदेश एवं विदेशों में क्रमशः 1571, 2036 तथा 1676 कार्यालयों का निरीक्षण किया है। जिनमें इन तीनों उपसमितियों द्वारा वर्ष 1980 में किए गए विदेश स्थित 136 कार्यालयों का निरीक्षण भी शामिल है।

प्रश्नावलियां

वर्ष 1976 में समिति ने निम्नलिखित पांच प्रश्नावलियां जारी की ताकि समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सीधे ही विभिन्न स्रोतों से जानकारी, विचार तथा सुझाव प्राप्त किए जा सकें:

(1) जनता से

(2) केन्द्रीय सरकार से कर्मचारियों से

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों से

(4) उन राज्यों सरकारों से जिन्होंने हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाया है।

(5) उन राज्य सरकारों से जिन्होंने हिन्दी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है।

उल्लेखनीय है कि निरीक्षण कार्य में शुरू में कुछ दौरों में राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली का प्रयोग किया गया । बाद में समिति द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित पांच प्रश्नावलियों में से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों से जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार की गई प्रश्नावली का ही प्रयोग निरीक्षण के संबंध में किया जाता रहा। अतः वस्तुतः निरीक्षण संबंधी प्रश्नावली मूल रूप से निरीक्षण के लिए तैयार नहीं की गई थी। कालान्तर में निरीक्षणों से प्राप्त अनुभव, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम आदि में कार्यान्वयन का कार्यालय विशेष में सही मूल्यांकन करने हेतु इस प्रश्नावली में समय-समय पर व्यापक संशोधन किये गये।

ऊपर वर्णित प्रश्नावलियों के अतिरिक्त कुछ कार्यालयों के लिये पूरक प्रश्नालियां भी बनाई गई उदाहरणतः रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन तथा रेलवे सुरक्षा बल आदि के लिये तैयार की गई प्रश्नावलियां। इन पूरक प्रश्नावलियों का उपयोग संबंधित वर्ग के कार्यालयों में होने वाले विशेष कामकाज के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट मुद्दों पर जानकारी लेने के लिये किया जाता है। ऊपर वर्णित निरीक्षण प्रश्नावलियों तथा पूरक प्रश्नावलियों में प्राप्त जानकारी का समिति सचिवालय द्वारा राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाता है।

साक्ष्य कार्यक्रम

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रयोजनों तथा तत्संबंधी अन्य विषयों में राजभाषा के प्रयोग का आकलन करने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया था कि शिक्षा, हिन्दी के प्रचार प्रसार क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, मुख्यमंत्रियों, विधि विशेषज्ञों, भरती संगठनों, प्रचार माध्यमों, यांत्रिक

सुविधाओं के निर्माता आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध गणमान्य व्यक्तियों को मौखिक साक्ष्य के लिए आमंत्रित किया जाए। अभी तक ऐसे साक्ष्य के 23 दौर हो चुके हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के 328 गणमान्य व्यक्ति समिति के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। जून, 1993 में हुए साक्ष्य कार्यक्रम को मिलाकर समिति द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौर के आयोजन से पहले, पूर्व वर्णित प्रत्येक कार्यक्षेत्र से संगत प्रश्नावली के उत्तर में लिखित सूचना प्राप्त कर ली जाती है तथा द्विभाषी (हिन्दी तथा अंग्रेजी में) रूप में समिति के सदस्यों को परिचालित कर दी जाती है। मौखिक साक्ष्य देने से पहले विभिन्न श्रेणियों के साक्षियों से लिखित उत्तर प्राप्त करने के लिए साक्ष्य से पूर्व उन्हें प्रश्नावली भेजी जाती है। समिति सचिवालय में इन साक्ष्य कार्यक्रम के सारांश तैयार किए जाते हैं। साक्ष्यों के शब्दशः विवरणों और उनके सारांशों के विश्लेषण-संश्लेषण करने से जो निष्कर्ष उभरते हैं, समिति अपने प्रतिवेदन में उनका उपयोग करती है और इनके तथा निरीक्षण कार्यक्रमों और मंगाई गई अद्यतन सूचनाओं के भी इसी प्रकार के विलेश्षण-संश्लेषण में उपजे निष्कर्षों के आधार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

प्रतिवेदन

समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की पृष्ठभूति में की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तत्संबंधी परिपत्रों/अनुदेशों आदि को तो समिति ध्यान में रखती ही है, साथ ही, चूंकि समिति के विचारार्थ विषयों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए वह विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम, केन्द्रीय सरकारी सेवा में भर्ती की विधि-केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षाओं का माध्यम आदि जैसे अन्य संगत पक्षों की जांच पड़ताल करती रही है। राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं की व्यापकता को देखते हुए तथा वर्तमान परिस्थितियों को सामने रखते हुए समिति ने जून, 1985 और अगस्त, 1986 में हुई अपनी बैठकों में यह निर्णय लिया कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन एक ही बार देने के बजाए उसे विभिन्न खण्डों में प्रस्तुत किया जाए और इसका प्रत्येक खंड राजभाषा नीति के पहलू विशेष के संबंध में हो।

समिति अभी तक अपने प्रतिवेदन के पांच खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। प्रथम खंड में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था तथा उसे जुड़े हुए अन्य मुद्दों जैसे हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, अनुवाद कार्य के लिए सक्षम उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और विकसित देशों की भाषाओं में नित नए उपलब्ध होने वाले अद्यतन ज्ञान विज्ञान के हिन्दी में सीधे अनुवाद की व्यवस्था और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/-विभागों और उपक्रमों आदि के कोड, मैनुअलों, फार्मों और प्रक्रिया साहित्य तथा प्रशिक्षण साहित्य के हिन्दी अनुवाद के बार में चर्चा करते हुए सिफारिशें की गई थी। यह खंड राष्ट्रपति जी को जनवरी, 1987 में प्रस्तुत किया गया था। केन्द्र सरकार के कामकाज में उपयुक्त अनुवाद व्यवस्था के बाद समुचित यांत्रिक व्यवस्था एक मूलभूत आवश्यकता है जिसे ध्यान में रखते हुए समिति ने राष्ट्रपति को प्रतिवेदन का दूसरा खंड प्रस्तुत किया। सरकारी कामकाज करने के लिए नवीनतम यांत्रिक सुविधाएं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उनके अभाव में हिन्दी में भी कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसलिए प्रतिवेदन के दूसरे खंड में कार्यलयीय कामकाज में यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता और उपयोगिता और उनमें देवनागरी लिपि की व्यवस्था, उन पर कार्यरत कार्मिक-शक्ति की उपलब्धता तथा प्रशिक्षण और विभिन्न उपकरणों के संबंध में उत्पादन एवं संभरण व्यवस्था आदि की चर्चा की गई। इसे राष्ट्रपति जी को जुलाई, 1987 में प्रस्तुत किया गया । भारत के संविधान की अपेक्षाओं, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियमों के अनुसार संघ की वर्तमान राजभाषा नीति के अनुसरण में कुछ कार्य केवल हिन्दी में, कुछ केवल अंग्रेजी में और कुछ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए जाने अपेक्षित हैं। फिर भी संविधान में किए गए उपबंधों के अनुसार संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी का न केवल विकास किया जाना है अपितु इसका विभिन्न कार्यालयों में उत्तरोत्तर प्रयोग इस प्रकार से बढ़ाया जाना है कि अंततोगत्वा सभी कार्य मुख्य रूप से हिन्दी में ही होने लगे और केवल अंग्रेजी अथवा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वही कार्य किए जाएं जो किसी विधि द्वारा निर्धारित हों। अंग्रेजी का प्रयोग भी संबंधित कानून के विशेष उपबंधों का अनुपालन करने तक ही सीमित रखा जाना है। वास्तव में राजभाषा नियमों के अनुपालन के उद्देश्य से विभिन्न कार्यालयों के लिए समुचित अनुवाद व्यवस्था एवं यांत्रिक व्यवस्था मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये वह साधन है जिनका समुचित प्रयोग करके हिन्दी में सरकारी कामकाज बढ़ाया जा सकता है। इस समिति की तीनों उपसमितियों द्वारा अनेक मंत्रालयों / विभागों और उनके अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों और उपक्रमों, संस्थानों आदि के निरीक्षण तथा गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा के दौरान यह बात उभरकर सामने आई कि सरकारी कामकाज मूलरूप से हिंदी में करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान अथवा प्रवीणता, जैसा भी आवश्यक हो, प्राप्त हो और उन्हें अपना कार्य मूलरूप से हिंदी में सम्पन्न करने के लिए यथाआवश्यक अभ्यास एवं प्रशिक्षण उपलब्ध हो, जब तक केंद्र सरकार के वर्तमान कार्मिकों को हिंदी भाषा का अपेक्षित स्तर का ज्ञान न हो और भविष्य में केंद्र सरकार की नौकरी में आने वालों को भी तुरंत हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध न हो और उनका प्रशिक्षण शुरू से ही हिन्दी माध्यम से न हो, केंद्र सरकार के कार्यालयों में मूलरूप से हिंदी में काम करने में कठिनाई महसूस होती रहेगी। इस पृष्ठभूमि में समिति ने अपने प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में देश विदेश के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से हिंदी की शिक्षा तथा हिन्दी माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा, तीन भाषा सूत्र के कार्यान्वयन के फलस्वरूप एवं हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी हुई स्वयंसेवी संस्थाओं तथा केंद्र सरकार के संस्थानों द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी शिक्षण संबंधी वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा की जिससे यह पता लग सके कि सेवाओं में आने से पूर्व हिन्दी की शिक्षा के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती होने के बाद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के उद्देश्य से जो व्यवस्थाएं केंद्रीय सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी शिक्षण योजना और अन्य विभागों और उपक्रमों द्वारा की गई व्यवस्थाओं तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध है उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवाकालीन हिन्दी शिक्षण की

वर्तमान स्थिति तथा उस बारे में भावी कार्यक्रमों के संबंध में मंत्रालयवार समीक्षा करते हुए समिति ने उक्त खण्ड में यह देखने का प्रयास भी किया है कि केंद्र सरकार द्वारा सीधी भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों और अन्य विभागीय परीक्षाओं में तथा विभिन्न पदों पर नियुक्ति संबंधी भर्ती नियमों में हिंदी अथवा अंग्रेजी की अनिवार्यता आदि के बारे में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं तथा केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रचलन कहां तक हो रहा है। यह भी मालूम करने की कोशिश की गई है कि इन संस्थानों में कार्य के लिए उपलब्ध पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षकों आदि की उपलब्धता की क्या व्यवस्था है और इसे किस प्रकार से सुधारा जाना चाहिए जिससे कि राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग केंद्र सरकार के कार्यालयों में सुनिश्चित किया जा सके। प्रतिवेदन का यह तीसरा खण्ड राष्ट्रपति जी को फरवरी 1989 में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन का वर्तमान चौथा खण्ड नवम्बर, 1989 में प्रस्तुत किया गया जिसमें तब तक तीनों उपसमितियों द्वारा निरीक्षित कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करते हुए कई सिफारिशें दी गई थीं। समिति के पहले दूसरे, तीसरे और चौथे खण्ड में की गई सिफारिशों के बारे में क्रमशः 30 दिसम्बर, 1988, 29 मार्च, 1990, 4 नवम्बर, 1991 तथा 28 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इन आदेशों का एक संकलन भी समिति द्वारा सभी मंत्रालयों / विभागों को भिजवाया जा चुका है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(3) में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रतिवेदन के इन सभी खण्डों को लोकसभा और राज्य सभा के पटल पर रखवाया गया था और इसकी प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भिजवाई गई थी। इसके अतिरिक्त सभी मंत्रालयों को भी प्रतिवेदन की प्रतियां भिजवाई गई थी और राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा अभिव्यक्त मतों पर विचार करने के बाद ही राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए। समिति ने मार्च, 1992 में विधायन की भाषा तथा विभिन्न न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित प्रतिवेदन का पांचवा खण्ड भी राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दिया है जिसके बारे में अपेक्षित कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

समिति की विभिन्न उपसमितियों द्वारा केंद्र सरकार के विभन्न कार्यालयों में जाकर उनका निरीक्षण करने और विभिन्न मदों पर चर्चा करने से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर व्यापक और आशातीत प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में यह भी देखा गया है कि जिन कार्यालयों का निरीक्षण समिति ने बहुत पहले और एक ही बार किया, उनमें से अधिकांश कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी की प्रगति आम तौर से शिथिल रही है। इसके विपरीत जिन कार्यालयों का निरीक्षण समिति ने एक से अधिक बार किया उनमें से अधिकांश कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में अच्छी खासी प्रगति हुई है। तथापि एक से अधिक बार निरीक्षित कुछ ऐसे भी कार्यालय हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है अथवा जिनमें इस दिशा में किए गए प्रयासों के बावजूद विविध कारणों से इन क्षेत्रों में हिंदी प्रशिक्षण या हिंदी में काम करने के लिए अन्य सुविधाओं की कमी होने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई लेकिन, इन कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निष्ठा एवं जागरूकता है, तथा इनकी मजबूरियां हैं जिनके कारण वे लक्ष्य प्राप्ति से दूर हैं। समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान इन कार्यालयों के मुख्यालयों तथा मंत्रालयों / विभागों से आए हुए अधिकारियों का ध्यान भी उनकी कठिनाइयों की ओर आकर्षित होता है और वे इस बारे में उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में समिति ने यह निर्णय लिया है कि वह मौके पर जाकर कार्यालयों के निरीक्षण की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रखेगी। समिति ने अपने निरीक्षणों के दौरान यह बार बार महसूस किया है कि कई कार्यालयों के प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों तथा मुख्यालयों / केंद्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा नीति को अपने संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों आदि में सुचारू रूप से लागू करने और इस संबंध में समुचित आदेशों / अनुदेशों का अनुपालन कराने के बारे में भी ढंग से मानिटरिंग नहीं की जाती और न ही उनकी ओर से ऐसे कार्यालयों को राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए कोई समुचित मार्गदर्शन मिल पाता है।

समिति अब अपने प्रतिवेदन के छठे खण्ड की तैयारी के सिलसिले में कार्यरत हैं। इस खण्ड में समिति केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के परस्पर पत्र व्यवहार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में समीक्षा करते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। साथ ही समिति अपने प्रतिवेदन के विभिन्न खण्डों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा भी करेगी। इस प्रयोजन से समिति राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों तथा विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों के साथ समय-समय पर चर्चा करती है। संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न नगरों में स्थापित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का भी विशेष महत्व है। अतः समिति की आलेख और साक्ष्य उपसमिति समय-समय पर इन समितियों के अध्यक्षों और उनके प्रमुख सदस्यों से भी विचार-विमर्श करती है ताकि नगर विशेष में राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी स्थिति का भी पता चल सके। समिति के कार्यकलाप को देखते हुए प्रतिवेदन के अगले खण्ड की तैयारी में कुछ समय लगने की संभावना है।

जीवन और साहित्य को उन्नत करनेवाले दो प्रकार के उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं। पहले प्रकार का उदाहरण गाँधीजी का है। गाँधीजी वैसे कोई साहित्यिक नहीं माने जाते थे, फिर भी उनके प्रभाव के कारण हिन्दुस्तान की हर भाषा का साहित्य उन्नत हुआ है। दूसरे प्रकार का उदाहरण है, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का। उनकी सद्भावना और विश्ववृत्ति के कारण समाज ऊँचा चढ़ा है। कवि जब महात्मा होते हैं, तब उनका असर जीवन पर पड़ता है।

- विनोबा

राजभाषा नीति एवं कंप्यूटीकरण

—बृजमोहन सिंह नेगी *

आज का इलैक्ट्रानिक युग काफी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विकसित देशों में जीवन का कोई भी पहलू इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, उपज का क्षेत्र हो, यातायात हो, दूरसंचार हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में इलैक्ट्रानिकी की, उसमें भी कंप्यूटीकरण की विशेष छाप पड़ी है। यदि हमें विकसित देशों के साथ चलना है तो हमें चाहिए कि हम भी कंप्यूटीकरण को अपनाएं, उसका स्वागत करें तथा कंप्यूटर पर कार्य करने की मानसिकता / वातावरण तैयार करें। हमारे जैसे विशाल देश के लिए, जिसकी जनसंख्या इस सदी के अंत तक 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी, जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग आवश्यक हो गया है।

2. केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्य में गति लाने के लिए, समय पर उचित निर्णय लेने के लिए, निर्णयों के निष्पादन पर नज़र रखने के लिए व जनता को एक स्वच्छ प्रशासन व त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। जहां इन मशीनों से सरकारी कार्यों को निपटाना अधिक सुविधाजनक हो गया है वहीं कार्य निष्पादन में भी गति आई है। परंतु हमें कंप्यूटीकरण की प्रक्रिया को राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के संदर्भ में भी देखना है।

3. 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति से सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संघ की राजभाषा से संबंधित विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को कार्यरूप देने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार ने सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम व इसकी धारा 8 के अधीन संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा नियम, 1976 बनाए। ये नियम सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों की भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाना है।

4. केंद्र सरकार के कार्यालयों में दैनिक कार्यों के लिए कंप्यूटरों के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए ऐसे प्रयासों की आवश्यकता समझी गई कि कंप्यूटरों पर देवनागरी में कार्य करने की सुविधा भी उपलब्ध हो ताकि बढ़ते हुए कंप्यूटरीकरण के कारण सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की प्रगति में रुकावट न पहुंचे। राजभाषा अधिनियम 1963 व उसके अंतर्गत जारी किए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त) नियम 1976 के उपबंधों का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली कंप्यूटर प्रणालियों तथा इलैक्ट्रानिक टेलिप्रिंटरों एवं उपकरणों आदि में रोमन के साथ देवनागरी लिपि में काम करने की सुविधा उपलब्ध हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 30.5.1985 को निर्देश दिए गए थे। इनके बारे में दिनांक 31-8-1987 को विस्तार से स्पष्टीकरण दिए गए। इन निर्देशों के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं:—

(4.1) सभी प्रकार की कंप्यूटर प्रणालियां केवल द्विभाषी खरीदी जाएं।

(4.2) ये आदेश केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी निगम या कम्पनी या बैंकों आदि के कार्यालयों या केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या प्रधिकरण के कार्यालयों पर लागू होंगे।

(4.3) किसी कंप्यूटर प्रणाली को द्विभाषी तभी माना जाएगा जबकि:—

(4.3.1) इसमें अंग्रेज़ी के साथ हिंदी में भी डाटा एंट्री की व्यवस्था हो।

(4.3.2) कोई भी कर्मचारी इसको अंग्रेज़ी या हिंदी, जिस भाषा में प्रयोग करना चाहे, कर सके।

इसके लिए आवश्यक यंत्र में ऐसा प्रबंध हो जिससे स्क्रीन पर उस कर्मचारी की इच्छानुसार अंग्रेज़ी-हिंदी में लिखा जा सके।

(4.3.3) कंप्यूटर आदि से तैयार होने वाली सामग्री (विवरण, पत्र, लेख आदि) कंप्यूटर पर काम करने वाले कर्मचारी की इच्छानुसार हिंदी या अंग्रेज़ी में प्रिंट हो सके।

(4.4) इन उपकरणों का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और राजभाषा विभाग के समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जो काम हिंदी में होना चाहिए वह अनिवार्य रूप से केवल हिंदी में और जो काम द्विभाषी होना चाहिए वह द्विभाषी ही किया जाए।

(4.5) यदि किसी कारणवश, किसी कार्यालय, उपक्रम बैंक आदि में उपर्युक्त निर्देशों में किसी ढील की आवश्यकता हो तो उसके लिए राजभाषा विभाग से विशेष अनुमति प्राप्त की जाए (30 मई, 1985 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इलैक्ट्रानिकी विभाग से नहीं)। सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि से ऐसे प्रस्ताव संबंधित विभाग से आने चाहिए। राजभाषा विभाग को प्रस्ताव भेजने से पहले संबंधित विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग से यह परामर्श कर लेगा और ये प्रस्ताव तभी किए जाएं यदि इलैक्ट्रानिकी विभाग यह प्रमाणित कर दे कि उपकरण खरीदा जा रहा है उसे द्विभाषी बनाना संभव नहीं है और उसकी जगह किसी ऐसे उपकरण के प्रयोग से काम नहीं चलाया जा सकता जो द्विभाषी उपलब्ध है।

(4.6) ऐसा देखने में आया है कि कुछ सरकारी कार्यालय, उपक्रम, बैंक कंप्यूटर खरीदने के बजाय विभिन्न संस्थाओं एवं निर्माताओं से लम्बी

*निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग

अवधि के लिए किराए पर लेते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये सभी निर्देश ऐसे कंप्यूटरों पर भी पूरी तरह से लागू होते हैं।

(4.7) कंप्यूटर आदि विदेश से आयात करते समय भी ऐसा प्रबंध किया जाए कि उन पर हिंदी भाषा में काम किया जा सके।

5. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति ने सरकारी कार्यालयों में यांत्रिक सुविधाओं के प्रयोग के संबंध में अपना प्रतिवेदन जुलाई, 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया, जिसमें कंप्यूटरों से संबंधित सिफारिशों पर लिए गए निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, उनके सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को उनकी जानकारी एवं समुचित कार्रवाई हेतु 25 मई, 1990 के राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.—12015/18/90—रा.भा. (त.क.) द्वारा प्रचालित कर दिए गए हैं। इसके अनुसारः—

(5.1) नयी कंप्यूटर प्रणालियां खरीदते समय प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक प्रभाग को यह सुनिश्चित करना है कि उनमें द्विभाषिक क्षमता हो। इसके लिए प्रशासन प्रभाग जांच बिंदु का काम करेंगे।

(5.2) जिन सरकारी कार्यालयों में ऐसे कंप्यूटर लगे हैं जो केवल रोमन में कार्य करते हैं, उनमें देवनागरी में कार्य करने की क्षमता प्रदान कराने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए व उसे कार्यान्वित किया जाए। यह कार्य 'जिस्ट कार्ड' और 'जिस्ट टर्मिनल' का प्रयोग करके अथवा साफ्टवेयर द्वारा किया जा सकता है, कंप्यूटरों का प्रचुर संख्या में प्रयोग करने वाले बड़े कार्यालय जैसे बैंक, रेलवे, एयरलाइंस, रक्षा संगठन आदि अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी में साफ्टवेयर का विकास तथा निर्माण अग्रता के आधार पर करें।

(5.3) जिन मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि में ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें तकनीकी कारणों से द्विभाषी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती, वहां यह विचार किया जाए कि क्या मूल्य को देखते हुए इन मशीनों को नवीनतम द्विभाषी कंप्यूटरों में बदलना लागत की दृष्टि से लाभकारी होगा और यदि ऐसा है तो वे पुरानी प्रणालियों के स्थान पर नवीनतम द्विभाषिक कंप्यूटर प्रणालियां लगाएं।

6. संक्षेप में सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा नए कंप्यूटरों को खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनमें द्विभाषिक (हिंदी व रोमन) रूप में काम करने की सुविधा हो, पुराने लगे हुए रोमन कंप्यूटरों में देवनागरी में भी कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान कराने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर उसे कार्यान्वित करें तथा उनका उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और राजभाषा विभाग से समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जो काम हिंदी में होना चाहिए वह अनिवार्य रूप से केवल हिंदी में और जो काम द्विभाषी होना चाहिए वह द्विभाषी ही किया जाए।

7. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिकांशतः आई.बी.एम. अथवा उसके समकक्ष कंप्यूटरों का प्रयोग हो रहा है जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस अथवा यूनिक्स/ज़ैनिक्स है। इन पर कार्य की प्रकृति शब्द संसाधन अथवा डाटा संसाधन की हो सकती है। शब्द संसाधन के अंतर्गत कोई टिप्पणी, पत्र, मसौदा, लेख, रिपोर्ट आदि तैयार करना आता है। डाटा संसाधन के अंतर्गत वेतन पर्ची, परीक्षा परिणाम, जी.पी.एफ. एकाउंट स्लिप, बीमा प्रीमियम की रसीद, वस्तु सूची आदि से सम्बन्धित सामग्री तैयार करना आता है।

(7.1) हिंदी में शब्द संसाधन के कार्य के लिए साफ्टवेयर विकल्प जैसे-अक्षर, विविधा, शब्द रत्न, शब्द माला, मल्टीवर्ड आदि का प्रयोग किया जा सकता है। डाटा संसाधन का कार्य हिंदी में करने के लिए डैटबेस जैसे साफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है। इन दोनों तरह के कार्यों को अंग्रेज़ी के मानक साफ्टवेयर का ही प्रयोग कर 'जिस्ट' तकनीक युक्त कार्ड अथवा टर्मिनल के प्रयोग से हिंदी में भी बखूबी किया जा सकता है। इसी तरह का कार्य साफ्टवेयर विकल्प 'सुलिपि' से भी अब संभव है।

(7.2) कंप्यूटरों का योगदान प्रकाशन एवं टाइप सैटिंग के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय है। डैस्क टॉप प्रकाशन प्रणालियों (डी.टी.पी.सिस्टम) द्वारा दस्तावेज़ों की टाइप सैटिंग की जा सकती है और चित्रों आदि के साथ विस्तृत ले-आउट तैयार किया जा सकता है। इसके पश्चात इन दस्तावेज़ों को लेज़र प्रिंटर पर छापा जा सकता है। कुछ साफ्टवेयर पैकेज पी.सी. पर इस तरह के कार्य की सुविधा उपलब्ध कराते हैं जैसे 'इज्म', 'विज़न पब्लिशर प्रोफेशनल', 'इंडिका' इत्यादि। कुछ साफ्टवेयर इस तरह के भी हैं जिनसे वैनचुरा, पेजमेकर, कोरल-ड्रा, क्वार्क एक्सप्रेस आदि अंग्रेज़ी के पैकेज हिंदी में भी चलाए जा सकते हैं।

(7.3) कंप्यूटरों का प्रयोग कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए भी प्रोग्राम के माध्यम से होता है जैसे आंकड़ों के संसाधन के बाद रिपोर्ट तैयार करना, परिणाम तैयार करना, कार्मिक प्रबंधन सम्बन्धी कार्य आदि, प्रोग्राम में 'रिमार्क' तथा 'स्ट्रिंग' आदि को अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी में लिखने से तथा कंप्यूटर में रखे गए डाटा को हिंदी में पुनः प्रविष्ट करने के बाद सूचना निर्धारित प्रपत्र में हिंदी में तैयार की जा सकती है।

(7.4) संक्षेप में कंप्यूटर में द्विभाषिक क्षमता साफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर माध्यम से लाई जा सकती है। कंप्यूटर पर पहले से संचित अंग्रेज़ी के डाटा को हिंदी में प्रविष्ट किया जाए, विशेष प्रोग्राम द्वारा कार्य करने के लिए उसमें 'रिमार्क' एवं 'स्ट्रिंग' हिंदी में दिए जाएं तथा प्रिंट आउट हिंदी में लेने के लिए डाट मैट्रिक्स प्रिंटर अथवा लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाए। द्विभाषी साफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद करने से पहले उसका प्रदर्शन अपने कार्यालय में लगे कंप्यूटर पर करवाने को कहें तथा उसकी कार्य विधि से पूरी तरह परिचित हो लें।

(7.5) राजभाषा नीति के सुचारू रूप से अनुपालन हेतु विभिन्न केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्षों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे अपने कार्यालयों में लगे कंप्यूटरों को द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेज़ी) करवाएं तथा उनपर अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करवाएं चाहे वह शब्द संसाधन से संबंधित हो अथवा डाटा संसाधन से संबंधित। इसके लिए मानसिकता का होना अति आवश्यक है। मानसिकता को बनाने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित किया जाए कि वे कंप्यूटरों पर शब्द संसाधन से ही अपना कार्य आरंभ करें। द्विभाषी शब्द संसाधकों में अंग्रेज़ी शब्दों का हिंदी अनुवाद, कठिन हिंदी शब्दों की वर्तनी में सुधार, आशुलिपि, एक कमांड से पूरे पाठ में गलत शब्द को सही शब्द से बदलने आदि की सुविधाएं ऐसी हैं जिनसे नया-नया हिंदी सीखा कर्मचारी भी कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इतना ही नहीं, हिन्दी का स्वराधारित कुंजीपटल इतना सरल व वैज्ञानिक है कि इस पर कोई भी व्यक्ति बिना विशेष प्रशिक्षण के कार्य कर सकता है। इस प्रकार धीरे-धीरे कर्मचारी अन्य सभी तरह के कार्यों को भी कंप्यूटर पर ही करना चाहेंगे और कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने का वातावरण तैयार हो जाएगा।

भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीयता

बशीर अहमद मयूख*

मुझे लगता है भाषा के वेश में मनुष्य की संस्कृति बोलती है, भाषाएं भारतीय हो अथवा पाश्चात्य, उनके माध्यम से देश काल, समाज का चरित्र मुखर होता है, एक भूखंड की, एक राष्ट्र की संस्कृति बोलती है। इस संबंध में निश्चय ही साज-संगीत, और स्थापत्य आदि भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृतियों के अंतर की भी यही अन्तर्कथा है।

चाहे संस्कृत हो अथवा प्राकृत भारतीय भाषाएं युगों-युगों से हमारी भारतीय कौम का एक सांस्कृतिक चरित्र बनाती आ रही है। भाषा के इस सनातन दायित्व के निर्वहन में तमिल, तेलुगु, कन्नड, अवधी, भोजपुरी, कन्नड, मलयालम, मराठी, गुजराती, सिंधी, हिंदी, उर्दू पंजाबी, असमी, उड़िया, ब्रज, डोगरी, राजस्थानी, नेपाली आदि प्रत्येक भाषा और उप-भाषा ने अपने माध्यम से भारतीय कौम के एक सांस्कृतिक चरित्र और राष्ट्रीयता को धारण और मुखर किया है। देश की सीमाओं से परे भी जब हम पाकिस्तान और बंगला देश की उर्दू, सिंधी, बांग्ला, पंजाबी अथवा मोरशिस, श्रीलंका आदि की भोजपुरी, तमिल, तेलुगु सुनते हैं तो हमें उन भाषा-भाषियों से एक साथ भारतीयता तथा सांस्कृतिक एकता का बोध होता है। हम चाहे कन्नड भाषा सुने अथवा मलयालम, मराठी न समझने पर भी हमें लगता है कि यह हमारी है, क्योंकि उन्हें सुनते समय हमारे सामने उन भाषा भाषियों का साहित्य, संस्कार और सामाजिक चरित्र उजागर हो जाता है, जो निश्चय ही हमारी भारतीय कौम की प्राच्य संस्कृति की गंध देता है। यही पर हम सही रूप में भावनात्मक एकता के एक मजबूत सूत्र से जुड़ते हैं। महाकवि बल्लतोल चाहे मलयालम भाषा में लिखें, भारतीय दर्शन चिन्तन को ही अभिव्यक्त करते हैं, बाल्मीकि 'रामायण' संस्कृत में लिखें या तुलसीदास अवधी में अथवा तमिल में भाषाएं भिन्न होने पर भी रामायण हमारी भारतीय कौम का संस्कृति-गीत है, इसके गायक इंडोनेशियन हों या मोरीशन अथवा मलेशियन, वे कहीं भी हमारे लिए पराये नहीं हैं। रहीम के दोहे हों या कबीर की साखी, मराठी के अभंग हो या मीराबाई के राजस्थानी भजन अथवा मुस्लिम सूफी संतों की वाणी, ये सब हमारे चिन्तन, जीवन दर्शन, सब मिलाकर हमारी भारतीय कौम की संस्कृति का ही गौरव गान करते हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि अमीर खुसरो की फारसी भाषा से चाहे हम न जुड़ पाएं पर जब वह हमारी बोली में बोलता है:

गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस
चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देस

तो हम उनसे कहीं गहरे जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार जब कवि नजीर से कहते हैं कि:

सब ठाठ पड़ा रह जायेगा जब लाद चलेगा बंजारा।

तो हम इनसे गहरे जुड़ जाते हैं क्योंकि ये हमारी अपनी भाषा में वैराग्य व्यक्त कर रहे हैं।

*2-ल-17, विज्ञान नगर कोटा-5

भाषा का एक और चरित्र है, अपने पन की भाषा जोड़ती है, इसके विपरीत पराये पन की गंध से मुक्त भाषा तोड़ने का काम करती है। भारतीय भाषाओं का वैभिन्य हमें कही पर किंचित भी नहीं तोड़ता, क्योंकि इनके साथ हमारा आध्यात्मिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक अपने पन का एक राष्ट्रीय चरित्र जुड़ा हुआ है। मैं भाषा शास्त्री तो नहीं पर मुझे लगता है कि इसी अपने पन को तलाश में उर्दू एवं खड़ी बोली का जन्म हुआ।

भारतीय भाषाओं का वैभिन्य भी हमें अनेक्ता में एकता के एक मजबूत सूत्र में जोड़ता है, हम जुड़ जाते है डा० मुहम्मद इकबाल से जब वह कहता है:—

चिश्ती ने जिस पर पैगामे-हक सुनाया,
नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत सुनाया,
यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था,
सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था,
वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने इस मका से,
मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से,
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।

कौमी एक्ता के मजबूत स्नेह पाश में हम बंध जाते है जब शायर "अफसर मेरठी" बोलता है:—

कृष्ण की वंशी ने फूंकी है रूह हमारी जानों में,
गौतम की आवाज बसी है महलों में, मैदानों में,
चिश्ती ने जो मय दी थी वह अब तक है पैमानों में,
नानक की तालीम अभी तक गूंज रही है कानों में,
मजहब कुछ हो हिंदी हैं हम सारे भाई-भाई हैं,
हिन्दु हैं या सिख हैं या मुसलिम हैं या इसाई हैं।

हम जुड जाते हैं जब उडिया कवि काली चरण पटनायक राष्ट्र का जय घोष करते हुए बोलते हैं:—

सिंधु हिंदी बंग द्राविड सहस्त्रशीर्ष समाज रूपिणी
देवभूमि तपोभूमि सप्त कुलगिरि कुंज मुखरित
वेद भगवद्गीता भूमि, जयतु भारत जन्मभूमि।

और जब विश्व कवि रीवन्द्रनाथ ठाकुर जब बांग्ला में कहते हैं:—

ओ आमार देशेर माटी, तोमार परे टेकाइ माथा
तोमाते विश्व मयीर तोमाते विश्वमायेर आंचल पाता।

हम जुड़े हुए हैं महाकवि बल्लत्तोल अथवा आधुनिक मलयालम कवि कुमारन तम्पी से जब उसने गाया:—

हिन्दु बिल्ल, कृत्स्यनिल्ल, मुस्लिमिल्ल यिन्थमिल
अंतर अलिल्ल, नम्मलोक केंधु सहोदरर
मानवल्व मेन्नोरे अंत पिरत्र भूमितन,

(हम सब भारतीय भाई हैं, हिन्दु मुस्लिम ईसाई का कोई भेद नहीं। मनुष्यता एक मात्र धर्म है, हम सब अपने इस मूलभूत विचार के साथ आगे बढ़ें कि हमारी मातृभूमि हमारा गौरव है)

और हम जुड जाते हैं अपने राष्ट्र के दर्शन चिन्तन और संस्कृति से जब तमिल महाकवि सुब्रमण्य भारती बोलते हैं:—

मुन्देयर आरियम आन्डुक्ल बालेन्दु
मुन्डिण्डतुम इन्नाडे अवर
वन्दनैकूरि मनचिल इकन्तिएन
वायुर बालतेनों-इंदे
वन्देमातरम वन्देमातरम एन्रू वर्णगेनो।

(शत सहस्त्र पूर्व पुरूषों की जो जन्म भूमि है, उसकी वन्दना करूं, उसका ध्यान करते हुए हर्ष विभोर होकर गाओ-वन्देमातरम वन्देमातरम)

हम जुड़ जाते है जब कोई कन्नड कवि बोलता है:—

सर्व सुनदर नाडु. वीरवर्यर बीडु
कर्मभूमिय नोडु भारत दोल्लि।

(सर्व सुन्दर है यह देश, वीरवरों की खान, कर्म साधना के परिवेश से युक्त मेरा भारत देश है)

हमारी राष्ट्रीयता के अविभाज्य सूत्र में बंध जाते हैं जब तेलुगु कवि सीएच॰ शंकरैया कहते हैं:—

ई देस पुमत्सिलु पहिनानु ई देसपु गुडुलु पेनिगिनानु
ई जीवर्नाड नीरामु प्रोलिनानु ई चेट्टु नीडलु चरिंचिनानु।

(मैं अनवरत इस भूमि से जुड़ा हुआ हूं जहां मैंने जन्म धारण किया और इस मातृभूमि का ऋण चुकाने को तत्पर हूं जहां मैं निवास करता हूं)

क्या हम इस राष्ट्रीय और सांस्कृतिक बन्धन को तोड़ सकते हैं जिसका उल्लेख करते हुए असमिया कवि नरेन्द्र शास्त्री भारत मां की अर्चना करते उद्घोष करते हैं:—

तुमितो नो होवा माटिर मुरति,
नो होवा शिखर दौल,
तुम जे जननी, जगत वरणी चेतनार शतदल।
क्त ऋषि मुनि मनिषि वृन्दे पुजिले तोमार युगल चरण।

(हे मां तुम मिट्टी की मूर्ति अथवा पत्थर का मन्दिर मात्र नहीं हो, तुम तो जगतवरेण्य चेतना का शतदल सुमन हो। हे मां, कितने ही ऋषि मुनि मनीषियों ने तुम्हें पूजा अर्घ्य अर्पित किया है)

हम अपने को आपस में जुड़ा हुआ पाते हैं जब स्वातन्त्रय वीर सावरकर मराठी में घोषणा करते हैं:—

सक्ल जगा मध्ये छान जामु चे
प्रियकर हिन्दुस्तान।
केवल पंच प्रमाण आमुचे,
सुन्दर हिन्दुस्तान।।

अथवा जब साने गुरूजी मातृ वन्दना के स्वर में मुखरित होते है:—

भारत माता माझी लावणिया ची खाण।
गाइन तिचे गान भी गाईन लिये गान।।

हम अपनत्व के एक नैसर्गिक पाश में बंध जाते हैं जब नेपाली कवि पारसमणि प्रधान गद्गद् स्वर में बोल उठते है:—

भारत हाम्रो जन्मभूमि हो आमा हुन या हाम्री।
भारत हाम्रो कर्मभूमि हो आयामी कति राम्री।।

पंजाबी कवि गुरूमुख सिंख मुसाफिर राष्ट्र यज्ञ में अपनी स्वर समिधा इस तरह अर्पित करते हैं:—

ऋषियां मुनियां दा जो ठिकाणा
हुनर दा चश्मा इलम खजाना
जडिया विच जीवन तासीर
जिस दी मिट्टी विच अकसीर
गैला बेइडा खुल्हा द्वार
भारत माता तो बलिहार
वन्दन मेरा सौ-सौ बार।

गुजराती कवि पारसी अरदेशर फरामजी राष्ट्र वन्दना करते हुए कहते हैं:

ज्यां प्रभु मुखना रसबोल प्रथम बोलाया,
ज्यां अगम निगम ना भेद प्र-थम बोलाया,
नई-नई तुज जे भी भारत
जगता अन्य नई मात हो।

मैथिल कवि रामदेव झा राष्ट्र को प्रणाम करते हैं:—

चरण रज लइ ठाडि अछि कन्या कुमारी
अंहाक चरणोदक जोगौने
जर्नान है अर्पित हमर हो
कोटि कोटि प्रणाम।

राजस्थानी कवि स्वर्गीय जय नारायण व्यास मातृभूमि के सौन्दर्य को मुखर करते हुए कहते हैं:

मायड मुलकै थारी माटी आज कै
आंगणिये दूधांरी जोत जगे
थारे चरणो ने समदरियों धोवे कै
खेतडया मोत्यांरी बेल फले।

(हे मां तेरे चरण सागर धोता है, चांदनी तेरे आंगन में दुधियो ज्योति छिटकाती है, तेरे खेतों में मोती जैसी सम्पदा उगती है। हे मां तू हंसती मुस्काती धरती वाली मेरी मां है)

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाषा वैभिन्य होने पर भी हमारी भारतीय कौम भाषा के माध्यम से ही एक राष्ट्रीय और प्राणवान समगन्ध से जुड़ी है। विभिन्न भाषाओं के केवल काव्य-सृजन के उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि यह हमारी सम्पन्न-संस्कृति और राष्ट्रीयता की गंध है जो हमें आपस में जोड़ती है। हम आपस में और मजबूती से जुड़ना चाहते है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में फैले हम सब केवल अपने देश में ही नहीं अपितु सुदूर प्रवासी भारतवंशियों के साथ भी। हम इन सबसे मजबूती के साथ जुडना चाहते है, इनके साथ हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है जो नक्शे पर नकली बटवारे की रेखा खींच देने मात्र से नहीं मिटता। भाषा ने मां की तरह हमारी भारतीय कौम की संस्कृति का पोषण किया है, कौम ने नकली बंटवारे, मानचित्र पर खींची सरहदों की रेखाएं उत्तर और दक्षिण भारत को लेकर भाषाई राजनीति के द्वन्द्व हमारी सांस्कृतिक एकता की छवि नहीं मिटा पायेंगे।

और यहीं पर यह सच भी जाहिर होता है कि भाषा का सवाल रोटी की राजनीति से जोड़ने का नहीं है। (दुर्भाग्य से अंग्रेजी को लेकर ऐसा कर दिया गया है) भाषा को रोटी के साथ जोड़कर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन हम अपनी मां को सिर्फ इसलिये मां नहीं

(शेष पृष्ठ 26 पर)

दूसरी किस्त

हिन्दी में तमिल परिचय
संयुक्त वर्ण-लेखन में अनुनासिक प्रयोग

—डा० रामजीवन मल्या*

शुद्ध संस्कृत लेखन में क-ख-ग-घ से पहले अनुनासिक ध्वनि होने पर ङ्, च-छ-ज-झ से पहले ञ, ट-ठ-ड-ढ से पहले ण्, त-थ-द-ध से पहले न्, तथा प-फ-ब-भ से पहले म् जोड़ने की प्रथा है। तमिल लेखन में यही प्रथा प्रचलित है। हिंदी में प्रायः पहले अक्षर पर बिंदी लगा देते हैं। कुछ लोग ण्, न्, म् भी जोड़ते हैं। परन्तु ङ् ञ लिखने का अभ्यास नहीं रहा है। संस्कृत में 'अं' की बिन्दी का प्रयोग श-ष-स आदि में होता है तमिल में उक्त ध्वनि का चिन्ह नहीं है अतः 'म्' से काम लिया जाता है।

उच्चारण में तमिल की प्रवृत्ति बिलकुल निजी है। वहां उक्त अनुनासिक युक्त क, च, ट, त, प को क्रमशः ग, ज, ड, द, ब बोला जाता है। अन्य भिन्नताएं भी हैं। अतः हिन्दी - लिखित तमिल - उच्चरित तमिल शब्द रूप प्रस्तुत हैः-

1. अंग-अङ्° कम्-अंगम्, अंकुश-अङ्° कुचम-अंगुसम्, अंगहीन-अङ्° ककीनम्-अंगहीनम, अंगुल-अङ्° कुलम्-अंगुलम्, अंगीकार-अङ्° कीकारम् अंगीहारम्, अंलकार-अलङ्कारम-अंलगारम्, अंहकार- अहङ् कारम्-अंहगारम्, आलिंगन-अलिङ्° कनम्-आलिंगनम, कंकण-कङ्°-कणमू-कंगणम्, कुंकुम-कङ्°कुमम्-कुंगुमम्, गंगा-कङ्के-गंगे, मंगल-मङ्° कलंम्-मंगलम्, रंग-रङ्°कु-रंगु, लवंग -इलवङ्°कम्-इलवंगम्, लिंग-लिङ् कम् लिंगम्,संकट-सङ्°कटम्संगडम्, संकल्प-सङ्° कल्पम् -संगल्बम्, संग-संघ-सङ्°कम्संगम्,संगीत-सङ्°कीतम्-संगीदम्, सिंगार-सिङ्°कारम्-सिंगारम्°, सुरंग-सुरङ्° कम्-सुरंगम्।

2. कुंचुकि-कुञ्चुकि-कंजुहि, किंचित-कांञ्चम्-कांञ्चम् चंचलता-चञ्चलम्-संजलम्, पंचांग-पञ्चाङ्°कम्पंचागम्, पंचायत-पञ्चायतु, अंजन-अञ्चनम्-अंजनम्, अंजली-अञ्चलि-अंजलि, कंजूस-कञ्चन्कंजन्, मंजरी-मञ्चरि-मंजरि,वंचक-वञ्चकन्-वंजहन, वंचना-वञ्चनै-वंजनै। उक्त शब्दों में ञ जुड़ा है

3. कंटक-कण्टकम्-कण्डहम्, कंठ-कण्टम्-कण्डम्, कंठमाला-कण्डमाले-कण्डमालै, अखंड-अकण्टम्-अहण्डम्, उद्दंडता-उत्तण्टम्-उत्तण्डम, कमंडल-कमण्टलम्कमण्डलम्, कडि-काण्टम्काण्डम्, कुंडल-कुण्टलम्-कुंडलम् कौदंड-कौतण्टम्-कौदंडम्, खंड-कण्टम्-कंडम्, खंडन-कण्टनम्-कण्डनम्, खंडित-कण्टितम्-कण्डिदम्, तांडव-ताण्टवम्-ताण्डवम्, दंड-तण्टम्-दंडम्, दंडना-तन्टनै-तन्डनै, मंडप-मण्टपम्-मंडबम्, मंडल-मण्टलम्-मण्डलम्, मंडी-मण्टि-मंडि्, मुंड-मुण्टम्-मुंडम्-, यागकुंड-याककुण्टम्-यागगुंडम-, वितंडावाद-वितण्टावातम्-विदंडावादम्, पांडित्य-पाण्टित्तियम्-पांडित्तियम्।

4. अंत-अन्तम्-अन्दम्, अंतरंग-अन्तरङ्°कम्-अंतरंगम्, एकान्त-एकान्तम्-एहान्दम्, वैदान्त-वैतान्तम्-वैदान्दम, देशांतर-देचान्तरम्-देसान्दरम्,वसंत-वचन्तम्-वसन्दम्, शांत-चान्तम्-सान्दम्, अंतिम-अन्तिमम्-अन्दिमम्,कांति-कान्ति-कान्दि, गांधी-कान्ति-गान्दि, शान्ति-चान्ति-सान्दि, संक्रान्ति-चङ्°करान्ति-संकरान्दि,प्रांतीय-पिरान्तिय्-पिरान्दिय्,वेदान्ती-वैतान्ति-वैदान्दि,जंतु-चन्तु-जंतु,संतोष-चन्तोषम्-सन्दोषम्,तंत्र-तन्दिरम्, मंत्र-मन्तिरम्-मंदिरम्, मंत्री-मन्तिरि-मन्दिरि, यंत्र-यन्तिरम्-यन्दिरम्, आनन्द-आनन्तम्-आनन्दम्, चंदन-चन्तनम्-सन्दनम्, मंदता-मन्तम्-मन्दम्, सुन्दर-चुन्तरम्-सुंदरम्, अंधकार-अन्तकारम्, गंधक-कन्कम्-कन्दहम्, संबन्ध-चम्पन्तम्-संबन्दम्, संधि-चान्ति-संदि।

5. भूकम्प-भूकम्पम्-भीहम्बम्, संप्रदाय-चम्पिरतायम्-सम्पिरदायम्, संपत्ति-चुम्पत्त-संपत्तु, संपूर्ण-चम्पूरणम्-संबूरणम्, आडंबर-आटम्परम्-आडम्बरम्,कटुंब-कुटुम्पम्-कुडुम्बम्, बिंब-पिम्पम्-भिम्बम्, तंबूरा-तम्पुरु-तम्बुरु, तांबूल-ताम्पूलम्-ताम्बूलम् अहंभाव-अक्रम्पावम्-अहंबावम्, आरंभ-आरम्पम्-आरम्बम्, स्तम्भ-स्तम्पम्-स्तम्बम्, संभव-चम्पवम्-सम्बवम्, सम्मेलन-चम्मेलनम्-सम्मेलनम्।

6. स्वयं-चुवम्-सुयम्, अंश-अम्बम्-अम्सम्, संस्थान-चम्चतानम्-सम्सदानम्, संसार-चम्चारम्-सम्सारम्

श के स्थान पर पर च लिखकर स बोलना

श के लिए तमिल लिपि में कोई वर्ण नहीं है। अन्य भाषाओं से लिए शब्दों की श ध्वनि को च द्वारा प्रकट किया जाता है। परन्तु जन साधारण द्वारा प्रायः बोला स जाता है। कुछ शब्द देखिएः-

अवकाश-अवकाचम्-अवकासम्, अविनाशी-अविनाचि-अविनासि, अशरीरी-अचरीरी-असरीरि, आदेश-आदेचम्-आदेसम्, आवेश-आवेचम्-आवेसम्, आशंका-आचङ्के-आसंगे, आश्रम-आचिरमम्-आसिरमम्, उपदेश-उपदेचम्-उबदेसम्, कलश-कलचम्-कलसम्, केश-केचम्-केसरम्, कैलाश-कलम्बम्-कैलासम्, क्लैश-किलेचम्-किलेसम्, दर्शन-तरिचनम्, देशान्तर-तेचान्तरम्-तैसान्दरम्, नाश-नाचम्-नासम्, प्रवेश-पिरवैचम्-पिरवेसम्, राशि-राचि-रासि, वश-वचम्-वसम्, वशीकरण-वचीकरणम्-वसीहरणम्, विनाश-विनाचम्-विनासम्, विशाल-विचालम्-विसालम्, शकुन-चकुनम्-सगुनम्,शक्ति-चक्ति-सक्ति, शत्रु-चत्तुरु-सत्तुरु, शनि-चनि-सनि, शपथ-चपतम-सबदम्, शयन-चयनम्-सयनम्,

शरण-चरणम्-सरणम्, शरणागति-चरणाकति-सरणाहदि, शरीर-चरीरम्-सरीरम्, शर्त-चरत्तु-सरत्तु, शर्बत-चरपत्तु-सरबत्तु, शान्ति-चान्ति-सान्दि, शाप-चापम्-साबम्, शासन-चाचनम्-सासनम्, शिवरत्रि-चिवरात्तिरि-सिवरात्तिरि, सिवरात्तिरि, शिशु-चिचु-सिसु, शीतल-चीतलम-सीतलम्, शील-चीलम्-सीलम्, शीलवान-चीलवान-सीलवान, शुभ-चुपम् सुबम्, शुभदिन-चुपतिनम्-सुबदिनम्, शूल-चूलम्-सूलम्, शैव-शैवम्-सैवम्, शौधन-चौतनै-सौदनै, शौहदा-चौता-सोदा।

स के स्थान पर च लिखना

यद्यपि वर्णमाला में ग्रंथी लिपि से तमिल ने स का संकेताक्षर ग्रहण कर लिया है; परन्तु प्रायः उसके स्थान पर च लिखकर ही स बोलते हैं। यथाः-

अनायास-अनायाचम्-अनायासम अवसर-अवचरम्-अवसरम्, आसन-आचनम्-आसनम्, उपवास-उपवासचम्-उबवासम्, उल्लास-उल्लाचम्-उल्लासम्, कास-(खांची) काचम्-कासम्, दास-ताचन्-तासन्, नवरस-नवरचम्-नवरसम्, पैसा-पैचा-पैसा, प्रसान-पिरचातम्-पिरसादम्, मसाला-मचाला (या) मचालै-मसाला (या) मसालै, रसिक-रचिकन्-रसिहन्, वसूल-वचूल-वसूल्, वारिस-वारिचु-वारिसु, वास (गंध)-वाचनै-वासनै, वास (रहना)-वाचम्-वासम्, विकास-विकाचम्-विगासम्।

सांकल-चङ्कलि-संगिलि, संकल्प-चङ्कल्पम्-संगल्बम्, संक्रान्ति-चङ्कारान्ति-संगरान्दि, संन्यास-चन्नियाचम्-सन्नियासम्, सत-चत्तु-सत्तु, सदा-चता-सदा, संधि-चन्ति-सन्दि, सन्निधि-चन्निति-सन्निदि, समता-समतै-समदै, समय-चमयम्-समयम्, समर्थ-चमरत्तु-समरत्तु, समाज-चमाचम्-समाजम्, समाधि-चमाति-समादि, समानता-चमानम्-समानम्, समीप-चमीपम्-समीबम्, सम्मौसा-चमौचा-समौसा, सम्पत्ति-चम्पत्तु-सम्बत्तु, सवारी-चवारि-सवारि, सवाल,-चवाल्-सवाल्, सहोदर-चकौतरन्-सहोदरन्, साधारणरता-चातारणमाय्-सादारणमाय्, साधु-चातु-सादु, सार-चारू-(या) चारम्-सारु (या) सारम्, सारथी-चारति-सारदि, सारांश-चाराम्चम्-सारांसम्, सिद्धि-चित्ति-सित्ति, सिफारिश-चिपारिचु-सिपारिसु, सुरंग-चुरङकम्-सुरंगम्, सुलभ-चुलयम्-सुलभब, स्वर-चुरम्-सुरम्, सृष्टि-चिरुट्टि-सिरुट्टि, सेनापति-चैनापति-सैनापदि, स्वामी-चुवामि-सुवामि।

च को स बोलने की परम्परा का परिणाम

च लिखकर स बोलने की प्रवृत्ति का यह परिणाम हुआ कि जहां च बोलना ही शुद्ध है वहां भी लोग स बोलते हैं। यथाः—

चंचल-चञ्चलम्-संजलम्, चन्दन-चन्तनम्-सन्दनम्, चन्दा-चन्ता-सन्दा, चंद्र-चतिरन-सन्दिरन्, चन्द्रग्रहण-चन्तिरकिरकणम्-सन्दिगिरहण्म्, चिंतन-चिन्तने-सिन्दैन, कवच-कवचम्-कवसम्, चक्र-चक्किरम्-सक्किरम्, चतुरंग-चतुरङकम्-सदुरंगम्, चर्चा-चर्चे-सर्चे, चर्म-चरुमम्-सरुमम्, चातुर्य-चातुरियम्-सादुरियम, चिंता-चिंतै-सिंदै, चित्रकार-चित्तिरकारन्-सित्तिरकारन्, याचक-याकन् यासहन्, रुचि-रुचि-रुसि, विचारण-विचारणै-विचारणै-विसारणै, विमोचन-विमोचनम्-विमोसनम्, समयोचित-चमयौचितम्-समयोसिदम्।

संयुक्ताक्षरों में ग्रंथी-लिपि के 'स' का प्रयोग

जब अन्य अक्षर से जुड़ी स ध्वनि हो तो च नहीं स ही लिखा जाता है। यथाः—

नमस्कार-नमस्कारम्, स्तन-स्तनम्, स्तम्भ-स्तम्भम्-स्तम्बम्, मध्यस्थ-मत्तियस्तन्, मध्यस्तर्ता-मत्तयस्तम्, विस्तार-विस्तारम्, दस्तावैज़-तस्तावैजु, विस्तीर्ण-विस्तीरणम्, इस्तिरी (कपड़ों की)-इस्तिरि, शास्त्रीय-चास्तिरीय, आस्थान-आस्तानम, स्थापन-स्तापनम्, स्थिर-स्तिरम्, स्नान-स्नानम्।

ष उच्चारण के लिए ट का प्रयोग

हिन्दी-भाषियों में ष का शुद्ध उच्चारण करने वाले कम ही मिलते हैं। पुरानी हिन्दी में भी भाषा का विकृत रूप भाखा मिलता है, जिसका उच्चारण-स्थान की दृष्टि से कोई संबंध नहीं बैठता। तमिल में ष को ट रूप में लिया है। दोनों का उच्चारण-स्थान मूर्धन्य होने के कारण कुछ संगति बैठती है। वैसे ग्रंथी लिपि से तमिल वर्णमाला में ष संकेत का अक्षर लिया गया है, परन्तु असंख्य शब्दों में ष के स्थान की परम्परा में ट का पालन अभी भी होता है। कुछ शब्द देखियेः—

उपनिषद-उपनिटतम्-उबनिडदम्, ज्योतिष-चोतिटम-जोतिडम, ज्योतिषी-चौतिटर्-जोदिडर्, निमिष-निमिटम्-निमिडम्।

ष्ट, ष्ठ का रूप ट्ट होता है। यथाः—

नष्ट-नट्टम्, उत्कृष्ट-उक्किट्टम्, उच्छिष्ठ-उच्चिट्टम्, मुष्टि-मुट्टि, सृष्टि-सिरुट्टि, काष्ठ-काट्टम्, श्रेष्ठि-चेट्टि-सेट्टि, अनुष्ठान-अनुट्टानम्, कहीं-कहीं अनुष्टानम् भी लिखा मिलता है।

अष्ट शब्द जुड़ कर जितने योगिक शब्द प्रचलित हैं, उनमें अष्ट रूप ह चलता है।

ष्य के दो रूप ट तथा ज मिलते हैं। यथाः—

मनुष्य का रूप मनुटन्-मनुडन् एवं मनुचन-मनुजन् दोनों होते हैं।

नोटः— जब ष्य का य छोड़ दिया जाता है तो ष का रूप ट हो जाता है और जब ष छोड़ दिया तो या का ज हो गया है। जैसे हिन्दी में संस्कृत का द्वौ व छोड़ने पर दो रह गया और द्वादश का द छोड़ दिया तो बारह हो गया। यह सब भाषाविज्ञान की माया है

ष के स्थान पर ग्रंथी-लिपि से लिए ष का प्रयोग

निम्नलिखित शब्दों में ट नहीं लिखा जाता बल्कि ग्रंथी-लिपि का ष ह तमिल में लिखा जाता है यथाः—

अभिलाष-अपिलोष-अबिलौष, अभिषेष-अपिषेकम्-अबिषेहम् घोष-कोषम्-गोषम्, दोष-तोषम-दोषम्, भाषा-पाषै-बाषै, निमिष-निमिषम् महादोष-मकतोषम्-महादोषम्, रोष-रोषम्, विष-विषम्, कषाय-कषायम् दुष्ट-तुष्टन्-दुष्टन्, दुष्टता-तुष्टम्-दुष्टम्, राष्ट्रपति-राष्टिरपति-राष्टिरबदि अनुष्ठान-अनुष्टानम्, पुष्प-पुष्पम, शिष्य-चिष्यन्-सिष्यन आकर्षण-आकर्षणम-आहर्षणम्, प्रतिवर्ष-पिरतिवर्षम्-पिरदिवर्यम वर्ष-वरुटम्-बरुडम् मिलता है।

क्ष के तमिल में अनेक रूप

क्ष अक्षर का ग्रंथीलिपि से लिया वर्ण-संकेत तमिल में है; फिर भ अनेक शब्दों में जो पुरातन प्रयोग चले आ रहे हैं उनमें क्क, ट्च, च्च आदि रूप मिलते हैं। यथाः—

1. इक्षु-इक्कु, पक्षपात-पक्कपातम्-पक्कपादम्।

2. कुछ शब्दों के दो रूप भी चलते हैं। जैसेः—

कक्ष-कक्कम्-कट्चम्, अक्षत (पूजा के चावल)-अक्कतै-अट्चतै, पक्षी-पक्कि-पट्चि, साक्षी-चाक्कि-साक्कि, चाट्चि-साट्चि।

3. निम्न शब्दों में प्रायः ट्च लिखने की प्रथा हैः—

अक्षर-अट्चरम्, अन्तरिक्ष-अन्तरिट्चम्-अन्दरिट्चम्, प्रत्यक्ष-पिरत्तियट्चम्, राक्षस-राट्चचन्-राट्चसन्, राक्षसी-राट्चचि-राट्चसि, लक्ष-लट्चम्, अपेक्षा-अपैट्चै, उपेक्षा-उपैट्चै-उबैट्चै, जीवरक्षा-चीवरट्चै-जीवरट्चै, द्राक्षा-तिराट्चै-दिराट्चै, परीक्षा-परीट्चै, शिक्षा-चिट्चै-सिच्चै, आक्षेप-आट्चैपम्-आट्चैबम् अथवा आट्चैवनै, लक्ष्य-लट्चियम्।

4. क्ष के च्च रूप के कुछ शब्द निम्नलिखित हैंः—

पक्ष (पखवाड़ा)-पच्चम्, भिक्षा-पिच्चै, क्षण-कणम्।

नोटः—कुछ शब्द अपवाद भी हैं। यथा—कणम्-क्षणम् (दोनों तरह से) क्षोर-क्षौरम्-क्षवरम् (उस्तरे से हजामत या मुंडन के अर्थ में) भी चलते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षित लोग ऊपर दिये हुए शब्दों में भी ग्रंथी-लिपि से लिये हुए क्ष अक्षर का प्रयोग करते हैं।

ज्ञ के अनेक रूप

संस्कृत व्याकरण के अनुसार ज्+ञ मिलाकर ज्ञ बना है। हिन्दी में वैसा ही ज्ञ कम लोग बोल पाते हैं, अपितु ग्य, ग्यँ उच्चारण करते हैं। तमिल में ज्ञ के स्थान पर क्कि्य, ग्ञ, ञ आदि लिखा जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि ज्ञ का उच्चारण कठिन होने के कारण संस्कृत के दक्षिण गमन से पहले की कई रूपों में बोला जाने लगा था। अतः उन्होंने जैसे सुना वैसा वैसा बोला, लिखने में वे अपनी लिपि की सीमाओं के बाहर जा ही नहीं सकते थे। यथाः-

१-अज्ञात-अक्कियातम्-अग्गियादम्, यज्ञ-यक्कियम्-यग्गियम्

२-अनुज्ञा-अनुग्ञ, प्रजा-परिग्ञ, -प्रतिज्ञा-परितिग्ञ

३-अज्ञा-आञ्ञै, ज्ञान-ञानम् ज्ञानी-ञान मुल्ल, विज्ञान-विञ्ञानम् वैज्ञानिक-विञानि, अज्ञान-अञ्ञानम्, ज्ञापक-ञापकम्-ञाबहम्

औ का अवु रूप

यद्यपि तमिल में औ स्वर है, तथापि उसका प्रयोग बहुत कम होता है। अन्य भाषाओं से आये कुछ शब्दों में यह उपयोग आता है, अन्य कुछ शब्दों में इसकी ध्वनि का संकेत अवु द्वारा किया जाता है। यथाः—

गौरव-कौरवम्-गौरवम्, यौवन-यौवनम्।
अन्यथा चौकी (चुंगीघर)-चवुक्कि, चौकी (चबूतरा)-चवुकै, मौन-मवुम्, मौनी-मवुनि, शौच-चवुचम्-सवुचम्, सौकर्य-चवुकरियम्-सवुकरियम्, सौ-ख्य-चवुक्कियम्, सौन्दर्य-चवुन्तरियम्-सवुन्दरियतम्, सौभाग्य-चवुपाक्कियम्-सवुबाक्कियम्।

नोटः- कौतूहल-कौतुकलम् कौतुहलम आदि शब्द अपवाद हैं।

य के अनके रूप

यद्यपि तामिल में यह वर्ण है तथापि संस्कृत से लिये अनेक शब्दों के आदि य को अन्य ध्वनियों द्वारा व्यक्त किया गया है। उदाहरणार्थः—

१- कुछ शब्दों में य की ए ध्वनि मिलती है। जैसेः—

यजमान-एजमानत्, यज्ञ-एक्कियम्, यति-एति-एदि, यत्न-एतिनम्, यथार्थ-एतार्तम्, यथेच्छा-एतेच्चे, यथेष्ट-एतेट्ट-एतेष्टम्, यंत्र-एन्तिरम्-एन्दिरम्, यंत्र-
शाला-एन्तिरचालै-एन्दिरसालै, यम-एमन्, यमलोक-एमलोकम्-एमलीहम्।

नोटः—यंत्र-एन्तिरम्-एन्दिरम् भी लिखा-बोला जाता है।

२-कुछ शब्दों में आरंभिक य बना भी रहता है। यथाः- यवन (देश)-युवनम्, याग-याकम्-यागम्, याचक-याचकन्-यासहन्, युक्ति-युक्ति, युग-युकम्-युगम्, युद्ध-युत्तम्ञ युवती-युवति-युवदि, यूनानी-यूनानि,योग्य-यो-
क्कियन्।

३-कुछ शब्दों में य से पहले ह जोड़ी जाती है। यथाः— यंत्र-इयन्तिरम्-इयन्दिरम्, यत्न-इयतिनम्, यम-इयमम्, यव(जौ)-इयवम्, यीशु-इयेसु।

४-कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके लिये निगम-निर्देश नहीं हो सकता। यथाः— यम् - मन्, युगप्रलय-उकप्पियलयम्-उगप्पिरलयम्, यौवन-एव्वनम्।

नोटः—ऊपर आपने देखा कि एक ही शब्द भिन्न भिन्न तरह से लिखा जाता है। हिन्दी में भी अनेक ऐसे शब्द हैं यथा-तैयारी, तय्यारी आदि।

र, ल से पहले अ-इ-उ का आगम

बोलने में तमिल भाई असंख्य शब्द बोलते है जो र, ल से आरंभ होते हैं, परन्तु लिखने में ढूंढने से भी ऐसे शब्द कदाचित ही मिले जिनमें र, ल से पहले स्वर न लगाया गया है। कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जिनमें र, ल से पहले अ लगा मिलता है, परन्तु इ, उ जुड़े हुए शब्द अधिक संख्या में पाये जाते हैं। लिखने में यह प्रवृति इतनी व्यापक हो गयी थी कि विश्वकवि रवीन्द्रनाथ का नाम लिखते समय इरवीन्तरनात-इवरीन्द्रनाथ लिखा जाता था। अब कुछ समय से कुछ लोग इस प्रवृति को छोड़ रहे हैं। कुछ उदाहरण देखियेः—

१- रजक-इरक्कन्-रजकन्, राघव-इराक्वन्-रागवन्, रामदूत-इरामतूतन्ध-रामदूतन्, रूद्र-इरूत्तिरनू-रूत्तिरन्।

२—श्रीरंगम् के देवता रंगनाथ को इरंगम् न कहकर अरंगम् कहते हैं। इतना ही नहीं रक्त (खून) को भी कहीं-कहीं अरक्कम्, कुमकुम-अरक्कु, कुमकुम का जल छिड़कने की क्रिया अरक्कुनीर-रक्तनीर् और लालकमल को अरक्काम्पलल् लिखा और रक्ताम्बल अर्थात् रक्ताम्बल् बोला जाता है। परन्तु अधिकतर र से पहले इ लगाने की ही प्रथा है।

३-रक्त-इरत्तम्, रजत-इरचतम्-रजतम्, रजनी-इरचनि-रजनि, रण-हरणम्-रणम्, रणैरि-इरणपैरि-रणबेरि, रत्न-इरत्तिनम्-रत्तिनम्, रथ-इतरम्-रवम्, रम्य-हरिम्मियम्। रवा (सूजी)- इरवै-रवै, रह-इरचम्-रसम्, रसना-इरजनै, रसातल-इरचातलम्-रसातलम्, रसायन-इरचायनम्-रसायनम्, रहस्य-इरकचियम्-रहसियम्, राग-ईराकम्-रागम्, राजा-इराचा-राजा, राज्य-इराचियम्-राजियम्, रानी-इराणि-रानि, रात्रि-इरात्तिरि-रात्तिरि-राशि-इराचि-रासि, राष्ट्रपति-इराष्टिरपति-राष्टिरपति, रेखा-इरेकै-रेकै।

४—रूद्राज्ञ-उरूत्तिराट्चम्-रूत्तिराट्चम्, रूपक-उरूपकम्-रूपहम्, रोग-उरोकम्-उरोगम्, रोगी-उरौकि-रोगि, रोटी-उराट्टि-राट्टि।

नोटः—रूधिर को उतिर लिखा और उदिर बोला जाता है।

ल से पहले इं-उ का प्रयोग

१—लंगोट-इलइ, कोटु-लंगौडु लक्षण-इलक्कणम् (व्याकरण), लक्ष्य-इलक्कियम्-लक्कियम्, लगाम-इलकाम्-इलकान्-लगान-लगान लक्ष्मी-इलक्किमि-लक्किमि, लड़ाई-इलटाय्-लडाय्, लडडु-इलट्टु-लड्डू लय-इलयम्-लयम् लवंग-इलवङ, कम्-लवंगमञ् लाघव-इलाकवम्-लागवम्-लैलादैवि। लाठी-हड्डीतित-लात्ति, लाभ-इलापम्-लाबम्, लायक-इलायक्कु-लायक्कु, लाला-इलाला-लाला, लिपि-इलिपि-लिबि, लेवादेवि-लैवादैवि, लौकिक-इ-लौक्किम्-लौक्किम्।

२—लोचन-उलौचनम्-लौचनम्, लोभ-उलौपम्-लौबम्, लोह-उलीकम्-लौहम्।

ल के स्थान पर ड़ (क) का प्रयोग

मूलतः खड़ी बोली दिल्ली की बोली है अन्यथा दिल्ली के देहात और उससे छूते हरयाणा प्रदेश में शब्द के मध्य-अन्त के खड़ी बोली में प्रयुक्त ल के स्थान पर ड़ का उच्चारण होता है। उदाहरणतया अम्बाला-अम्बाड़ा,पटियाला-पटिआड़ा बोला जाता है। भाषा-संगम में कई वर्ष से सौलह भाषाओं के शब्दकोश संकलन हो रहा है। उसके तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि पंजाब के पूर्वी किनारे से यदि एक रेखा कन्याकुमारी तक खींची जाए तो सारे पश्चिम भारत की सभी भाषाओं में यह उच्चारण चलता है। वैदिककाल में भी यह उच्चारण अग्निमीड़े पुरोहितम् में मिलता है। अतः मराठी में प्रचलित देवनागरीलिपि के नीचे से बन्द ल, क को परिवर्धित देवनागरी में ग्रहीत किया है। यह ल का ही एक रूप है और यह तमिल में प्रचलित उदाहरणों से प्रमाणित होता है। देखियेः—

अलक-अड़कम्, अलका-अड़कै (कुबेरपुरी), अलि-अड़ि, कंकाल-कड्काड़म्-कंगवाडम्, कम्बल-कम्पड़म्-कुम्बडम्, कम्पड़ि-कम्पड़ि(ऊन), कलंक-कलड् कम्-कलंगम्, काजल-कच्चड़म्-कज्जड़म्, काली-काड़ि, दीपाली-तीपावड़ि-दीपावड़ि, प्रलय-पिरड्यम, परिमल-परिमडम्,वलय-(घेरा) बड़यम्, वलय(चूड़ी)-वड़ै, शीतलता-चीतडम्-सीतड़म्।

क-ख-ग-घ के लिए क का प्रयोग

तमिल में ख-ग-घ अक्षर न होने के कारण उनका काम क से चलाया जाता है। निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण भी हिन्दी से मिलते-जुलते ही हैं। ख-घ का हिन्दी जैसा अभ्यास तमिल भाषियों को नहीं होता। ग का उच्चारण वे करते हैं, पर वह भी कई स्थानों पर कभी-कभी ह या घ जैसा प्रतीत होता है। यथाः—

खगपति-ककपति-कलपति-कगपदि, खगोल-ककोलम्-कगोलम्, नख-नकम्-नगम्, खजूर-कच्चुरम्-कज्जुरम्, खड़ग-कटकम्-कड़गम्, मुख-मुकम्-मुगम्-मुहम्, रेखा-रेकै-रेगे-रेहे, शिखर-चिकरम्-सिगरम्, सुख-चुकम्-सुगम-सुहम्, आलेखन-आलेकनम्- आलेहनम्, अगर(गंधद्रव्य)-अकरू-अगरू, उपयोग-उपयोकम्-उपयोगम्,गर्व-कर्वम्-गर्वम्, गोपुर-कोपुरम्-गौपुरम्, नग-नकम्-नगम्, नगर-नकरम्-नगरम्, नगरवासी-नकरवाचि-नगरयासि, नाग-नाकम्-नागम्, नागरिकता-नाकरिकम्-नागरिकम्, नागरिक-नाकरिकमान-नागरिकमान, युग-युकम्-युगम्, राग-राकम्-रागम्, रोग-रोकम्-रोगम्, रोगी-रोकि-रोगि, वैग-वैकम्-वैगम्, शकुन-चकुनम्-सगुनम्, घटिका-कटिकै-कटिहै-गटिहै, घनसार-कनचारम्-कनसारम्, घोषणा-कौषणै-गौषणै-गौषणे, मेघ-मेकम्-मेगम्। राघव-राकवन्-रागवन्।

च-छ-ज-झ के स्थान पर च का प्रयोग

यद्यपि ग्रंथीलिपि से ज तमिल वर्णमाला में ले लिया गया है, परन्तु उसका उपयोग कुछ शब्दों में ही होता है। च का ज, स उच्चारण परम्परा से चला आ रहा है वही लिखा व बोला जाता है। छ-झ का काम परम्परा से चला आ रहा है। छ-झ का काम भी च लिखकर और ज उच्चारण करके ले लिया जाता है। यथाः—

अचल-अचलम्-अजलम्, आचरण-आचरम्, चरित-चरितम्, विचार-विचारम्-विसारम्, विचित्रता-विचितिरम्-विसित्तरम्, जन-चनम्-जनम्, जन(बहुवचन)-चनड्कड़-जनंगड़, जाति-चाति-जाति, जीरा-जीरकम्-जीरगम्, जीवन-चीवनम्-जीवनम्, अजीर्ण-अचीरणम्-अजीरणम्-अचीर्णम्-अजीर्णम्, जीर्ण-चीर्णम्-जीर्णम्।

नोटः- अब कुछ लोग च के स्थान पर ग्रंथी के ज का प्रयोग भी करने लगे हैं।

ट-ठ-ड-ढ के स्थान पर ट का प्रयोग

उक्त ध्वनियों के स्थान पर ट लिखा जाता है परन्तु ड बोला जाता है, यह ध्वनि कभी-कभी ड़ जैसी भी प्रतीत होती है।

पट-पटम्-पडम्, किरीट-किरीटम्-किरीडम्, कठिनता-कटिनम्-कड़िनम्, कठिन-कटिनमान-कडिनमान, कठोर-कटोरम्-कडोर, ठग-टक्कु, डब्बा-टप्पा-डब्बा, दाढ़ी-ताटि-दाडि, दृढ़ता-विटम्-विडम्, नाड़ी-नाटि-नाडि, पाठ-पाटम्-पाडम्।

त-थ-द-ध के स्थान पर त का प्रयोग

तमिल में प्रायः मध्य-अन्त के त को द बोलने की प्रवृत्ति है। लिखने में थ-द-ध के स्थान पर भी त ही लिख जाता है। यथाः—

अगति-अकति-अगदि, अनुमति-अनुमति-अनुमदि, गति-कति-कदि-गदि, नीति-नीति-नीदि, मत-मतम्-मदम्, मति-मति-मदि, संगीत-चड्कीतम-संगीदम्, सन्तोष-चन्तोषम्-सन्दोषम्, वात-वातम-वादम्, वाद-वातम्-वादम्, रथ-रतम्रदम्, शपथ-चपत-सबदम्, तिथि-तीति-तयति, शिथिलता-चितिलम्-सिदिलम्-चितलम-सितलम्।

अकारादि-अकराति-अकरादि(शब्दकोश), अनुवाद-अनुवातम्-अनुवादम्, दिन-तिनम्-दिनम्, दिशा-तिचै-विसै, दीप-सीपम्-दीपम्, दीपावली-तीपावड़-दीपावड़ि, दुःख-तुक्म्-दुक्कम्

दूर-तूरम्-दूरम्, देवता-तेवतै-देवतै, देवदार-तैवतारम्-दैवदारम्, देश-तेचम्-देसम्, दोष-तोषम्-दौषम्, पदक-पतकम्-पदकम्,,पद-पतम्-पदम्, पदवी-पतवि-पदवि, पाद-पातम्-पादम्, वाद-वातम्-वादम्, विवाद-विवातम्-विवादम्, दास-तानम्-दानम् मैदान-मैतानम्-मैदानम्, समुदाय-चमुतायम्-समुदायम् सिन्दूर-चिन्तूरम्-सिन्दूरम्, उपदेश-उपतेचम्-उपदेसम्।

अधिकारि-अतिकारि-अदिगारि, अवधि-अवति-अवदि,

अगाध-अकातम्-अगादम्, अपराध-अपरातम्-अपरादम्, आधार-आतारम्-आदारम्, आयुध-आयुतम्-आयुदम्, धर्म-तर्मम्-दर्मम्, धान्य-तानियम,-दानियम्, निधि-निति-निदि, परिधि-परिति-परिदि, माधव-मातवम्-मादवम्, मूलधन-मूलतनम्-मूलदनम्, विधवा-वितवै-विदवै, विरोध-विरोतम्-विरोदम्, समाधान-चमातानम्-समादानम्, समाधि-मण्डप-चमातिमण्टपम्-समादिमण्डबम्, साधन-चातनम्-सादनम्।

प-फ-ब-भ के स्थान पर प का प्रयोग

अन्य भाषाओं से लिए शब्द में जहां फ-ब-भ के स्थान पर प लिखा जाता है वहां बोला ब जाता है।

परस्पर-परस्परम्, पूर्णता-पूरणम्, पोषक-पोषकन्, निरूपण-निरूपणम्-निरूबणम्, विपरीतता-विपरीतम्- विबरीतम्, पीपा-पीप्पा।

फ़ीता-पितै-वितै, फिरंगी-पीरङ् कि-पीरंगी, कफ़-कपम्-कबम्, फलाहार-पलकारम्-बलहारम्, पलहारम्, शराफ़-चराप्पु-सराप्पु।

अनुभव-अनुपवम-अनुववम्, अमय-अपयम्-अबयम्, अभिप्राय-अपिप्रियम्-अबिप्पिरायम्, अभिमत-अपिमतम्-अबिमदम्, अशुभ-अचुपम्-असुबम् अहंभाव-अकम्पावम्-अहम्बावम्, नाभि-नापि-नाबि, भजन-मचनै-बनै, भाग-माकम्-बागम्, भाग्य-पाक्कियम्-बाक्कियम्, भार-पारम्-बारम्, भिन्न-भिन्नम्-बिन्नम्, भुज-पुचम्-बुजम्, भूत-पूतम्-बूतम्, भूमि-पूमि-बूमि, भोजन-पोचनम्-बोजनस्, भ्रम-परिमै-बिरमै, लाभ-लापम्-लाबम्, लाभकारी-लापमान-लाबमान, वैभव-वैपवम्-वैबवम्-सन्दर्भ-चर्न्प-सन्दर्बम् सभा-चपै-सबै, सुलभता-चुलवम्-सुलबम्, सुलभ-चुलपमान-सुलबमान।

प के स्थान पर व का प्रयोग

हर भाषा में उच्चारण-प्रवृत्ति की कुछ निजी विलक्षणताएं होती हैं। बंगला में श-ष-स है, परन्तु बंगाली तीनों के स्थान पर प्रायः श बोलते हैं। बंगला, उड़िया दोनों भाषाओं में व और ब दोनों अक्षर हैं, परन्तु उनमें व के स्थानपर ब ही लिखते-बोलते हैं। इसी प्रकार तमिल में अन्य भाषाओं से लिये शब्दों की वर्तनी में जहां प हो वहां प अथवा व दोनों का प्रयोग होता है।

कपट-कपटम्-कबडम्-कवटम्-कवडम्, कोप-कोपम्-कोबम्-कोवम्, कफ़-कपम्-कबम्-कवम्, तप-तपम्-तबमु-तवम्, पाप-पापम्-पाबम्-पावम्, पापी-पापि-पाबि-पावि, बल-पलम-बलम्-वलमै, शपथ-चपतम-सबदम्-सवदम्, उपाधि-उपादि-उबादि-उवादि, उपमान-उपमानम्-उबनानम्-उवमानम्, उपमेय-उपमेयम्, उवभैयम्-उवमैयम् नापित-नापितन्-नाबितन्-नावितन्।

समानाक्षरी शब्द

नीचे थोड़े से वे शब्द दिये गये हैं जिनमें तमिल लिपि के कारण हिंदी शब्दों से भिन्नता नहीं है, अर्थात् इनमें क-च-ट-त-प लिखकर ग-ज-ड-द-ब बोलने का अन्तर नहीं हैं क्योंकि इनमें प्रयुक्त ध्वनियों में ग्रंथीलिपि के अक्षर प्रयुक्त होते हैं।

भिन्नता यदि है तो वह तमिल व्याकरण के कारण है। अर्थात

1. पदार्थ-वाची या भाववाची संज्ञाओं के अन्त में म् होता हैं।
2. पुल्लिंग एकवचन के अन्त में हलन्त न् होता है।
3. पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग दोनों के आदरवाची रूप के अन्त में हलन्त र् होता है।

निम्न शब्दों में क्रआदि का अन्तर भी तमिल व्याकरण के अनुकूल है। यथाः—

अजीर्ण-अजीर्णम्-अजीरणम्, अनुकूलता-अनुकूलनम्
अनुनय-अनुनयनम्, अवयव-अवयवम्, कवच-कवचम्
कष्ट-कष्टम्, कारण-कारणम्, काल-कालम्
किरण-किरणम्, जल-जलम्, जीर्ण-जीर्णम्-जीरणम्,
तर्क-तर्कम्, तूणीर-तूणीरम्, नमस्कार-नमस्कारम्।
नष्ट-नष्टम्, नियम-नियमम्, निवारण-निवारणम्,
नील-नीलम्, नीर-नीर, परिणाम-परिणामम्
मरण-मरणम्, मल्ल-मल्लन्, माणिक-माणिक्कम्,
पुष्टि-मुष्टि, मुट्ठी-मुट्टि, मूल-मूलम्,
रोम-रोमम, वर्ण-वर्णम्, विवरण-विवरणम्,
विवेक-विवेकम्, विष-विषम्, विषय-विषयम्,
वैर-वैरम्।

(पृष्ठ 21 का शेषांश....)

कहते कि वह दूध पिलाकर हमारा पोषण करती है, बल्कि इसलिये कहते है कि उसने हमें अपनी पहचान दी है, हमें धारण किया है, हमें प्रकट किया है, भाषा हमारी हिन्दुस्तानी कौम की संस्कृति की धारक और संवाहक मां है, और यह मां अंग्रेजी कतई नहीं हो सकती।

अपने पन की गंध से भरी भारतीय भाषाओं की प्रखरता मुखर करने के लिये हम अनेक में एक और एक में अनेक के सिद्धांत पर चल रहे हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न भाषा साहित्य का परस्पर अनुवाद हो रहा है, इस प्रवृति को और बढ़ावा मिलना चाहिए। इसी प्रकृति और इसी प्रयास से देश के बहु संख्यक विशाल हिन्दी समल्य वाले समाज का पता लगता है कि हिन्दी की भगिनी भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है।

और यहीं पर बिना किसी पूर्वाग्रह के कहा जा सकता है कि अनेक्ता में एकता की यह खोज यात्रा ही हमें राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के समर्थन तक ले जाती है। सिन्धी, पंजाबी, मराठी, उर्दू, गुजराती, अवधी राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी, नेपाली, डोगरी आदि बहुसंख्य भाषा भाषियों सहित दक्षिण भारत का भी एक बहुत बड़ा समुदाय हिन्दी समझता है। हिन्दी भारत के भौगोलिक देश की नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र की संपर्क भाषा मानी जाने की एक मात्र अधिकारिणी है। राष्ट्रीयता और संस्कृति के इस कर्म यज्ञ में अपनी स्वर समिधा अर्पित करना हमारा ऐतिहासिक दायित्व है।

—:o:—

विश्वविद्यालयों में हिन्दी

– डॉ॰ कृष्ण लाल*

शिक्षा के क्षेत्र में भारत को इस बात पर गर्व है कि उसके प्राचीन नालन्दा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में न केवल विश्व की उच्च विद्याओं की उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, अपितु विश्व के विभिन्न देशों के विद्यार्थी भी यहां अपनी ज्ञानपिपासा शान्त करने के लिए आते थे। यहां शिक्षा का माध्यम संस्कृत था।

परन्तु भारत की आधुनिक विश्वविद्यालया तंत्र अंग्रेजी शासन की देन है। अंग्रेजी शासन का मुख्य उद्देश्य इन विश्वविद्यालयों में अपने शासन-तन्त्र के लिए उच्च अधिकारी तैयार करना था। इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से ब्रिटिश शासक भारतीयों के मन में अपनी ही संस्कृति और प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के प्रति घृणा भी उत्पन्न करना चाहते थे। इससे उन्हें एक लाभ यह भी होता था कि यहां इंग्लैंड में छपी हुई पुस्तकों का बाजार बनता था और उनकी श्रेष्ठता प्रतिष्ठापित होती थी।

दुर्भाग्य से भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् भी इस स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। आज भी अधिकांश विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी का आधिपत्य है। यद्यपि विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं और विषयों का माध्यम भी हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषाएं भी हैं तथापि आज भी उनमें वातावरण अंग्रेजी का ही है। हिंदी-भाषी "विद्वान्" भी ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे उन्हें न तो हिंदी बोलनी आती हो और न समझनी। यही स्थिति प्रशासनिक अधिकारियों की है। यदि कहीं हिंदी या संस्कृत विभाग में कुछ कार्य हिंदी में होता भी है तो अपवाद स्वरूप। सर्वत्र हिंदी के टंकनयन्त्र हों न हों, अंग्रेजी के अवश्य होंगे। इन विभागों के वरिष्ठ अध्यापक भी हीन-भावना से इतने ग्रस्त होते हैं कि विभिन्न सभा-समितियों में अपने विचार अंग्रेजी में प्रकट करके गर्व का अनुभव करते हैं और विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों से पत्र व्यवहार अंग्रेजी में करते हैं। इसके पीछे एक यह भ्रान्ति भी कार्य करती है कि कहीं वे अधिकारी हिंदी में लिखे पत्र को न समझें और उस पर कार्यवाही न हो। परन्तु प्रयोग किए बिना इसका निश्चय कैसे हो सकता है? व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि यह केवल एक मिथ्या धारणा है। शीर्षस्थ अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारी हिंदी के पत्रों को अच्छी प्रकार समझते हैं और उन पर कार्यवाही होती है। वित्तीय मामलों में हिंदी में किए गए आवेदनों, भरे गए बिलों आदि में कहीं कोई रूकावट नहीं। इसी प्रकार परीक्षा-विभाग में यदि परीक्षक अंक सूची हिंदी में बनाता है, अथवा अपना प्रतिवेदन हिंदी में देता है तो छात्रों का कोई अहित नहीं होता। दुर्भाग्य इतना अवश्य है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से आज भी समस्त कार्यवाही केवल अंग्रेजी में होती है। जो अध्यापक या कर्मचारी हिन्दी में सिद्धहस्त हैं अथवा हिंदी का महत्व समझते हैं तथा अंग्रेजी-प्रेमी हैं, उन्हें प्रतिज्ञापूर्वक एवं निष्ठापूर्वक हिंदी प्रयोग का वातावरण बनाने के लिए अंग्रेजी के दुर्ग को तोड़ने के लिए आगे आना चाहिए। यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि जितना हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा अंग्रेजी का उतना तो कम होगा ही।

* आचार्य, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

हिंदी भाषी प्रदेशों के अनेक विश्वविद्यालयों में बहुत से प्रपत्र हिंदी में या दोनों भाषाओं में छप तो गए हैं, परन्तु देखने में आया है कि उन्हें भरते समय छात्र, अध्यापक तथा कर्मचारी उनमें अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं—कुछ भयवश, कुछ संकोचवश, कुछ परम्परावश। फिर उन प्रपत्रों पर हिंदी निरर्थक हो जाती है और अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहता है। दुःख तो तब होता है जब हिंदी और संस्कृत विभाग के व्यक्ति भी इन प्रपत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं।

विश्वविद्यालयों में भाषा के प्रयोग को तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है—(1) छात्रों के साथ सम्पर्क, (2) प्रशासनिक कार्य और (3) शिक्षा का माध्यम

जहां तथा छात्रों के साथ सम्पर्क का प्रश्न है, वह प्रवेश की प्रक्रिया से प्रारम्भ हो जाता है। प्रवेश-सम्बन्धी सूचनाएं देने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय और संकाय अपनी अपनी विवरणिकाएं छापता है। अभी भी ये विवरणिकाएं प्रायः केवल अंग्रेजी में देखने में आती है चाहे प्रवेशार्थी छात्र के लिए ये निरर्थक हो जाएं अथवा उन्हें समझने के लिए छात्र को किसी और की शरण में जाना पड़े। केवल दो-तीन प्रतिशत पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए छात्र उन्हें समझ पाते हैं। कहीं इन विवरणिकाओं द्वारा कालेज के प्रवेशद्वार पर ही यह आभास तो नहीं कराया जाता कि अब कालेज में अंग्रेजी के बिना काम चलने वाला नहीं? कहीं इन्हीं का यह प्रभाव तो नहीं कि छात्रसंघ के चुनावों में छात्रों द्वारा अधिकांश प्रचार अंग्रेजी में किया जाता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि ये विवरणिकाएं हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषा में हों तो वे छात्रों के अधिक समझ में आकर अपने उद्देश्य में अधिक सफल होंगी। जहां तक संकायों का प्रश्न है, विश्वविद्यालय के विभाग हिंदी में विवरणिका देने में समर्थ हैं, उन पर कोई बाध्यता नहीं है। अनेक विभागों में हिन्दी माध्यम स्वीकृत होने के कारण उनके लिए यह आवश्यक और अधिक हित-साधक भी है। परन्तु इस ओर छात्रों अथवा अध्यापकों, किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रवेश के पश्चात् प्रायः नवागन्तुक छात्रों को प्रधानाचार्य सम्बोधित करते हैं। यद्यपि इसमें 50 प्रतिशत प्रधानाचार्य अब हिंदी अथवा प्रोदशिक भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, फिर भी अनेक प्रधानाचार्य हिंदी में बोलना हेय समझ कर अंग्रेजी का ही आश्रय लेते हैं, चाहे छात्र कुछ समझें या न समझें। छात्रों से सम्पर्क का प्रमुख माध्यम सूचनापट्ट है। इसमें सबसे पहले समय-सारिणी को लिया जाए। समय-सारिणी छात्रों और अध्यापकों दोनों के लिए होती है। स्वाभाविक रूप से यह भी हिंदी या भारतीय भाषा में हो तो महाविद्यालय को कोई कठिनाई नहीं, अपितु छात्रों को उससे अधिक सुविधा हो जाएगी। महाविद्यालय की गतिविधियों, कार्यक्रमों, नियमों, छात्रवृत्तियों, शुल्कमुक्ति आदि के विषय में सूचनाएं यदि सूचनापाट्ट पर हिंदी में लगे तो छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक होंगी। परन्तु देखने में यह आता है कि जिन महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य हिन्दी के विद्वान हैं वहां भी इनके लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता है। महाविद्यालय मुख्य रूप से छात्रों के लिए हैं। उनकी सुविधा के लिए कार्यालय में हिन्दी टंकनयन्त्र क्यों नहीं हो सकता और

(शेष पृष्ठ 59 पर)

हेर्मान वान ओल्फन की हिंदी सेवा

—डा॰ भक्त राम शर्मा*

हेर्मान वान ओल्फन का जन्म एक अप्रैल, 1940 को हुआ था। उन्होंने स्नातक डिग्री गणित, रसायनशास्त्र और विदेशी भाषा विषय लेकर सन् 1963 में उत्तीर्ण की। सन् 1970 में आस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने पी॰ एच॰ डी॰ की उपाधि प्राप्त की।

सन् 1968 में टेक्सास विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान विभाग में उनकी सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुई। सन् 1969 में उसी विश्वविद्यालय के प्राच्य और अफ्रीकी भाषाएं एवं साहित्य में वे सहायक प्रोफेसर बने। सन् 1974 में उसी विभाग में उनकी संयुक्त प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति हुई। 1974 में ही उन्हें भाषा-प्रयोगशाला का निदेशक बना दिया गया। फिर 1984 में उन्हें प्राच्य और अफ्रकीन भाषाएं एवं साहित्य विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

उनकी शोध प्रवृत्तियों एवं साहित्यिक अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनेक व्यावसायिक संस्थाओं की सदस्यता प्रदान की गई।

भाषा और बोलियां विषय पर उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम सन् 1980 में उन्होंने एक पुस्तक सम्पादित की जिसका शीर्षक है: **"लैंग्वेज एण्ड डाइलेक्ट इन साउथ ईस्ट एशिया"**। इस पुस्तक में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की भाषावैज्ञानिक दृष्टि से समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने सन् 1982 में हिंदी-उर्दू संवाद पर आधारित प्रथम वर्ष हिंदी पाठ्यक्रम का प्रथम भाग तैयार करवाकर प्रकाशित करवाया। यह हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है।

इसी भांति उन्होंने सन् 1984 में प्रथम वर्ष हिंदी पाठ्यक्रम भाग-2 ए, एवं भाग 2 बी, तथा सन् 1985 में प्रथम वर्ष हिंदी पाठ्यक्रम भाग एक प्रकाशित करवाए। अन्तिम पुस्तक में कम्प्यूटर द्वारा देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है।

इन पुस्तकों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रोफेसर हेर्मान बान ओल्फन ने हिन्दी भाषा की इन पाठ्य पुस्तकों को अत्यंत श्रम और ईमानदारी से तैयार किया है। यही कारण है कि आज ये पाठ्यपुस्तकें अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों, कोलम्बिया, विस्कान्सिन, शिकागो आदि में शोध का विषय बनीं हुई हैं। कई शोधकर्त्ता उन पुस्तकों से प्रेरणा लेकर अन्य पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहे हैं।

*13 / 236, गीता कालोनी, दिल्ली-32

उनका एक शोधपरक लेख **"कन्वेंशनल एण्ड नॉनकन्वशेनल कंन्ज़ंक्ट वर्ब्ज़ इन हिन्दी"** प्रकाशित हुआ है। लेख में हिन्दी में व्यावहारिक और अव्यावहारिक संयुक्त क्रियाओं का तर्कपूर्ण विवेचन है। एस॰ एच॰ कैलोग, पीटर गैकके, यमुना काचरू, और के॰ सी॰ बहल आदि भाषावैज्ञानिकों के विषय मे संबंधित विचारों मतों एवं टिप्पणियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इस संबंध में स्थान-स्थान पर अपना अभिमत भी दिया है। विद्वान लेखक ने संयुक्त क्रियाओं के बनाने की विधि, क्रियाओं में विकार या रुपान्तरण, संयुक्त क्रियाओं के गलत एवं भ्रष्ट प्रयोगों को उदाहरण सहित समझाने की चेष्टा की है। लेखक के मतानुसार "संयुक्त क्रिया शब्द का प्रयोग उन संयुक्त रूपों के लिए होता है, जिन्हें हम क्रिया के साथ संयुक्त होने वाले पूर्वक्रियारूप कह सकते हैं। क्रिया और पूर्वक्रिया रूप मिल करके एक अर्थात्मक इकाई की संरचना करते हैं। सामान्यतः पूर्वक्रिया रूप वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अर्थ का निर्णय करने वाला होता है।

हिन्दी क्रिया, मुहावरा, व्याकरण, ऐतिहासिक व्याकरण, वाक्य-रचना आदि में उनकी विशेष रुचि है। उनके शोध एवं लेखन में अधिकांशतः इन्हीं विषयों को लिया गया है। आधुनिक लेखकों में जैनेन्द्र कुमार उनके प्रिय लेखक हैं। वे संस्कृत व्याकरण के भी ज्ञाता हैं। वे हिन्दी-उर्दू भाषा का व्याकरणिक एवं भाषावैज्ञानिक दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उन्हें दृश्य-श्रव्य भाषा निर्देशों एवं वीडियों टेप तकनीक का उपयोग करने की भी पर्याप्त जानकारी है। प्रयोगशाला में भाषा के विभिन्न प्रयोगों, कम्प्यूटर सहायता निर्देशों की कला के भी वे जानकार हैं। भाषा-अध्ययन में इन आधुनिकतम उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग बड़ा ही सार्थक और उपयोगी है।

प्रो॰ हेर्मावान ओल्फन ने कई संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में सक्रिय भाग लिया और अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। व्यावहारिक भाषा विज्ञान के विश्व अधिवेशन में भी उन्होंने अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें इनका आलेख विशेष चर्चा का विषय बना था।

प्रोफेसर ओल्फन के अनुसार सन् 1960 में टेक्सास विश्वविद्यालय आस्टिन में पहली बार हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई। कुछ प्राध्यापकों की प्रेरणा से भारतीय अध्ययन के लिए स्थान बनाया गया। उनमें प्रमुख थे, विनफ्रेड लेमान। वे उस समय भाषा विज्ञान विभाग के अध्यक्ष थे और काफी साल से संस्कृत भाषा पढ़ाते थे। डा० लेमान ने डा० एडगर सी० पोलेमे को भाषा-विज्ञान विभाग में आमंत्रित किया और धीरे-धीरे भारतीय अध्ययन की रूपरेखा दिखाई देने लगी। हिंदी के साथ-साथ टेक्सास विश्वविद्यालय में इतिहास, मानवशास्त्र और राजनीति शास्त्र में भी पाठ्यक्रम शुरू किए गए। सन् 1963 से अमेरिकन सरकार की ओर से भी वित्तीय सहायता आने लगी और दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र डा० पोलोमे के निर्देशन में खोला गया।

हेर्मान वान ओल्फन ने लिखाः—

"सन् 1964 में अमेरिकन शान्तिसेना के स्वयंसेवक भारत' जाने से पहले भाषा और संबंधित शिक्षा पाने के लिए टेक्सास विश्वविद्यालय में आए।"

"सन् 1965 में पहली बार हिंदी पढ़ाने के लिए भारतीय प्राध्यापक लगाया गया। उनका नाम था अमर बहादुर सिंह। तीन साल तक हिन्दी पढ़ाई का उत्तरदायित्व उन्हीं के हाथों में था"।

सन् 1968 से भारत में दो वर्ष हिंदी भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान करने के बाद, श्री हेर्मान वान ओल्फन हिंदी पढ़ाने लगे। उन्होंने सन् 1970 में अपना शोध कार्य **"हिन्दी क्रियापद का भाषावैज्ञानिक अध्ययन"** पूरा किया था। यह अध्ययन सर्वथा नूतन है।

प्रो० ओल्फन ने अपने देश में हिंदी की स्थिति पर विचार करते हुए लिखा—

"सन् 1969 से लेकर 1974 तक अमेरिका में हिंदी के सुनहरे दिन थे। छात्रों की भारत में रुचि लगातार बढ़ रही थी और टेक्सास विश्वविद्यालय में भारी संख्या में विद्यार्थी भारतविद्या संबंधी कोर्स लेने लगे थे। भारतीय संस्कृति कोर्स के लिए सैंकड़ों प्रसिद्ध लेखक राजा राव का दर्शनशास्त्र पढ़ने जाते और प्रसिद्ध भारतीय भाषावैज्ञानिक सुमित्रा कात्रे के संस्कृत कोर्स में आने लगे थे। फलस्वरूप हिन्दी में सन् 1973 में छात्रसंख्या सौ से ज्यादा तक पहुंच गई।"

आगे उन्होंने बताया कि उसके बाद छात्रसंख्या कुछ कम हो गई, किन्तु उपलब्धियों में वृद्धि होती रही। टेक्सास विश्वविद्यालयत के छात्र अपने हिन्दी ज्ञान में वृद्धि हेतु भारत में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली अथवा आगरा जाते हैं। भारतीय संगीतज्ञ और नर्तक टेक्सास के मंचों में आने लगे हैं। इस प्रकार भारतीय अध्ययन में एशिया के अध्ययन केन्द्र और "पूर्वीय भाषाओं के विभाग" का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

प्रो० हेर्मान वाल ओल्फन का हिंदी-व्यावहारिक भाषाविज्ञान के क्षेत्र में विदेशी हिन्दी विद्वानों में महत्वपूर्ण स्थान है। गत 32 वर्षों से वे अनवरत इस क्षेत्र में संलग्न हैं। भविष्य में भी उनकी इस क्षेत्र में कई योजनाएं हैं। जिन पर वे अभी से कार्यरत हैं। उनका विश्वास है कि टेक्सास विश्वविद्यालय भारत विद्या एवं हिन्दी के क्षेत्र में अनवरत कार्य करता हआ भारत से अगली शताब्दी में भी इसी तरह के संबंध बनाए रखेगा।

चेक दूतावास में हिंदी

(डा० स्मेकल का वक्तव्य) नई दिल्ली—"अभी मेरे पास हिंदी के लिए सुविधाएं जुटाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। आपके पत्र का उत्तर मैं हिंदी में दे रहा हूं तो इसका अर्थ यह है कि मैं इस दिशा में धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा हूं। हिंदी भाषा के लिए मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। आपके सुझाव वास्तव में लाभदायक है।" यह है भारत में चेक राजदूत डा० ओदोलेन स्मेकल का उत्तर जो उन्होंने इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के भूतपूर्व हिंदी सलाहकार श्री विश्वंभर प्रसाद 'गुप्त-बन्धु' को दूतावास में हिंदी का प्रयोग करने के सुझाव पर दिया है। श्री गुप्त-बन्धु ने डा० स्मेकल की नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी थी और सुझाव दिया था कि दूतावास के काम-काज में हिंदी का प्रयोग होने से दोनों देशों के बीच मंत्री-सम्बन्ध अधिक मधुर और सुदृढ़ होंगे।

डा० स्मेकल हिंदी के प्रकाण्ड विद्वान, कवि, साहित्यकार और विशेष रूप से एक भारत-प्रेमी हैं।

पोलैंड के राजदूत भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं

"दैनिक जागरण" के 5 नवम्बर, 1993 के अंक में छपे समाचार के अनुसार नई दिल्ली में नियुक्त पोलैंड के राजदूत प्रो० क्रिस्टाक वृस्की भारत को अपनी मातृभूमि ही मानते हैं। उनका कहना है कि यदि विद्या अर्जित करके मनुष्य का दूसरा जन्म होता है, तो भारत मेरी जन्मभूमि ही है। वे अपने भाषण की शुरूआत संस्कृत में सरस्वती वन्दना से करते हैं। अपनी संस्कृत निष्ठ हिंदी से वे श्रोताओं को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने में समर्थ हैं।

प्रो० वृस्की ने करीब तीन दशक पहले काशी हिन्दी विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में अध्ययन और शोध किया था और नाट्यशास्त्र पर डाक्टरेट की उपाधि अर्जित की। पोलैंड लोटने पर वे वारसा विश्वविद्यालय में भारत विद्या विभाग से जुड़ गए। उन्होंने मनुस्मृति और वात्स्यायन के कामसूत्र का पोलिस भाषा में अनुवाद किया। उनका लक्ष्य अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र और भगवद्गीता का अनुवाद करना है।

मुम्बई महानगर पालिका द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग बन्द

दैनिक मिलाप, हैदराबाद के 19 दिसम्बर, 1993 के अंक में छपे समाचार के अनुसार मुम्बई महानगर पालिका ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है कि उसका सारा कामकाज अंग्रेजी की बजाए केवल हिन्दी तथा मराठी में होगा। उससे सम्बन्धित समितियों की विषय सूची तथा बैठकों से संबंधित जानकारी का प्रकाशन इन दोनों भाषाओं में ही होगा और ये सामग्री अंग्रेजी में नहीं छापी जाएगी।

सांख्यिकी विभाग
बनाम
अहिन्दी भाषा-भाषी अधिकारीगण

—हरिओम मनचन्दा*

सांख्यिकी विभाग की स्थापना सन् 1961 में हुई थी। यह विभाग भारत देश में सरकारी आंकड़ा प्रणाली के लिए एक शीर्षस्थ संस्था है, जिसका उत्तरदायित्व वर्तमान में श्रीमती (डा०) र० तामरजाक्षी को सचिव के रूप में तथा डा० सु० ना० राय को महानिदेशक (सी० एस० ओ०) के रूप में सौंपा गया है। डा० तामरजाक्षी तथा डा० सु० न० राय दोनों ही अहिंदी भाषी अधिकारी हैं। सांख्यिकी विभाग में इनसे पूर्ववर्ती सचिव श्री के० रामानुजम् तथा श्री पी० जी० मुरलीधन भी अहिंदी भाषा-भाषी थे।

सांख्यिकी विभाग के संपूर्ण नियंत्रण में मुख्य रूप से तीन संगठन कार्य कर रहे हैं:—

(1) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन;

(2) राष्ट्रपति प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा

(3) संगणक केन्द्र।

संक्षेप रूप में इस विभाग के कार्य इस प्रकार हैं:—

भारत देश में अनेक मदों के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका समन्वय एवं विश्लेषण करना, सांख्यिकी कार्य का मानकीकरण करना, सांख्यिकी रीति-विधान निर्धारित करना, सांख्यिकी कार्य का मानकीकरण करना, सांख्यिकी रीति-विधान में मार्गदर्शन एवं परामर्श देना, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ सांख्यिकीय मामलों में संपर्क स्थापित करना, सर्वेक्षण रिपोर्टों को प्रकाशित करना, विभाग के लिए इलैक्ट्रानिक आंकड़ा विधायन की सुविधा प्रदान करना आदि।

इसके अतिरिक्त इस विभाग के साथ भारतीय सांख्यिकीय संस्थान भी जुड़ा हुआ है जोकि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है, सांख्यिकीय गुण-नियंत्रण के संबंध में परामर्श देता है एवं प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सांख्यिकी विभाग के कार्यालय सम्पूर्ण भारत में फैले हुए हैं जिनके माध्यम से अनेक विषयों पर अनेक प्रकार के आंकड़े एक स्थान पर एकत्रित किए जाते हैं।

सांख्यिकी विभाग की सचिव महोदया अदम्य साहसिक, प्रबुद्ध, कठोर परिश्रमी एवं गुणशालिनी अधिकारी हैं। वे समय की पाबंद हैं एवं सरकारी कार्यों के लिए वचनबद्ध हैं। वे विभाग के अन्य कार्यों के अतिरिक्त हिंदी के कामकाज के प्रति भी अत्यधिक रूचि लेती हैं। हालांकि एक ओर वे प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को अपने चैम्बर में सांख्यिकी विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ विभाग की समस्याओं, कमियों, बकाया कार्यों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने/करवाने के बारे में अविरल रूप से बैठकें करती हैं, फिर भी दूसरी ओर वे विभाग में हिंदी की प्रगति की समीक्षा करती हैं और जहां-कहीं भी हिन्दी के कार्य के संबंध में जारा-सी भी कोई ढील दिखाई देती है तो वे उसपर भली-भांति ध्यान देती हैं और समुचित निर्देश देती हैं।

सचिव महोदया अहिंदी भाषाभाषी होते हुए भी हिंदी में अच्छी प्रकार से बोल सकती हैं तथा लिख सकती हैं। इसके अतिरिक्त वे फाइलों पर हिंदी में हस्ताक्षर भी करती हैं। हिंदी के प्रति उनकी सजगता एवं जागरूकता के कारण ही सांख्यिकी विभाग में सरकारी कामकाज प्रायः हिंदी में ही हो रहा है। उनकी कार्यकुशलता एवं कार्यशैली से प्रभावित होकर उनके अधीन अधिकारीगण भी हिंदी में काम करने के प्रति दिलचस्पी ले रहे हैं। उनके सहयोगी डा० सु० ना० राय, महानिदेशक (सी० एस० ओ०) भी एक अहिंदी भाषा-भाषी अधिकारी हैं। वे हालांकि बंगला भाषा-भाषी हैं किन्तु हिंदी के कार्यों के लिए तथा सकारात्मक मार्गदर्शन करने के लिए भी वे अग्रणी रहते हैं। हिंदी के प्रति सचिव महोदया एवं महानिदेशक महोदय के रूझान के कारण ही सांख्यिकी विभाग में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के कार्य चल रहे हैं। विभाग के कर्मचारियों को हिंदी, टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि में नियमित रूप से प्रत्येक सत्र में प्रशिक्षण दिलवाने के लिए नामित किया जाता है। प्रत्येक तिमाही में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। योजना मंत्रालय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा सांख्यिकी विभाग की संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्य होने के नाते सचिव महोदय तथा महानिदेशक दोनों उच्चाधिकारी हिंदी के कामकाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें इसके प्रारंभिक गठन (19.12.80) के पश्चात् दिनांक 29.6.1981 से लगातार हो रही हैं। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विभाग के निरीक्षण के समय भी ये दोनों उच्चाधिकारी सजग रहने के साथ-साथ सफल भी रहे हैं।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा "इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना" के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 से एक शील्ड योजना प्रारंभ की गई है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि जब से यह पुरस्कार योजना लागू हुई है, तभी से सांख्यिकी विभाग को शील्ड के रूप में पुरस्कार अविरल प्राप्त होता रहा है। इस बार भी 25 जून, 1993 को राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रपति भवन में वर्ष 1990-91 के लिए शील्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें भी सांख्यिकी विभाग की सचिव महोदया तथा महानिदेशक को माननीय राष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा जी से शील्ड के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सांख्यिकी विभाग के लिए विभाग के शीर्षस्थ उच्चाधिकारियों को जब-जब "इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना" के अन्तर्गत शील्ड प्राप्त होते रहे हैं, इसके पीछे स्वतः ही किसी भी व्यक्ति के मन यह विचार जागृत होंगे कि सांख्यिकी विभाग के इन शीर्षस्थ अधिकारियों की देखरेख में वास्तव में हिंदी का उत्तरोत्तर एवं प्रशंसनीय कार्य संपन्न हुआ है।

सांख्यिकी विभाग की सचिव महोदया एक दृढ़ प्रतिज्ञ एवं कर्मठ महिला हैं। इसी प्रकार महानिदेशक महोदय भी सौम्य एवं कठोर परिश्रमी हैं। वे दोनों अहिंदी भाषा-भाषी होने के कारण सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उनके सहज मार्गदर्शन एवं अदम्य साहस तथा हिंदी भाषा के विकास के प्रति उनकी तन्मयता के परिणामतः सांख्यिकी विभाग गौरवान्वित हैं। वे सांख्यिकी विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भी सकारात्मक प्रेरणापुंज हैं।

*उप निदेशक (राभा) सांख्यिकी विभाग

अनुवाद दोयम दर्जे का काम क्यों है?

—डा० गार्गी गुप्त*

श्रीमती महादेवी वर्मा ने "सप्तपर्णा" में अपनी बात के प्रारंभ में कहा है: "एक विशेष भू-खण्ड में जन्म और विकास पाने वाले मानव को अपनी धरती से पार्थिव अस्तित्व ही नहीं प्राप्त होता, उसे अपने परिवेश से विशेष बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता का दाय भी अनायास उपलब्ध हो जाता है। वह स्थूल-सूक्ष्म, वाह्य-आन्तरिक तथा प्रत्यक्ष-अगोचर ऐसी विशेषताओं का सहज ही उत्तराधिकारी बन जाता है जिनके कारण मानव समष्टि में सामान्य रहते हुए भी सबसे भिन्न पहचाना जा सकता है। वह सामान्यता में विशेषता न उसे मानव समष्टि के निकट इतना अपरिचित होने देती है कि उसे आश्चर्य समझा जा सके और न इतना परिचित बना देती है कि उसके सम्बन्ध में जिज्ञासा ही समाप्त हे जाये।"

अनुवाद वस्तुतः ज्ञान के प्रति उक्त मानवीय जिज्ञासा को शान्त करने वाला साधन ही है। देशकाल के भेद के बावजूद किसी मानव समूह के समस्त परिवेश एवं चिन्तन को जानने का सबसे उत्तम माध्यम उसका साहित्य ही होता है और उसी साहित्य को अनुवादक अपने देश-काल के अनुरूप अपनी भाषा में रूपान्तरित कर उस परिवेश तथा चिन्तन को अपने भाषा-भाषी पाठक को सुलभ कर राष्ट्रीय स्तर पर एक महान दायित्व का निर्वाह करता हुआ समकालीन सोच को प्रभावित करता है।

भारतीय भाषाओं में जो चिन्तन और विचार-विमर्श हो रहा है, वह आज की परिस्थितियों में राष्ट्रीय सोच को अपेक्षानुसार प्रभावित नहीं कर रहा है। वैचारिक आदान-प्रदान के द्वारा राष्ट्रीय सोच को नई दिशा प्रदान करने में अनुवाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक अथवा राजनैतिक परिवर्तन लाने में अनुवादों की भूमिका सर्वदा उल्लेखनीय रही है तथापि अनुवादक के महत्व को हमेशा बहुत कम कर के आंका गया है। उनके महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा भी बहुत कम होती है। वास्तव में इसका एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि हमारे देश में उच्च वैचारिक स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान अधिकांशतः अंग्रेजी के माध्यम से होता है और जन मानस को जो विचार प्रभावित कर सकते हैं, वे भी प्रायः अंग्रेजी में ही लिपिबद्ध होते हैं। भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद समय तथा परिश्रम साध्य होता है। फिर अनुवादों के माध्यम से छनता-छनता जो कुछ गैर-अंग्रेजी पाठकों तक पहुंच पाता है, वह अबोध, अपूर्ण और कभी-कभी अशुद्ध भी होता है। इसका परिणाम यह होता है कि सर्व सुलभ न हो सकने के कारण यह ज्ञान राष्ट्रीय सोच की धारा को पूर्णतः प्रभावित नहीं कर पाता।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इधर अनेक प्रकाशक हिंदी अनुवादों के प्रकाशन क्षेत्र में आए हैं, किन्तु इसके पीछे उनका हिंदी-प्रेम कम और सरकार की थोक क्रय नीति अधिक है। प्रथम तो मूल पुस्तक की ही बिक्री बहुत कम है फिर अनुदित पुस्तकों की बिक्री तो और भी कम है। कई बार प्रकाशकों को मूल्य घटाकर और विशेष छूट देकर पुस्तकें बेचनी पड़ती हैं। फिर प्रकाशन गृहों में अनुवाद की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि शुद्ध और त्रुटिहीन अनुवाद बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होते हैं। अधिकांश स्थितियों में शब्दों की तुला पर शब्द संख्या के अनुसार अनुवादकों को पारिश्रमिक मिलता है। अतः अनुवादक भी अपना काम वैसी ही निष्ठा या अनिष्ठा से करते हैं। अनुवादों के पुनरीक्षण एवं सम्पादन का पारिश्रमिक तो इतना कम है कि कोई भी कुशल और प्रतिबद्ध अनुवादक उस दर पर काम ही नहीं करना चाहता। अतः अनुवादों का प्रामाणिक होना प्रायः संदिग्ध ही रहता है।

इधर एक नई परन्तु बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई है। आज पुस्तकों के वितरक पचास-साठ प्रतिशत तक कमीशन की मांग कर रहे हैं। इसलिये पुस्तक का मूल्य यदि सौ रुपये है तो पचास साठ रुपये तो वितरक ले जाता है और प्रकाशक के पास बच रहते हैं केवल चालीस या पचास रुपए/परिणाम यह हो रहा है कि पुस्तकों के मूल्य बहुत अधिक रखे जा रहे हैं। ऐसे में आम पाठक तक न तो मूल पुस्तक पहुंच पाती है और न अनूदित पुस्तक। प्रकाशक तथा वितरक दोनों केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा खरीद के जुगाड़ में ही अपनी सारी शक्ति लगाते रहते हैं। ऐसे में हिंदी का पाठक राष्ट्रीय चिंतन-धारा के कितना निकट या दूर रहता है, यह सोचने का अवकाश ही किसे है?

पुस्तकों के प्रति पाठकों की उदासीनता का सम्भवतः दूसरा कारण है दूरदर्शन पर साहित्यिक कृतियों का रूपान्तर, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक कार्यक्रमों एवं धारावाहिकों का प्राचुर्य तथा राजनैतिक चर्चाओं-परिचर्चाओं का आयोजन। आम व्यक्ति का पर्याप्त समय इन कार्यक्रमों को देखने में ही निकल जाता है और पुस्तकें वह भी अनूदित पुस्तकें खरीद कर पढ़ने तथा सोच-विचार करने का समय बहुत कम मिल पाता है। इसके अतिरिक्त पाठकों को प्रकाशित पुस्तकों के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती। अमरीका तथा यूरोप के अधिसंख्य विकसित देशों में समाचारपत्रों के जो रविवारीय संस्करण निकलते हैं उनमें उच्चकोटि की साहित्यिक तथा ज्ञानपरक पुस्तकों की विस्तृत समीक्षाएं निकलती हैं। भारत की किसी भाषा में अनूदित पुस्तकों की प्रथम तो समीक्षा होती ही नहीं और जो होती भी है वे पूरी जानकारी नहीं देती और कई बार तो वह केवल पुस्तकों की भूमिकाएं और आवरण पृष्ठ पर दिये गये परिचयों को पढ़कर लिख दी जाती हैं। समीक्षक सागर में गोते लगाने के स्थान पर किनारे पर बैठा-बैठा तरंगों को गिनता-गुनता रहता है। इससे अनुवादों की गुणवत्ता पर कोई अंकुश नहीं रहता और अनुवादों के प्रति अपेक्षित रुचि जाग्रत नहीं हो पाती।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के साथ वर्तमान परिस्थितियों में भारत में अनुवाद महत्वपूर्ण ही नहीं अनिवार्य भी हो गया है। संवैधानिक प्रावधानों के कारण द्विभाषिकता की एक दीर्घ और अनन्त प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस स्थिति से मुक्ति कब मिलेगी, यह सोचने पर उस अंधी गली का ध्यान आता है जिसमें घुसने का मार्ग तो है पर उससे बाहर निकलने का नहीं। सरकारी कार्यालयों में जो अनुवाद हो रहा है, वह मुख्य रूप से अंग्रेजी से

*प्रधान संपादक अनुवाद, भारतीय अनुवाद परिषद. 24, स्कूल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली-110001.

हिंदी में और आंशिक रूप से हिंदी से अंग्रेजी में हो रहा है। भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विशाल स्तर पर पारिभाषिक शब्दावली निर्मित की है और उसका प्रयोग कार्यालयों तथा वैज्ञानिक साहित्य में अनिवार्य कर दिया गया है। स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी अनुवाद एक अनिवार्य विवशता बनी हुई है। इसलिए अब इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वह है सरकार में प्रशिक्षित अनुवादकों तथा वैज्ञानिक पुतकों के वैज्ञानिक-लेखकों/अनुवादकों की तलाश।

कार्यालयी तथा भाषा हिंदी की उत्पत्ति वस्तुतः अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रस्थापित करने की आवश्यकता के कारण हुई है। प्रस्थापित करने की प्रक्रिया में धीरे-धीरे अनुवाद की प्रक्रिया चालू हो गई और एक नई अनुवादी हिंदी का जन्म हुआ जो कई बार अटपटी और शाब्दिक हो कर अंग्रेजी वाक्य संरचना के भार से त्रस्त और भयभीत सी दिखाई पड़ती है। बहुत विस्तार में न जाकर इसे स्पष्ट करने के लिये दो-एक मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद के उदाहरण पर्याप्त होंगे:

Basket of Currency	:	मुद्रा टोकरी
Flying colours	:	उड़ते हुए रंग
Blue Collar	:	नीला कालर
Topless dress	:	शिखरहीन पोशाक
Call money	:	मंगनी का रुपया

इस संदर्भ में आचार्य रामचन्द्र वर्मा का यह कथन विशेष रूप से दृष्टव्य है: "भाषा की प्रकृति भी बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति के समान होती है। मनुष्य वही चीज खा या पचा सकता है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। यदि वह प्रकृति विरुद्ध चीज खाने और पचाने का प्रयत्न करे तो यह निश्चित है कि या तो उसे सफलता ही न मिलेगी या वह बीमार पड़ जाएगा। भाषा भी वही तथ्य ग्रहण करती है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हों। उसकी प्रकृति के विरुद्ध जो तत्व होंगे, वे यदि जबरदस्ती उसके शरीर में प्रविष्ट किये जायेंगे तो उका स्वरूप या शरीर विकृत हो जाएगा।"

अंग्रेजी भारतीय कुल की भाषा नहीं है। उसकी वाक्य संरचना अलग है और वह एक भिन्न संस्कृति वाले देश से हमारे यहां विदेशी शासकों द्वारा लाई गई है। यही कारण है कि उस भाषा से हिंदी में अनुवाद करते समय हमारी भाषा की मौलिक लेखन क्षमता और मौलिक सोच आहत एवं खंडित हो रहे हैं।

पिछले दशक से संसार में एक "विश्व अर्थतंत्र" की कल्पना को साकार रूप देने का प्रयत्न हो रहा है इसलिये इस विश्व अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर देशों में व्यावसायिक अनुवाद को अत्यधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय संवाद तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिये उत्पादन और वितरण जितना आवश्यक है, तत्संबंधी सूचनाओं एवं शोधों का संप्रेषण एवं प्रसारण भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिये आवश्यकता है—विषय से अवगत हजारों कुशल अनुवादकों की। लगभग सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अनुवाद प्रकोष्ठ बन गये हैं जहां चुने हुए अनुवादक बड़ी निष्ठा और लगन से विभिन्न भाषाओं में अपना कार्य कर रहे हैं।

पिछले दस वर्षों में अनुवाद के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई है। सूचनाओं का प्रलेखन तथा विस्तारण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। इधर प्रौद्योगिकी के नित्य नये उपकरणों के विकास ने भी जैसे अनुवाद जगत में एक क्रान्ति सी ला दी है। भारत में भी कंप्यूटर संस्कृति के विकास तथा फोटो प्रिंटिंग और लेजर प्रिंटिंग के कारण मुद्रण कार्य की गति बहुत बढ़ गई है। परन्तु अभी तक एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद करने की पद्धति हमारे देश में विकसित नहीं हो पाई है। हालांकि जिस्ट (Gist) नामक एक हार्ड वेयर के निर्माण ने भारतीय भाषाओं में परस्पर लिप्यन्तरण को अवश्य संभव बना दिया है और आशा है कि शीघ्र ही अनुवाद की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारे सामने आयेंगी। जापान एक छोटा अनुवादक कंप्यूटर काफी पहले बना चुका है जिसमें छह भाषाओं में परस्पर अनुवाद हो सकता है परन्तु इसकी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि इसके द्वारा गिने-चुने वाक्यों को ही स्मृति में डाला गया है। फिर भी इसकी अपनी उपयोगिता है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के इंजीनियर निरंतर कंप्यूटर द्वारा अनुवाद की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शीघ्र ही हम लोग भी अमरीका, यूरोप
तथा (पूर्व) संघराष्ट्र (नया नाम) के समान सूचना तथा तथ्य परक साहित्य का अनुवाद तीव्र गति से कर सकेंगे। आज हमारे इंजीनियर तथा वैज्ञानिकों के दायित्व बढ़ गए हैं और जापान, अमरीका तथा यूरोप जैसे उन्नत देश जिस प्रकार की चुनौतियां दे रहे हैं उन्हें स्वीकार कर यदि हम उनसे भी अधिक या कम से कम उन जैसे उत्कृष्ट उपकरण तैयार कर अनुवाद-कार्य की स्पर्धा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा कार्य-क्षेत्र बहुत सीमित रह जायेगा और अनुवाद भी शीघ्र तथा उच्च स्तर के नहीं हो सकेंगे। बार्सिलोना में जो हाल भारतीय खिलाड़ियों का हुआ था वही अनुवाद के क्षेत्र में हमारा भी होता रहेगा। जब मूल पुस्तकें पुरानी पड़ने लगती हैं, तब हमारे यहां उनके अनुवाद पर विचार होता है।

अनुवाद एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साहित्यिक क्रिया अथवा विद्या है। वास्तव में यह दोयम दर्जे का काम नहीं है, परन्तु वर्तमान संदर्भ में हमने इसे यह गौण स्थान दे दिया है।

मानव कितना भी प्रतिभाशाली अथवा प्रखर स्मरणशक्ति वाला क्यों न हो, वह विश्व की सभी भाषाएं नहीं सीख सकता। पृथ्वी असीम है, भाषाएं अनेक हैं और मानवीय शक्ति असीम। इसीलिये भाषिक जलाशयों को पार करने के लिए अनुवाद सर्वोत्तम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सेतु है। दूर बैठा व्यक्ति और उसकी सोच अनुवाद के माध्यम से ही हमारे पास आते हैं। अनुवाद का जन्म आज नहीं हुआ, भाषाओं के वैविध्य तथा विकास के साथ तो उसका चोली-दामन का साथ है। हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन ग्रीस के पुस्तकालयों में विश्वभर के उत्कृष्ट ग्रन्थ तथा उनके अनुवाद उपलब्ध कराये जाते थे। अनुवादकों का चयन अनेक प्रकार से उनकी योग्यता जांचने के बाद किया जाता था। ग्रीस पर रोमन विजय के पश्चात् ग्रीस की यह सम्पूर्ण निधि रोम के अधिकार में चली गई और विद्वान लेखकों ने लैटिन में उनका अनुवाद कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। चीन और तिब्बत की गुणवत्ता कई स्तरों पर जांची जाती थी। हमारे यहां भी अनेक विद्वान लेखकों ने संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी से बड़े अनुवाद किये हैं। ये अनुवाद इसलिए उच्चकोटि के हैं क्योंकि लेखकों ने अनुवाद को लेखन से विलग नहीं माना। जो अच्छा लिख नहीं सकता वह भाषाएं जानने पर भी अच्छा अनुवाद नहीं कर सकता। साहित्य का इतिहास साक्षी है कि अनूदित साहित्य में भारतेन्दु हरीशचन्द्र, श्यामसुन्दर दास, महावीर

*अधिक उदाहरणों के लिये देखिए-अनुवाद पत्रिका का "अर्थ का अनर्थ" स्तम्भ

प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, रांगेय राघव, बच्चन, अज्ञेय आदि अनगिनत लेखकों का बहुत बड़ा योगदान है। अनुवादों के माध्यम से हमें भारतीय साहित्य के अतिरिक्त फारसी, अरबी स्पेनी, फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी, इतावली, रूसी, जापानी, चीनी और लैटिन अमरीकी तथा अफ्रीकी देशों के साहित्य से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर अनुवाद दोयम दर्जे का काम कैसे माना जा सकता है परन्तु कटु सच यही है कि आज यह वास्तव में ही दोयम दर्जे का काम बन कर रहा गया है।

राजभाषा अधिनियम पारित होने के बाद भारत सरकार सहसा द्विभाषिक स्थिति का सामना करने के लिये तैयार नहीं थी और न ही अंग्रेजी के साथ हिन्दी में काम कर सकने वाले सरकारी अधिकारी इसके लिये प्रशिक्षित थे।

जल्दी-जल्दी शब्दावलियां बनाई गई, कुछ प्रयुक्तियों और पदांशों के नमूना अनुवाद तैयार कराये गये। बाहर से काम कराने के लिये हजार शब्दों की सामग्री के अनुवाद के लिये दस रुपये प्रति हजार शब्द और पुनरीक्षण के लिये दो रुपये पारिश्रमिक तय किया गया। टंकक और पुनरीक्षक का पारिश्रमिक लगभग बराबर हो गया। अनुवाद के लिये अकुशल और सम्बन्धों के आधार पर अनुवादक चुने जाने लगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सांध्यकालीन अनुवाद पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया परन्तु उसमें उस समय न तो अनुवाद प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध थी और न प्रतिनिधि प्राध्यापक। यह सारा काम एक अजीब सी हड़बड़ी में हो रहा था। नतीजा यह हुआ कि अनुवाद के काम में वह लोग आने लगे जो मूलतः लेखक नहीं थे और जिन्हे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान नहीं थी और जो वाक्य के अर्थ समझने के स्थान पर शब्द गिन कर अर्थ-प्राप्ति की ओर अधिक प्रयत्नशील थे। अनुवाद के पाठ्यक्रम धीरे-धीरे कई विश्वविद्यलायों में खुले पर स्थिति अधिकांशतः वही ढाक के तीन पात वाली रही। जो प्रेरणा और अभ्यास का विषय होना चाहिये उसे साल छः महीने में कोई क्या सीख सकता है और क्या सिखा सकता है। अनुवाद का स्तर गिरता रहा और वह दोयम दर्जे का स्थान पाता रहा।

प्रशासन एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में आज अनुवाद की गति काफी तेज है। केन्द्र सरकार की द्विभाषिकता और राज्य सरकारों की बहुभाषिकता के कारण अनुवाद के बिना सरकारी गाड़ी को चलाने के कोशिश मानो बिना पैट्रोल के गाड़ी चलाने की कोशिश है। तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्र की अधिकांश उपलब्धियां भी हम तक या तो विदेशों से आयातित होकर या उन देशों में उपलब्ध साहित्य के आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंग्रेजी में लिखी पुस्तकों के माध्यम से ही पहुंच रही है। इसलिए इनका अनुवाद भी हिंदी तथा सभी भाषाओं में होना अत्यावश्यक है। परन्तु स्थिति यह है कि वर्तमान राज्यतंत्र तथा प्रशासन की पद्धति हमने अंग्रेजों से ली है इसलिए सारा साहित्य पहले अंग्रेजी में लिखा जाता है। उधर भाषा लेखकों का अंग्रेजी ज्ञान कमजोर और सरकारी अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों का लक्ष्य भाषा का ज्ञान कमजोर। ऐसे में करें तो क्या करें। न तो हम भाषा लेखक को विज्ञान सिखा सकते हैं और न वैज्ञानिक को भाषा। इसलिए केवल अनुवाद का मार्ग बच जाता है और इसके लिये आवश्यक है अनुवादकों का बड़े स्तर पर सुनियोजित प्रशिक्षण।

किसी कलाकार, वैज्ञानिक तथा शिल्पी की संतान घर में उपयुक्त वातावरण तथा सहायता मिलने से जल्दी ही कलाकार, वैज्ञानिक अथवा शिल्पी हो सकती है परन्तु अनुवाद तो तीनों का समावेश है। इसमें बाहरी प्रशिक्षण की भूमिका बहुत महत्व की है। यूरोप और जापान में नियमित तथा व्यवस्थित अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इसी कारण वहां अनुवाद भी स्तरीय होते हैं। हमारे यहां हिंदी में एम०ए० कर लेने के बाद हर व्यक्ति समझता है कि वह अनुवाद कर सकता है परन्तु प्रशासन और विज्ञान में शैली, शेक्सपीयर या बायरन काम नहीं आते। उसमें आवश्यकता होती है विषय को समझने की, उसकी मूल संकल्पनाओं को आत्मसात करने की। इसलिए अनुवाद का प्रशिक्षण इस प्रकार दिया जना चाहिए कि अनुवादक अंग्रेजी में लिखे वाक्यों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप ढाल सके। इसका उसे जम कर व्यावहारिक प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। इसके बाद विषय के अनुसार उसकी पृष्ठभूमि , आवश्यक संदर्भ ग्रन्थों, शब्दावली तथा कोशों की जानकारी दी जाए। विषय ज्ञान के बिना प्रायः अनुवादक अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं और जहां तक अनुवादक के अभ्यास का प्रश्न है तो "करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान", फिर प्रतिभाशाली अनुवादक की तो बात ही क्या है।

विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर साहित्यिक पाठ्यक्रमों में अनुवाद प्रशिक्षण की संकल्पना का जो रूप है मेरे विचार से यह अच्छे अनुवादों के लिये पर्याप्त नहीं है। प्रथम तो सारा अनुवाद साहित्यिक कृतियों का नही होता। फिर प्रायोजित होकर तो वह कभी स्तरीय हो ही नहीं सकता। अनुवाद का काम प्रशिक्षण, समय और अभ्यास सापेक्ष होता है। उसके लिये स्नातकोत्तर डिग्री के बाद पूर्णकालिक और विशिष्ट विषयों पर जोर देते हुए कम से कम एक वर्ष का पाठ्यक्रम आवश्यक है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुवाद का केवल एक प्रश्नपत्र रख देना अनुवाद कला का उपहास करना है।

साहित्यिक क्षेत्र में अनुवाद की स्थिति अन्य प्रकार के साहित्य से भिन्न है। यों तो साहित्यिक कृति का अनुवाद अधिकाशंतः प्रेरणा और रुचि के अनुसार होता है फिर भी आज जो स्थिति बन रही है उस पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है।

विदेशी भाषाओं की साहित्यिक कृतियों का अनुवाद मुख्यतः अंग्रेजी के माध्यम से हो रहा है अर्थात् या तो अंग्रेजी में लिखे या अंग्रेजी मे अनूदित विदेशी साहित्य से। ऐसे बहुत कम लेखक हैं जिन्होंने कुछ वर्ष लगा कर अंग्रेजी से इतर भाषाएं व्यवस्थित ढंग से सीखी हों, उन देशों की सभ्यता तथा संस्कृति का गहनता से अध्ययन किया हो और उस भाषा के बोलने वालों से निरन्तर सम्पर्क रखा हो। इधर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, विशेष रूप से कविता के संदर्भ में, वह यह है कि विदेशी भाषा के किसी जानकार से उसका सार समझ लिया जाए और फिर उसके अंग्रेजी पाठ से अनुवाद कर लिया जाए। परन्तु ऐसा बहुत कम होता है और प्रायः अंग्रेजी अनुवादों से किये गये अनुवाद मूल से बहुत दूर चले जाते हैं। अपवादों को छोड़कर न तो इनकी मात्रा संतोषजनक है और न गुणवत्ता।

अहिंदी भाषियों के लिये भारत सरकार ने अनेक सुविधाएं और छूट दे रखी है। उन्हें विशेष रूप से अनुदान और पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। इन लोगों की हिंदी की शिक्षा अधिकांशतः अपने-अपने प्रान्तों में होती है इसलिये इनके अनुवादों में अपनी भाषा की छाया और मुहावरे जाने-अनजाने आ ही जाते हैं। राजनैतिक दृष्टि से एक होते हुए भी भारत कई भाषिक प्रदेशों का एक संघ है। जिन अहिंदी भाषियों की शिक्षा-दीक्षा हिंदी भाषी प्रान्तों में होती है उनके अनुवादों की भाषा अधिक सहज एवं सुग्राह्य होती है। यदि मूल रचना की भाषा की संरचना या मुहावरा

(शेष पृष्ठ 35 पर)

प्रशासनिक हिंदी में अनुवाद का स्थान

—जगदीश चतुर्वेदी*

(श्री जगदीश चतुर्वेदी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में वे 'अकविता' आन्दोलन के प्रवर्तक रहे हैं।— संपादक)

प्रशासनिक हिंदी का आशय है राजकाज की हिंदी, सरकारी हिंदी, कार्यालयीन हिंदी। हिंदी के इस नवीन स्वरूप को मान्यता स्वतंत्रता के पश्चात् मिली है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी सम्पर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। वही हिंदी आजादी के बाद राजकाज और प्रशासन के क्षेत्र में अपनी नई भूमिका के साथ अवतरित हुई। इस प्रकार हिंदी की एक नई विधा का आविर्भाव हुआ है जो कालान्तर में "प्रशासनिक हिंदी" के नाम से जानी जाने लगी अर्थात् हिंदी की एक नई प्रयुक्ति अस्तित्व में आई जो "कार्यालयीन हिन्दी", "राजकाज की हिंदी", सरकारी कामकाज की हिंदी आदि विविध नामों से प्रचलित हुई।

प्रशासनिक हिंदी के विकास का काम संस्था के रूप में भारत सरकार में सन् 1960 से प्रारंभ हुआ, जब केन्द्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। सौभाग्य से मैं उस समय इस संस्था से जुड़ा हुआ था। मुझे याद है उस समय हमारे पास कोई सहायक सामग्री नहीं होती थी। कोई मानक शब्दावली नहीं बनी थी, जिससे हमें मार्गदर्शन मिल सके। ले देकर डा० रघुबीर का कोश था जिससे हम यदाकदा सहायता लेते थे। हमें प्रशासन से संबंधित अनुवाद कार्य के लिए स्वतः ही कुछ नियमों का निर्माण करना पड़ा था।

यों प्रशासनिक हिंदी में अनुवाद का प्रमुख स्थान है। अंग्रेज शासन में जो सरकारी कामकाज हो रहा था उसका रूपान्तर हिंदी में किया जाना आवश्यक था। प्रारंभिक स्थिति में अनुवाद कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के सामने एक ही आदर्श होता था कि अंग्रेजी के पाठ को आसान शब्दों में और छोटे-छोटे वाक्यों में रूपान्तरित किया जाए ताकि वह आम आदमी की समझ में आ जाए। हम लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि अंग्रेजी शासन चलाने वाले लोगों की भाषा है जिसको जनसाधारण तक पहुंचाने की सभी भी जरूरत महसूस नहीं की गई, बल्कि उसे आम आदमी की छाया से बचाकर रखने की कोशिश की जाती रही। यह शासक और शासित के बीच अलगाव या दूरी रखने का प्रयत्न था। इसके विपरीत हम मानते थे कि हिन्दी लोकतंत्र की भाषा है, स्वतंत्र भारत की राजभाषा है, यह शासक और जनता के बीच सीधे संपर्क और संवाद के लिए प्रतिश्रुत है। हमारी कोशिश रहती थी कि अंग्रेजी और संस्कृत के भारी भरकम शब्दों का उपयोग न हो, लम्बे वाक्यों को दो या दो से अधिक छोटे-छोटे वाक्यों में बदल कर लिखा जाए। चूंकि शब्दावली नहीं बनी थी इसलिए अनुवाद के साथ हमें शब्दावली निर्माण का कार्य भी करना होता था। उस समय के अनूदित प्रशासनिक साहित्य के कुछ नमूने आपको देखने को मिलें तो आपको पता चलेगा कि उस समय की अनुवाद की भाषा अधिक सहज और सुबोध होती थी। मैं तो आज भी प्रशासनिक सामग्री के इसी प्रकार किए गए सहज, सरल और बोधगम्य अनुवाद का पक्षधर हूं।

इस अनुवाद कार्य को अधिक व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक रूप तब मिल सका जब भारत सरकार ने शब्दावली निर्माण का कार्य संपन्न किया। यह काम निदेशालय के ही एक विभाग में किया गया जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से बाद में एक पृथक् आयोग बना। इस आयोग ने प्रशासनिक विषयों के साथ ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों की शब्दावलियां बनाने का काम हाथ में लिया। विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों एवं अन्य प्रामणिक ग्रंथों के अनुवाद का काम भी आयोग ने संभाला। यह अनुवाद कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों की ग्रंथ अकादमियों की देख-रेख में होता था और आयोग में शब्द निर्माण का कार्य केन्द्रीय स्तर पर किया जाता था। इससे अनुवाद के कार्य में गिरावट आई। अनुवाद और शब्द-निर्माण के कार्य में दूरी आ जाने से दोनों कार्यों में शिथिलता आई, दोनों के स्तर में कमी आई। अत्यधिक व्यस्त प्रोफेसरों द्वारा ठेके पर जो अनुवाद किया जाने लगा उसमें न तो शब्द-प्रयोग की एकरूपता का निर्वाह हुआ और न विषय को सुबोध शैली में पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। परिणामस्वरूप हिंदी ग्रंथ अकादमियों द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकें विश्वविद्यालयों में लोकप्रिय न हो पाई। अनुवाद श्रम साध्य कार्य है। अनूदित कृति को मौलिक रूप प्रदान करने के लिए विषय को संपूर्णतः समझकर तब अपनी भाषा में रूपांतरित करना होता है। इसमें जल्द-बाजी की गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। साथ ही यदि शब्दशः अनुवाद किया गया तो भाषा कृत्रिम, अस्पष्ट एवं दुरूह हो जाती है। कम से कम सरकारी कामकाज में ऐसी भाषा का प्रयोग समीचीन नहीं है। यों हिन्दी भाषा में शब्द की रचना की असीम क्षमता है। उपसर्गों और परसर्गों के योग से आवश्यकतानुसार प्रशासन के विभिन्न संदर्भों पर नए-नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इन प्रशासनिक शब्दों की एक विशेष बात यह भी होनी चाहिए कि चाहे इन शब्दों का साधारण अर्थ में प्रयोग संभव हो फिर भी प्रशासन के क्षेत्र में एकरूपता लाने की दृष्टि से इन का प्रयोग निश्चित संदर्भों में ही किया जाए।

अनुवादक का दायित्व तो दो भाषाओं के बीच एक सेतु की तरह है। अनुवादक ही वह इंजीनियर है जो सेतु के हर हिस्से की निगरानी करता है। मातृभाषा के साथ अन्य भाषा जानना और उसे अधिकारपूर्वक प्रयोग करना आसान कार्य नहीं है। यह अत्यन्त दुष्कर कार्य है। अनुवाद कार्य करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा-दोनों पर समान अधिकार होना चाहिए। केवल अधिकार होना ही काफी नहीं वरन् जहां तक संभव हो, उस भाषा से संबद्ध समाज की संस्कृति, साहित्य, रीति-रिवाज से भी परिचित होना आवश्यक है। इस पर भी यह जरूरी नहीं है कि संस्कृति, सभ्यता का जानकर तथा भाषा पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति कुशल

सी-2/32-ए, लारेन्स रोड, नई दिल्ली-1100351

अनुवादक भी हो। मेरे विचार में अनुवादक में दोनों भाषाओं के समुचित ज्ञान के साथ न्यूनाधिक स्वयं मौलिक रचना करने की क्षमता भी होनी चाहिए क्योंकि अनुवाद वह कला है जिसके माध्यम से किसी भाषा में रचित कृति को अन्य भाषा में प्रणीत किया जाता है। अतः सफल अनुवादक को सर्जनशील लेखक भी होना चाहिए।

अनुवाद में मुख्य कठिनाई विभिन्न भाषाओं को नियंत्रित करने वाले व्याकरण के नियमों की भिन्न व्यवस्था के कारण होती है। हिन्दी में दो लिंग होते हैं किन्तु अंग्रेजी में तीन की व्यवस्था है। अंग्रेजी में कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग परिवर्तित नहीं होता, जबकि हिन्दी में होता है। अनुवाद केवल एक भाषा के शब्दों के पर्याय दूसरी भाषा में रख देने मात्र से ही संपन्न नहीं हो जाता है। यदि ऐसा हो पाता तो कोई भी व्यक्ति द्विभाषी शब्द कोश की सहायता से अनुवाद कर अनुवादक बनने का श्रेय प्राप्त कर लेता।

सरकारी अनुवाद तथ्यात्मक होता है। अतएव सरकारी अनुवाद के कुछ अपने भी नियम हैं। यह मान लिया गया है कि भौतिक, रसायन शास्त्र आदि इकाइयों तथा अविष्कारकर्ताओं के नाम पर बनी वस्तुओं के नाम परिवर्तित नहीं किए जाएंगे तथा लैटिन रूप में ज्यों के त्यों रखे जाएंगे। ऐसी ही अंग्रेजी भाषा पर औपचारिकता की बड़ी गहरी छाप है। इसलिए हिन्दी में अनुवाद के समय However, now, hence आदि शब्दों को हटाना ठीक रहेगा। हिंदी अनुवाद करते समय विवेक बुद्धि से इनमें से अप्रासंगिक को हटाया जा सकता है।

सरकारी कामकाज में पत्रादि के अनुवाद की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। पत्रों के अनुवाद में यह समस्या सामने आती है कि अनुवाद कैसा किया जाए? कुछ लोग शाब्दिक अनुवाद पसंद करते हैं तो कुछ छायानुवाद। यदि शासकीय और अर्द्धशासकीय विभिन्न प्रकार के पत्रों के उत्तर अनूदित भाषा में न करके मौलिक रूप से हिंदी में भेजे जाएं तो सरकारी कार्यालयों में पत्र-व्यवहार का कार्य सहज और सुगम हो सकता है।

यह भी एक भ्रामक प्रचार है कि हिंदी में सरकारी कामकाज के लिए पर्याप्त शब्दावली का अभाव है। यह कदाचित् उन अंग्रेजी परस्त लोगों की धारणा है जिनका हिंदी ज्ञान पर्याप्त सीमित है। यह भी मिथ्या प्रचार है कि हिंदी मात्र उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों तक ही सीमित है। नागपुर में संपन्न हुए विश्व हिन्दी सम्मेलन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में हिंदी बोलने-वालों की संख्या 42 करोड़ से भी अधिक है जो कि भाषाई जनसंख्या के आधार पर विश्व की भाषाओं में द्वितीय स्थान पर आती है। इस तथ्य का उजागर किया जाना इसलिए आवश्यक है कि हिन्दी के प्रति गलत धारणा बनानेवाले महाप्रभुओं को यह ज्ञात हो जाए कि हिंदी भारत की नहीं अपितु विश्व की एक समृद्ध भाषा है। बहुत वर्ष पर्वू भाषाविद् डा० ग्रियर्सन ने कहा था "हिंदी का अपना एक बृहत शब्द भंडार है और गूढ़ विचारों को प्रकट करने के लिए भी उसके पास पूर्ण साधन हैं।"

प्रशासनिक हिंदी में अनुवाद का प्रमुख स्थान अवश्य है किन्तु, मेरे विचार में एक और मुख्य समस्या है मानसिक समस्या, एक परिवर्तित दृष्टिकोण की महती आवश्यकता। हमें यह निश्चय कर लेना है कि मक्खी पर मक्खी मारनेवाली हिन्दी अनुवाद का स्वरूप हमें मान्य नहीं है। इस प्रकार का अनुवाद किसी के काम का नहीं है। यह तो समय, शक्ति और पूंजी का अपव्यय है। इससे तो अच्छा है कि अंग्रेजी बनी रहे। मैं तो यह मानता हूं कि अनुवादकों के मार्ग में आने वाली स्थूल समस्याएं आज मिट चुकी हैं। सभी विषयों की शब्दावलियां उपलब्ध हैं। अनुवाद का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद प्रशिक्षण का काम कर रहा है। वस्तुतः हमारी समस्या साधनों की नहीं है, मानसिक प्रतिबद्धता की है।

जिस दिन राजकाज चलानेवाले यह महसूस करेंगे कि हिंदी के द्वारा काम करना सच्चे लोकतंत्र की अनिवार्यता है, उसी दिन हिंदी में काम होने लगेगा, अनुवाद की गति भी तीव्र होकर मौलिक सृजन में बदल जाएगी। प्रशासनिक हिन्दी के विकास कार्य में लगे हुए अधिकारी जिस दिन यह मानने लगेंगे कि उनका काम अनुवाद कार्य-मात्र नौकरी की औपचारिकता नहीं है, अपितु संविधान में स्वीकृत लोकतंत्र, समाजवाद तथा संपूर्ण प्रभुसत्ता के महान मूलों की उपलब्धि है, उस दिन उनका कार्य कला-सृजन बनकर निखर उठेगा।

(पृष्ठ 33 का शेषांश....)
अनुवाद की भाषा में जगह-जगह सिर उठाता रहे तो अनूदित रचना का सिर निश्चय ही नीचा हो जाता है।

हमारे देश में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय अकादमियां तथा बड़े-बड़े साहित्यिक प्रतिष्ठान एवं प्रकाशक अनुवाद का काफी काम करवा रहे हैं। अनुवादों का चयन भी यह संस्थाएं काफी सोच समझ कर करती हैं और पारिश्रमिक भी अच्छा देती हैं इसलिए इन अनुवादों में अन्तर की प्रेरणा और स्वान्तः सुख न होने पर भी चूंकि अनुवादक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है इसलिए ये अनुवाद अपेक्षाकृत उच्च कोटि के होते हैं। जो अनुवाद शब्दों की संख्या की तुला पर रखकर थोक के भाव कराये जाते हैं, उनमें गुणवत्ता का ह्रास स्वाभाविक है इसलिये इन अनुवादों का आनन्द लेना तो दूर रहा, उन्हें कोई पढ़ता तक नहीं। ऐसे ही लोग अनुवाद कला को बदनाम कर उसे दोयम दर्जे का काम सिद्ध करने में प्रचुर योगदान देते हैं।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी, हैदराबाद का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति ने दिनांक 6 जनवरी, 94 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी के काम काज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण किया। बैठक में केऔसुब की ओर से अकादमी के निदेशक और बल मुख्यालय में उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) श्री आर०के० नियोगी, उप निदेशक श्री आर०पी० दुबे और बल मुख्यालय में सहायक निदेशक/राजभाषा श्री श्यामलाल सूद उपस्थित हुए। गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व श्री बद्रीसिंह, निदेशक/राजभाषा ने किया।

अकादमी में मूलतः बल कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य होता है और यह प्रशिक्षण उन्हें हिंदी में ही दिया जाता है। साथ ही, विभिन्न विषयों पर समस्त प्रशिक्षण साहित्य, चार्ट आदि भी हिंदी में उपलब्ध हैं।

इसी दौरे में, संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 10.1.94 को पारादीप (उड़ीसा) स्थित पारादीप पोर्ट ट्रस्ट और पारादीप फास्फेट लि. की दो अन्य केऔसुब यूनिटों का भी निरीक्षण किया।

भाषा विविधता की सार्थकता

—सुधा*

किसी देश के लिए अनेक भाषाओं का बोला और समझा जाना, गौरव की बात है। भारतवर्ष में इस गरिमा की छटा खूब देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति को बहुरंगी सौन्दर्य प्रदान करने में यहां की भाषाओं का भरपूर योगदान है। ये सभी भाषाएं भारतीय सांस्कृतिक चेतना की मंजूषा हैं। वाह्य रूपाकार में भिन्न होने पर भी इनका आंतरिक सौष्ठव एक ही है। ये भाषाएं भारतीय संस्कृति की संवाहिका होने के साथ-साथ अपनी-अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं से भरी हैं। भाषाओं के हेलमेल से एक क्षेत्र की विशेषता दूसरी भाषा में संक्रमित होकर क्षेत्र-क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने का काम स्वाभाविक रूप से कर सकती हैं। इन भाषाओं की विशेषता है कि ये एक दूसरे में समाहित होकर पूरक का काम करती हैं।

विकास की प्रक्रिया में मनुष्य अनेक विभाजन तत्वों से मुक्त हो रहा है। भाषा विवाद भी उनमें एक है। भाषा के आधार पर बंटी धरती, भाषा के ही चुम्बकीय गुणों से जुड़ भी सकती है। 'अपूर्वता' या 'पूर्ण शुद्धता' का दंभ किसी भी भाषा की प्रगति में बाधक होता है। वही भाषा चल पाती है जिसमें अगल-बगल से सम्पर्क बनाए रखने की क्षमता हो। जिस भाषा के स्वभाव में सरलता होती है, जो अन्य भाषा-भाषियों को भयावह नहीं लगती, जो अन्य भाषाओं का भी सत्कार करना जानती है वही भाषा चल पाती है। ऐसी ही भाषाओं को बहता नीर कहा जाता है। ऐसी ही भाषाएं अन्य भाषाओं को गले लगा कर उनके भंडार को भी बढ़ाती है और अपना मान भी बनाए रखती हैं। अधिकांश भारतीय भाषाओं में ये गुण स्वाभाविक रूप से निहित हैं।

हिंदी हो या अन्य कोई भारतीय भाषा, उसे पीछे धकेलने में सबसे बड़ा हाथ था, ब्रितानी शासनकाल में उनकी अवमानना के षड़यत्र का। यह रूख सामान्य लोगों के बीच जहर की तरह फैल गया। आज आजादी की लगभग आधी शताब्दी बाद भी, जनता ने अंग्रेजी का अंधानुकरण नहीं छोड़ा।

शिक्षाशास्त्र का यह मान्य सिद्धान्त है कि मातृभाषा में दी गई शिक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। लेकिन भारत का अधिकांश अभिभावक अंग्रेजी माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाने में अधिक गौरव अनुभव करता है। हमारी यह *गुलाम मनोवृत्ति भारतीय* भाषाओं के उन्नयन में बाधक है। कुछ दिन पहले दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम देखा जिसमें छोटे बच्चों का साक्षात्कार था। वे अंग्रेजी उच्चारण में हिंदी वर्णमाला सुनाना शुरू करते थे; कुछ 'सोआन' कह कर बीच में छोड़ देते थे, कुछ 'डोन्ट नो' या 'सा री' कह कर अपने आप पर इतरा रहे थे। यह सांस्कृतिक चादर में पड़ने वाला बदनुमा धब्बा। इससे मुक्त होने का उपाय होना चाहिए। अंग्रेजी सीखने के प्रयास में देश की बाल-शक्ति और प्रतिभा का जितना हनन और अपव्यय होता है उसका लेखा-जोखा नहीं है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास अधिक दृढ़ होता है। उनकी ग्रहणशीलता भी प्रखर होती है।

भाषा-शिक्षा विषय ज्ञान से भिन्न है। यह है एक नई क्षमता का विकास। इससे व्यक्तिव में एक नया आयाम जुड़ता है। भारत के लोगों का बहुभाषा-भाषी होना स्वाभाविक होता। लेकिन देश में भाषा सीखने की सुविधा अपर्याप्त है उदारणार्थ-अगर पटने के नागरिक तमिल सीखना चाहें तो ऐसी कौन सी सरकारी या गैर सरकारी व्यवस्था है जिसमें पटने में ही वे तमिल सीखने का अवसर पा जायें।

कभी-कभी कोई भाषा उद्ग्रीव होकर अपने आपको प्रसारित कर लेती है। हम सब जानते हैं कि बिना किसी औपचारिकता के किस प्रकार हिन्दी ने स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान सम्पर्क भाषा बनकर स्वधर्म निबाहा था। इसके माध्यम से देशवासियों ने एक कोने से दूसरे कोने तक दिल की धड़कनें सुनी थीं। इसके माध्यम से लोगों ने विचार तरंगों के सूत्र जोड़े थे। सूत्र भाषा शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग होता है, उस सार्थकता के साथ, हिंदी देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक सम्पर्क की उष्णता बनाए रखने में समर्थ है। अपने जन्म काल से ही हिंदी अपने आप में सिमट कर ठिठकी, ठहरी नहीं है। इसने लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न भाषाओं से शब्द जुटाए, नए शब्द गढे। इस सम्बन्ध में एक पुरानी उक्ति ध्यातव्य है—

'अंतरवेदी, नागरी, गौड़ी, पारस देस।
अरु अरबी जामे मिलै मिश्रित भाषा बेस।।'

जिन शब्दों को यह उपहार में पाती है उन्हें भी उच्चारण के अनुसार विवरण में ढाल लेती है। क्योंकि हिंदी में जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है। इस भाषा में उच्चारणा और विवरण की अक्षरशः वैज्ञानिकता है।

हिंदी तथा देश की अन्य भाषाओं की सम्मिलित शक्ति के साथ देश का वर्तमान और भविष्य प्रतिबद्ध है। भाषा के क्षेत्र में काम करने वालों का यह पहला कर्तव्य बनता है कि वे देश की भाषा शक्ति के प्रति जागरूक हों। मातृभाषा को अधिकाधिक अवगाहनीय बनाना हमारा उत्तरदायित्व है। देश की भाषा शक्ति हमारे गौरव का विषय है। यह हमारे शुभ संकल्पों में एक हो कि अपने विविध भाषा ज्ञान से हम देश की एकता को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ संसार के सामने भाषायी क्षमता का एक उदाहरण रखेंगे।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा खान राजसमंद

तकनीकी एवं प्रशासनिक शब्दावली प्रतियोगता का आयोजन

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की राजपुराव दरीबा खान इकाई के राजभाषा विभाग के तत्वावधान में कर्मचारियों को "तकनीकी एवं प्रशासनिक शब्दों के पर्याय" से अवगत कराने तथा राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से दिनांक-8.12.1993 को तकनीकी एवं प्रशासनकि शब्दावली प्रतियोगिता आयोजित की गई।

प्रतियोगिता में श्री एस॰-बी॰ गोयल प्रथम, निरंजन प्रसाद माथुर, द्वितीय तथा श्री जिगरुद्दीन तृतीय रहे।

*एस-1302, उदयगिरी, बुद्धमार्ग, पटना

रेडियो, दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारणों की हिंदी

—डा॰ दलसिंगार यादव*

रेडियो और दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण से हमारा आशय अखिल भारतीय जनता के लिए प्रसारित होनेवाले कार्यक्रमों से है, चाहे वे समाचार हों या धारावाहिक या अन्य कार्यक्रम। इस लेख में दूरदर्शन या आकाशवाणी के अखिल भारतीय स्वरूप के सभी हिंदी कार्यक्रमों की चर्चा करना संभव नहीं है। इसलिए हम अपनी चर्चा राष्ट्रीय प्रसारण के अंतर्गत प्रसारित हिंदी समाचारों तक ही सीमित रखेंगे।

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कभी शुद्धता वादी होने का आरोप लगता है तो कभी अंग्रेजी शब्दों के अतिशय मिश्रण के कारण अशुद्धता वादी होने का आरोप लगाया जाता है। सभी यह चाहते हैं कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन उनके स्तर की भाषा का प्रयोग करें। परंतु दूरदर्शन या आकाशवाणी किस-किस के स्तर तक उतरे या चढ़े? अतः इनकी भाषा की सरलता का प्रश्न बराबर उछाला जाता है।

यदि हिंदी सरल होती तो उसके अति सरल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मुद्दा यह है कि रेडियो या दूरदर्शन की हिंदी सरल नहीं है। यह आरोप अक्सर लगता रहता है। हिंदी प्रचारकों, हिंदी अधिकारियों तथा हिंदी के प्राध्यापकों के सिवाय कार्यालयों में कार्य करनेवाले अन्य लोगों की राय है कि कार्यालयीन हिंदी, दूरदर्शन की हिंदी या आकाशवाणी की हिंदी क्लिष्ट, दुर्बोध तथा सिर के ऊपर से निकलने वाली बंपर हिंदी होती है। अतः लोगों का सुझाव है कि हिंदी 'सरल' और 'सुबोध' हो। परंतु सरलता और सुबोधता को कोई भी परिभाषित नहीं करता है। यदि वे लोग अपने कथन के बारे में ज्यादा स्पष्ट होने का बहुत प्रयास करते हैं तो यह कह देते हैं कि शब्द बड़े कठिन हैं। शब्द ऐसे होने चाहिए जो आम लोगों की समझ में आ जाएं। उनकी समझ में सिर्फ शब्दों की सरलता ही सरल हिंदी का मानदंड है। संभवतः वे भाषा की बाह्य संरचना की बात करते हैं। आंतरिक संरचना के बारे में वे शायद गंभीर नहीं होते हैं तो फिर फैशन के तौर पर हिंदी को कठिन बताकर उन पंडितम्मन्य लोगों के श्रेणी में शमिल हो जाते हैं जिन्हें हिंदी का ज्ञान न होते हुए भी शब्द संरचना तथा वाक्यविन्यास जैसे भाषावैज्ञानिक पहलुओं पर आधिकारिक विचार व्यक्त करने का स्वाधिकार प्राप्त है।

हिंदी पर कठिनता के नाम पर निरंतर प्रहार होता रहता है। जो लोग हिंदी नहीं जानते वे इस बात के निर्णायक बन बैठते हैं कि भाषा सरल, सुबोध है या नहीं। मैं आप लोगों को दूर-दर्शन पर प्रसारित होनेवाले समाचारों की भाषा के बारे में लोगों के इस दुराग्रह का तर्कसंगत ढंग से परीक्षण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। परंतु उससे पूर्व कुछ तथ्य सामने रखना चाहूंगा।

आकाशवाणी की भाषा, जब दूरदर्शन नहीं था, पर शुरू से ही प्रहार होता रहा है। देश में आकाशवाणी की शुरूआत 1927 में, जब कि देश परतंत्र था और सर्वत्र अंग्रेजों का साम्राज्य था, निजी उपक्रम के रूप में कलकत्ता और बंबई में हुई। दो निजी प्रक्षेपण यंत्र (प्रेषित्र) लगाए गए थे। सन 1930 में सरकार ने उन्हें अपने हाथ में ले लिया और 1957 में आल इंडिया रेडियो (AIR) बना दिया। आकाशवाणी के विस्तार के साथ कार्यक्रमों में भी विस्तार हुआ और 1976 तक 56 भाषाओं और उपभाषाओं तथा बोलियों में कार्यक्रम दिये जाने लगे। भारत में टी॰वी॰ 1959 में शुरू हुआ और सन 1973 में दूरदर्शन की शुरूआत बंबई तथा पूना में की गई। 1975 में मद्रास और लखनऊ के केंद्रों की स्थापना हुई। उसके पश्चात् आवश्यकतानुरुप केंद्रों की स्थापना होती गयी तथा कार्यक्रमों में वृद्धि होती गई। कार्यक्रमों में लगभग 20% समय ऐसा है जो समाचारों के हिस्से पड़ता है उसमें भी हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रसारित होनेवाले समाचार शमिल हैं। अर्थात हिंदी माध्यम से प्रचारित होनेवाले समाचारों का समय बहुत ज्यादा नहीं है। उसपर भी हमारे पास यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि हिंदी समाचार कितने लोग सुनते हैं तथा उनकी प्रतिक्रिया क्या है? यद्यपि इकनामिक टाइम्स में बुधवार को मीडिया ऐंड रिसर्च के अंतर्गत मार्केट डेटा स्तंभ छपता है। वह स्तंभ दूरदर्शन के कार्यक्रमों की लोकप्रियता के आधार पर उनका क्रम निर्धारित करता है। सर्वेक्षण विधि द्वारा तीन महानगरों, बंबई, दिल्ली और मद्रास के 1200 लोगों (15 वर्ष से ऊपर की आयु के) की राय के आधार पर क्रम निर्धारित किया जाता है। मेरे पास 31,8.91, 7.9.91 और 14.10.91 को समाप्त तीन सप्ताहों के आंकड़े उपलब्ध हैं। उनके अनुसार समाचार सुनने वालों की संख्या क्रमशः 36.00, 34.7 और 35% है अर्थात 35.23% लोग समाचार सुनते हैं। परन्तु सरलता के बारे में उनकी प्रतिक्रिया हमें मालूम नहीं है। दूसरे यह कि यह सर्वेक्षण दूरदर्शन पर विज्ञापन देने के उद्देश्य से बेहतर समय का निश्चय करने के लिए किया जाता है न कि कार्यक्रमों की भाषा के अनुसार लोकप्रियता जानने के लिए। अतः हिंदी में प्रसारित होनेवाले कार्यक्रमों की क्लिष्टता या सरलता के बारे में निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण, महाभारत व चाणक्य जैसे धारावाहिक कितने लोकप्रिय हुए हैं। आज कल चाणक्य प्रथम प्रकरण से ही बहुत लोकप्रिय हो रहा है। उसके दर्शकों का प्रतिशत 47.6 है। चाणक्य की भाषा संस्कृतनिष्ठ है। तो यह बात सही नहीं लगती कि दूरदर्शन पर प्रसारित होनेवाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की हिंदी सरल नहीं है या कठिन है। रेडिया या दूरदर्शन की हिंदी के बारे में कठिनता के आरोप की चर्चा कर चुका हूं। यह आरोप बहुत दिनों से लगता आ रहा है। राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किये जाने के बारे में अक्सर संशय व्यक्त किया जाता रहा था। कोई न कोई बहाना लेकर विरोध किया जाता रहा। सरल भाषा के नाम पर उर्दू का स्वरुप देकर आकाशवाणी की भाषा सुधारने का सुझाव दिया गया था। उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सेठ गोविंददास ने कहा था, "सरल भाषा के नाम पर यदि आकाशवाणी में फिर दूसरे रूप से पुरानी हिन्दुस्तानी के झगड़े को उठाया गया और यदि एक कृत्रिम भाषा बनाने का प्रयत्न किया

*राजभाषा अधिकारी, भा॰रि॰बै॰ पुणे

गया तो हमें आकाशवाणी का बहिष्कार करना होगा।" हिंदी के प्रति अपना विचार व्यक्त करते समय प्राच्य विद्या विशारद और इतिहास मर्मज्ञ डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल ने कहा था, "स्वराज्य के बाद जिस समय राष्ट्रीय विधान बनने लगा उस समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रश्न उत्कट रूप में उठ खड़ा हुआ। तब हिंदी के पक्ष और विपक्ष में अनेक बातें कही गई। परन्तु जनता और नेता का मत इस बात में मिल गया कि पूरे देश के कामकाज के लिए कोई एक भाषा होनी ही चाहिए और सर्वसम्मति से वह भाषा हिंदी मानी गई। उस बड़े निर्णय के तीन अंग ध्यान देने योग्य है। पहला यह कि हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विचार किया जाए। दूसरा यह कि 15 वर्षों के लिए संक्रांति काल में सन 1965 तक अंग्रेजी भी राजकाज की सुविधा के लिए बनी रहे। पर उसके बाद हिंदी अपना स्थान ग्रहण कर ले। तीसरा यह कि हिंदी के विकास का अर्थ अन्य भाषाओं की उपेक्षा या हानि न हो।

यह तीसरा अंग अधिक महत्वपूर्ण है तथा हमारे विचार का प्रधान मुद्दा है । अतः इसी मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करेंगे परन्तु हमारी वर्तमान मनोवृत्ति कि "हिन्दी सरल नहीं है" पर ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश में दृष्टिपात करना आवश्यक है कि सरलता का प्रश्न प्रयोजनन्य है ? या परिवेशजन्य ? इसका पता लगाने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा करनी होगी ।

राजाभाषा की पृष्ठभूमि

भारत की राजभाषा केंद्रीय शासकों के साथ बदलती रही। लगभग 740 वर्ष तक (1200 से 1947 तक) भारत वर्ष में केंद्रीय शासन विदेशी रहा। फलस्वरुप दिल्ली के सुलतान तथा मुगल साम्राज्यों के समय लगभग 600 वर्षों तक देश की प्रधान भाषा फारसी रही और फारसी ही उन विदेशी शासनों से संबंधित उच्चवर्गीय भारतीयों की साहित्यिक भाषा बन गई। सन 1800 के लगभग उत्तर भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की जड़ें जमीन और फारसी के स्थान पर एक अन्य विदेशी भाषा, अंग्रेजी देश में शासन शिक्षा तथा साहित्यिक चर्चा की प्रधान भाषा बन गई तथा इस नए विदेशी शासन के चलने में सहयोग देनेवाले भारतीयों ने फारसी को छोड़कर अंग्रेजी को अपनाया। जब राजभाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत हो गई तब शब्दावली निर्माण की राजकीय स्तर पर प्रक्रिया प्रारंभ हुई 20 वीं सदी के अत्तरार्ध में अर्थात् 1960 के आसपास। अर्थात् जब लोगों ने यह आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया कि हिंदी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकताओं के अनुकूल समर्थ नहीहै, शब्द की कमी है। परंतु देश के जागरूक व राष्ट्रप्रेमी लोगों शब्दों के बारे में पहले से ही चिंतित थे और वे इस बारे में स्पष्ट विचार भी रखते थे। इस संदर्भ में मैं एस निजलिंगप्पा तथा अंनतशयनम् अय्यंगार को अदधृत करना चाहूंगा। शब्दावली के स्वरूप के बारे में निजलिंगप्पा का विचार था कि " हमारी राष्ट्र भाषा में पर्शियन, अरबी और अंग्रेजी के जो शब्द रूढ़ हो गए हैं उनको हम वैसा ही रहने देंगे किंतु भविष्य में जहा नवीन शब्दों के प्रवाह का प्रश्न है वहां यदि वे हिंदी में सरलता से आ सकें तो उनका मार्ग हमें बंद नहीं करना चाहिए लेकिन हमें दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वाभाविक स्रोत संस्कृत का ही रहे या वह अन्य भारतीय भाषाओं का हो। इसके लिए अरबी, फारसी का मुँह ताकना अनुचित होगा।" अय्यंगार महोदय ने कहा था कि, "हम राजनैतिक पचड़ों में पड़कर कोई कृत्रिम भाषा बनाने का प्रयत्न भले ही कर लें परंतु प्रकृति उसे चलने नहीं देगी। वह तो उसी को राष्ट्रभाषा को रुप में जीवित रहने देगी जो सत्य है, कृत्रिम नहीं, जो स्वाभाविक है, बनावटी नहीं; जो विशुद्ध भारतीय है, आभारतीय नहीं; नहीं जो विदेशी भाषाओं के निकट नहीं, हमारा प्रांतीय भाषाओं के निकटतम है।" शब्दावली के बारे में उनका विचार था कि हिंदी के नए शब्दों गढ़ने के लिए संस्कृत से सहायता लेना स्वाभाविक और सर्वथा उचित होगा। साथ ही अन्य भाषाओं के एसे शब्द जो हमारी भाषा में खप पच गए हैं, हमें वे भी सहर्ष शिरोधार्य होने चाहिए।" शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तब कोशकारों ने उन बातों को ध्यान में रखकर ही संस्कृत के आधार पर वांछित नई शब्दावली निर्मित की। अतः संस्कृत के आधार पर वांधित नई शब्दावली निर्मित की। अतः संस्कृत आधारित शब्दावली का निर्माण कना आवश्यकता के साथ साथ हमारी मजबूरी भी थी क्योंकि हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

कठिनता का मुद्दा

भाषा की क्लिष्टता की बात प्रायः शब्दों के स्वरुप से ही संबंधित रही है। जिन लोगों ने इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं उनका लक्ष्य प्रायः शब्द ही रहे हैं जब कि भाषा शब्दोन का विशिष्ट ढंग से वाक्य बद्ध करके प्रस्तुत किया गया सार्थक संदेश है और संदेश की संप्रेषणीयता के लिए शब्द एक उपादान है।

संप्रेषणीयता के रास्ते में केवल संदेश प्रेषक का ही नहीं बल्कि संदेश ग्रहण करनेवाले पक्ष, दोनों का भाषा संस्कार तथा उनका सामाजिक व शैक्षणिक परिवेश भी महत्वपूर्ण होता है। हिंदी की सरलता के प्रश्न के संदर्भ में एक प्रश्न यह भी उठाना समीयोन है कि क्या सर्वत्र एक सी भाषा बोली जा सकती है? बाजार में ग्राहक और दुकानदार दार्शनिक उहापोह नहीं करते, बाजारवाली बोली विश्वविद्यालयों में काम नहीं दे सकती, वित्त मंत्री उसके माध्यम से अपना भाषण नहीं दे सकते। क्या अंग्रजी भाषा में लिखित कानूनी की अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र भौतिक विज्ञान की पुस्तकें साधारण अंग्रेजी की समझ में आती है? हर देश में साहित्य की ऊंची कक्षाओं की, पाठ्यपुस्तकों की विदृत संस्थाओं की, पढ़े लिखे लोगों की भाषा साधारण भाषा सेभिन्न होती है। परंतु, संपूर्णानंदजी के शब्दों में, "आज हिन्दी पर शनि की दृष्टि घूम गई है। उसको सरल करने का आदेश वायुमंडल में घूम रहा है।" लेकिन सरल क्या है उसको कोई परिभाषित नहीं करता।

आइए हम इसको परिभाषित करें कि "सरल" क्या है? मैं अपनी बात की शुरूआत डॉ॰ राम मनोहर लोहिया के शब्दों से करना चाहूंगा। डा लोहिया का कहना है कि "मैं सरल और सरस को प्रायः परस्पर पूरक समझता हूं। भाषा को 'ससरल" या "सरस" प्रशासक या विद्वान नहीं बनाया करते। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पहले शब्द निर्माण हो तब भाषा बने। भाषा की पहले प्रतिष्ठा होती है तब उसका विकास हुआ करता है। हिंदी में सात लाख के करीब शब्द हैं जबकि अंग्रजी में ढाई लाख के आसपास शब्द हैं। इसके अलावा अंग्रजी की शब्द गढ़ने की शक्ति नष्ट हो चुकी है जब कि हिंदी की अभी अपनी जवानी भी नई चढ़ी है। संसार की सबसे धनी भाषा है हिंदी लेकिन बर्तनों की भांति इन शब्दों पर धरे-धरे कोई जम गई है। ये बर्तन मंजने पर ही चमकेंगे, किसी रसायनशाला के अनुसंधान से नहीं।"

इसका मतलब यह हुआ कि शब्द बिना प्रयोग प्रचालित नहीं होंगे और हम उनका प्रयोग नहीं करना चाहते फिर पानी में उतरे बिना हम तैरना कैसे सीखेंगे यहां जो मुद्दा हमारे सामने आता है वह है अप्रयोग का, शब्दों में अव्यवहार का।

शब्दावली का स्वरूप—विभिन्न विचार

लोगों ने हिंदी की सरलता, चाहे वह दूरदर्शन रेडियो की हो, बैंकों की हो या किसी भी कार्यालय की, तथा हिन्दी के स्वरुप के बारे में अब तक जो विचार व्यक्त किये हैं वे मात्र शब्दों के बारे में हैं और उन्हें सारांशत इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

1. हिंदी का रुप भारत की समस्त भाषाओं की खिचड़ी से बनना चाहिए।

2. हिंदी को, उर्दू के निकट लाने के लिए हिन्दुस्तानी बनना चाहिए

3. हिंदी संस्कृतगर्भित होनी चाहिए।

4. हिंदी भाषा अंग्रेजी शब्दावली के मिश्रण से हिन्दुस्तानी के वजन पर इंग्लिस्तानी बननी चाहिए।

भाषा की बोधगम्यता

मेरी समझ में, हिंदी की सरलता का प्रश्न उठानेवाले लोगों का आशय हिंदी में लिखित या व्यक्त बातों की बोधगम्यता से है। जिसे हम तकनीकी भाषा में संप्रेषणीयता की समस्या कह सकते हैं। इस संबंध में मैं कार्यालयीन हिंदी या दूरदर्शन या आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारणों में प्रयुक्त होनेवाली हिंदी की बोधगम्यता का जिक्र करना चाहूंगा। मैं यहां पर कार्यालयीन या दूरदर्शन या आकाशवाणी के प्रसारणों में प्रयुक्त हिंदी को "कामकाजी हिंदी" या "प्रयोजनमूलक हिंदी" का नाम देना चाहूंगा। अब प्रश्न उठता है कि कामकाजी हिंदी का स्वरुप क्या हो। यह विषय वर्षों से बहस का मुद्दा बना हुआ है। शायद यह मुद्दा सबसे अहम भी है क्योंकि कार्यालयों में काम करनेवाले अंग्रेजी के तथाकथित निष्णात लोग इस पर अवश्य टिप्पणी कर देते हैं कि, "सरल हिंदी में काम किया जाए।" वैसे तो किसी विषय पर लगातार प्रश्न उठाते रहना अच्छा लक्षण है क्योंकि अगर सवाल ही नहीं उठेंगे तो नयी दिशाओं की खोज भी नहीं होगी। परंतु प्रश्न यह भी है? अंग्रेजी के बारे में तो कभी यह प्रश्न नहीं उठता। मुझे इसके दो कारण नजर आते हैं। सरलता का मुदपदा कई मामलों में सही भी होता है परंतु अक्सर बोधगम्यता का मामला दो बातों से प्रभावित होता है। एक तो यह संप्रेषणीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता अर्थात् पठनीय हिंदी में लिखागया लेख श्रवणीय पाठ के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। दूसरे सरलता का मामला प्रतिकूल मनोवृत्ति होने अथवा अनुकूल मनोवृत्ति के अभाव के कारण या पूर्वाग्रहयुक्त मनोवृत्ति का परिणाम है। हम यदि दोनों ही पहलुओं पर निरपेक्ष रूप से विचार करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदी की सरलता का प्रश्न फैशन है? पूर्वाग्रहयुक्त मनोवृत्ति का परिणाम है? संचित अनुभव या भाषा संस्कार का अभाव है? या वास्तविक समस्या है। इस संबंध में मासिक परंपरा का अवलोकन करना सार्थक होगा।

भाषिक परंपरा

कार्यालीन या प्रयोजनमूलक अंग्रेजी की परंपरा लगभग 150 वर्ष की है। जब भी किसी कार्यालय की कार्य परंपरा या भाषा की बात होती है तो अंग्रेजी भाषा विरासत में मिल जाती है उसमें अपनी ओर से जोड़ने की गुंजाइश बहत कम होती है।

हिंदी के मामले में यह मानना होगा कि परंपरा बहत लंबी नहीं है। सन 1957 से व्यापक पैमाने पर आकाशवाणी का कार्य प्रारंभ हुआ और 1975 से दूरदर्शन का शब्दावली का निर्माण तो हो गया था परंतु उनके प्रयोग का कार्यक्रम नवीन तथा प्रयोगात्मक कार्य है। अतः यह सिलसिला बहुत कुछ नया है और वह धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। वास्तव में हम नए भाषा स्वरुप की लगातार-तलाश में हैं। हमें नए अनुभव हासिल हो रहे हैं। अंग्रेजी की भांति आज भी व्यवस्था में हिंदी के आलेख या पाठ अभी भी अनुवादकों के कक्ष तक या फिर सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अनुवाद तक ही समिति हैं। इसलिए भाषिक संक्रमण और उसका स्वरुप भाषा के संदर्भ में कई सवाल उठा रहे हैं।

सरलता की कसौटी

किसी व्यवसाय या वर्ग विशेष में आदर्श भाषा के कुछ विशिष्ट रूप प्रयुक्त होते हैं और वे शब्द प्रयोग द्वारा रुढ़ होकर विशिष्ट अर्थ देने लगते हैं। उस क्षेत्र विशेष की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करके उस क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने विचारों को संक्षिप्त, सटीक तथा अभिलक्षित रूप में संप्रेषित करते हैं। जब शब्द काफी प्रचलित हो जाते हैं तब उनकी संप्रेषणीयता स्वयं सिद्ध हो जाती है। दूरदर्शन या आकाशवाणी के हिन्दी समाचारों की भाषा अभी भी अनुवाद के माध्यम से निर्मित हो रही है। अब अगर हम दूरदर्शन या आकाशवाणी द्वारा प्रयोग में लाई जानेवाली शब्दावली का अध्ययन करें तो हमें लगता है कि दूरदर्शन भरसक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करता है जिसमें उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी शामिल हैं। वह भाषा की शुद्धता का हठी न होकर संप्रेषणीयता को ज्यादा अहमियत देता प्रतीत होता है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी के सरलीकरण में एक पहलू यह भी है कि जब किसी भाषा में संस्कृत आधारित नए शब्द सैकड़ों की तादाद में एकसाथ आते हैं तो समानीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शब्दों में समानता प्रतीत होती है परंतु उनके अर्थों में अंतर होता है जैसे संशोधन, आशोधन, परिशोधन, समाशोधन, प्रदीप्ति, तापदीप्ति, प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति। यह समस्या केवल हिन्दी में ही नहीं बल्कि अंग्रजी में भी है। जैसे knight, night, Right, write, through throw, Resume, Resume आदि। दूसरी दूसरी समस्या यह है कि भाषिक आग्रहों के साथ ही अनजाने में गैर-भाषिक आग्रह कार्य करने लग जाते हैं जैसे हर वाक्य में अर्थापत्ति की दृष्टि से एक या दो केंन्द्रभूत शब्द रहते हैं। वे जिस परंपरा के होते हैं, वाक्य भी उसी शैली का बन जाता है। फलतः अगला वाक्य भी उसी वजन का बनाने के लोभ का संवरण न कर सकने के कारण पैराग्राफ और बाद में पूरा लेख ही संस्कृतिनिष्ठ परंपरा का बन जाता है जिसका परिणाम भाषिकबोझ का बढ़ना है। दूरदर्शन या रेडियो की भाषा भी इस परंपरा से सर्वथा मुक्त नहीं है। संस्कृतनिष्ठ परंपरा के मोहजाल में फंसकर परिनिष्ठित प्रणाली से वाक्य रचना करना भी कार्यालयीन हिन्दी की समस्या है। वास्तव में हमें यदि पाठक या श्रोता के भाषिक दबाव को कम करना है तो समानीकरण (कोलोकेशनल) के शैलीगत आग्रहों से बचना होगा।

सरलता मापांक

किसी भी पाठ या आलेख की बोधगम्यता की जांच सरलता मापांक के आधार पर की जा सकती है। अध्ययनों के अनुसार यदि सरलता मापांक के आधार पर दूरदर्शन के हिन्दी समाचारों की भाषा की परीक्षा की जाए तो दूरदर्शन की भाषा की सरलता के प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर दिया जा सकता है। यद्यपि हिन्दी में इसतरह के अध्ययन बहुत कम हुए हैं फिर भी अंग्रेजी

में किए गए अध्ययनों तथा अपने यहां किए गए अध्ययनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालना अवश्य संभव है। राबर्ट गनिंग का विचार है कि लंबे वाक्य प्रायः कुपाठ्य हो जाते हैं। रूडोल्फ फ्लेश के अनुसार सरलता का मापदंड वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या है। उनके अनुसार भाषा की लघुतम सार्थक इकाई वाक्य है और वाक्य में शब्द संख्या 8 तक हो तो वह वाक्य "बहुत सरल" की श्रेणी में आएगा। वाक्य में 11 शब्दों तक का उपयोग हो तो वह वाक्य "सरल" की श्रेणी में आएगा। यदि वाक्य में शब्दों की संख्या 14-17 तक हो तो वह वाक्य "मानक" कोटि का वाक्य होगा। वाक्य में शब्दों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ेगी वह सरलता की श्रेणी से निकलकर कठिनता की श्रेणी में शामिल होता जायेगा। जबतक वाक्य में शब्दों की संख्या 21 तक नहीं पहुंच जाती वाक्य को "कठिन" नहीं माना जा सकता क्योंकि हाईस्कूल तक की पाठ्यपुस्तकों के वाक्यों में शब्दों की संख्या 21 तक पाई जाती है। जब पाठ्यपुस्तकों का स्तर बढ़ जाता है तब वाक्य में शब्दों की संख्या 25 तक पहुंच जाती है। जब किसी लेख के वाक्यों में शब्दों की संख्या 29 तक पहुंच जाती है तो उसे "बहुत कठिन" कहा जा सकता है। हिन्दी में भी कुछ इसी प्रकार का अध्ययन ब्रजराज सिंह सिरोही ने भी किया है। (संघीय राजभाषा के संदर्भ में पारिभाषिक, वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण की समस्याएं) परंतु उनका अध्ययन शब्दों की आक्षरिक संरचना के आधार पर अस्पष्टता को मापना है। उनका निष्कर्ष है कि शब्द की अक्षरसंख्या उसकी क्लिष्टता की सीधी समानुपाती है। यहां अक्षर का अर्थ (सिलेबल) है। हिन्दी में एकाक्षरी शब्द बहुत, अधिक हैं। तीन या अधिक अक्षरोंवाले शब्दों की संख्या कम है। इसका अर्थ यह है कि तीन या अधिक अक्षरोंवाले शब्द क्लिष्टता के कारण अधिक लोकप्रिय नहीं हैं।

हिन्दी पारिभाषिकों की कठिनता का अध्ययन 1984 में पंजाब विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा एक शोध प्रबंध के माध्यम से भी किया गया था। यद्यपि वह शोध योजना बैंकिंग शब्दावली के संदर्भ में बनाई गई थी तथापि वह किसी भी क्षेत्र के पारिभाषिक शब्दों पर लागू होती है क्योंकि पारिभाषिकों के निर्माण का आधार सर्वत्र संस्कृत की शब्द रचना प्रणाली ही है। उस शोध योजना में यही परिकल्पना (हाइपोथिसिस) रखी गई थी कि संध्यक्षर वाले शब्द ही कठिन लगते हैं जैसे परित्याग, संपार्श्विक, विनिर्देशन आदि। कठिन प्रतीत होनेवाले 50 शब्द चुने गए थे और उनके अंग्रेजी पर्यायों के साथ उनकी आक्षरिक संरचना का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया था।

यह सुविदित भाषा वैज्ञानिक तथ्य है कि जहां पर भी दो व्यंजन संयुक्त रूप से प्रयुक्त होंगे वहां पर संयुक्त ध्वनि को उत्पन्न करने में ध्वनि तंत्रियों को कठिनाई अवश्य महसूस होगी। यह तथ्य केवल हिन्दी भाषा पर ही नहीं बल्कि अंग्रेजी समेत सभी भाषाओं पर लागू होता है। नमूने के तौर पर चुने गए 50 शब्दों का गणितीय ढंग से विश्लेषण करने पर पता चला कि अंग्रजी के पर्यायों में संयुक्त स्थल 76% थे जब कि हिन्दी में 74%, अविरल दो संयुक्त व्यंजनों के स्थल अंग्रेजी में 106% थे और हिन्दी मे 86% अविरल तीन संयुक्त व्यंजनों के स्थल अंग्रेजी में 8% थे और हिन्दी में 6%। एक ही शब्द में एक से अधिक संयुक्त व्यंजन पुंज के स्थल हिन्दी में 9% थे जब कि अंग्रेजी में 30%। कुल संयुक्त स्थल हिन्दी में 90% थे जब कि अंग्रेजी में 104%। निष्कर्ष यह निकला कि अंग्रेजी शब्दों की तुलना में हिन्दी शब्द सरल हैं और यदि कहीं सरल नहीं है तो अतिशय कठिन भी नहीं हैं।

दूरदर्शन की हिन्दी के वाक्यों का गणितीय विश्लेषण

रूडोल्फ फ्लेश द्वारा प्रतिपादित सरलता मापांक के आधार पर दूरदर्शन के दिनांक 13 अक्तूबर 1991 के रात्रि समाचार में से नमूना लिया गया। उसके 36 वाक्य नोट किये गये। ये वाक्य लगातार बोले गये 36 वाक्य हैं, चुने हुए नहीं। शब्दों के अनुसार वाक्यं का वर्गीकरण इस प्रकार है:

	वाक्य	प्रतिशत
बहुत सरल	8	22.22%
सरल	9	25.00%
लगभग सरल	5	13.89%
मानक	5	13.89%
लगभग कठिन	6	16.67%
कठिन	1	2.78%
बहुत कठिन	2	5.55%

यदि उक्त वर्गीकरण के आधार पर वाक्यों की सरलता पर विचार किया जाए तो 75% वाक्य कठिन नहीं हैं। 16.67% वाक्य ऐसे है जो कठिनता की ओर झुके हुए हैं पर वे भी कठिन नहीं कहे जा सकते। कठिन और बहुत कठिन वाक्यों की श्रेणी में केवल 8.33% वाक्य ही आते हैं। अतः दूरदर्शन के समाचारों की भाषा कठिन नहीं कही जा सकती बल्कि वह मानक भाषा कही जा सकती है।

*यदि शब्दों की आक्षरिक संचरना का विश्लेषण किया जाए तो भी शब्दों के कठिन होने का भ्रम भी दूर हो जाता है। नियमित रूप से समाचार सुननेवाला व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि रोज लगभग 95% शब्द तो वही होते हैं जो कि हम दैनिक जीवन में सुनते, पढ़ते या प्रयोग करते हैं क्योंकि क्रियाओं, विशेषणों, परसर्गों का प्रयोग तो हम यथावत् ही करते हैं। केवल 5% तकनीकी या नये शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो नये विषयों या नये संदर्भों के कारण प्रयोग में आते हैं। यदि हम उन्हें सुनें और अपनाने की इच्छा से प्रयोग करें तो वे भी अतिशीघ्र बोधगम्य हो जाएंगे। पूर्वोक्त अध्ययनों और तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि सरलता का प्रश्न भाषा की संरचनागत समस्या नहीं है। अतः अब दूसरी परिकल्पना कि "मनोवृत्ति का अनुकूल न होना" पर विचार किया जाए।

मनोवृत्ति की भूमिका

सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं हुए हैं। फिर भी एक-दो अध्ययन उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा 1980 में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के 32 अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत 700 वैज्ञानिकों, छात्रों, प्रशासनिक कर्मचारियों की, हिन्दी के बारे में मनोवृत्ति को विश्लेषित करता है।

सर्वेक्षण द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया था कि परिषद् के संस्थानों में शिक्षा, अनुसंधान, पुस्तकें लिखने हेतु, विस्तार कार्य हेतु तथा प्रशासन के कार्यों में हिन्दी का प्रयोग किया जाए। सर्वेक्षणकर्ताओं को निष्कर्ष यह मिला कि स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान में हिन्दी का प्रयोग असुविधाजनक होगा। इसी प्रकार शोध प्रबंधों और शोधपत्रों के माध्यम हेतु हिन्दी के प्रयोग को समर्थन नहीं मिला।

सन् 1984 में चंडीगढ़ में बैंकों के कर्मचारियों/अधिकारियों की हिन्दी के बारे में मनोवृत्ति का सर्वेक्षण किया गया था। वहां पर नमूना छोटा था मात्र 124 उत्तरदाताओं का। परंतु परिणाम कुछ ऐसे ही मिले। सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग 66.94% लोग हिन्दी के प्रति उदासीन हैं। 16.13% लोग प्रतिकूल मनोवृत्तिवाले हैं। हिन्दी के पक्ष में मात्र 16.93% लोग ही पाये गये जिनमें राजभाषा अधिकारी भी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 83.07% लोगों की मनोवृत्ति हिन्दी के प्रति अनुकूल नहीं हैं। जब तक किसी भी वस्तु या विचारधारा के बारे में अनुकूल मनोवृत्ति का अभाव रहेगा तब तक उसको स्वीकृत किये जाने या उसके विकास की संभावनाएं कम रहेंगी और उसपर प्रतिकूल आरोप भी लगते रहेंगे।

निष्कर्ष

1. पूर्वोक्त विश्लेषणों तथा तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए निष्कर्ष यह निकलता है कि हिन्दी की सरलता का प्रश्न प्रयोगजन्य या संरचनागत समस्या नहीं है बल्कि हिन्दी के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति का अभाव है। राष्ट्रभाषा की समस्याओं के संदर्भ में ऋषि गोपाल को उद्धृत करना भी समीचीन होगा। उनका कहना है कि "हमें यह देखकर दुःख होता है कि जब भारत में फारसी, अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा सीखी जाती थी जिनकी व्याकरणिक जटिलता भारत वासियों के लिए हिन्दी व्याकरण की अपेक्षा बहुत अधिक हैं तो भी कभी किसी व्याकरणिक जटिलता का नारा नहीं लगाया गया। परंतु न जाने हिन्दी की ही ऐसी परीक्षा करने के लिए लोग बहुत उत्सुक क्यों रहते हैं।" क्या इससे प्रतिकूल मनोवृत्ति होने की बात स्पष्ट नहीं होती है?

2. संस्कृत का आधार ग्रहण करके शब्दावली का निर्माण किया जा चुका है क्योंकि शब्द निर्माण का और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। उधार लिये गये शब्द हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं बैठते हैं। अतः शब्दावली निर्माण के सिवाय और कोई विकल्प हमारे सामने नहीं था। इस प्रकार निर्मित शब्दावली के साथ यदि नय सिरे से पुनः छेड़छाड़ करते हैं तो शब्दावली के संक्रमण की हालत कभी समाप्त नहीं होगी। अतः एक ही उपाय बचता है कि हम शब्दावली से अपरिचय के विध्यांचलों को हटाएं। अपरिचय को अतिपरिचय में बदलें। शायद जो शब्द आज कठिन प्रतीत हो रहे हैं वे परिचित हो जाने के बाद भविष्य में सरल प्रतीत होने लगेंगे। यदि प्रयोग में कोई वास्तविक कठिनाई आती हो तो उसके बारे में रचनात्मक दृष्टिकोण से चर्चा की जाए। पूर्वाग्रह के कारण उसे दुरूह बताकर प्रयोग में ही नहीं लाएंगें तो सरलता कोसों दूर भागेगी।

3. हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सरकारी कार्यालयों या कार्यों की भाषा अंग्रेजी हैं। उसी प्रकार समाचारों के स्रोत अन्य समाचार एजेंसियां हैं जो कि अंग्रेजी यंत्रों तथा पाठों का इस्तेमाल करती हैं। दूरदर्शन के अधिकतर कार्यक्रम भी अंग्रेजी में उपलब्ध जानकारियों के आधार पर प्रस्तुत किये जाते हैं। कुलमिलाकर यह सत्य है कि प्रसारणों के माध्यमों में अनुवादजनित भाषा की बड़ी भूमिका हैं और अनुवाद की अपनी सीमाएं भी हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विषय का संगठित अनुभव हो तो आमतौर पर अभिव्यक्ति की छटपटाहट उसे सहज भाषा दे ही देती है। जब उसी भाषा में नया चिंतन होता है तो भाषा प्रयोग में अपने आप नयी चुनौतियां आती हैं और उनका निराकरण ढूंढा जाता है। वह विकल्प विषय के ज्ञाता लोग खोजते हैं परंतु यहां तो स्थिति उल्टी है वह विकल्प अनुवादक को खोजना पड़ता है और अनुवादक को विषय की इतनी पैठ नहीं होती है। फिर अनुवादक को यह भी पता नहीं होता कि लेखक ने किन परिस्थितियों में उस शब्द का प्रयोग किया है? वैकल्पिक शब्द की समस्या के कारण अनुवादक उस परिस्थिति विशेष की अर्थवत्ता नहीं पकड़ पाता है। वह वाक्य रचना ऐसी कर देता है कि लक्ष्य भाषा स्रोत भाषा की अनुगामिनी बन जाती है। मैं उन लोगों को दोष नहीं देता जो अंग्रजी में सोचते हैं। ऐसा लंबे अर्से तक अंग्रेजी में काम करने और हिन्दी के पारिभाषिकों से अपरिचय के कारण है। कोई भी भाषा कुलमिलाकर आदतों का समूह है। जब अंग्रेजी में काम करने का आदी व्यक्ति लिखने बैठता है तो अपने मुताबिक अंग्रेजी शब्दजाल (जार्गन) का इस्तेमाल करते हुए लेख तैयार करता है, फिर उसका अनुवाद करवाता है। अनुवादक के पास शब्दचयन की वह आजादी नहीं होती है जो कि मूल लेखक के पास होती है। उसपर आमतौर पर दो दबाव काम करते हैं एक तो अनुवाद की शुद्धता और दूसरा समय की सीमा। परिणामतः वह संप्रेषणीयता के मामले को चाहकर भी अहमियत नहीं दे पाता। अतः जब तक मूल लेखन में हिन्दी का प्रयोग नहीं होता तब तक संप्रेषणीयता की समस्या बनी रहेगी। अनुवाद के माध्यम से सरल, सुबोध और संप्रेषणीय भाषा की अपेक्षा करना हिन्दी के विकास की दृष्टि से हितकर नहीं है।

हिंदी के प्रसार को कोई रोक नहीं सकता

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, हुबली द्वारा 15.11.93 को आयोजित डा० रामकुमार वर्मा को समर्पित एक समारोह में उपर्युक्त उद्गार डा० सिद्लिंग बी० पट्टणशेट्टी, विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कर्नाटक आर्ट्स कालेज, धारवाड़ ने व्यक्त किए।

इस समारोह की अध्यक्षता श्री एम० एस० एकबोटे, मंडल रेल प्रबंधक ने की। डा० शेट्टी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। समारोह का शुभारंभ श्रीमती रला श्रीनिवास ने "वीणा वादनि वर दे" प्रार्थना गीत से किया।

श्री एम० एस० एकबोटे ने अध्यक्षीय भाषा में कहा कि डा० रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्य की एक महान विभूति थे। वे एकांकीकार, कवि और आलोचक भी ते। उन्हों यह भी कहा कि इस प्रकार के समारोहों से अधिकारियों/कर्मचारियों को महान साहित्यिक विभूतियों का न केवल परिचय प्राप्त होगा वरन वे उनकी साहित्यक कृतियों को पढ़ने के लिए हिंदी पुस्तकालयों की ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम इस प्रकार के कार्यक्रमों की पहली कड़ी है। डा० सिद्धलिंग बी० पट्टणशेट्टी ने डा० रामकुमार वर्मा के जीवन और कृतियों का संक्षिप्त परिचय दिया। डा० शेट्टी ने कहा कि वर्मा जी का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। एकांकी के क्षेत्र में तो वर्माजी का एक विशिष्ट स्थान रहा है। श्री शेट्टीजी ने कहा कि वर्माजी की विशेषता यह भी थी कि वे मैथिली, अवधी, ब्रज किसी भी भाषा में समान अधिकार से बोल सकते थे और अपने छात्रों में अत्यंत लोकप्रिय थे। अपने भाषण के बीच हिंदी के प्रयोग प्रसार की चर्चा करते हुए डा० शेट्टी ने कहा कि आज हमारी पीढ़ी, जो दूरदर्शन और हिन्दी फिल्मों के माध्यम से हिंदी सीख रही है, हिंदी का विरोध नहीं करेगी।

नागरी प्रचारिणी सभा के सौ साल

—डा० रामस्वरूप आर्य

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के निधन (1885 ई०) के पश्चात हिन्दी साहित्याकाश में एक शून्यता-सी आ गई थी। हिन्दी के समक्ष अनेक चुनौतियां थीं। उनका सामना करने के लिए कोई प्रभावी व्यक्तित्व एवं संस्था न थी। भारतेन्दु जी के स्वर्गवास के लगभग 8 वर्ष पश्चात काशी में ही तीन युवकों—बाबू श्याम सुन्दर दास, पं० राम नारायण मिश्र और ठा० शिव कुमार सिंह के प्रयास से नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई।

आज से 100 वर्ष पूर्व 16 जुलाई 1893 ई० के दिन उक्त तीनों महानुभावों ने कुछ अन्य लोगों के सहयोग से काशी में नागरी-प्रचारिणी-सभा की स्थापना की। प्रथम बैठक में ही श्यामसुन्दर दास को इसका मंत्री चुना। उस समय श्याम सुन्दर दास जी की अवस्था मात्र 18 वर्ष थी। वे इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष के छात्र थे। आरंभ में कुछ उत्साही युवक प्रत्येक रविवार को एकत्र होते तथा व्याख्यानादि का आयोजन करते थे। 'भारत जीवन' पत्र के सम्पादक बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री का वरदहस्त इन्हें प्राप्त था तथा भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास से भी इन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। बाबू राधाकृष्ण दास ही सभा के प्रथम सभापति चुने गए। इनके रुचि लेने पर सभा में नवजीवन का संचार हुआ तथा प्रथम वर्ष में ही सभा ने कोश, व्याकरण, हिन्दी भाषा का इतिहास, हिन्दी के पत्रों तथा उपन्यासों का इतिहास, हिन्दी के विद्वानों के जीवन-चरित्र तथा वैज्ञानिक ग्रंथों के लिखवाने एवं अन्य उपयोगी योजनाओं का सूत्रपात किया।

सभा का प्रथम वार्षिकोत्सव 30 सितम्बर 1894 ई० को काशी की कारमाइकेल लाइब्रेरी में सम्पन्न हुआ। आरंभ में सभा के कार्यालय के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः कार्यालय श्याम सुन्दर दास जी के घर पर ही बनाया गया। अगले वर्ष यह कार्यालय चार रुपए मासिक किराए पर हरिप्रकाश प्रेस के एक कमरे में स्थानान्तरित हुआ। प्रथम वार्षिकोत्सव के सभापति पं० लक्ष्मीशंकर मिश्र एम०ए० मनोनीत हुए मिश्र जी के सभापतित्व में यह उत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ तथा अगले वर्ष के लिए उन्हें सभा का अध्यक्ष चुना गया।

स्थापना के द्वितीय वर्ष में सभा ने प्रांतीय रेवेन्यू बोर्ड से निवेदन किया कि उसके द्वारा जो सम्मन आदि फारसी अक्षरों में भेजे जाते हैं उन्हें नागरी में भी भरने के आदेश का क्रियात्मक रूप में पालन किया जाए। कुछ समय पश्चात सभा को इसमें सफलता मिली। 1895-96 ई० में सरकार ने अदालतों में फारसी अक्षरों के स्थान पर रोमन अक्षरों के प्रयोग की योजना बनाई। इससे हिन्दी-प्रेमियों में बड़ी खलबली मची। सभा ने इसके विरोध के लिए कमर कस ली। 1896 ई० में श्यामसुन्दर दास जी ने बाबू राधा कृष्ण दास तथा पं० लक्ष्मी शंकर मिश्र की सहायता से एक पैम्फलेट 'दि नागरी कैरैक्टर' तैयार करके प्रकाशित कराया तथा प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर एंटोनी मैकडानेल की सेवा में एक अभिनंदन-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अदालतों में नागरी के प्रचलन का समर्थन किया गया था। सभा की ओर से पं० मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में भारत भर के प्रमुख 17 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल 2 मार्च 1898 ई० को इलाहाबाद के गवर्नमेंट हाउस में सर एंटोनी मैकडानेल से मिला। इसमें ज्ञापन के साथ लगभग 60 हजार हस्ताक्षर 16 जिल्दों में बांधकर दिए गए थे। सभा के अथक प्रयासों से अंततः 18 अप्रैल 1900 ई० में सर एंटोनी मैकडानेल ने कचहरियों में राजकाज में देव नागरी के वैकल्पिक प्रयोग का आदेश दे दिया। इससे हिन्दी भाषियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तब सभा के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए शीतलाबख्श सिंह ने 'काव्य सुधाधर' नवम्बर 1900 ई० के अंक में लिखा था—

नागरी प्रचारिणी सभा को कोटि-कोटि धन्य,
जाने सुख भारत अनेक श्रम कीनो है।
तीन स्वर व्यंजन बताओ उर्दू में जिन,
सोलह नागरी में अनेक यश लीनो है।
बार बार जाय लाट साहब समीप जिन,
फारसी की फांस को निकारि दर कीनो है
काशी सुख सागरी में 'शीतल' सभा है एक
जाने आज नागरी प्रचार करि दीनो है।

सभा आरंभ से ही हिन्दी में वैज्ञानिक ग्रंथों के अभाव का अनुभव करती आई थी। इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा विज्ञान विषयक पारिभाषिक शब्दों के लिए हिन्दी पर्यायों की कमी थी। इसे दूर करने के लिए सभा के तत्वावधान में एक समिति गठित की गई, जिसने आठ वर्ष के निरंतर उद्योग तथा अनेक विद्वानों के परामर्श एवं सहयोग से 30 जून 1906 ई० में 'हिन्दी वैज्ञानिक कोश' का निर्माण कराया। इसका प्रथम संस्करण 1908 ई० में प्रकाशित हुआ था।

हिन्दी में एक वृहत शब्द कोश की आवश्यकता का अनुभव सभा के स्थापना वर्ष में ही किया गया था। उसी वर्ष सभा ने दरभंगा के महाराज सर लक्ष्मीश्वर सिंह से इसके लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी। तब महाराज ने इसके प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए 125 रु० भेजे थे। कंकरौली के महाराज गोस्वामी बालकृष्ण जी के यहां से भी 100 रु० दान स्वरूप प्राप्त हुए थे किन्तु यथेष्ट धन के अभाव में उस समय यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। 1907 ई० में सभा के परम हितैषी तथा उत्साही सदस्य रेवरेंड ई० ग्रीब्ज ने हिन्दी में एक वृहत् कोश की आवश्यकता पर बल देते हुए इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सभा के तत्वावधान में नौ सदस्यों की एक परामर्श-समिति का गठन किया, जिसके मंत्री बाबू श्याम सुंदर दास मनोनीत हुए। तब कोश की योजना द्रुत गति से आगे बढ़ी। कोश के प्रधान संपादक बाबू श्यामसुंदर दास तथा सहायक सम्पादक पं० बालकृष्ण भट्ट, पं० रामचन्द्र शुक्ल, लाला भगवान दीन तथा बाबू अमीर सिंह थे। कोष के लिए शब्द-संग्रह एवं सम्पादन में बाबू रामचन्द्र वर्मा का सहयोग भी मिलता रहा था। बाद में सम्पादक—मंडल में कई और सदस्य जुड़ते रहे। लगभग 20 वर्ष तक अनेक विद्वानों के निरंतर उद्योग, परिश्रम एवं अध्यवसाय के परिणाम स्वरूप 1929 ई० में वृहत् हिन्दी-शब्द-सागर का महत् कार्य पूर्ण हुआ। इसमें कुल मिलाकर 93,125 शब्दों के अर्थ तथा विवरण दिए गए थे। कोश के आरंभ में हिन्दी भाषा तथा हिन्दी साहित्य का इतिहास भी दिया गया था, जो क्रमशः

(शेष पृष्ठ 58 पर)

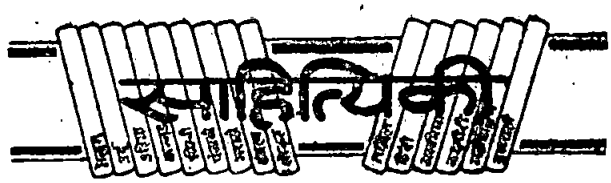

सेतु के आर-पार

—सन्तोष खन्ना*

चित्रगुप्तः हम जानना चाहते हैं कि अनुवाद क्या है?

अनुक-1: महाराज, एक भाषा की रचना को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने को अनुवाद कहते हैं ...

यमदूत-2: अनुक महोदय, यह अनुवाद की परिभाषा है या उसकी दुम, इतने गम्भीर आरोप और इतना संक्षिप्त उत्तर, आप अंगूठी से कपड़े का थान निकालना चाहते हैं?

यमदूत-3: हरहराती गंगा के सामने बरसाती नाला।

अनुक-1: महाराज, धृष्टता क्षमा हो, आपकी आज्ञा हो तो इसे गोमुख से गंगा सागर का कर दूं।

चित्रगुप्तः नहीं, जितना संगत हो।

अनुक-1: अनुवाद सिद्धान्त के विद्वान कैटफोर्ड की अनुवाद सम्बन्धी परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है, "एक भाषा की पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापन ही अनुवाद है।"

चित्रगुप्तः अर्थात् अनुवादक के लिये दोनों भाषाओं का ज्ञान जरूरी है।

अनुक-1: जी हां.... ज्ञान ही नहीं, उसमें निष्णात होना जरूरी है जबकि साहित्यकार के लिए एक भाषा ही पर्याप्त है।

यमदूत-1: महाराज, सतर्क रहिए ... आरम्भ से ही ये स्वयं को साहित्यकार से उत्कृष्ट सिद्ध करने जा रहे हैं....

अनुक-1: आपके दूत की समझ पर दया आती है। महाराज, अनुवाद कोई आज की उपज नहीं, यह तो आरम्भ से ही है। सभ्यताओं के विकास-विस्तार से भाषा भी विकसित होने लगी। स्थान और समय के अन्तराल ने नई भाषाओं को जन्म दिया। भाषाओं के साथ ही जन्म हुआ अनुवाद का। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की समृद्धतम भाषा संस्कृत में यह शब्द विराजमान है... "अनुवाद" शब्द की व्युत्पति अनु (उपसर्ग) "वद" (धातु) घड.ञ (प्रत्यय) से हुई है जिसका शब्दार्थ है किसी कथन के बाद उसे दुहराना।

*280, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली- 23.

यमदूत-1: महाराज, यही तो आरोप है। कथन को दोहरा देने से यह स्वयं को साहित्यकार सिद्ध करने लगते हैं।

अनुक-1: महाराज, अनुवाद-शब्द की विकास-यात्रा को समझना होगा। गो-मुख पर गंगा की तन्वंगी धाराएं यात्रा के अन्तिम पड़ाव पर सागर का रूप धारण कर लेती है। आरम्भ में अनुवाद का अर्थ "विधिप्राप्तस्य वाक्यान्तरेण कथने," था अर्थात् विधायक शास्त्र द्वारा कही गई बात को वाक्यान्तर से पुनः कहना। ऋग्वेद में भी उल्लेख है:, अन्वेकों "वदति यद्दाति" यही "अनु और वदति" का अर्थ दुहराना है। बृहदारण्यक उपनिषद में "तद एतद् एवैषा देवी वाग् अनुवदित" में अनुवदति का प्रयोग दुहराने के अर्थ में हुआ है।

यमदूत-1: अनुक महोदय, संस्कृत साहित्य का उल्लेख कर ही रहे हैं तो बताइए कि संस्कृत के शीर्षस्थ विद्वान पाणिनी के मानक मूल व्याकरण ग्रन्थ "अष्टाध्यायी" में "अुनवाद" शब्द का उल्लेख हुआ है।

अनुक-1: जी हां, उसमें "अनुवाद चरणानाम्" में अनुवाद स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। एक भाषा के रूप कथ्य को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना, जैसे काव्य को गद्य में उतारना आदि। आज विद्वान इसे इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन" भी कहते हैं। संस्कृत अध्यापन में एक प्रकार से अनुवाद का प्रयोग होता था जो आज भी विद्यमान है।

महादूतः "ट्रांसलेशन" अनुवाद शब्द का पर्याय है क्या?

अनुक-1: आज यह दोनों पर्यायवाची हो गए हैं। आरम्भ में यह शब्द भाषान्तर के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता था। यह लैटिन भाषा के शब्द "ट्रांस" और "लेशन" से मिल कर बना है, ट्रांस का अर्थ था पार और "लेशन" का 'ले जाना' अर्थात् एक पार से दूसरे पार ले जाने की प्रक्रिया। बाद में यह शब्द विकसित हो अपने वर्तमान अर्थ में आया।

यमदूत-2: महाराज, पार ले जाने के सम्बन्ध में "मानस" में एक रोचक प्रसंग है। केवट भगवान राम से कहता है, हम

आपको नाव में पार न ले जइऐं। स्पर्श से आप पत्थर को नारी बना देते हो, इस काष्ठ की नाव की क्या विसात। पत्नी के अतिरिक्त मैं किसी और नारी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। "अनुवाद" में पार का ऐसी तो कोई पचड़ा नहीं:

यमदूत-3: अनुवाद में पराई रचना को पार कर देते हैं। (हंसी)

अनुक-1: अनुवाद में मूल रचना का लक्ष्य भाषा तक विस्तार कर देते हैं।

यमदूत-1: अनुक महोदय, भाषाओं की भिन्नता होने पर मनुष्य ने अनुवाद की सहायता ली, किन्तु अनुवाद के प्रति पूर्वाग्रह का क्या कारण है?

अनुक-1: किसी विषय विशेष की सही जानकारी के अभाव में पूर्वाग्रह बनते हैं। पूर्वाग्रह मुक्त होने का एक ही उपाय है जानकारी हासिल करना! चौंकियेगा नहीं, यदि मैं कहूं कि हर व्यक्ति अनुवादक होता है।

यमदूत-1: वह कैसे?

अनुक-1: महाराज, हर व्यक्ति अपने मानस में उठने वाली तरंगों का विचार में विश्लेषण कर उन्हें कार्यरूप में अनूदित करता है--आपके यह महानुभाव दूत भी अनुवादक है".....

अनुक्र-1: (अचानक सामने आते हुए): अनुवाद तो जन्म के साथ आरम्भ हो जाता है महाराज, शिशु बोल नहीं पाता किन्तु मां उसकी हर हरकत समझ जाती है, बताइए, कैसे? अनुवाद से? (यमदूत की ओर शरारती मुसकान बिखेरते हुए .....) शायद यह पैदा होते ही बोलने लगे थे .... यह अनुवादधाती .... अनुवादक अरि ....

(सब हंसते हैं)

यमदूत-1: महाराज कह दीजिये इनसे, व्यवधान न डालें।

चित्रगुप्तः दूत, तुम ही क्यों नहीं कह देते।

यमदूतः इनके तेज के सामने मेरे पांव जमीन से उखड़ रहे हैं महाराज।

चित्रगुप्तः तेजमयी, आपको भी बोलने का अवसर दिया जायेगा, अनुक महोदय, आप अपना वक्तव्य जारी रखें ....

अनुक-2: महाराज, एक कहानी सुनेंगे .....

यमदूत-2: (एकदम खड़े होकर) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है महाराज।

चित्रगुप्तः कैसे प्रश्न?

यमदूत-2: यह कपटी अनुवादक कहानीकार कब से हो गए? जैसे मां बच्चे को लोरी सुना कर सुलाती है, जरूर यह आपको कहानी सुनाकर अपनी वशीकरण विद्या का प्रयोग करेगा".....

चित्रगुप्तः यमदूत, उत्तेजित मत हो, तर्कशीला बुद्धि किसी वशीकरण से कब प्रभावित होती है, हम इस वाद के दौरान हर बात सुनेंगे, शर्त यही है कि वह वाद से सम्बद्ध हो .... अनुक महोदय, मैं समझता हूं अपनी कहानी वाद के संदर्भ में ही होगी...

अनुक-2: जी महाराज, यह बाइबिल की कहानी है।

यमदूत-2: महाराज, व्यवधान के लिये अपराध क्षमा हो, बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्रतम ग्रन्थ है। क्या इस वाद के दौरान धर्म ग्रन्थों का उल्लेख उचित होगा? धर्म की परिधि व्यक्ति तक सीमित होनी चाहिए?

अनुक-2: महाराज, यमदूत महोदय धर्म का सीमित अर्थ ले रहे हैं। धर्म का अत्यन्त व्यापक अर्थ है जिसमें जीवन के समस्त कार्य व्यापार एवं आचार-व्यवहार समाहित है। मैं अनुवाद की अनिवार्यता को रेखांकित करने की दृष्टि से यह कहानी सुनाना चाहता था। सृष्टि के आरम्भ में सभी लोगों की एक ही भाषा थी। किन्तु यहोवा ने अपनी सत्ता के सिंहासन डोलायमान होने की आशंका से लोगों को समस्त भूलोक पर फैला दिया और भाषा में गड़बड़ी डाली जिससे भाषा-भेद पैदा हुआ। चूंकि मानव में परस्पर विचारों के आदान-प्रदान की अदम्य आकांक्षा थी, इसीलिए अनुवाद का आविष्कार हुआ और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया.....

महादूतः महाराज, आपकी मुस्कान बड़ी सारगर्भित प्रतीत होती है.....

चित्रगुप्तः (हंसते हुए) दूत, बात यह है कि यह कहानी हमें पहले से ही ज्ञात थी...

महादूतः आप जानते थे?

चित्रगुप्तः हमारे नरक साम्राज्य की स्थापना का रहस्य भी भाषा भेद है, परस्पर विचारों और इच्छाओं को न समझ पाने के कारण मानव अधिकांश पाप करता है जिसके दंड के लिये इस धाम की स्थापना की गई।

यमदूतः महाराज, अनुवाद और नरक में तो परम्परागत शत्रुता हुई न?

चित्रगुप्तः उस पक्ष का इस वाद से कोई सम्बन्ध नहीं? मैं इस समय पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर यह सुनवाई कर रहा हूं....

अनुक-1: महाराज आपके विचारों से मैं आश्वस्त हुआ। अन्यथा मुझे किसी अधिक निष्पक्ष न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रार्थना करनी पड़ती।

चित्रगुप्तः वत्स, मेरी ओर से निश्चिन्त रहो? हां, आप भाषा निष्णात होने की बात कह रहे थे?

अनुक-1: मैं कह रहा था अनुवाद के लिये स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में निष्णात होना निहायत जरूरी है। सम्भव है कोई कम शिक्षित व्यक्ति उच्च कोटि का साहित्यकार हो जाए। "आदि रामायण" के रचयिता पूज्यनीय वाल्मीकी एक किंवदंती के अनुसार पढ़े लिखे नहीं थे उच्च कोटि

का सृजन कर गए। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अनुवादक नहीं हो सकता।

यमदूत-2: भगवन, होशियार, भाषा निष्णात ही नहीं, यह कोई कानून-निष्णात भी प्रतीत होता है-किस खूबी से स्वयं को साहित्यकार से श्रेष्ठ बताता चला जा रहा है।

चित्रगुप्तः महादूत, अनुचरों से कहो, टिप्पणियों में सावधानी बरतें। ऐसी टिप्पणियों से तुम्हारा वाद पक्ष दुर्बल पड़ जाएगा....

महादूतः (सभी दूतों की ओर आंखे तरेर कर देखता है और पुनः चित्रगुप्त की ओर नतमस्तक हो) जी महाराज.....

अनुक-1: विधि अनुवाद में कानून निष्णात भी होना पड़ता है हजूर। मूल साहित्यकार से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं अनुवाद कार्य की सही-सही प्रकृति के वर्णन का प्रयास कर रहा हूं नरकाधिराज.....

यमदूत-3: वाह, वाह! छायावादी कवियों ने प्रकृति वर्णन में कमाल कर दिया था। आंखे जुड़ा जाती है, मन उड़ने लगता है नरक में स्वर्ग सी आनन्दानुभूति होने लगती है....."तरल णताल तरूवर बहुछाए, पुष्प गुच्छ दर्शन मन भाए.... वाह! ..... वाह!

चित्रगुप्तः कवि सम्मेलन नहीं हो रहा दूत, बात समझ में न आये तो चुप रहो, बोल कर बुद्धि का दिवाला सबको मत दिखाओ.....

अनुक-1: (स्वयं से) साहित्यकार लाॅबी काफी सक्रिय है। चलो इन्हें भी खुश कर दो कवितापाठ से। (प्रकट) महाराज, अनुवाद अत्यन्त दुष्कर कार्य है, मौलिक, लेखन से भी कठिन...कहा भी है:

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही
सीस उतारे भूहि धरे, फिर पैठे घर मांहि-

सभी यमदूतः वाह...वाह, क्या बात है। सुन्दर...अति सुन्दर काश। यह वाद कभी समाप्त न हो। काव्यानन्द का सुअवसर तो मिलेगा। महाराज नरक में तरस गये हम तो...

चित्रगुप्तः खामोश...वाद से सम्बद्ध बातों का ही उल्लेख हो...

अनुक-1: कहने का अभिप्राय यह था कि अनुवाद अत्यन्त दुष्कर कार्य है यह नट की रस्सी पर चलने की कला है,

चित्रगुप्तः अनुक महोदय, हमने सुना है यह विज्ञान है...

अनुक-1: आपने सही सुना है महाराज यह कला भी है शिल्प भी और विज्ञान भी...

यमदूत-4: श्री इन वन-त्रयी चमत्कार। शंकर की जटा-सा-कमाल, जिसमें अर्द्ध चन्द्र भी है, गंगाधर भी है और सर्पमाल भी...यह चमत्कारी जीव अभी तक कहां छिपा था...

चित्रगुप्तः अनर्गल प्रलाप बन्द हो...

यमदूत-4: शिव! शिव! शिव! शंकर भगवान के उल्लेख को आप अर्नगल प्रलाप की संज्ञा दे रहे हैं महाराज।

चित्रगुप्तः महादूत सुनवाई में व्यवधान सहन नहीं होगा। सतर्क कर दो अनुचरों को...

यमदूत-4: महाराज, अपराध क्षमा हो, आपने आरम्भ में लोकतंत्र व्यवस्था का उल्लेख किया था। उसी से प्रोत्साहित हो मुंह बार-बार खुल जाता है। इस व्यवस्था में वाक् स्वतंत्रता है न...

चित्रगुप्तः वाक् स्वतंत्रता अवश्य है वत्स, किन्तु वह अराजकता का पर्याय नहीं, अनुशासन की महत्ता समझो दूत।

यमदूत-4: अब क्या "अनुशासन पर्व" है? (सब हंसते हैं) आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। भगवान शंकर का उल्लेख अनुशासन भंग कैसे करता है, मैं नहीं समझ पाया?

यमदूत-1: समझ में तुम्हारी सांझेदारी कब थी, जो समझोगे? चुप रहो।

चित्रगुप्तः अनुक महोदय, आप अपने कथन को स्पष्ट करेंगे? वाद को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिये यह जरूरी है।

अनुक-1: महाराज, इसके लिये यदि आप सिद्धान्तकार को बुलाये तो बेहतर होगा, वह अनुवाद सिद्धान्त के विख्यात विद्वान हैं, उन्होंने अनुवाद सिद्धांत पर अनेक पुस्तकों का प्रणयन भी किया है।

चित्रगुप्तः महादूत, उन्हें सादर लिवा लाओ...आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? स्रोत भाषा अथवा लक्ष्य भाषा में?

सिद्धान्तकारः यमदूत श्रेष्ठ, मैं आपका तात्पर्य समझ गया? मूल और अनूदित कृति में कोई अन्तर नहीं होता, अनूदित कृति भी मौलिक ही होती है महाराज। मेरे लिये दोनों समान हैं।

अनुक-1: महाराज, मुझे आपके प्रश्न पर आपत्ति है? इस प्रकार के प्रश्न जिरह के दौरान पूछे जाते हैं। आपने इन्हें विशेषज्ञ राय के लिये बुलाया है जिरह के लिये नहीं...

चित्रगुप्तः आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है। अब इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। यह अनुवाद के सिद्धान्त पक्ष पर प्रकाश डालेंगे।

सिद्धान्तकारः अनुवाद अन्य कलाओं की भांति एक रचनात्मक विधा है। रचनात्मक साहित्य का अनुवाद एक कलात्मक प्रक्रिया है। अनुवादक को मूल रचनाकार के साथ तादात्म्य स्थापित कर मौलिक सृजन की भांति विचार, भाव और भाषा में लालित्य एवं चमत्कार का समावेश करना पड़ता है। यहीं नहीं, मूल रचना में निहित बिम्ब, प्रतीक और अभिप्राय तथा इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचनात्मकता की आन्तरिक लय को रूपान्तरित करना होता है। अनुवाद प्रक्रिया में मूल रचना के मूल स्वर को अन्तरित करते समय अनुवादक को आत्म-साक्षात्कार द्वारा मूल रचनाकार के मानस में प्रवेश करना पड़ता है इसलिये अनुवाद को परकाया प्रवेश की संज्ञा दी गई है। अनुवाद तप है, कठिन साधना है, कोई जंत्र-तंत्र नहीं, जैसाकि अनुवादक पर आरोप है। महाराज, अनुवाद एक सुन्दर पुष्प की सुगन्ध को दूसरे सुन्दर पुष्प

में उड़ेलने की कला है। यह अत्यन्त सूक्ष्म एवं जटिल प्रक्रिया है जब तक इस कार्य में "स्व" का पूर्ण विसर्जन नहीं होता, अनुवाद असम्भव है।

चित्रगुप्तः अनेक विद्वानों का मत है कि कविता का अनुवाद असम्भव है क्या वह गलत कहते हैं?

वरिष्ठ अनुकः नहीं महाराज, उनको गलत सिद्ध करना अहं को न्योतना होगा। वस्तुतः अनुवाद मूल रचना की निकटतम समतुल्यता होती है। दर्पण जितना बढ़िया और स्वच्छ होगा, प्रतिबिम्ब उतना ही स्पष्ट एवं समतुल्य होगा।

यमदूत-3ः महाराज, मैंने दर्पण तो नहीं देखा, हां, एक दिन मृत्यु लोक के एक सरोवर के जल में अपना प्रतिबिम्ब देखा था, बड़ा भयानक था। बच्चे देख ले तो मारे भय के मा की गोदी में जा छिपे और बड़े देख लें तो नानी याद आ जाए...मेरा प्रतिबिम्ब इतना भयानक और क्रूर क्यों है महाराज?

चित्रगुप्तः वत्स, प्रतिबिम्ब मूल का होता है और मूल कर्म के अनुसार होता है...

यमदूत-3ः बदल दीजिये न मेरा मूल...

चित्रगुप्तः क्या नारद की भांति किसी सुन्दरी को देख लिया है जिससे विवाह की इच्छा हो रही है...

यमदूत-3ः (शरमा कर) नहीं महाराज, मैं अनुवाद कार्य करना चाहता हूँ...(हंसी)

चित्रगुप्तः सिद्धान्तकार ने कहा है कि अनुवाद मूल रचना की निकटतम समतुल्यता है। मेरे विचार से इस कथन में "समतुल्यता" महत्वपूर्ण शब्द है। इससे आपका क्या अभिप्राय है?

महादूतः महाराज, मेरे मन में भी यही जिज्ञासा उठी थी?

चित्रगुप्तः (किंचित मुस्कराते हुए) सभी महान व्यक्ति समान चिंतन करते हैं।

महादूतः (किंचित शरमाते हुए): भगवन, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। मेरी और आपकी क्या तुलना? आप तो सर्वज्ञ है, सभी भाषाओं और विषयों के ज्ञाता।

यमदूत-2ः अरे हां, महाराज तो सब जानते हैं। चाहते तो इस वाद को चुटकियों में निपटा देते?

यमदूत-3ः चाहते तो चुटकियों में निपटा देते? फिर यह नाटकबाजी क्यों?

महादूतः दूत, शब्द संयम बरतो।

चित्रगुप्तः मैं ही स्थिति स्पष्ट किये देता हूं। यह सर्वज्ञता प्रदर्शन का अवसर नहीं है दूसरे के दृष्टिकोण को जानने — समझने की जरूरत है। यह जरूरत मेरी नहीं, इसका सरोकार समूची मानव जाति से है। मेरी रूचि इसी बात में है कि अधिकाधिक जानकारी सहज, सरल और स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आये?

अनुक-1ः धन्य है महाराज। मृत्यु लोक में न्याय व्यवस्था ऐसी चले तो समूचा विश्व आये कष्टों से बच जाये और नरक असंगत हो जाये।

यमदूत-3ः देखा आपने? नरक के अस्तित्व पर उनका प्रश्न चिह्न?

चित्रगुप्तः मान लीजिए, एक कविता है। आपने उसे पढ़ा, उसका अर्थ समझा और उसका अनुवाद कर दिया। दूसरे अनुक ने पढ़ा, समझा और अनुवाद कर दिया। फिर भी दोनों अनुवादों में भिन्नता होती है... फिर समतुल्यता का निर्धारण कैसा होता है।

सिद्धान्तकारः यहां दोनों अनुवादकों द्वारा किए गए अनुवाद में समतुल्यता नहीं, मूल के परिपेक्ष्य में समतुल्यता की बात है। वैसे तो दो शब्द भी पूर्णतः समानार्थक नहीं होते, कविता को भिन्न-भिन्न मानसिकता के पाठक भिन्न-भिन्न अर्थ में ग्रहण करते हैं। "समतुल्यता" के साथ "निकटतम" विशेषण का प्रयोग साभिप्राय है। महाराज, अनुवाद का शास्त्र भी एक जटिल शास्त्र है।

चित्रगुप्तः हूँ...

सिद्धान्तकारः अनुवाद कार्य केवल कला नहीं, कला, शिल्प और विज्ञान का संगम है। अनुवाद के शिल्प होने के दो पक्ष हैं। पहला, पहले साधारणतया अनुवाद श्रेण्य ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों और प्रेरक साहित्य का किया जाता था। अनुवादक ऐसे अनुवाद धीरे-धीरे यथाक्षमता सुन्दर, अलंकृत एवं दार्शनिक शैली में करते थे। अब अनुवाद का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। विभिन्न भाषा भाषियों के विचारों, भावों एवं विभिन्न उपलब्धियों के प्रति बढ़ती जिज्ञासा तथा वस्तु साहित्य तक अनुवाद के विस्तार से अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। वस्तु साहित्य का सामान्यतया एक निश्चित समय-सीमा में सीधी-सादी, नपी-तुली और अलंकार रहित शैली में बोधगम्य अनुवाद करना होता है। सामान्य अर्थ में अनुवाद कार्य करने की कुशलता ही शिल्प है। दूसरा, अपने व्यापक रूप में शिल्प का अर्थ है भाषा-प्रयोग, संरचनात्मक बोध और वाक्य-विन्यास। अनुवाद में इसकी भूमिका साधन की है। कला साध्य है तो शिल्प साधन। इस साधन के प्रयोग की विधि ही विज्ञान है।

चित्रगुप्तः किसी विषय का व्यवस्थित, विश्लेषणात्मक एवं प्रायोगिक अध्ययन विज्ञान है। अनुवाद को विज्ञान परिधि में किस आधार पर लाया जाता है।

सिद्धान्तकारः महाराज अनुवाद का सरोकार भाषाओं से है वह मूलतः अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अन्तर्गत आता है।

उसी समय एक तरफ तड़ित प्रकाश का विकीर्णन होता है। सभी स्तब्ध हो जाते हैं। प्रभा-मंडल समुच्चय धारण किए एक प्राणी का प्रवेश। चित्रगुप्त चकित भाव ओढ़े सिहांसन से सहसा उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ आगुन्तक की अगवानी करते हैं। शेष सभी उनके

सम्मान में खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उन्हें अपने सिंहासन तक लिवालाते हैं और उनसे बैठने की प्रार्थना करते हैं।

चित्रगुप्तः मान्यवर, प्रभु की रचना के पश्चात आप ही रचनाकार हैं। प्रभु के सर्वाधिक प्रिय, सृजन-शक्ति के पुंज, समस्त साहित्यकारों के समुच्चय, सिंहासन ग्रहण कर मुझे धन्य कीजिए...

साहित्यकारः महाराज, आप तो स्वयं सम्पूर्ण विद्वत्ता के अवतार हैं, आपके समक्ष हम सूर्य के समक्ष दीप हैं। वाद की कार्यवाही में व्यवधान के लिये धृष्टता क्षमा हो। कुछ जिज्ञासाओं के शमन के लिए हम यहां आये हैं... आपकी अनुमति हो...

चित्रगुप्त. अवश्य। अवश्य। आप पहले स्थान ग्रहण कीजिये। आपके लिए सिंहासन उपस्थित है।

साहित्यकारः विद्वता शिखर, साहित्यकार की कोई कठोर शिला ही उपयुक्त आसन हो सकता है। सिंहासन की मखमली नरमी पर साहित्यकार जगती के शूलों की चुभन महसूस न कर सकेगा और उसकी लेखनी कुंद हो जायेगी....

चित्रगुप्तः इस प्रकार तो आप शूल-घाव सहलाते रहेंगे और जिस कार्य से आये हैं वह कर ही नहीं पायेंगे।

साहित्यकारः घाव पीड़ा पर-दुख कातरता पैदा करती है सुविज्ञ, आप देख रहे हैं न मर्त्य लोक में लेखनी कैसे कुंद होती जा रही है साहित्यकार की। वह सुविधाओं और पुरस्कारों की भूल-भूलिया में खुद से दूर होता जा रहा है

चित्रगुप्तः (आश्चर्य से) साहित्यकार का सम्मान किया जा रहा है यह तो उसका देय है।

साहित्यकारः महाराज, आपसे क्या छिपी है, साहित्यकार-सम्मान की गाथा, मदारी साहित्यकार बन अपने सम्मान की स्वयं ही व्यवस्था कर रहे है कि तू मेरा कर, में तेरा।

यमदूत-2ः महाराज, यह साहित्यकार भी विचित्र प्राणी है, पहले तो यही रोना रोते थे कि साहित्यकार के कृतित्व के लिए उसको कोई मान्यता नहीं देता, अब अनेक संस्थाएं पुरस्कार देने के लिए आगे बढ़ रही है तो यह दूसरा रोना ले बैठे हैं सच है, साहित्यकार को सन्तुष्ट करना कठिन है।

साहित्यकारः बड़े सन्तोष का विषय है कि साहित्यकार की पूछ होने लगी हैं पात्र साहित्यकार पुरस्कार पाये, यह किसे नहीं भाता? जब तथाकथित साहित्यकार पुरस्कार का जुगाड़ कर लेते हैं तो वस्तुतः वह सुखकार नहीं हो सकता मेरी आपत्ति कुपात्र पर है सुपात्र पर नहीं।

यमदूत-2ः महाराज, वह पुरस्कृत साहित्यकारों से ईर्ष्यावश ऐसा तर्क दे रहे हैं

साहित्यकार : (भृकुटी चढ़ा कर) साहित्यकार कभी असत्य सहन नहीं करता, वह स्पष्ट वादिता में विश्वास करता है ईर्ष्या में नहीं।

यमदूत-2ः कुपात्र को कभी पुरस्कार मिल सकता है भला?

साहित्यकार : महाराज, में किसी का कच्चा चिटठ् क्या खोलूं, आप स्वयं अन्तर्यामी हैं।

यमदूत-2ः गलत परम्परा या कार्य पर्दाफाश होना चाहिए, कूड़े को दबा देने से उसमें और अधिक सडांध बढ़ती है।

चित्रगुप्तः जब मर्त्यलोक में लोगों को सड़ांध में जीने की आदत हो गई है, तुम क्यों नाहक परेशान होते हो वत्स? तुम कर भी क्या सकते हो?

यमदूत-2ः महाराज, आपका आदेश हो तो में आज से एक सफाई अभियान आरम्भ कर देना चाहता हूं....

यमदूत-3ः यह समझ लो मर्त्यलोक में मेहतर की स्थिति निम्नतर है, उन्हें कोई नहीं पूछता।

यमदूत-2ः न हो, में अपने कर्त्तव्य से नहीं हटूंगा।

साहित्यकार : आपको दूत का उत्साह देख मैं सलाह दूंगा कि इन्हें नरक की सेवा से मुक्त कर दें, इन्हें मनुष्य रूप में मर्त्यलोक में भेज दें.... नेतृत्व के संकट के दौर से गुजर रहे हमारे देश को एक समर्पित नेता मिलेगा....

चित्रगुप्तः (आश्चर्य से) क्या कह रहे साहित्यकार महोदय?

साहित्यकार : जी महाराज, इस समय मेरा देश भ्रष्टाचार के पंक में आकंठ डूबा है, मुक्ति का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा आज देश में गांधी जैसे सन्त असंगत हो गए हैं। आधी सदी बीत गई, कामायनी जैसी कृति का कोई प्रसाद या गोदान जैसे उपन्यास को कोई प्रेमचन्द पैदा नहीं हुआ।

साहित्यकार : महाराज, सच तो यह है कि यदि आज अनुवादक सक्रिय न होते तो साहित्य क्षेत्र में सूखा ही सूखा था।

चित्रगुप्तः अर्थात् आप भी अनुवादक का लौहा मानते हैं।

साहित्यकार : जी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसका उसे श्रेय न देना कृतघ्नता है किन्तु नदिया को सागर-सागर पुकारना भी औचित्य की परिधि में नहीं आता, हर बात का सही सीमांकन होना चाहिए,...

सिद्धान्तकारः सत्यवचन, हम यही चाहते हैं।

साहित्यकारः (सिद्धान्तकार से) आप अनुवाद को कला मानते है?

सिद्धान्तकारः जी हां, कवि भास्कर।

साहित्यकारः क्या वह मूल सृजन-सा है?

सिद्धान्तकारः साहित्य सृजन और अनुवाद की प्रक्रिया की तुलना कर लीजिए निष्कर्ष हमें स्वीकार होंगे?

साहित्यकारः काव्य रचना स्वयं में एक रहस्यात्मक प्रक्रिया है क्या अनुवादक भी मूल रचनाकार की भाँति उस प्रक्रिया से गुजरता है?

सिद्धान्तकारः रचना प्रक्रिया में कवि जब विषय विशेष के प्रति संवेदनशील होता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें जिस भावराशि का विस्फोट होता है उसकी अभिव्यक्ति के लिए वह आतुर हो उठता है तब भाव भाषा रज्जु के सहारे आकार लेने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वह उन भावों में से सीप से मोती सा चयन करता है अर्थात कुछ भावों को छोड़ता हुआ और ग्रहण किए भावों के सातत्य में उठने वाले भावों को लेता हुआ एक स्वतंत्र रचना का सृजन करता है। सरल शब्दों में कहें तो काव्य सृजन मन में उठने वाले भावों का अनुवाद है, जो संवेदनात्मक अनुभूति पर आधारित होते हैं।

साहित्यकारः सृजन प्रक्रिया मन के भीतर चलती है इसीलिए ही इसे रहस्यात्मक कहा गया है।

सिद्धान्तकारः अनुवाद की प्रक्रिया के भी लगभग यही सोपान है। मूल रचना को पढ़ने से अनुवाद के मन में संवेदनाजनित अनुभूति के आधार पर भाव प्रस्फुटन होगा। मूल रचनाकार के मन में किसी विषय एवं स्थिति विशेष के प्रति प्रतिक्रियास्वरूप भाव प्रस्फुटन होता है और अनुवाद के मन में मूल रचना के अर्थ-प्रकाश से भाव प्रस्फुट होता है। साहित्यकार के लिये भावों को भाषाबद्ध करते समय कोई सीमा नहीं, अनुवादक के लिये सीमा है। वह मूल रचना में व्यक्त भावों को ही लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करता है। तभी तो अनुवाद को पुनः सृजन के नाम से अभिहित किया गया है।

साहित्यकारः रचना तो एक बार हो जाती है, किन्तु मूल रचना के अनुवाद बार-बार होते रहते हैं और भिन्न भिन्न होते है।

सिद्धान्तकारः मूल रचना जगत की पुनर्रचना है। एक कवि एक पुष्प को देखता है और उसे अपनी मनःस्थिति के अनुरूप अभिव्यक्ति-शिल्प की पूजा की थाली में सजाना चाहता है अथवा प्रियतमा की वेणी में गूंथना चाहता है और दूसरा कवि उसे जीवन का प्रतीक मान उसके झर जाने पर आसूं बहाता है, पुष्प एक है प्रतिक्रियाएं अनेक है, जो देश, काल, स्थान एवं संदर्भ में परिवर्तित होती रहती है उसी भांति अनुवाद की स्थिति है। अर्थ व्यक्ति सापेक्ष होता है। अर्थ भाषा मुक्त हो सकता है मन से मुक्त नहीं। तभी तो प्रत्येक महान मूल रचना का प्रत्येक शती में अनुवाद होता है।

चित्रगुप्तः सिद्धान्तकार महोदय, आपने रचना प्रक्रिया के संदर्भ में अनुवाद प्रक्रिया का अत्यन्त सरलीकरण कर दिया है? कवि रचना प्रक्रिया में अपने देश, काल एवं परिवेश की संस्कृति से मुखातिब होता है।

साहित्यकारः महाराज, कवि को रचना प्रक्रिया के दौरान अपनी समूची साहित्यिक परम्परा से मुखातिब होना होता है जो अनुवादक के लिए आवश्यक नहीं है उसे तो भाषा के स्तर पर अन्तरण के लिए तैयार माल मिलता है।

सिद्धान्तकारः मूल रचना में समाविष्ट साहित्यिक परम्परा को आत्मसात किए बिना मूल निष्ठ अनुवाद सम्भव नहीं। फिर अनुवादक का सरोकार स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों ही साहित्यिक परम्पराओं से होता है। "कामायनी" में वर्णित आनन्दवाद को भारतीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परम्परा के परिप्रेक्ष्य में समझने के साथ-साथ उसे लक्ष्य भाषा में अन्तरण के लिए उसके सांस्कृतिक परिवेश में भी देखना होगा....

साहित्यकारः माना अनुवाद कला है शिल्प है किन्तु वह उसके विज्ञान होने का भी दावा करते है।

चित्रगुप्तः आपको सन्देह है?

सिद्धान्तकारः महाराज, अनुवाद विज्ञान है....

साहित्यकारः वह कला है तो विज्ञान नहीं हो सकता....

सिद्धान्तकारः अनुवाद महत्वपूर्ण विज्ञान है....

यमदूत-1ः महाराज, विज्ञान साहित्य के अनुवाद से अनुवाद विज्ञान नहीं हो जाता। ऐसे तो धार्मिक साहित्य के अनुवाद से अनुवाद धर्म हो जायेगा, ज्योतिष साहित्य के अनुवाद ज्योतिष हो जायेगा....

यमदूत-2ः नरक साहित्य के अनुवाद से अनुवाद नरक हो जायेगा।

(हंसी.....)

चित्रगुप्तः खामोश रहिए। सिद्धान्तकार को बात स्पष्ट करने दीजिये।

सिद्धान्तकारः विज्ञान साहित्य के अनुवाद के कारण अनुवाद विज्ञान नहीं होता, उसका आधार दूसरा है। विद्वान इसे विज्ञान इसलिए मानते हैं कि यह अनुप्रयुक्त भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत आता है तथा अनुवाद से पूर्व की चिन्तन प्रक्रिया तुलनात्मक या व्यतिरेकी भाषा विज्ञान पर ही पूर्णतः आधारित है। तुलनात्मक आधार पर ही स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ सम्बन्धी समानताएं असमानताएं ज्ञात की जाती है।

चित्रगुप्तः महादूत महोदय, तुम्हारे अनुचर ऊंघ रहे हैं, प्रतीत होता है विज्ञान उनके वश की बात नहीं है।

सिद्धान्तकारः अनुवाद प्रक्रिया में कुछ पर्याय, पारिभाषिक शब्द, व्याकरणिक, शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं संदर्भ परिवर्तन हो जाने पर भी परिवर्तनशीलता से प्रभावित नहीं होती। उस अर्थ में अनुवाद विज्ञान है।

चित्रगुप्तः अनुवाद विधा इतनी गौरवशाली एवं लोकोपकारी है फिर भी इसके प्रति लोगों में श्रद्धा एवं सम्मान नहीं है। ऐसा क्यों है?

साहित्यकारः महाराज, इसका कारण में बताता हूं। तप और साधना की अपेक्षा रखने वाली विधा में अनेक बार अनधिकारी भी घुस आते हैं। जानते हैं न कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है।

सिद्धान्तकारः महाराज, अनुवादक का दायित्व गुरुतर है इसलिए, दो भाषाओं के गहन ज्ञान के साथ-साथ उसमें रचनात्मक प्रतिभा भी होनी चाहिए। उसे विषय का ज्ञान हो एवं सांस्कृतिक परिवेश से भी उसका परिचय आवश्यक है.....

यमदूत-1: इतनी विशेषताओं से युक्त अनुवादक होते हैं क्या?

सिद्धान्तकारः क्यों नहीं? अनेक श्रेण्य ग्रन्थों के सफल अनुवाद इसका प्रमाण हैं। सत्य तो यह है कि रचनाकारों ने ही बहुधा अनुवाद किए हैं।

यमदूत-1: आश्चर्य? फिर भी उन्होंने ही अनुवादक पर आरोप लगाए हैं।

यमदूत-2: यह परस्पर वैमनस्य के कारण हैं?

चित्रगुप्तः क्या दोनों ही सरस्वती के वरद पुत्र नहीं हैं?

यमदूत-2: भाई-भाई में गहन प्रेम भाव होता है किन्तु कभी-कभी उनमें तनातनी भी हो जाती है।

यमदूतः महाराज, मैं अपने शंका का समाधान चाहता हूं। विज्ञान ने मनुष्य को चांद सितारों तक पहुंचा दिया है, वह हवा में उड़ने लगा है। अन्तरिक्ष में तैरने लगा है.....

यमदूत-3: मूर्ख, तैराकी जल में होती है अन्तरिक्ष में नहीं।

यमदूत-2: तुम मूर्ख हो, नहीं समझोगे, तुम अनुवादक तो कभा नहीं बन सकते। सुना नहीं शब्दों का केवल अभिधात्मक अर्थ ही नहीं होता.....

यमदूत-1: तुम अपनी बात पूरी करो.....

यमदूत-2: मानव ने विज्ञान की सहायता से तो सातों लोकों में आंकना आरम्भ कर दिया है यदि अनुवाद विज्ञान है तो अनुवाद से मानव को क्या उपलब्धि हुई है?

अनुक-1: जब मानव चांद पर उतरा तो समूचा विश्व झूम उठा था खुशी के मारे। यह समाचार समूचे विश्व को कैसे मिला? भाषा विषमता से समूचा विश्व अलग-थलग न पड़ जाता, यदि अनुवाद की सहायता न ली जाती। कल्पना कीजिए इस समाचार के प्रसार के लिये अनुवाद की कितनी महत भूमिका रही होगी।

दूर द्वार पर अचानक शोर उठता है। सब का ध्यान उस ओर आकर्षित होता है।

चित्रगुप्तः दूत, यह शोर कैसा? जानते नहीं, महत्वपूर्ण वाद की सुनवाई चल रही है.....

द्वारपालः महाराज, कोई महिला जबरन घुस आना चाहती है.....

चित्रगुप्तः महिला। मृतक या जीवित?

द्वारपालः जीवित है महाराज, जीवित।

चित्रगुप्तः हर प्राणी हमेशा यहां भागने की सोचता है, कौन नरक में जबरन घुस आना चाहता है.....आने दो.....

बिखरे बाल, अस्तव्यस्त वस्त्र, फूली सांस, आंखों में विषाद और निराशा की घनी रेखाएं—एक महिला दौड़ कर चित्रगुप्त के चरणों में गिर जाती है।

महिलाः महाराज, दुहाई। दुहाई।

चित्रगुप्तः भद्रे, कहो, क्या बात है, क्या हमारे किसी दूत की सताई हो जो यहां आई हो?

महिलाः नहीं महाराज, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है.....

चित्रगुप्तः कैसा अन्याय? किसने किया? क्या हम अपराधी हैं?

महिलाः नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती? इसका सम्बन्ध आपके दरबार में विचाराधीन अनुक वाद से है.....मैं भी एक अनुवादिका हूं.....

चित्रगुप्तः अनुवादिका हो? किसने किया अन्याय?

महिलाः तनाव के कारण मैं हृदय रोगिनी हो गई थी। उफ। कितना भयानक था वह दिल का दौरा.....उस दौरे में मुझे आपके दूत दिखायी दिये.....मैं प्रसन्न हो गई कि चलो सब तनावों-अभावों और रोगों से मुक्ति मिलेगी। विडंबना देखिए महाराज। आपके दूतों ने मुझे अपने साथ लाने सें इंकार कर दिया। बोले, तुम अनुवादिका हो, आजकल नरक में यह विभाग एक जरूरी मुकदमे की सुनवाई में व्यस्त है तुम्हें कुछ दिन मृत्यु लोक में जिंदा रहना होगा.....

चित्रगुप्तः फिर?

महिलाः मैंने दूत से वाद के बारे में पूरी जानकारी ली। मुझे महसूस हुआ कि अनुवाद के सिलसिले में मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उस मुद्दे को आपके यहां उठाया जा सकता है। मैंने दूत से बहुत अनुनय-विनय की किन्तु वे मुझे यहां लाने को सहमत नहीं हुए, अतः मैं स्वयं ही चली आई.....

चित्रगुप्तः तुम पर किसने अन्याय किया? अन्यायी का नाम क्या है?

महिलाः महाराज, जीवित होने के कारण मैं उस रचनाकार का नाम नहीं बताऊंगी जिनकी कृतियों के मैंने अनुवाद किए हैं; वे अभी मर्त्यलोक मैं हैं। मैं भरत मुनि के देश की हूं जहां एक ओर श्रृषिराजसा भव्य हिमालय सिर उठाये खड़ा है दूसरी ओर विशाल अम्बुद्धि उसके चरण पखरा रहा है.....

अनु:1: अवश्य रचनाकार ने अन्याय किया होगा.....

चित्रगुप्तः मैं भी वही जानने के लिए उत्सुक हूं.....

यमदूत-3: (क्रोधित होकर) महाराज, आज्ञा दे तो रचनाकार को अभी यहां उपस्थित करूं.....

चित्रगुप्तः उसकी आवश्यकता नहीं, पुत्री, तुम अपनी गाथा कहो.....

महिलाः महाराज, मैंने एक रचनाकार की समस्त कृतियों का अनुवाद किया। पारिश्रमिक पर्याप्त नहीं मिला, मैंने उसका ख्याल नहीं किया। उच्च कोटि के रचनाकार की कृतियों का अनुवाद कर मैं स्वयं को कृत्यकृत्य मान रही थी। उनको उनकी एक कृति पर देश का सर्वोच्च प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मिला। मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। पुरस्कार अर्पण समारोह मेरे शहर में ही था। यह मेरे लिये बहुत प्रसन्नता की बात थी। मैं इस आशा में पूरी तरह तैयार हो कर बैठी रही कि मुझे भी इस समारोह में आमंत्रित किया जाएगा और रचनाकार महोदय मुझे मंच से समूचे पाठक वर्ग से परिचित करायेंगे कि यही वह सेतु है जिससे मेरी कृतियां आप सब तक पहुंची। मैं तो अपनी कृतियों का जनक हूं उन्हें पोषित कर आपके समक्ष रखने का श्रेय इनको है।

अनु-1: ऐसे दिन ही जीवन की साध पूर्ण होती है। आपको अपने कृतित्व का.....

महिलाः मुझ अभागन के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ.....समारोह की सारी ताम-झाम में न तो मुझे स्मरण किया गया और न ही लेखक महोदय न मेरा कहीं नाम लिया, मुझसे मिलने तक नहीं आए। उनके विदा होने के तीन दिन बाद मुझे उनका एक पत्र मिला, "व्यस्तता के कारण आपसे भेंट न कर सका, खेद है।" मैंन उनकी कृतियों का अनुवाद कर उनका समूचे राष्ट्र से परिचित कराया था। महाराज, आप ही बताइये, यह अन्याय नहीं तो और क्या है?

चित्रगुप्तः घोर अन्याय है। मानवता के नाते भी उनका कुछ कर्तव्य था और फिर तुम्हारा तो अधिकार था।

साहित्यकारः रचनाकार जैसे संवेदनशील व्यक्ति से इस प्रकार की क्रूरता की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

महिलाः ऐसा अनुवाद की उपेक्षा के कारण.....

चित्रगुप्तः (क्रोध में) दूत, हम चाहते हैं कि उस रचनाकार का पता लगाया जाये.....(तभी एक जटाधारी मुनि सदृश्य व्यक्ति का अचानक प्रवेश) कौन?

मुनिः महाराज, मैं गीताकार वेद व्यास.....

चित्रगुप्तः (सिंहासन से उठकर खड़े होकर) भगवन आप यहां, आइए, यहां पधारिए सिंहासन पर आसन ग्रहण कीजिए.....

गीताकारः नहीं, इस समय मैं एक फरियादी की हैसियत से आया हूं.....काफी समय से मेरा मन खिन्न था पता चला अनुकवाद चल रहा है आपके यहां, मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करने आया हूं। आपकी अनुमति हो.....

चन्द्रगुप्तः महाराज, आपका आगमन सिर माथे, स्वयं भगवान के मुखारविंद से प्रस्फुटित वाणी को आपने ग्रन्थाकार दिया, क्या महिमा है गीता की, उसके महात्मय का वर्णन लगूं तो समूचा नरकधाम खाली हो जाए.....

गीताकारः मैं इस समय अपनी प्रशंसा सुनने नहीं, अनुवादक के विरुद्ध शिकायत ले कर आया हूं.....

अनुक-1: महाराज, हमारी जाति से क्या अपराध बन पड़ा है? हम आपके प्रति अपराध करने का साहस भी नहीं कर सकते। श्रीगीता सम्पूर्ण विश्व का पथप्रदर्शक, प्रेरक एवं उद्धारक ग्रन्थ है अनेक अनुवादकों ने इसकी ऊंचाई तक पहुंचने के प्रयास किए हैं, हम जानते है कि किसी को पूर्णता प्राप्त नहीं हुई।

गीताकारः अनुवाद पर मुझे आपत्ति नहीं विद्वजन, हम चाहते हैं उसका प्रत्येक भाषा से अनुवाद हो, वह जन-जन तक पहुंचे। हमने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो उसकी रचना की थी। भगवान कृष्ण की भी यही इच्छा थी.....परन्तु.....

अनुक-1: परन्तु क्या भगवन? श्री गीता का अनुवाद तो उच्च कोटि की दीर्घ साधना, अध्यवसाय और तपस्या का प्रतिफल है.....

गीताकारः मेरा मन खिन्न इसलिये है कि कई रचनाकार दूसरे की कृति के अंशो का अनुवाद करते है और उसे अपने नाम से प्रकाश में लाते हैं.....

चित्रगुप्तः यह वस्तुतः पाप है अधर्म है... बुद्धिजीवी पाप और पुण्य की परिभाषा से भली भांति परिचित होता है उसे पाप से परहेज करना चाहिये।

अनुक-1: सही कह रहे हैं आप? अनजान को क्षमा किया जा सकता है किन्तु ज्ञानी को नहीं.....

चित्रगुप्तः भगवन, आपके मानस में इस समय किस रचनाकार का नाम है?

गीताकारः मेरी यह शिकायत कवि शिरोमणी मानसकार तुलसीदास के विरुद्ध है। मानता हूं उन्होंने गीता के जिन श्लोकों का भी अनुवाद किया, बहुत सुन्दर किया है किन्तु उन्होंने मानस में इन्हें ऐसे सम्मिलित कर लिया मानों उनकी अपनी रचना हो....

साहित्यकारः (स्वयं से) साहित्यकार के विरुद्ध ही शिकायत?

चित्रगुप्तः अरे! मानसकार का नाम घसीट रहे हैं आप? जानते हैं उन पर स्वयं मर्यादा पुरूषोत्तम रामचन्द्रजी का वरद्हस्त था!

यमदूतः महाराज, कहीं ईर्ष्या से प्रेरित होकर तो ऐसा नहीं कर रहे। हमने घर घर में मानस पड़ा देखा है, श्रीगीता जी भी थी परन्तु फिर भी यदि आप सर्वेक्षण करवाये तो मानस अधिक घरों में मिलेगा। बल्कि लोगों ने उसे अपने जीवन में ढाल लिया है...

गीताकारः मैं लाभ-हानि, सुख-दुख, मान-अपमान, ईर्ष्या द्वेष सबसे निर्लिप्त हूं वत्स...

यमदूतः 2. भगवन, अपराध क्षमा हो, आपकी खिन्नता तो दूसरी गाथा कह रही है... आप ज्ञानमार्गी हैं और मानसकार भक्ति मार्गी...कहीं वह द्वैत तो द्वेष का कारण नहीं?

चित्रगुप्तः सर्व शिरोमणि महानुभाव से इस प्रकार का वार्तालाप वर्जित है।

यमदूतः 2. आपके यहां बृहद प्रभामंडल वाले विद्वानों से क्या बात करना वर्जित है, किस बल पर आप लोकतन्त्र का दम भरते हैं महाराज...

गीताकारः महाराज, मैं इनकी शंका का समाधान किये देता हूं, गीता में एक प्रतिपादित एक सिद्धान्त यह भी है कि गलत बात सहन न की जाये। मैं यह बताना चाहता हूं कि तुलसीदास ने गीता से ही नहीं, लगभग 72 ग्रंथों के अंशों का अनुवाद कर उन्हें मानस में शामिल, किया है पर उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया। उनके अनुवाद की एक बानगी देखिएः—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य त्दात्मानं मृज्याम्यहम।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धमसंस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे।। (गीता)

तुलसीदास ने इसका अनुवाद किया हैः—

जब जब होई धर्म की हानि
बाढ़िह असुर अधम अभिमानी।
तब तब हरि धरि विविध शरीरा।
हरिहिं कृपानिधि सज्जनपीरा।

सभी अनुकवर्गः (एक स्वर से) धन्य है गोस्वामी तुलसी दास। क्या सुन्दर अनुवाद है।

सिद्धान्तकारः महाराज, अनुवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें अनुवाद का स्वाद न हो। उसकी गंध न हो।

गीताकारः आप सब मान गये कि यह अनुवाद है किन्तु "मानसकार" ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा, मुझे आपत्ति इसी बात पर है। उन्होंने श्लोक को उलट पुलक कर इस खूबी से अपनी भाषा में रखा है कि कोई जान ही न पाये कि यह अनुवाद है। मैं आपको ऐसे उदाहरण भी दे सकता हूं जहां उन्होंने शब्दशः अनुवाद किया है...

मूकं करोति वाचालं लंघपते गिरिम्।
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्द माधवम्।। (भविष्य पुराण)

मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन।
जासू कृपा तो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन।।

मानसकार ने यहां लगभग शब्दानुवाद कर दिया है।

चित्रगुप्तः क्या मानसकार ने पूर्ववर्ती रचनाकारों का ऋण स्वीकार नहीं किया?

अनुक-4: महाराज, गोस्वामी तुलसीदास की सार ग्रहणी शक्ति इतनी तीव्र थी कि उन्होंने मानस में अनेक स्रोतों से सामग्री ली। किस किस का उल्लेख करते वह?

गीताकारः हर रचनाकार को सामग्री तो कहीं न कहीं से लेनी ही पड़ती है किन्तु उसे रचनात्मक स्वरूप देना ही कला है...

अनुक-2: क्या कविवर तुलसी में रचनात्मकता की कमी थी?

गीताकारः यह मैंने कब कहा? अपितु मैं तो मानस का जबरदस्त प्रशंसक हूं। सरस्वती के इस वरद सुपुत्र की मनीषा तो इतनी अदभुत है कि जब वे रचना करते तो उनके पूर्ववर्ती कवि अपनी रचनाओं सहित उपस्थित हो जाते और वे समुद्र मंथन की तरह उनमें से रत्न चयन कर लेते थे। संस्कृत के दो ढ़ाई सौ ग्रंथों के लाखों श्लोकों पर उनका एक सम्राट की भांति अधिकार था और वे अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग कर लेते थे।

अनुक-4: माननीय गीताकार जी, आपकी इस बात पर आपकी अनुमति से मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। इस बात को दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि प्रत्येक रचनाकार साहित्य की पूरी परम्परा साथ ले कर चलता है। साहित्यिक परम्परा के अभाव में स्तरीय साहित्य की रचना नहीं हो सकती...

गीताकारः हिन्दी का अधिकांश भक्तिकाव्य, रीतिकाव्य तथा नीतिकाव्य संस्कृत, प्राकृत से या तो सीधे अनूदित है अथवा पूरी तरह प्रभावित है क्या रचनाकार के लिये साहित्य की परम्परा साथ लेकर चलने का यही अर्थ है? दो खण्डों में प्रकाशित एक पोथी में यह दर्शाया गया है कि मानस की एक-एक पंक्ति भारतीय साहित्य का या तो शब्दानुवाद है या छायानुवाद।

सिद्धान्तकारः मानसकार ने मानस में "नाना पुराण निगमागम सम्मत" का तो उल्लेख किया है?

यमदूत-1: महाराज, जब रचनाकार अनुवादक और अनुवादक सृजक हैं तो विवाद क्यों? यह वाद क्यों?...

सिद्धान्तकारः गीताकार महोदय अभी गोस्वामी तुलसीदास का उल्लेख कर रहे थे। उनके अनुवाद पक्ष को उधाड़ रहे थे। वे तो उच्च कोटि के रचनाकार थे और उन्होंने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा केबल पर सफल अनुवाद किया अतः अनुवाद कार्य के लिये सृजनात्मक प्रतिभा होना अनिवार्य है अन्यथा अनुवाद असम्भव है।

चित्रगुप्तः मैं समझता हूं गीताकार एवं अन्य रचनाकारों की शिकायत घटिया अनुवाद के विरुद्ध होनीचाहिये, कवि शिरोमणि तुलसीदास का अनुवाद वस्तुतः वन्दनीय है।

अनुक-1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रचनात्मक प्रतिभाएं तो मूल रचनाओं को पुनर्जीवन प्रदान करती है। मानसकार ने संस्कृत वांडमय का जनभाषा में अनुवाद कर उसे अमर बना दिया।

अनुक-2: महाराज, मानसकार ने अनेक ग्रंथों या भगवतपुराण, विष्णु पुराण, पदम पुराण, अध्यात्म रामायण, अगस्त्य रामायण, अदभुत रामायण, प्रसन्न लाघव, उत्तर रामचरित, वशिष्ठ संहिता आदि से चुन-चुन कर अंशों

का अनुवाद कर उसके "मानस" में सम्मिलित कर इन सभी ग्रंथों को अमर कर दिया। मानस स्तवन सम्पूर्ण साहित्यिक परम्परा स्तवन के समान है यदि गोस्वामी तुलसीदास ने अनुवाद किया है तो यह आलोचना का नहीं, संतोष एवं गर्व का विषय है। इससे अनुवाद की महत्ता ही उजागर होती है...

गीताकारः मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता था कि रचनाकारों और अनुवादकों को स्रोत का उल्लेख अवश्य करना चाहिये।

चित्रगुप्तः भद्रे, तुम जिस देश से आई हो, वहां आजकल दूरदर्शन पर रामायण दिखाया जा रहा है न?

महिलाः जी महाराज, बड़ा ही लोकप्रिय धारावाहिक है। यह समझ लीजिए उन पलों में सम्पूर्ण राष्ट्र राममय हो जाता है।

यमदूत-2: महाराज, सुन लीजिए नरकधाम की खैर नहीं, अब कोई नहीं आएगा यहां...
राम भक्ति मनि उर बसिं जाके।
दुख लवलेश न सपनेहू ताके।।

चित्रगुप्तः चिन्ता न करो, नरकधाम बन्द हुआ तो तुम्हें स्वर्ग भिजवा दूंगा...

यमदूत-2: न, न। महाराज, कहते है न, जो सुख बुलख न बुखारे, सो सुख छज्जू के चौबारे...

यमदूत-3: काक संस्कृतिदूत, यह कहो न, अंगूर खट्टे हैं।

यमदूत-2: महाराज, मजाक नहीं कर रहे। उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर किन्तु मैं यह धाम छोड़ कर नहीं जाऊंगा। स्वर्ग में चाकरी से नरक में चौधराहट अच्छी। मैं यह श्रीचरण छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा महाराज...

चित्रगुप्तः बहुत हो लिया विषयान्तर। भद्रे, दूरदर्शन पर दर्शानीय रामचरित क्या अनुवाद की परिधि में आता है?

महिलाः मर्यादा पुरूषोतम राम की इस महान गाथा का आधार ग्रंथ मुख्यतः बाल्मिकी रामायण एवं मानस है साथ में अन्य रामायणों से भी सहायता ली जाती है महाराज।

चित्रगुप्तः क्या यह अनुवाद है?

महिलाः जी, यह अनुवाद का ही एक रूप है अनुवाद अनेक प्रकार का होता है यथा शब्दानुवाद, भावानुवाद, व्याख्या, भाष्य टीकानुवाद आदि। यह अनेक भाषाओं से अनेक स्तरों पर किया गया अनुवाद है।

सिद्धान्तकारः महाराज, यह रामकथा एकाधिक स्रोतों से ली गई है। इसमें संस्कृत, तमिल, अवधी, हिन्दी आदि से अनुवाद किया गया है। इनके आधार पर कलाकार अभिनय करते हैं वे एक अर्थ में रामकथा का-अनुवाद-ही करते हैं...

यमदूत-1: महाराज, यह अनुवाद की परिधि को सुरसा के आकार सा बढ़ाते चले जा रहे हैं।

सिद्धान्तकारः आपकी तन्मयता तोड़ने का यही तरीका था... (सब हंसते हैं)

यमदूत-1: महाराज, आरम्भ से ही कहा जा रहा है कि अनुवाद असम्भव है, यह तलवार की धार पर चलने के समान है...

यमदूत-2: तब तो तलवार की धार से हर अनुवादक घायल हो चुका होगा।

यमदूत-3: मूर्ख, यह मुहावरा है...

यमदूत-2: जानता हूं बुद्धि का ठेका तुम्हारे पास है।

साहित्यकारः क्या अनुवाद मूल सृजन-सा सृजन है?

सिद्धान्तकारः महाराज, यहां गीताकार उपस्थित हैं, उन्होंने शिकायत के माध्यम से ही सही, तुलसीदास की सृजनशीलता को अनुवाद के माध्यम से स्वीकार किया है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूं:
सज्जनस्य हृदयं नवनीतं।
यद्वदन्ति कवयस्तदलीकम्।।
संत हृदय नवनीत समाना।
कहा कविन पै कहई न जाना।। (मानस)
क्या इनमें सृजनात्मकता का अभाव है?
सहृदय इसे सृजन स्वीकार करते हैं

यमदूत-1: कई लोग कहते हैं अनुवाद कठिन नहीं होता, बालपन में शिक्षा के आरम्भ के साथ अनुवाद आरम्भ हो जाता है....

चित्रगुप्तः अनुक महोदय, क्या यह सत्य है?

सिद्धान्तकारः महाराज, ऐसे व्यक्तियों को बुला भेजिये और उनसे यहां अपने सामने बैठा कर अनुवाद करवा कर देखें, असलियत सामने आ जायेगी।

यमदूत-1: मर्त्यलोक में ऐसे कहने वाले लोगों की कमी नहीं, किन्तु उन्हें जीवितावस्था में यहां लाना सम्भव नहीं

सिद्धान्तकारः महाराज, अगर वह नहीं आ सकते तो आपका दरबार तो वहां लग सकता है। फिर देखिएगा कैसे होता है दूध का दूध और पानी का पानी।

चित्रगुप्तः महोदय, सामान्यतया ऐसा करना सम्भव नहीं। किन्तु मैं वाद की गम्भीरता और औचित्य को देखते हुए अपने स्व-विवेकाधिकार का प्रयोग करूंगा। महादूत, इस सनबंध में समुचित व्यवस्था हो...

महादूतः जैसी आज्ञा, महाराज।

(यवनिका पतन)

शताब्दी वर्ष पर विशेष लेख

हिंदी वाङ्मय के शलाका पुरुष आचार्य शिवपूजन सहाय

– रामचन्द्र सिंह 'त्यागी'*

आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 को वक्सर के उनवास गांव में हुआ था। इनका देहावसन 21 जनवरी, 1963 में हुआ। कौन जानका था कि एक अति साधारण परिवार में जन्मा एक बालक एक दिन सम्पूर्ण हिन्दी वांगमय का शलाका पुरूष के रूप में उमड़ेगा। उनका आंखों से हिन्दी को हर दृष्टि से समृद्ध करने की एक आकुल ज्योति छिटकती थी। वे सदैव ही हिन्दी के विकास के लिए चिन्तित और सक्रिय रहते थे। साहित्य सृजन के साथ-साथ हिन्दी संगठनों का गठन उनके दैनिक जीवन की दिनचर्या की तरह थी। यही कारण है कि रचना के स्तर पर उनकी वैचारिकता और संगठन के स्तर पर उनकी मानवीयता ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को गगन चुम्बी बना दिया था।

भाषा की स्तरीयता को ऊंचा उठाने के लिए वे तत्सम शब्दावलियों का सम्मान तो करते थे किन्तु उसकी सर्वग्रह्यता को कायम रखने के लिए तत्सम शब्दावलियों के प्रयोग की संकीर्णता से ऊपर उठे हुए थे। बात 1958-59 के बीच की है। समस्तीपुर महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य कलक्टर सिंह केसरी ने अपने महाविद्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। गोष्ठी के मुख्य अतिथियों में आचार्य शिवपूजन सहाय और मुख्य वक्ता थे आचार्य केसरी कुमार। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए आचार्य शिवपूजन सहाय ने भाषा की स्तरीयता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भाषा की सर्वग्राह्य शक्ति उसे समृद्धि के शिखर पर ले जाती है। यह बात उनकी कहानियों और ललित निबन्धों में देखने को मिलती है। मैंने पहली बार आचार्य केसरी कुमार से उक्त गोष्ठी में शिवपूजन सहाय के लिए उनके प्रति "शिवजी" की संज्ञा से संबोधित करते हुए सुना था। वास्तव में शिव जी का व्यक्तित्व शिवमय था।

किसी समाज और राष्ट्र का हित चिन्तन का माध्यम उस समाज और देश की सर्व प्रचलित भाषा ही हो सकती है। भारत के लिए वह भाषा तब भी अब भी और भविष्य में भी हिन्दी ही हो सकती है यह पक्का विश्वास था आचार्य शिवपूजन सहाय का। यही कारण है कि वे जीवन के प्रत्येक क्षण को हिन्दी की विकास वेदिका पर आहुति देते रहे। लोकतांत्रिक भारत में लोकजीवन को अभिव्यक्त करने के लिए लोकसभा हिन्दी के वे प्रबल समर्थक थे। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। भोजपुर (बिहार) ठेठ देहात में अति सामान्य परिवार में जन्में और 70 वर्षों की आयु यापन करने वाला किसी साहित्य चेता की प्रवृति भारतीय चेतना से जुड़ी हुई होगी ही।

शिव जी की शिक्षा उसी ग्रामीण क्षेत्र में मात्र प्रवेशिका कक्षा तक सीमित रही। 'होनहार विरवान के होत चीकने पात' वाली कहावत शिव जी पर लागू होती है। उन्हें तो हिन्दी के हिन्द महासागर का मंथन कर भारत की जिह्वा को वाणी का अमृत घट प्रदान करना था। दैवयोग से आजीविका के लिए उन्हें काशी की कचहरी में हिन्दी नकल नवीस के पद पर नियुक्ति मिली। शायद इनकी हिन्दी सेवा का द्वार यही से खुलना था। इसके बाद इनकी हिन्दी साधना के पट एक के बाद खुलते चले गए। 1917 में आरा टाउन स्कूल में आप हिन्दी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। लेकिन इन्हें तो हिन्दी के महोदधि में गहरे गोते लगाने थे। वे किनारे पर बैठकर कब तक केवल बंशी धुन टेरते। भारत, अंग्रेजी शासन से मुक्ति के लिए अंगराई ले रहा था। 1921 में गांधी जी का असहयोग आन्दोलन अपनी बुलन्दी पर था। उनके आह्वान पर उन्होंने शिक्षक की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। फिर भी वसंत के शीतल आम्रकुंज में पंचमी की धुन टेरने वाली कोई कोयल जेठ की दहकती दोपहरी में किसी मरूभूमि को कैसे पसन्द कर सकती है? मानसरोवर का मोती और मंगू चुगने वाला कोई राजहंस किसी गढ़े में वगुले की भांति नन्हीं मछलियों को अपना आहार कैसे बना सकता है। आजादी की लड़ाई में समस्त दज्दो-जहद से दूर होकर उन्होंने भारतीय मन को ऊंचा उठाने का मार्ग ढूंढ़ लिया और पत्रकारिता का पल्ला पकड़ा। इस अर्थ में साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विहार के आदि पुरूष के रूप में यदि माने जाएं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। विहार जिन पत्रों का प्रकाशन और सम्पादन अपने हाथों में लिया उनमें मारवाड़ी सुधार, आदर्श, मतवाला, मोती, माधुरी, समन्वय, गोलमाल, उपन्यास तरंग, बालक, गंगा, जागरण और हिमालय आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

शिव जी की जीवन रूपी गाड़ी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व रूपी दो चक्कों पर आगे बढ़ती रही। इनकी विद्वता और व्यक्तित्व को आधार बनाकर 1939 में इन्हें राजेन्द्र कालेज छपरा के प्राध्यापक पद पर नियुक्त किया गया। सन् 1941 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 1950 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् का संचालक भी बनाया गया। शिव जी के साहित्यिक जीवन के ये सब वीहर पड़ाव रहे हैं।

जहां तक इनके कृतित्व का प्रश्न है यह मानना होगा कि संख्या की दृष्टि से इनकी कृतियां अत्यल्प हैं। इन्होंने अपनी थोड़ी सी कहानियों, ललित निबन्धों, संस्मरणों और एक उपन्यास से ज्यादा कुछ लिखा नहीं। किन्तु जो भी लिखा वह भाषा, शैली, विषय और अभिव्यक्ति के धरातल पर अद्वितीय है। इनकी लेखनी भाषा पर सवारी करती थी तो अभिव्यक्ति भावनाओं पर नृत्य करती थी। इस प्रकार इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मविभूषण की उपाधि से अलंकृत कर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया।

(शेष पृष्ठ 54 पर)

*राजभाषा अधीक्षक, पूर्वोत्तर रेलवे सोनपर

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य

गुजरात के हिंदी कवि

डॉ. विष्णु विराट चतुर्वेदी*

महात्मा गांधी ने गुजरात में हिंदी की जो अजस् अविधारा प्रवाहित की वह आज कल अक्षुण्यरूप में गतिवान है। वैसे तो गुजरात में हिंदी कवियों की एक प्राचीन और स्वस्थ परम्परा रही है किन्तु गांधीजी ने व्यावहारिक रूप से इसे गुजरात में अधिक प्रचलित और प्रसारित किया है।

आश्चर्य का विषय है कि समग्र देश में एकमात्र गुजरात प्रान्त ही ऐसा था जहां कच्छ-भुज में ब्रजभाषा पाठशाला का सुचारूरूप से संचालन होता था और यहां के शिक्षित व प्रशिक्षित कवियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान एवं प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यहां समग्र काव्य अविधारा या समग्र हिंदी प्रदान की चर्चा करना संभव नहीं है, संक्षिप्त रूप से इस संदर्भ में प्रकाश डाला जा रहा है।

गुजरात के विभिन्न धर्मसम्प्रदायः

हिंदी साहित्य का अधिकांश उदगम-स्थान धर्म-सम्प्रदाय ही रहे हैं। गुजरात में पुष्टिमार्ग/स्वामीनारायण/प्रणामीपन्थ/रामानन्दी पन्थ/कबीरपन्थ/रविदासपन्थ/जैनधर्म/प्रमानन्दी/महर्षिअरविन्द-आश्रमी/गायत्री परिवार/साईबाबपन्थी/इस्कोन पंथी/रजनीशानुयायी आदि पन्थ या धार्मिक सम्प्रदाय गतिशील रहे हैं, जिनके मंच से हिंदी का प्रभूत साहित्य सर्जन हुआ है।

प्रमुख कविगणः

गुजरात में 15वीं शताब्दी से आजतक हिंदी काव्य लेखन की सतत प्रवृत्ति रही है। कालानुसार कवियों के नामोल्लेखन मात्र प्रस्तुत हैः—

15वीं सदीः—

नरसिंह मेहता/मालण/केशवदास/कृष्णदास/शाह अली मोहम्मद/आमधनी/काजी अहमद आदि

16वीं सदीः—

दादू दयाल/मीराबाई/सामां झूला/ईशर वारोट/हजरत खूब मोहम्मद साहेब चिश्ती/सैयद शाह हाशिम आदि

17वीं सदीः—

रामचन्द्र नागर/पुहकर/भगवान/आनंदधन/ज्ञानचंद/यशो विजय/विनय विजय/प्राधनाथ/न्दिमती/अखा/शामल भट्ट/विश्वनाथ ज्ञानी/मुकुन्द/शम्सवली/उत्साह/शुजाददीन नूरी आदि

18 वीं सदीः—

महेरावण सिंह/राजा साहब अमरसिंह जी/महाराजा लखपतिसिंह जी/दुर्गेश्वर/चांदण/ शासन/गौरी बाई/जसुराम/कवीश्वर दलपतराम/बन्सीधर/केवलराम धीरो/बीरोदीना चौबे/प्रीतमदास/खमानबाई/भोझा भगत/मुक्तानंद स्वामी/निष्कालनंद/सहजानंद/बृहमानंद/प्रेमानंद स्वामी/गिरधर/मनोहर स्वामी/सच्चिदानंद/किशनदास/हर्षदास/निरान्त/भागादास/रविसा हेब/ स्वामीसाहब/त्रिकम साहब/मोरार साहब/मूलदास आदि

19 वीं सदीः—

नभुदास घानतीरामजी/द्विवेदी/छोटम दलपतराम/डाह्याभाई/गोविन्द गिल्लाभाई/नृसिंहाचार्य/अर्जुन भगत/बालाशंकर उल्लसराम कंथरिया/पाताभाई गढ़वी/हीराचन्द कानवी कवि/राधाभाई/जामसुता जाडेजी/प्रतापवाला/बजमालती महेडु/उद्धव उपनाम औषध/होथी साहब/जीवणदास/दीनदरवेश/कहान/कल्याण/भाण/सवितानार ायण/महात्मा हरिदास आदि 20 वीं सदीः—

अविनाशानन्दजी/काजी अनवर मिया ज्ञान/दुलेराय काराणी/कुँवरजू नथूवैध/दूलामाया काग/इन्दुमती हृदेसाई/रंग अवधूत महाराज/राजकवि मूलदास मोनदास नीमवन आदि

इनके अतिरिक्त और भी उनके कवियों ने इस गौरवमयी गुजरात की धरती पर जन्म लेकर भारत भारती के साहित्य कोश को अपनी ओजस्वी रचनाओं से समृद्ध किया है। (सर्जना पत्रिका से आभार)

*प्रवक्ताः हिंदी विभाग म.स. विश्वविद्यालय, वडोदरा

(पृष्ठ 53 से आगे)

कुल मिलाकर शिव जी का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति की प्रतिकृति रूप था और साहित्य के स्तर पर हिंदी को उन्होंने व्यापक आधार प्रदान किया। उनके विचार, सिद्धान्त और दर्शन सब कुछ में भारतीय आत्मा बोलती थी। उनके हृदय में समग्र मानवता की संवेदना भरी थी तो साहित्य में मानवीय विकास की अखंड विचारधारा प्रवाहित होती थी। वे नख से सिर तक भारतीय थे। उनकी कहानियों में "कहानी का प्लाट" शीर्षक कहानी की नायिका "भगजोमनी" भारतीय समाज की गरीबी का प्रतिनिधित्व करती है तो 'मुण्डमाल' शीर्षक कहानी भारतीय शौर्य की गाथा को उद्घाटित करती है। सरल और सपाट भाषा तथा मुहावरेदार शैली में गुरूगंभीर विचारों की शास्वत अभिव्यक्ति उनकी लेखनी की विशिष्टता थी। अपनी इन्हीं सारस्वत विशिष्टताओं के आधार पर शिवजी एक शतकवाद, आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रसंगिक बने रहेंगे।

विश्वभाषा हिंदी के उन्नयन में मरक्तद्वीप मारीशस का अवदान

– डा० लक्ष्मीनारायण दुबे, डी० लिट्०

हिंदी को विश्वभाषा, विश्व रंगमंच तथा विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की सर्वप्रथम मशाल मारीशस ने प्रज्वलित की है। भारत के पश्चात् हिंदी संसार में यदि सबसे अधिक किसी देश में बोली जाती है तो वह है लघुभारत मारीशस। अपनी संस्कृति तथा तीसरी दुनिया के मूल्यों को वाणी सबसे सशक्त भाषा यदि कोई हो सकती है तो वह एकमेव हिंदी ही। तीसरी दुनिया के निखरते-उभरते, संघर्ष-साधना करते मनुष्य के मानस की भाषा हिंदी ही होगी। इसे प्रमाणित करने और स्वीकार करने में तथा सक्रिय-रचनात्मक रूप में पहल करने के लिए हमें मारीशस की जनता और वहां की सरकार के प्रति अशेष कृद्धज्ञता ज्ञापित करना होगा।

मारीशस के पूर्व प्रधान मंत्री तथा वर्तमान मारीशस के राष्ट्र निर्माता डा० सर शिवसागर रामगुलाम को सर्वप्रथम श्रेय है कि वे हिन्दी को विश्व मान्यता दिलाने की दिशा में अग्रणी बनें। उनको यदि मारीशस का जवाहरलाल नेहरू कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। आज के मारीशस के राजनेता सर्वश्री अनिरुद्ध जगन्नाथ (प्रधान मंत्री), मुकेश्वर चुनी (शिक्षा-संस्कृति मंत्री) तथा राजनारायण गति (संसदीय निजी सचिव) ने हिंदी को दुनिया की भाषा बनाने में अग्रणी एवम् अहम् भूमिका का निर्वाह किया है।

महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रिका में अपना सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय मंच पर आने के पूर्व, वे सन् 1901 में मारीशस पहुंचे थे और उन्होंने वहां भाषायी-बोध तथा राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के जनजागरण का शंखनाद किया था। वे मारीशस के नतल में ताम्बी नायडू से मिले थे जिनके सराहना गांधी जी ने इन शब्दों में की—सम्भवतः सबसे बहादुर, दृढ़ व्यक्ति है अदम्य ताम्बी नायडू। मैं किसी दूसरे ऐसे भारतीय को नहीं जानता जिसने संघर्ष की आत्मा को इतनी अच्छी तरह जाना हो जितनी अच्छी तरह ताम्बी नायडू ने। वे मारीशस में पैदा हुए लेकिन वह हम में किसी से अधिक भारतीय हैं।

महात्मा गांधी अपनी मारीशस-यात्रा के दौरान एक रात मारीशस के राज्यपाल संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान सर चार्ल्स बूस के अतिथि रहे थे पं० विष्णु दयाल ने मारीशस में हिन्दी के लिए जो कार्य किया—उसने उन्हें मारीशस का महात्मा गांधी बना दिया। गांधी जी ने गुजरात से मणिलाल डाक्टर को अपना कार्य करने मारीशस भेजा था। आज मारीशस में सब मानते हैं कि यदि पं० विष्णुदयाल जी न होते तो सब भारतीय अपनी संस्कृति भूलकर मिट गए होते और डा० शिवसागर रामगुलाम न होते तो भारतीयों की आधुनिकता से इतनी प्रतिबद्धता न हो पाती।

*प्रोफैसर (हिन्दी) डा० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)

मारीशस की भाषायी संरचना:

मारीशस छोटा विश्व है। वह संसार के सबसे घने बसे देशों में से एक है। उसने हिंदी की विश्वयात्रा का महत्वपूर्ण चरण रखा है। उसने तुलसीदास द्वार और महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारों का निर्माण करके, हिंदी के दो महान् पुरोधाओं को अपना नमन प्रस्तुत किया। श्री दयानंद वसंतराय, डा० एन० आर० शापेरो, पी० जी० आर० राउल, सोमदत्त बखौरी आदि ने हिंदी को समुद्रपार संस्थिति प्रदान की।

इस संतरंगी मिट्टी वाले स्वप्नद्वीप पर समस्त भाषाओं और संस्कृतियों को समान अवसर एवम् प्रतिष्ठा प्राप्त है। यहां ग्यारह भाषाएं प्रचलित हैं। पूर्वीय भाषाएं—भोजपूरी, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगू, मराठी, गुजराती तथा चीनी। पश्चिमी भाषा हैं; क्रिआल, फ्रेंच, अंग्रेजी। नगर के अधिकांश लोग अपने घर में क्रिओल, फ्रेंच या अंग्रेजी ही बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भांति यहां भी दो प्रमुख भाषाएं—अंग्रेजी तथा फ्रेंच हैं। अंग्रेजी यहां की राजभाषा है। यहां की राजकीय भाषा अंग्रेजी, फैशन की भाषा फ्रेंच, बाजार की भाषा क्रिओल और घरेलू भाषा भोजपूरी है। मारीशस यूरोप, अफ्रिका, चीन और भारत की चार विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है। वह पांचवीं संस्कृति की और भाग रहा है—वह है अमेरिका संस्कृति। हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में यहां पुरूषों की अपेक्षा नारियों ने अधिक योगदान दिया है। यहां भारतीय भाषाओं और संस्कृति को लेकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं यथाः अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन जिसमें एक हजार प्रतिनिधि भारत से गए थे और लगभग इतने ही प्रतिनिधि अन्य देशों से भी आए थे। भारतीय आप्रवास के 150वें वर्षगांठ समारोह में डेढ़ सौ भारतीयों का प्रतिनिधि मण्डल गया था। भारत की संस्था अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद्, नयी दिल्ली ने इस क्षेत्र मे प्रशंसनीय कार्य किया है। मारीशस में आयोजित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सूची इस प्रकार हैः सप्तम अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन (दिसम्बर, 1989), पष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन (अगस्त, 1990), तृतीय विश्व तेलुगू सम्मेलन (दिसम्बर, 1990), द्वितीय विश्व मराठी सम्मेलन (अप्रैल, 1991), विश्व उर्दू सम्मेलन (दिसम्बर, 1991), विश्व चीनी सम्मेलन (अप्रैल, 1992), क्रिओल कलोक (सितम्बर, 1992)। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने 11-8-1985 को दिल्ली में मारीशस में सात दिनों का लोकार्पण किया था। 1984 में मुम्बई, दिल्ली तथा कलकत्ता में 150 वीं वर्षगांठ पर मारीशस में प्रवासी भारतीयों पर संगोष्ठियां आयोजित की गयी थी। गणतंत्र दिवस, 1990 पर मारीशस के प्रधान मंत्री श्री अनिरूद्ध जगन्नाथ के आगमन एवम् सम्मान पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया था।

मारीशस की अन्तर्राष्ट्रीय ममता :

मारीशस की धरती के कवि सोमदत्त बखौरी एक एक लम्बी कविता अपनी धरती माता के प्रति है—

सारे जग को छोड़ के पीछे, आयी कहां से जननी मेरी,
मेरी बालिका।
हिन्द महासागर के बीच, नील गगन के नीचे,
पहने साड़ी ईख की, पर्वती की मालिका।

मारीशस ने हिंदी के माध्यम से एक विश्व संस्कृति तथा विश्व संस्कृति तथा विश्व मंच प्रदान किया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सन् 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में साहित्य परिषद् के अध्यक्ष पद से कहा था कि मेरी आंखे वह दिन देखने को तरस रही है जब हिंदी विश्वभाषा के आसन पर प्रतिष्ठित होगी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार तथा आलोचक स्व० आचार्य शुक्ल के सपने को मारीशस ने चरितार्थ एवम् साकार किया है। मारीशस के कथाकार श्री रामदेव घुर घुर के शब्दों में, मारीशस ने इतिहास को हिंदी में किया है। हिंदी में ही स्वतंत्रता तक की यात्रा तय की है। स्वतंत्रता के बाद अस्मिता की खोज में, यहां के हिंदी भाषियों और राजनयिकों ने, हिंदी का ही सहारा लिया है। इस लम्बी दौड़ में हिंदी को कहीं नकारा नहीं गया है और यह हिंदी के लिए बहुत बड़ी विजय है।

सर शिवसागर रामगुलाम ने अफ्रीकी देशों का समर्थन भी हिंदी के हित में जुटाया। मारीशस के एक भारतीय शिक्षा-विशेषज्ञ गंगादत्त शर्मा ने ठीक कहा है—आज मारीशस में यदि भारतीय संस्कृति जीवित है तो उसका कारण यही है कि यहां भारतीय भाषाएं जीवित हैं। इन लोगों ने अपने पूर्वजों की 'राम गति देहू सुमति' की भावना को जीवित रखा है। संस्कारों, त्यौहारों और पर्वों के प्रति अपनी आस्था बनाए रखी है।

नेमनारायण गुप्त तो मारीशस के हिन्दीजगत् के आदिगुरू के रूप में मान्यता प्राप्त है। अभिमन्यु अनत को ख्याति समूचे भारत में है। भारत में उनके अनेक महत्वपूर्ण उपन्यास 'और नदी बहती रही', 'एक बीघा', 'प्यार' तथा 'लाल पसीना' आदि प्रकाशित हो चुके हैं। 1971 का 'प्रवासी स्वर' 'अज्ञेय' के 'तार सप्तक' के समान प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है जिसमें मारीशस के एकादश कवियों की रचनाएं हैं। पांच वर्ष बाद दूसरा कविता-संग्रह निकला जिसमें बारह कवियों की रचनाएं हैं। सोमदत्त बखौरी ने महामण्डित राहुल सांकृत्यायन की 'वोला से गंगा' की तरह, भारत यात्रा पर 'गंगा की पुकार' लिखी जिसे भारत सरकार ने प्रकाशित किया। दयानंदलाल वसंतराय ने मारीशस के प्रवासियों की इस मान्यता को रेखांकित किया था—हिंदी हमारी संस्कृति और धर्म की भाषा है। हिंदी हमारे उन्मुक्त चिंतन की भाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम विश्व के एक बहुत बड़े जनसमुदाय से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं।

शंकरदयाल सिंह ने अपने ग्रन्थ 'यायावरी' एक मादक गंध में मारीशस का रोचक तथा तथ्यपूर्ण यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया है। सारे संसार को मारीशस से परिचित कराने का श्रेय, अमर फ्रेंच उपन्यास 'पाल और जिजिनी' का हिंदी में अनुवाद करके प्रो० विष्णुदयाल ने ऐतिहासिक तथा भाषायी सौहार्द का कार्य किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में छपने वाली पत्रिका 'तरुण अफ्रीकी' में एक अफ्रीकी लेखक ने लिखा था कि फ्रेंच ग्रन्थों का अनुवाद करके, विष्णुदयाल जी फ्रेंच भाषियों को हिंदी भाषियों के निकट ला रहे हैं। 'भाषा', 'राजभाषा भारती', 'संस्कृति', महाराष्ट्र मानसे, 'आकाशवाणी', अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका 'गगनांचल' आदि ने मारीशस विशेषांक प्रकाशित करके, मारीशस को अपने मूल भारत से परिचित कराने में अच्छा योगदान दिया है। सोमदत्त बखौरी की अध्यक्षता में 1963 में स्थापित हिंदी परिषद् ने जब अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया है।

हिंदी चली सात समंदर पार : नागपुर का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन:

1936 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, चर्च ने यह महसूस किया कि हिंदी का राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के रूप में प्रचार-प्रसार और विकास करते अब एक ऐसा समय आया है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसके विकास का जो प्रक्रिया शुरू हुई है-उसे संगठित आवरण प्रदान किया जाए और दस जनवरी, 1975 को आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता सर शिवसागर रामगुलाम ने की। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। समारोह में भारत के कोने-कोने से तीन हजार से अधिक प्रतिनिधि आए थे और लगभग तीन अन्य देशों से आए प्रतिनिधियों ने भी इसमें सक्रिया रूप से भाग लिया था। इसमें एक गोष्ठी का विषय था- हिंदी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति। इसका मुख्य उद्देश्य था देश-विदेश के हिंदी प्रेमी और हिंदी सेवी विद्वानों को एक मंच पर आमंत्रित कर हिंदी के ऐतिहासिक महत्व को प्रस्तुत करना और उसकी उपलब्धियों तथा संभावनाओं पर चर्चा करना। इस सम्मेलन में मारीशस ने ही सबसे पहले हिन्दी के विश्वभाषा स्वरूप को रेखांकित किया। विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना का आकार भी यह बना जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को नयी दिल्ली में स्थापित करने के निमित उपक्रम शुरू कर दिए हैं। इस सम्मेलन में सबसे बड़ा प्रतिनिधि मण्डल मारीशस का ही था।

स्वरूपद्वीप मारीशस में हिंदी का अभिषेक : मारीशस का द्वितीय हिंदी विश्व सम्मेलन:

28 अगस्त, 1976 को मारीशस में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन सर शिवसागर रामगुलाम ने किया और अध्यक्षता की डा० कर्णसिंह ने हिंदी के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जिसमें भारत के बाहर विदेश में हिंदी के कवियों, लेखकों, साहित्यकारों, पत्रकारों और हिंदी प्रेमियों ने एक साथ मिल-बैठकर हिंदी की भूमिका के विषय में गम्भीरता तथा निष्ठापूर्वक चर्चा की। इस चर्चा-परिचर्चा में अन्य बीस देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में विश्व में हिंदी के पठन-पाठन की समस्या पर विचार-विमर्श किया। इस सम्मेलन में जो सबसे बड़ा मुद्दा उभराः वह था विश्व की भाषा होने के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी आधिकारिक भाषा की मान्यता प्राप्त कर सके। इसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव का जोरदार समर्थन मारीशस ने किया। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० फादर कामिल बुल्के, डा० कमला रत्नम, डा० धर्मवीर भारती आदि ने प्रभावपूर्ण वक्तव्य दिए। डा० लोठार लुत्से (जर्मनी), प्रो० औदोलैन स्मैकल (चैकोस्लोवाकिया), प्रो० दावई (जापान), प्रो० श्रीमती निकोल (फ्रांस) आदि ने हिंदी को विश्वभाषा का स्वरूप प्रदान कर दिया। मारीशस के कवि-कलाकार ब्रजेन्द्र भगत "मधुकर" का स्वागत गीत आज भी वहां गुंजायमान है:—

मारीशस करता अभिनंदन।
सकल विश्व हिंदी-प्रेमी का करता नतमस्तक अभिनंदन।
विश्व-विजयिनी मा हिंदी का,

जगत-तारिणी-कल्याणी का करता निसि दिन पूजा अर्चन।
मारीशस करता अभिनंदन।

मारीशस ने इस ऐतिहासिक अवसर को डाक टिकट में बांध दिया-समुद्र की लहरों पर तैरते ज्योतिर्मय ओकायुक्त स्मारक। अंतरिक्ष में प्रथम विश्व हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन, एयर इण्डिया के विमान "गोरी शंकर" में जो कि साढ़े तीन हजार फुट की ऊंचाई पर 550 मील की गति से धावित था। मारीशस में हुए सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय हिंदी मंच की स्थापना का निर्णय।

वसुधेव कुटुम्बकम : तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन

नयी दिल्ली में 1983 में आयोजित तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। उसने विश्व-नीडय् जैसे शब्द समूह को चरितार्थ किया। श्रीमती गांधी का शुरू से ही यह अभिमत रहा थाः हिंदी भाषा के द्वारा भारत की अन्य देशों से मित्रता की कड़ियां और दृढ़ होंगी।

हिंदी की विश्व यात्रा : मारीशस का चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन

1993 में आयोजित चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन मारीशस में एक विश्व हिंदी केन्द्र या सचिवालय की स्थापना की गयी है। मारीशस के द्वितीय सम्मेलन ने इसके मार्ग को प्रशस्त किया है। डा० फादर कामिल बुल्के ने जो बात द्वितीय सम्मेलन में लिखी थी- उसी को विकसित तथा संबर्द्धित किया गया है-द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि मारीशस के हिंदी भाषी नागरिकों के हिंदी प्रेम से भारत के नागरिक प्रेरणा लेंगे और भारत में हिंदी को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करेंगे। ऐसा हो जाने पर हिंदी अवश्य ही विश्व भाषा का गौरव प्राप्त करेगी।

स्व० आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये वाक्य चतुर्थ सम्मेलन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो रहे हैं-मारीशस का द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत ही प्रभावशाली रहा। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा सुखद परिणाम यह हुआ कि हिन्दी संघर्ष की भाषा के रूप में नहीं, बल्कि संसार में शांति का संदेश वाहिका भाषा के रूप में स्वीकृत हुई।

मारीशस के इस सम्मेलन का केन्द्र विषय है- विश्व में हिंदी। इसके मुख्य उद्देश्य हैं-विश्व में हिंदी के प्रचार-प्रचार को प्रोत्साहित करना, विश्व में हिंदी भाषा तथा साहित्य का उपलब्धियों एवम् संभावनाओं पर विचार विमर्श करना, हिंदी के माध्यम से संस्कृति को आज के संदर्भ में देखते हुए सम्बल प्रदान करना तथा सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने की दिशा में प्रयास करना, चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन के पश्चात् हिंदी का प्रगति की दिशा में कार्यक्रम संचालित करना तथा एक स्थायी सचिवालय स्थापित करना। हिंदी में भाषाविज्ञान, साहित्य, लोक साहित्य, हिंदी और आधुनिक शिल्प विज्ञान जैसे विषयों पर शोधपत्र-वाचन आयोजन प्रस्तावित हैं।

सत्रह वर्ष बाद आयोजित मारीशस का यह सम्मेलन मारीशस में हिंदी के द्रुत गति से बढ़ने के परिवेश का सूचक है। इसका आयोजन मारीशस के मौका के महात्मा गांधी संस्थान में प्रस्तावित है। अब वह दिन दूर नहीं जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को सातवीं भाषा के रूप में अभिस्वीकृति मिलेगी।

तीसरी दुनिया की भाषा : हिंदी

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 7-9-1976 के एक पत्र में लिखा थाः जब यह सम्मेलन हो रहा था तो मेरे मन में बार-बार एक और घटना उभर रही थी। वह यह है कि हिंदी आज तो नहीं लेकिन निकट भविष्य में उन गुट निरपेक्ष देशों की सशक्त वाणी के रूप में प्रकट होगी जिनका ऐतिहासिक सुखद सम्मेलन कुछ दिन पहले कोलम्बों में हुआ था। मारीशस में रह कर मेरे मन में कोलम्बों उदित हो जाता था। यद्यपि किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही कि कोलम्बो और मारीशस के सम्मेलनों में किसी प्रकार का संबंध है। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे सिवा और किसी के मन में कोलम्बो का गुट निरपेक्ष सम्मेलन उदित हुआ भी या नहीं परन्तु मेरे मन में एक स्वप्न साकार होता दिखायी दिया। अब भगवान की इच्छा होगी तो जल्दी ही या बात स्वीकार की जाएगी कि सताए हुए और दबाए हुए लोगों को शक्तिशाली आवाज के रूप में हिन्दी पूर्वी आकाश में उदत हो रही है। मैं बराबर माननीय प्रधान मंत्री की दूर दृष्टि की प्रशंसा करता रहा क्योंकि आज चाहे न दिखे लेकिन एक दिन तीसरे विश्व की भाषा के रूप में हिन्दी आने वाली है, आ रही है।

सन् 1988 में मारीशस में डिप्लोमा इन हिंदी स्ट्डीज़ का समारम्भ हुआ। लंदन में 1988 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में मारीशस के ब्रिटेन स्थित उच्चायुक्त श्री ज्ञाननाथ के आने से विचार-विमर्श में ऊर्जा आयी। राष्ट्र संघ में विश्व की तीसरी बड़ी भाषा हिंदी के प्रवेश की मांग सर्वसम्मति से प्रस्ताव के रूप में उठायी गई। इसमें ज्ञाननाथ के अतिरिक्त पांच और देशों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। इसमें यह भी स्वीकार किया गया कि चौबीस अक्तूबर को "राष्ट्र संघ दिवस" को "विश्व हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाए।

विश्व-मस्तक पर हिन्दी की बिन्दी

12 मार्च, 1968 में मारीशस के स्वतंत्र गणतंत्र राष्ट्र बनने के पश्चात् हिन्दी ने बड़ी प्रगति की है। पंजाबी भाषी डा० रामप्रकाश, तमिल भाषी नरेश रागेन और तेलुगू भाषी रामा सामी तुलसिया तथा रामास्वामी विरासामी के मारीशस में हिंदी के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता।

भारतेतर देशों में हिन्दी मारीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, इंग्लैण्ड, अमेरिका, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, इण्डोनेशिया आदि में बोली जाती है। इनमें मारीशस, फिजी, सूरीनाम आदि में मौजपुरी प्रवाहित हिन्दी बोली जाती है। साथ ही उन पर यथास्थान अंग्रेजी, फ्रांसीसी तथा डच आदि यूरोपीय भाषाओं के शब्दकोष निर्माण तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में केन्द्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने श्रष्ठ कार्य किया है। नार्वे में भी हिन्दी के अंतराष्ट्रीय स्वरूप पर 1993 में चर्चा हुई।

एक ओर हिन्दी का विश्वभाषा स्वरूप हिन्दी के दो मूर्धन्य आचार्यों की बलवती इच्छा को पूर्ण कर रहा है तो दूसरी और वारान्निकोव, जार्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, डा० जे० एन० कारपैण्टर, डा० एल० पी० तैस्सीतौरी, आदि की सारस्वत साधना को भी मूर्त प्रदान कर रहा है। हिन्दी महासागर का मौती, रामायण का मारीच-द्वीप, वेदों का श्वेतद्वीप तथा प्रेमचंद की कहानी "परदेशी" का कथास्थल मारीशस सचमुच हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय प्रोन्नति का प्रदीप प्रज्वलित किए हुए हैं।

चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन, मारीशस (2-4 दिसम्बर, 1993) की अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण दुबे, द्वारा वाचन किए गए शोध-पत्र (विश्व में हिन्दी) का सारांश

शोध-लेख का सारांश

विश्व में हिंदी

हिन्दी ने मातृभाषा से राष्ट्रभाषा और अब राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा का स्वरूप धारण कर लिया है। राष्ट्रभाषा के प्रसंग में, हिन्दी के परिप्रेक्षय में, भारत को रूस तथा इजरायल का ज्वलंत एवं अनुकरणीय दृष्टांत समक्ष रखना चाहिए। हिंदी को भारत के बाहर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बर्मा, श्रीलंका, मलाया, इंडोनिशिया, मारिशस, दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीका, ब्रिटिश गुयाना, आदि का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाल, फिजी, सूरीनाम आदि देश भी हिंदी के महत्व को समझते हैं। राष्ट्रसंघ के अंतर्गत यूनेस्कों ने हिंदी को मान्यता प्रदान की है। संसार में लगभग 2800 भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें बोलने वालों को संख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के पश्चात् हिंदी का तृतीय स्थान है। राष्ट्रसंघ में छः भाषाओं को मान्यता है-अंग्रेजी और फ्रेंच (मुख्य)तथा रूसी, स्पेनिश, चीनी, अरबी। हिंदी को सातवीं भाषा के रूप में महिमापूर्ण स्थान मिलना चाहिए क्योंकि यह विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। हिंदी पूर्णरूपेण विश्वभाषा बनने में समर्थ, सक्षम एवं योग्य है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना का उपक्रम हो चुका है। मीडिया (दूरदर्शन) का हिन्दी का प्रवासी भारतीयों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चेनल प्रवर्तित है। हिन्दी में पांच लाख नये शब्द एवम् पर्याय बन चुके हैं जो कि वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर, इलैक्ट्रानिकी, अंतरिक्ष, तकनीकी एवम् पारिभाषिक शब्दावली के लिए प्रयुक्त हैं। अखिल भारतीय शब्दावली के रूप में बीस हजार नये शब्द या पर्याय बन चुके हैं जिनका प्रयोग पारिभाषिक रूप में भारत की अठ्ठारह भाषाओं में होता है। राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना हो चुकी है। यूरोप, अमेरिका, रूस, जापान तथा अन्य देशों के लिए हिन्दी शब्द तैयार हो चुके हैं। हिन्दी की लिपि नागरी विश्व लिपि बनने में सर्वथा समर्थ है।

आज हिन्दी को विश्वभाषा तथा राष्ट्रसंघ भी मान्यता प्राप्त भाषा बनाने में मारीशस की अहम्, महत्वपूर्ण एवम् सक्रिय भूमिका है क्योंकि मारीशस में भारतीय सांस्कृतिक विरासत अपने श्रेष्ठ तथा निर्मल रूप में विराजमान है। मारीशस में आयोजित दो विश्व हिन्दी सम्मेलन हिन्दी के विश्वभाषा के विश्रुत स्वरूप में समृद्ध करने में अन्तर्राष्ट्रीय सार्थक भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं। हिन्दी के तुलसी तथा प्रेमचंद विश्व की भाषाओं में अनूदित हो चुके हैं। विश्व के शताधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी का सफल अध्ययन-अध्यापन एवम् शोध कार्य हो रहा है। एच०एच० विलसन, कामिल बुल्के, सर शिवसागर रामगुलाम, अकादमीशियन वरान्निकोव आदि विश्व भाषा के मार्ग को समुन्नत कर चुके हैं। विश्व भाषा हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल एवम् प्रगतिशील है। राष्ट्रसंघ में हिन्दी को सातवीं भाषा के रूप में अभिस्वीकृति हेतु डेढ़ सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

(पृष्ठ 42 का शेषांश)

बाबू श्याम सुन्दर दास एवं पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा लिखित था। बाद में इन्हीं के परिवर्द्धित संस्करण 'हिन्दी भाषा' तथा हिन्दी साहित्य का इतिहास' नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए।

हिन्दी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की योजना का सूत्रपात सभा की स्थापना के प्रथम वर्ष में ही हुआ था। आरंभ में यह कार्य भारत सरकार, संयुक्त प्रांत (वर्तमान में उत्तर प्रदेश) सरकार तथा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सहयोग से फुटकर रूप में चलता रहा। 1900 ई० में सभा में पृथक रूप से खोज-विभाग की स्थापना की गई तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब दिल्ली, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में व्यापक रूप से हिन्दी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य कराया गया तथा इनकी विवरणात्मक सूचियां तैयार कराई गई। अब तक के खोज-कार्य के ये विवरण 22 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। 1900 से 1955 ई० तक के खोज-कार्य के संक्षिप्त विवरण अलग से भी दो खंडों में प्रकाशित हुए हैं। इस खोज कार्य में हिन्दी के अनेक प्राचीन ग्रंथ प्राप्त हुए तथा हिन्दी के प्रामाणिक इतिहास लेखन में इनसे विशेष सहायता मिली है। सभा में एक आर्य-भाषा पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय देश में हिन्दी की दुर्लभ पुस्तकों का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसके याज्ञिक-संग्रह, द्विवेदी-संग्रह रत्नाकर-संग्रह, सम्पूर्णानन्द-संग्रह, नंददुलोर बाजपेयी-संग्रह, विशेष उल्लेखनीय है।

हिन्दी में विभिन्न विषयों के उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रणयन एवं प्राचीन ग्रंथों के सुसम्पादित संस्करणों के लिए कतिपय पुरस्कार एवं पदक प्रदान किए जाते हैं।

इंडियन प्रेस, प्रयाग के स्वामी बाबू चिंतामणि घोष ने सन् 1899 ई० में नागरी-प्रचारिणी सभा के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा था कि वे हिन्दी में एक सचित्र मासिक पत्रिका का प्रकाशन करना चाहते हैं और सभा उसके संपादन का भार-स्वीकार करे। सभा ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए सम्पादन-भार स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। श्री घोष के पुनः अनुरोध पर सभा ने पत्रिका के लिए एक संपादक-मंडल गठित किया, जिसमें पांच व्यक्ति थे—बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, पं० किशोरी लाल गोस्वामी तथा बाबू श्यामसंदर दास । 1 जनवरी 1900 ई० को इस मंडल के संपादन में धूमधाम से 'सरस्वती' का प्रकाशन आरंभ हुआ। अगले वर्ष 1901 ई० में इसके संपादक बाबू श्यामसुंदर दास बनाए गए। दो वर्ष तक यह कार्य कर ने के पश्चात् अपनी अत्यधिक व्यस्तता के कारण उन्होंने घोष महोदय के समक्ष 'सरस्वती' के लिए पूर्णकालिक संपादक की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। सौभाग्य से जनवरी 1903 ई० में 'सरस्वती' के संपादन का दायित्व पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला। 'सरस्वती' ने हिन्दी-साहित्य की जो सेवा की है, वह सर्वविदित है। आरंभ से ही 'सरस्वती' के मुखपृष्ठ पर **'काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से प्रतिष्ठित'** अंकित रहता था, जो पांच वर्ष तक छपता रहा। अतः सभा के तत्वावधान में 1 मई 1910 ई० काशी के हिन्दी-प्रेमियों की एक सभा आमंत्रित की गई, जिसमें निश्चय किया गया कि देश भर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर विभिन्न संस्थाओं एंव संगठनों द्वारा हिन्दी-सेवा का जो कार्य हो रहा है उसे एक सूत्र में बांधा जाये और इसके लिए एक देशव्यापी सम्मेलन बुलाया जाये। तदनुसार 10 अक्तूबर 1910 ई० को काशी में नागरी-प्रचारिणी-सभा के प्रांगण में पं० मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न भागों से आए हुए 500 प्रतिनिध सम्मिलित हुए थे तथा यह अधिवेशन तीन दनि तक चला था। इसमें अगामी वर्ष के लिए पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मेलन के मंत्री निर्वाचित हुए। चूंकि अध्यक्ष तथा मंत्री दोनों का निवास-स्थान प्रयाग में था। अतः सम्मेलन का कार्यालय भी प्रयाग में ही रखने का निश्चय किया गया। इस प्रकार सभा, हिन्दी-साहित्य -सम्मेलन, प्रयाग की भी जन्मदात्री है। (नभाटा 16-7-93 से साभार)

(पृष्ठ 27 का शेषांश)

उन्हें हिंदी में सूचनाएं क्यों नहीं दी जा सकती? अंग्रेजी में सूचनाएं प्रसारित करना एक ओर स्वतन्त्र भारत की गरिमा के विपरीत है, दूसरी ओर छात्रों के प्रति अन्याय भी है।

प्रशासनिक कार्यों का यद्यपि सीधा सम्बन्ध छात्रों से नहीं होता, तथापि बहुत बार छात्र उससे प्रभावित अवश्य होते हैं। छात्र जो शिक्षा-शुल्क देते हैं, उसे ठीक से समझने के लिए उन्हें रसीद हिंदी में प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। पंजिका में छात्रों के नाम हिंदी में हो सकते हैं। कमरों के नामपट्ट यथा "अध्यापक कक्ष", "छात्र कक्ष", "अल्पाहार-कक्ष", "पुस्तकालय", "प्रधानाचार्य", "कार्यालय", "खेलकूद कक्ष", "चिकित्सा कक्ष" इत्यादि हिंदी में लिखे जाने में कोई कठिनाई नहीं है, परन्तु दासता की परम्परा को तोड़ने का साहस करना आवश्यक है। कार्यालय द्वारा छात्रों और अध्यापकों से जो पत्र-व्यवहार किया जाए उसमें बहुत सामान्य शब्दावली की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हिंदी का प्रयोग सुगम और सुविधाजनक है। यहां भी यदि "क्यों" पूछा जाए तो केवल "चला जा रहा है" उत्तर या टंकन-यंत्रों का अभाव बताया जाएगा। परन्तु प्रत्येक कार्यालय के लिए कम से कम टंकण यंत्र हिंदी का रखने में कोई समस्या नहीं जबकि सुविधा बहुत बढ़ जाएगी। इससे कर्मचारियों को अपनी भाषा का प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी और कुशलता बहुत बढ़ जाएगी। वास्तव में बहुत बार यह लगता है कि हम यंत्रों के दास हो गए हैं। बहुधा एक प्रधानाचार्य, दूसरे प्रधानाचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के अधिकारी को पत्र भेजता है तो वह भी हिन्दी में भेजा जा सकता है। कम से कम वे प्रधानाचार्य तो ऐसा करके हिंदी प्रयोग का वातावरण बनाने में सहयोग कर ही सकते हैं जो हिंदी के विद्वान् हैं। परीक्षा-विभाग और वेतन-विभाग में अंग्रेजी के पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि वहां का बहुत काम कम्प्यूटर द्वारा होता है, इसलिए अंग्रेजी का प्रयोग आवश्यक है। परन्तु यह तथ्य अब सर्वविदित है हिंदी के और द्विभाषी कम्प्यूटर सुलभ हैं। बहुत बड़ी समस्या हमारी मानसिकता की है। जब तक दासता की भाषा के विरूद्ध मानसिकता नहीं बनती और जब तक स्वभाषा के प्रति आसक्ति और उसमें क्रियाशीलता की मानसिकता नहीं बनती तब तक दासों के समान हम भार ढोते चले जाएंगे। 1947 में हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए परन्तु मन से स्वतन्त्र होना शेष है।

यह मानसिक परतन्त्रता ही हिंदी को पूर्णतया शिक्षा का माध्यम नहीं होने देती। इसी मानसिक परतन्त्रता के कारण राजकीय "आदर्श" विद्यालयों में तथा सामान्य विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बात बहुतों को पता ही नहीं कि इंजीनियरी आदि की प्रवेश-परीक्षा में हिन्दी माध्यम स्वीकृत है और जिन्हें इस बात का पता भी है, वे कहते हैं कि प्रवेश के पश्चात् आगे की शिक्षा अंग्रेजी में होगी। वास्तविक दोष हमारे उच्च-शिक्षाविदों की मानसिकता में है जिन्हें हिंदी के सब विषयों का माध्यम बनने में सन्देह है। बहुत से अध्यापक अच्छी हिंदी जानते हुए भी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में गर्व का अनुभव करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि का परीक्षा-माध्यम हिंदी स्वीकृत हो गया है परन्तु अध्यापन अंग्रेजी में ही हो रहा है। कोई नया विषय विश्वविद्यालय में खोला जाता है तो साथ में जोड़ दिया जाता है कि अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी होगा। इसका परिणाम यह होता है कि आगे चलकर कुछ वर्षों के पश्चात् हिंदी माध्यम की मांग उठेगी तो उसे स्वीकार तो किया जाएगा परन्तु हिंदी दस वर्ष पीछे हो जाएगी। इस विषय में एक बहुत पुराना तर्क दिया जाता है कि हिंदी में उस विषय पर, (विशेष रूप से वैज्ञानिक विषयों के संदर्भ में) उच्चस्तरीय पुस्तकों का अभाव है। वास्तव में यह तर्क निराधार है—एक तो इसलिए कि हिन्दी में सभी विषयों पर उच्चस्तरीय पुस्तकों का सृजन हो रहा है, दूसरे इसलिए कि आवश्यकता होने पर साहित्य अवश्य उपलब्ध हो जाता है या कराया जा सकता है। परन्तु एक स्वन्त्र देश के नागरिक को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होनी ही चाहिए। निजी और सरकारी—दोनों स्तरों पर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि हिन्दी माध्यम रखने वालों को हानि न हो। परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इन सब बातों के लिए मानसिकता में परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

—:o:—

नार्वे में हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ी

दिल्ली के हिन्दू कॉलेज में आयोजित एक गोष्ठी में युवा पत्रकार श्री अमित जोशी, जो नार्वे में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ने बताया कि वहां प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय स्तर तक हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है, चाहे हिन्दी पढ़ने वालों की संख्या पांच ही क्यों न हो। ओसलो विश्वविद्यालय में इसके लिए अलग से विभाग है। नार्वे में वह "शांतिदूत" नामक हिन्दी पत्रिका निकालते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले करीब 10 वर्षों में नार्वे में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। वहां कभी-कभी भारतीय फिल्में दिखाई जाने लगी हैं तथा रेडियो पर भारतीय "खासकर हिन्दी" गीत-संगीत भी सुनाई देने लगा है। वहां के पुस्तकालयों में "धर्मयुग" और "नवभारत टाइम्स" उपलब्ध होने लगा है। वहां के लोग भारत में दिलचस्पी लेते हैं और भारत के बारे में भारत की भाषा के माध्यम से जानना चाहते हैं। यद्यपि नार्वे में केवल पांच हजार भारतीय हैं, फिर भी वहां हिन्दी के विकास के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वहां के भारतीय भारत के लोगों से ज्यादा भारतीय हैं।

हिन्दू कॉलेज में हिन्दी विभागाध्यक्ष श्री सुरेश ऋतुपर्ण ने कहा कि भारत में हिन्दी को खत्म करने की साजिश चल रही है, लेकिन यदि युवाशक्ति हिन्दी के समर्थन में आगे है तो यह साजिश सफल नहीं हो सकती।

(दैनिक नवभारत टाइम्स के 24 दिसम्बर, 1993 से साभार)

गुजराती कविताएं

कवि : जयंत पाठक अनुवादक : ब्रजेन्द्र त्रिपाठी

कैसा लगे!

खड़े होने की आशा में
युगों तक आड़े पड़े रहें
और अगस्त्य फिर भी न आएं
तब हमें कैसा लगे।

हाथ में ली हुई मछली
जिन्दा होकर जल में तैरने लगे
और उसे खा जाने का कलंक लगे
तब हमें कैसा लगे।

जानते हैं
कि पीछे देखना नहीं
और फिर भी दिखायी दे जाए
आनेवाला अदृश्य हो जाय
तब हमें कैसा लगे।

तब खुद को दांतों से काटने लगते हैं
पर—
कठिन कठोर है वेदना की हड्डी
इसलिए
चाटते रहते हैं दांत में से निकलता लहू।

हम लोग

सूरज को देखने की उतावली में
सारी रात जगें
और फिर
बिना सूरज के सुबह हो।
सारी रात
आकाश के मधुछत्ते को निचोड़ते रहें
मधुमक्खियों के डंक सहते रहें।
और फिर सवेरे।
फटा हुआ दोना चाटने को मिले।
पंछी को पकड़ने के लिए
पहने हुए वस्त्र फेंकें
और भाग्य के आगे लज्जित हों।
जिन्दगी को कंधे पर बिठाए
संभाल-संभालकर चलें
और चलते-चलते पहुंचें
आखिरकार
एक नाजुक आधार पर टिके हुए
मौत के भयानक कगार पर।

भारतीय भाषा संगम

अपनी धारणाओं की धार
लगे बार-बार
और हम
लहूलुहान.... लहूलुहान.....

जब

आशाभरी आंख में जब
कांच की पुतली बिठा दी जाय,
सरलता के मौन को लकवा समझ
बुलवाने का उपचार होता रहे,
अचेत कर
कोई तुम्हारे हृदय को बदल डालता हो,
रगों में वेग से बहते लहू के लय को
खतरनाक समझ
नार्मल करवाने की हिमाकत होती हो
हाथ-पैर की गति को
यंत्र की ताल में मिलाया जाता हो
तुम्हारे साथ सच्चे उद्‌गार पर
जगह-जगह
विराम चिह्नों का सख्त पहरा हो
तब—
तुम्हें "खूब जिओ" कहने का साहस नहीं होता।

सीमा पार

उगते सूरज के देश में से
सीमा पार हुआ मैं
बहता हूं तारों के अंधकार में—
यह बहते रहने का भाव और मैं...
पृथ्वी और आकाश के बीच
अपनी अगति में
काटता हूं मैं लहर पर लहर
यह काटते रहने का भाव और मैं...
उगते सूरज के देश की ओर
आंखें टिकाकर
प्रेतयोनि में मिल गया हूं मैं
और चलता रहता हूं उल्टे पांव
यह चलते रहने का भाव और मैं...
आकाश और पृथ्वी और प्रकाश और
अंधकार और दूसरा और तीसरा...
अर्थात्
उगते सूरज के देश में से
सीमा पार हुआ मैं।

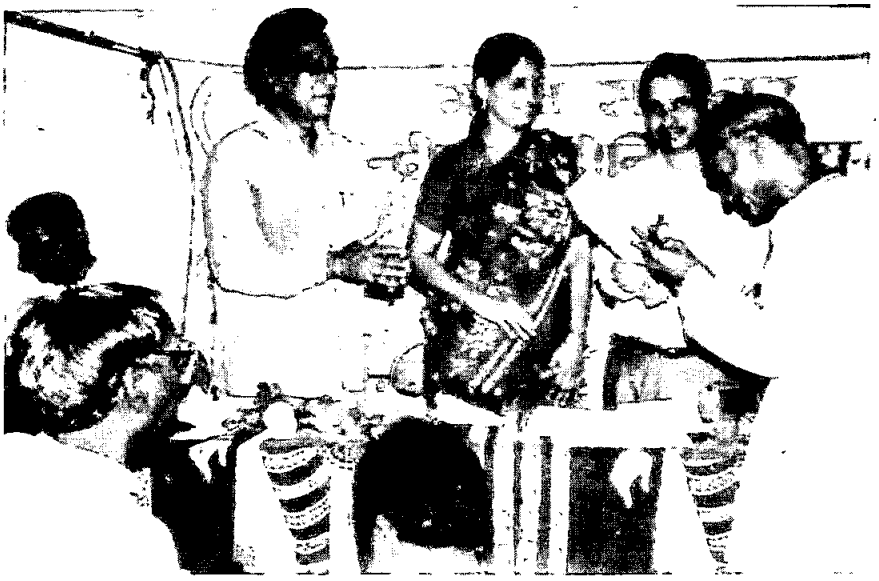

डा॰ प्रद्युम्न दास वैष्णव प्रमाण-पत्र लेते हुए।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जबलपुर में हिंदी दिवस समारोह के दौरान कविता पाठ की एक झलक।

श्री डी॰के॰ आर्य, महानिदेशक, भा॰ति॰सी॰ पुलिस भाषण देते हुए। श्री टी॰एन॰ मिश्रा महानिरीक्षक (दाएं) श्री के॰बी॰एल॰ दुबे अपर उप महानिरीक्षक (बाएं)।

श्री के०पी० सक्सेना (मध्य) का स्वागत करते हुए श्री केवल कृष्ण मुदगिल, प्रबंधक।

सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास में हिंदी सप्ताह समारोह के अवसर पर पुस्तक विमोचन करते हुए म०प्र० श्री भिड़े एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी श्रीमती वृन्दा कुन्ही कृष्णन।

टॉलिक के अध्यक्ष श्री पी० रामकृष्णन के कर कमलों से प्रथम पुरस्कार (चल वैजयंती) ग्रहण करते हुए एन०टी०सी० (एम०एन०) लि० बम्बई के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक श्री ए०डी० जोशी।

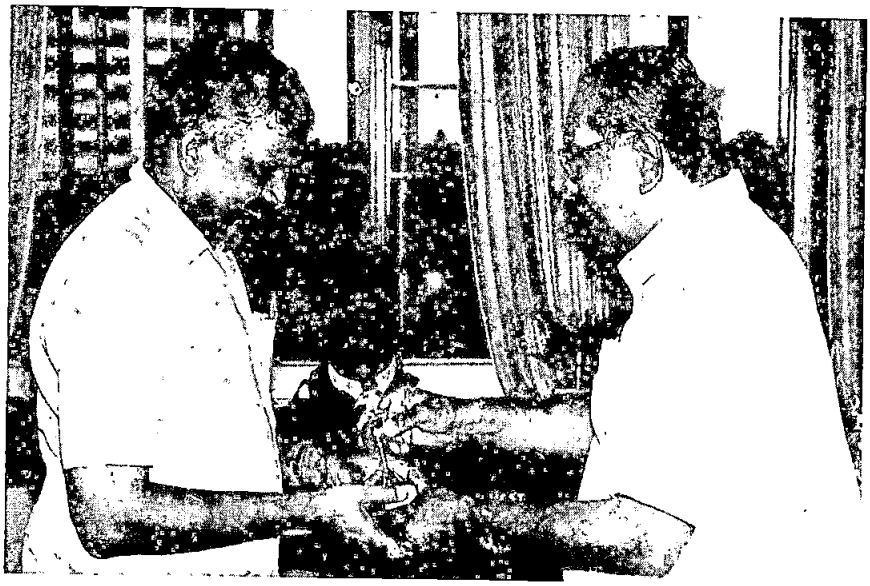

केरल के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री के० चंद्रशेखरन से पुरस्कार प्राप्त करते हुए सिफनेट के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री पी० प्रकाशम।

(बाएं से) निदेशक श्री जी० वेंकटरमणी, शिक्षा एवं संस्कृति उप मंत्री कु० शैलजा तथा संयुक्त सचिव श्री अशोक वाजपेयी।

श्री एस० गोविन्द राजन मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र का स्वागत करते हुए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के उप निदेशक ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह खत्री (दाएं) एवं अन्य अधिकारी गण।

श्री आर०बी० बुद्धिराजा, संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार भाषण देते हुए।

हिंदी दिवस समारोह-1993 का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करते हुए श्री बी०बी० शेट्टी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक।

महामहिम राज्यपाल गोवा श्री भानुप्रकाश सिंह दीप प्रदीपन कर हिंदी उत्सव का उद्घाटन करते हुए।

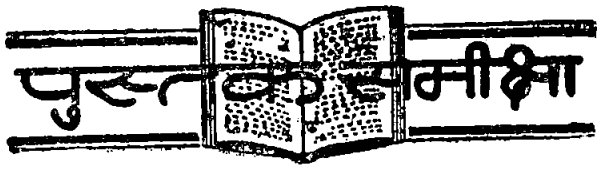

परंपरा का मूल्यांकन

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ समालोचक हैं। जिन आलोचकों ने आचार्य शुक्ल के साहित्यालोचन की स्वस्थ और जागरुक परंपरा को आगे बढ़ाया उनमें डा० राम विलास शर्मा का नाम अग्रगण्य है। डा० शर्मा ने भारतीय साहित्य की परंपरा का युक्तियुक्त मूल्यांकन प्रस्तुत किया और इस दृष्टि से उनकी "परंपरा और मूल्यांकन" पुस्तक एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है। इसी संदर्भ में डा० गीता शर्मा ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यलाय, नयी दिल्ली से एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है। यही शोध प्रबंध परिवर्धित और संशोधित रूप में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है। डा०राम विलास शर्मा के अधिकांश ग्रन्थों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है तथा लेखिका ने डा० शर्मा के आलोचना-कर्म के सकारात्मक पक्षों को श्रम और निष्ठा के साथ रेखांकित किया है। सामान्यतः यह पुस्तक डा० राम विलास शर्मा के आलोचना-सिद्धान्तों तथा उनकी व्यावहारिक आलोचना पर दृष्टिपात करती है तथापि विशेष रूप से लेखिका ने डा० शर्मा द्वारा किए गए भारतीय साहित्य की परंपरा के मूल्यांकन को ही अपने विवेचन और विश्लेषण का आधार बनाया है।

डा० राम विलास शर्मा ने अपनी विभिन्न कृतियों द्वारा प्रकारांतर से हिंदी साहित्य का इतिहास ही लिख डाला है। डा० गीता शर्मा ने अपनी इस पुस्तक मे बाल्मीकि के उदात्त मानवतावाद, कालिदास के स्वच्छन्तावाद (रोमेंटिसिज्म), भवभूति के ट्रेजिक विजन, भक्ति आंदोलन की लोक धर्मिता, तुलसी साहित्य के सामन्त विरोधी मूल्य, रीतिकाव्य के वर्गीय आधार, गदर चेतना, नव जागरण युग, भारतेन्दु युग और स्वाधीनता की चेतना, द्विवेदी युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और निराला संबंधी (डा० राम विलास शर्मा के) मूल्यांकनों पर अपना विवेचन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है। लेखिका ने प्रायः डा० राम विलास शर्मा की मान्यताओं से अपनी सहमति व्यक्त की है।

परंपरा, रूढ़ि और सम्प्रदाय के अंतर को रेखांकित करते हुए लेखिका कहती है: "रूढ़ि एक ऐसी वस्तु है जो जड़ और त्याज्य होती है, इसके विपरीत परंपरा ऐसी वस्तु है जो ग्राह्य है, वांछनीय है और रूढ़ि के विपरीत जीवंत है, जड़ नहीं हो गई है। उससे स्पष्ट है कि निरंतर निखरते जाने और प्रासंगिकता की दृष्टि से परिष्कार की प्रक्रिया में गतिशील परंपरा जिन अग्राह्य और मृत तत्वों को छोड़ती चलती है वे कहीं कोई रूढ़ि तो नहीं बन रहे, यह जांचना—परखना अनिवार्य है। जब निहित स्वार्थवश किन्हीं अप्रासंगिक तत्वों और मृत रूढ़ियों को प्रयत्न पूर्वक संरक्षण प्रदान किया जाता है और परंपरा के नाम पर थोपा जाता है तो वे संप्रदाय बन जाती है। संप्रदाय यथास्थिति का संरक्षक होता है, इसलिए वह परंपरा के विरुद्ध होता है और इतिहास तथा आधुनिकता के भी (पृष्ठ 15)। लेखिका ने 'परम्परा' को बड़े सटीक और अर्थपूर्ण ढंग से व्याख्यापित किया है। लेखिका ने डा० राम विलास शर्मा के बंकिम, शरत्, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुक्तिबोध संबंधी मूल्यांकनों का कोई आलोचनात्मक विवेचन नहीं किया तथापि यह पुस्तक पठनीय और स्वागत योग्य है क्योंकि इसमें डा० राम विलास शर्मा के आलोचनात्मक कृतित्व का एक सकारात्मक खाका उभरता है। सहज और सुबोध भाषा में लिखी गई यह एक पठनीय पुस्तक है जो डा० राम विलास शर्मा के वैचारिक जगत से साक्षात्कार कराती है।

—राजकुमार सैनी

'डॉ० राम विलास शर्मा और परंपरा का मूल्यांकन': लेखिका, डॉ० गीता शर्मा, प्रकाशक, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली-110 002, मूल्य 175/- रुपये

"श्री रामायतन"

रामकथा पर अनेक काव्यों की रचना की गई है। इनमें से तुलसीकृत रामचरित मानस, बाल्मीकि की रामायण, कम्ब रामायण और अर्ध्याम रामायण आदि प्रमुख हैं। इन काव्यों में राम को भगवान के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श मानव के रूप में चित्रित किया गया है।

बाबूलाल "सुमन" कृत "श्री रामायतन" का कथानक मुख्यतः बाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस पर आधारित है। सुमन जी ने इस काव्य की रचना के माध्यम से भाई-चारे और प्रेम का संदेश दिया है।

सुमन जी ने "श्री रामायतन" के कथानक में आंशिक परिवर्तन करते हुए रामचरित मानस और रामायण के कथानक के विपरीत कैकयी के चरित्र और व्यक्तित्व को एक नया रूप देने का प्रयत्न किया है। आमतौर पर राम काव्य पर लिखे गए अब तक के ग्रन्थों में कैकयी के चरित्र को प्रायः गौण रूप में चित्रित किया गया है। उसे एक स्वार्थप्रिय और कपटी महिला के रूप में ही निरुपित किया गया है जो कि अपने सुपुत्र भरत के भविष्य को ध्यान में रखकर व्यवहार करती है। "श्री रामायतन" में कैकयी ने राम को उसके कर्मक्षेत्र में उतारने की भूमिका निभाने का कार्य किया है। वह राम को शिक्षा-दीक्षा देकर उसे एक योग्य पुरुष बनाने की कोशिश करती है ताकि वह सुदूर दक्षिण जाकर समाज और धर्म की रक्षा हेतु राक्षसों का मुकाबला कर सके।

सुमन जी ने लिखा है कि कैकयी ने राम को परखा और विविध प्रकार देखा।

"अतः प्रशिक्षित होकर सत्वर बन को
दक्षिणात्य में देखो जाकर जब को
कठिन परीक्षा होगी तत्पर रहना
विशुद कार्य के हेतु सुपथ पर रहना"

सुमन जी ने कैकयी की ओर से राम की असीमित शक्ति के बारे में उन्हें इस बात का अहसास कराया है कि अगर वे चाहें तो अपनी शक्ति के द्वारा ब्राह्मण्ड को भी हिला सकते हैं:—

"पुत्र तुम्हें क्या इस का ज्ञान नहीं है'?
तरकस के तीरों में मान नहीं है?
शक्ति अपरिमित छिपी तुम्हारे प्रण में,
चाहो तो ब्राह्मण्ड हिला दो क्षण में।"

कैकयी राम की शक्ति को अयोध्या के महलों तक ही सीमित नहीं रखने देना चाहती। वह कहती हैं कि वीर पुरूष के लिए एक राज्य या राज्य का सिहांसन ही उसके कार्य की सीमा नहीं होता, पूरी धरती ही उसका कर्मक्षेत्र होता है।

कवि ने "श्री रामायतन" में स्थान-स्थान पर अनेक प्रसंगों का उत्कृष्ट रूप में वर्णन किया है। करूणा, श्रृंगार और वीर रस का उन्होंने कई उपयुक्त स्थलों पर प्रयोग किया है। रामचरित मानस की तरह ही श्री रामायतन में भी दोहों का समावेश किया गया है जिन्हें लय में गाकर एक साधारण व्यक्ति सुखद अनुभूति कर सकता है। कवि की सहजता और भाव प्रवणता से उनकी शैली आकर्षक और रोचक बन गई है। यदि इस ग्रन्थ को मानक प्रबंध काव्य माना जाए तो कोई अतिश्योक्ति न होगी।

—सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा
उप-संपादक

लेखक: "बाबू लाल सुमन", मूल्य: 250 रु०, प्रकाशक: बल्लभ प्रकाशन, 265—ए, राजापुर, इलाहाबाद।

पिछला सप्ताह

(आलेख संग्रह)

"पिछला सप्ताह" लब्ध प्रतिष्ठ पत्रकार श्री राम शरण जोशी के 33 आलेखों का संकलन है। श्री जोशी पिछले 13 वर्षों से मध्यप्रदेश के प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक "नई दुनिया" के दिल्ली स्थित ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने देश-विदेश की व्यापक यात्राएं की हैं और वे पत्रकारिता जगत के कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं।

प्रस्तुत पुस्तक "नई दुनिया" के "पिछला सप्ताह" स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित चुने हुए विविध लेखों, न्यूज़ रपटों और रिपोर्ताजों का संकलन है।

चर्चित पुस्तक में जोशी जी ने अपने व्यापक अनुभव के आधार पर मनुष्य, समाज और सियासत के आपसी रिश्तों में होने वाले बदलाव की बहुत बारीकी से छान-बीन करने का प्रयास किया है। इसमें पार्क में खेलते बच्चे, दहेज-दहन, सती-प्रथा, पंथवाद, सामाजिक आंदोलन, प्रेस कान्फ्रेंस, राजनेताओं के प्राईवेट क्षण जैसे विविध प्रसंगों के बारे में लेखक ने चर्चा की है। उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति और आर्थिक पहलुओं पर न केवल रोशनी डाली है, अपितु उन पर सार्थक और चुभती टिप्पणियां भी की हैं।

जोशी जी के सभी पात्र जाने-पहचाने से लगते हैं, जिनसे सब का रोजाना पाला पड़ता रहता है। जागरूक और संवेदनशील पाठकों को ये पात्र कभी आंदोलित करते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, कभी हंसाते हैं तो कभी रूलाते हैं।

प्रस्तुत संकलन में राजनीति की कारगुजारियों के अतिरिक्त भी काफी कुछ मिलता है। जैसे, इसमें जंगल हैं, पहाड़ हैं, आदिवासी हैं, पांच-सितारा होटल है तो टी०वी० सीरियल "हम लोग" के पात्र भी हैं। विविध प्रकार के इन लेखों को जोशी जी ने इस प्रकार संजो कर प्रस्तुत किया है, जिनसे पाठकों को विभिन्न प्रकार के रसों का स्वाद मिलता है। इन आलेखों का अपने आप में सर्जनात्मक महत्व है।

पुस्तक का गैट-अप, छपाई आदि आकर्षक और साफ-सुथरा है। यदि पेपर-बैक में भी इसका सस्ता संस्करण प्रकाशित किया जाए, तो निश्चय ही पुस्तक आम पाठकों के लिए भी सुलभ हो सकती है।

—रणजीत कुमार सेन
उपनिदेशक, राजभाषा विभाग

लेखक: श्री राम शरण जोशी, पृष्ठ संख्या: 198; मूल्य: रू० 75/-; प्रकाशक: सामयिक प्रकाशन, 3543, जटवाड़ा, दरियागंज, दिल्ली।

अनुवाद (पत्रिका)

भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और वर्षों से हर भाषा में अनेक साहित्यक रचनाएं होती आ रही हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बहुभाषी हो और सभी भाषाओं में लिखी रचनाओं को पढ़ लेता हो। अतः एक भाषा की रचना को दूसरी भाषा न जानने वालों की समझ में लाने हेतु उसका अनुवाद होना आवश्यक है इसलिए आज अनुवाद का महत्व बढ़ गया है।

भारतीय अनुवाद परिषद् की अनुवाद पत्रिका अनुवाद के क्षेत्र में सशक्त मार्ग दर्शन करती आ रही है। इसमें लब्ध-प्रतिष्ठित साहित्यकारों के अनुवाद के क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों को चित्रित किया गया है। परिषद का यह मलयालम विशेषांक मलयालम से हिन्दी तथा हिन्दी से मलयालम में अनूदित कृतियों के संबंध में प्रकाश डालता है। यथास्थान मलयालम की लघु कथाएं तथा कविताएं आदि देकर पत्रिका को और अधिक रोचक बनाने का सराहनीय प्रयास किया गया है।

इस विशेषांक में मलयालम भाषा का उद्भव और विकास मलयालम के प्राचीन कवियों, लेखकों तथा साहित्य का वर्णन, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद तथा उसका महत्व, एक अच्छे तथा कुशल अनुवादक के गुण, अनुवाद करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही प्रमुख साहित्कारों तथा अनुवादकों के साथ की गई भेंट वार्ताएं भी हैं। इन भेंट वार्ताओं से पाठकों को इस बात का पता चलता है कि अनुवाद कला केवल अनुकरण ही नहीं है, इसके लिए प्रतिभा की भी आवश्यकता होती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न भाषाओं के बीच सम्पर्क सूत्र बनाने के लिए अनुवाद प्रक्रिया विनिमय का एक सशक्त माध्यम है।

प्रस्तुत अंक में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अनुवादक का कार्य दुष्कर और बहुत कठिन है। स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए। उसमें रचना की आत्मा को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए तभी वह सही अनुवाद कर सकता है।

राजभाषा हिन्दी पर प्रकाश डालते हुए इस विषेषांक में यह भी कहा गया है कि प्रांतीय भाषाओं के साहित्य को एक दूसरे के करीब लाने में हिन्दी एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है।

प्रस्तुत अंक से अनुवाद के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में तो जानकारी मिलती ही है साथ ही अनुवादकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के संबंध में भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

—देवी दत्त तिवाड़ी, अनुसंधान अधिकारी,

प्रकाशकः भारतीय अनुवाद परिषद्, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्याः 210, मूल्यः पच्चीस रुपए

सीढ़ियां चढ़ता सूर्य (कविता संग्रह)

विविध शीर्षकों पर सृजित लघु कविताओं का प्रस्तुत संग्रह आधुनिक युग के कवि तथा उपन्यासकार श्री स्वेदश भारती की नवीनतम कृति है। उनकी ये कविताएं आधुनिक भावबोध से अनुप्राणित हैं। इनमें स्वच्छंदता, मुक्ति तथा यथार्थ है और ये पुरानी कविताओं की तुकबंदी के घेरे से परे हैं। कवि ने मानव में ईश्वर को झांककर देखा है। शुरु में अपनी रचना-प्रक्रिया में उन्होंने लिखा है कि "मैं आदमी को ईश्वर की महानकृति मानता हूं।" उनकी दृष्टि में जिस कविता की आत्मा नहीं, वह कविता नहीं हो सकती। इसके अलावा उसमें काव्य के गुण, संप्रेषणीयता तथा जीवन की आस्थाओं का चित्रण होना भी आवश्यक है।

भारती जी के प्रस्तुत कविता-संग्रह की भाषा सरल, सुबोध और भावगम्य है, उसमें भावों की तारतम्यता है। "जीवन क्रम" नामक कविता में उन्होंने यह भाव व्यक्त किया है कि मनुष्य जीवन क्रम संसार सब परिवर्तनशील हैं और हमेशा एक समान नहीं रहतेः—

यूं ही चलते-चलते चले जाएंगे
और जब दोबारा आएंगे
तो नहीं रहेगा यह कमरा
यह कुर्सी, यह मेज यह कलमदान

भारती जी की कविताओं में प्रकृति-चित्रण भी यत्र-तत्र झलकता है। उन्होंने भी छायावादी कविओं की भांति प्रकृति को अति निकट से देखा है। उनकी कविताओं में पर्वत हैं, शिखर हैं, आसमान है, सूर्य है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, पृथ्वी है, प्रकाश है, अंधेरा है। "रूपकली नामक कविता में प्रकृति चित्रण देखते ही बनता हैः

"आई वासन्ती वेला
पेड़ो का नव पल्लव रूप कथा मिली
धरती को फूलश्री आलिन्द को मधुपराग
जनजन को
उल्लास मधुता प्रेमराम"

"स्वप्न गंगा" नामक कविता में कवि की कल्पना की उड़ान द्रष्टव्य हैः

"मेरे मन में बहती है
स्वप्न-गंगा
महत्वाकांक्षाओं के ऊंचे शिखरों
हरी भरी आशाओं की पाटियां
नए नए कोणों और परिधियों के बीच
अपना रास्ता बदलती।"

जो मनुष्य केवल लेना जानते हैं और बदले में कुछ नहीं देते उन्हें भी कवि प्रकाश से वंचित नहीं रखना चाहताः

"जो सिर्फ लेना जानते है
धरती, समुद्र नदियों, झरनों
पहाड़ों, घाटियों, फूलों फलों से
पर बदले में कुछ भी नहीं देते
ऐसों को भी प्रकाश करो अर्पण"

उनकी कविताओं में आशावाद और निराशावाद दोनों की झलक देखने को मिलती हैः

"अतीत जितना ही सबल और
सार्थक होता है
उतना ही वर्तमान के कंधे पर
बैठा भविष्य स्वप्न सर्जक होता है"

***

"बहुत सा
बहुत सा भरा भरा खालीपन है
बहुत सा उजाला भी अंधियारापन है।"

कुछ कविताओं में नारी के प्रति करुणा, श्रद्धा तथा सहानुभूति की भावनाएं व्यक्त हुई हैंः

मां ही झेलती है
संतान के दुःख, सुख, आंसू हंसी
अपने आंचल में लिए
करूणा, दया प्यार और असीमित ममत्व
संतान को देती है अपनत्व
अच्छाइयों के साथ उसकी कमजोरी को भी
उम्र दर उम्र झेलती है

उनकी कविता में जीवन का यर्थाथ भी है। "सीढ़िया चढ़ता सूर्य" नामक कविता में कवि ने कहा है कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना प्रकाश तथा उसके विपरीत सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतरना अंधकार है। जीवन में एक-एक सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते व्यक्ति उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है तो एक—एक सीढ़ी गिरते-गिरते अधोगतिं को भी प्राप्त होता हैः—

कि सीढ़िया दर सीढ़िया चढ़ना ही
प्रकाश है
और सीढ़िया दर सीढ़िया उतरना ही
अंधकार।

"समय गीत" कविता में भारती जी कहते हैं कि हमें आगे बढ़ते जाना है और रूकना नहीं है। यह कविता हमें कर्म करते रहने के लिए प्रेरित करती है:

चलो गाते जाएं
चलते जाएं
चलना ही हमारी नियति है

पुस्तक की साज-सज्जा अच्छी बन पड़ी है।

—देवीदत्त तिवाड़ी, अनुसंधान अधिकारी,

पुस्तक का नामः सीढ़िया चढ़ता सूर्य (कविता संग्रह), कविः स्वदेश भारती, मूल्यः 85 प्रकाशनः वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

आहार और पोषण

हिन्दी में सरल भाषा का प्रयोग करते हुए चिकित्सा व उससे सम्बन्धित विषयों पर लिखना खजूर के वृक्ष से आसमां तक ले जाना है और यह काम 'आहार और पोषण' नामक पुस्तक में डा॰ लक्ष्मीचन्द गुप्ता ने बखूबी कर दिखाया है।

यह एक आम धारणा है कि परहेज दवा से बेहतर तथा आहार का पालन औषधि से भी अधिक उपयोगी है। समीक्षित पुस्तक में आहार सम्बन्धी विभिन्न पक्षों पर संतुलित ढंग से विचार व्यक्त किया गया है।

पुस्तक आठ अध्यायों में वर्गीकृत है जोकि इस प्रकार हैः (1) खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण (2) विटामिन और खनिज (3) विभिन्न आहार (4) विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों का आहार (5) कुपोषण (6) भोजन के विषाक्त तत्व (7) भोजन के विभिन्न रूप (8) विभिन्न रोगों में विशेष प्रकार के आहार।

इस प्रकार इस पुस्तकमें पोष्टिकता व कुपोषण के विषय में ही जानकारी नहीं दी गई बल्कि आहार के विभिन्न स्वरूपों को भी दर्शाया गया है।

प्रथम अध्याय में 'खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण' करते हुए लेखक ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवम् खनिज पदार्थों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए उनके कार्यों, गुणों, आवश्यकताओं व उपयोगिताओं पर प्रकाश डाला है।

'विटामिन और खनिज' पर जो टिप्पणी की गई है वह जीवन में इनकी उपयोगिता को दर्शाते हुए पुस्तक की सार्थकता सिद्ध करती है।

'विभिन्न आहार' अध्याय के अन्तर्गत उपयोग में आने वाली वस्तुओं एवं खाद्य सामग्री का वर्णन तथा अल्कोहल आदि के सेवन से उत्पन्न स्थितियों व उनका उपचार आदि जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

बच्चों की आयु के अनुसार अथवा विशेष आयु में विशेष प्रकार के आहारों की उपयोगिताओं पर भी महत्वपूर्ण सामग्री दी गई है।

विश्व में अधिकतर पिछड़े देशों में भुखमरी व गरीबी के कारण उत्पन्न कुपोषण हमारे आज के युग का एक महत्वपूर्ण पहलू है-जो भोजन जीवन देता है, उस भोजन में पाये जाने वाले विषाक्त तत्वों का वर्णन भी इस पुस्तक में किया गया है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी जानकारी, विभिन्न रोगों में विशेष प्रकार के आहार का सेवन आदि का वर्णन आम चिकित्सकों की जानकारी से भी अधिक जानकारी उत्तम पुस्तक में उपलब्ध है।

आहार का निर्धारण किसी रोग के स्वरूप अथवा रोगी की स्थितियों के अनुसार ही नहीं बल्कि रोगी की स्थितियों के अनुसार ही नहीं बल्कि जीवन-पर्यन्त आवश्यक होता है। आहार के विषय में मुख्य बात उस संबंध में संतुलन रखना ही नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के लिए आहार संबंधी उपयोगिता व आवश्यकता पर भी बल दिया जाना चाहिए था। फिर भी कुल मिला कर, यह पुस्तक पठनीय है और उपयोगी जानकारी प्रदान करती है।

—डा॰ रमेश सक्सेना 'गश'
देहलवी

लेखक—डा॰ एल॰ सी॰ गुप्ता,
प्रकाशक—जे॰ पी॰ ब्रदर्स, मेडिकल पब्लिसर्स, जी-16 एमका, हाउस, 23/23 बी. अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2

भैया एक्सप्रेस (कहानी-संग्रह)
जल प्रांतर (कहानी-संग्रह)

श्री अरुण प्रकाश ने कविताएं और कहानियां लिखी हैं। उनकी 17 कहानियां दो कहानी संग्रहों "भैया एक्सप्रेस" (11 कहानियां) व "जल प्रांतर" (6 कहानियां) में प्रकाशित हुई हैं।

उपर्युक्त कहानी संग्रहों में संकलित अपनी कहानियों के माध्यम से श्री अरुण प्रकाश ने सहज व सरल भाषा में समाज में फैली विषमताओं, निम्न वर्ग व निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में आने वाली समस्याओं, देश के उत्थान के लिए बनाई जाने वली विभिन्न योजनाओं व विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए बनाई जाने वली समितियों की सार्थकता व उनके वास्तविक योगदान की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया है और इस संदर्भ में सर्जनात्मक धरातल पर कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं।

श्री अरुण प्रकाश ने जो भी लिखा है, अपने अनुभव व आसपास के वातावरण के आधार पर लिखा है। उनकी कहानियों में विषय, परिवेश, चरित्र विविधता से भरे हैं। थोड़े से शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाना यथा—

"छोटे लोगों के सपने बड़े लोगों के जूते की नोक पर टिके होते हैं। जरा मस्ती में पैर पटक दिया, सपनों का शिराजा बिखर जाता है।"

"गरीबी के अंधड़ में कम ही लोग पांव टिका पाते हैं।"
"सहना मरना है।"

जैसी वक्रोक्तियां कहते चलना कहानीकार की अपनी विशेषता है।

"भैया एक्सप्रेस" व "जल प्रांतर" का प्रकाशन स्वागत योग्य है। हिन्दी कहानी के अद्यतन स्वरूपों को देखना हो तो इन संकलनों की बहुत सी कहानियां उनका उदाहरण हैं।

सतीश कुमार गुप्ता
राजभाषा विभाग

'भैया एक्सप्रेस', लेखक : अरुण प्रकाश, मूल्यः 50-50 रु॰ प्रकाशनः आयाम प्रकाशन, 1/11873, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

'जल प्रांतर', लेखक : अरुण प्रकाश, मूल्यः 45-00 रु॰ प्रकाशनः सचिन प्रकाशन, 7/34, अंसारी रोड, नई दिल्ली-110032 पृ॰ 112

'तेज धूप' (कविता संग्रह)

डा॰ सुधेश की चालीस कविताओं का यह तीसरा संकलन कवि के शब्दों में "निजी अनुभव भी और दसरों की कहानी" भी हो सकता है। संवेदना काव्य की आत्मा है और अनुभव यानि "भव" (अर्थात होना कुछ घटना) और "भव" के पश्चात जो रह जाए। वह अनुभव जो भोक्ता की दृष्टि से भी हो सकता है और द्रष्टा की दृष्टि से भी। स्थितियों के वैभिन्य के कारण ही सभी को "भव" सागर पार करना होता है। सभी का अपना-अपना भव-सागर होता है। जीव के जीवन की इसी प्रक्रिया में उगते हैं अनुभव। प्रस्तुत कविता संग्रह तेज धूप में कवि ने उन्हीं का चित्रण किया है। कवि अपने प्रथम कविता संग्रह "फिर सुबह होगी" के आशावाद से उभर कर "तेज धूप" में खड़ा है। महाकाल के प्रवाह का यही तो प्रभाव है। आशावाद से मोह भंग ही उसकी परिणति है। आशायें है तो निराशा इसी प्रकार से पीछे लगी रहती है जैसे जन्म के पीछे मृत्यु। इसी कारण इसमें जीवन के संश्लिष्ट यथार्थ के चित्रण का आग्रह बार-बार उमड़-घुमड़ कर हुआ है।

चाहे भोक्ता रूप में अनुभव हो, या द्रष्टा रूप के सभी जगह मोह-भंग की ध्वनि अनुस्यूत है। "बीमारी" में "जहां भोगी एकान्तिक्ता" जिसकी पृष्ठ भूमि का रंग "नित कुशल पूछने वालों" का है - मोह भंग का एक रूप प्रस्तुत करती है तो दृष्टा का अनुभव "दम तोडती" फटी फटी आंखो पर पहुंच जाता है। उसको समझ आ गई कि-

> "बीमारी इम्तहान है। शरीर का मन का। घर में है या नही है। उस धन का। बीमारी इम्तहान है। पड़ोसी के लिहाज का। रेत में धंसे दोस्ती के जहाज का। जंग की रीत का। रोज कसमें खाती प्रीत का"

मोह भंग की इस मानसिक्ता का चित्रण "चेहरे" ऊपर उठे हाथ" ऊंचे स्वरों के बीच उठे हाथ, "राजनीति" "पर्दे के इधर पर्दे के उधर" "पोस्टर और बकरी", "छोटे छोटे महाभोज" आदि सभी कविताओं में व्यंजित है। कवि को चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यू" आम आदमी दिखता है जिसकी नियती है जीवन के कुरुक्षेत्र में एकाकी हो जाना। "मां की मौत की खबर नहीं होती अखबार की" और अधिक भाव-प्रवण हो सकती थी, किन्तु मुर्दाघर के दृश्य, परिचितों की उदासीनता और टैक्सी वाले की हृदयहीनता भी मोह-भंग को और-अधिक मुखर करती हैं। यह मोह-भंग कहीं वर्णन के स्तर पर कहीं व्यग्यों के रूप में और कहीं तुलनात्मक चित्रों के माध्यम से व्यक्त हुआ है।

शिल्प के स्तर पर कवि ने की तुकान्तता का सहारा लिया है और की मुक्त छंद का। तथापि, गीतात्मक्ता के स्थान पर काव्य प्रमुख रूप से उभरा है। कई कविताओं में उपमाओं के माध्यम से भाव-संक्लता व्यक्त करने का सुन्दर प्रयास हुआ है। कुछ कविताओं के शीर्षक ही उनके मन के भावों के साक्षी है, जैसे "ईंटों का राम" "सीमेंट का आदमी" "फूल को फूल तोड़ते देखकर, "आदिम अग्नि "आदि"। कहीं कहीं तो कवि ने शब्दों का विच्छेद करके अपने कथ्य को अद्भुत व्यंजना का प्रयास किया है "दिल्ली का जनपथ" में-

> यह जनपथ है। इस पर जन चल सकता है।
> पथ से हट कर
> जीवन से ऊब गया तो। मर सकता है कट कर। -समय में -समय को नदी समझा है जो जाने कब से बह रही है और जिसमें बड़े-बड़े स्वार्थी के दुर्ग दुख की बाद रोकने वाली वज दीवारें। जड़ता की कुटिल चट्टानें। महत्वकांक्षाओं के चीड़ तन। बड़े संकल्पों की उमर बेंले। मृगनयनी के इन्द्रधनुषी सपने। कुबेर की योजनाएं। धीरव्रती के धीरज। एक दिन वक्त की बाद में बह जाते है। जब कवि ने समय को समुद्र के रूप में देखा तो देखता है कि वहा "सौ चांदनी रातों के ज्वार के बाद भी एक संतुलन है"। फिर भी समय सागर भयावह चुनौती भरा है-
>
> जो इसमें डूबा, वही हाथ माती भरा।

इस प्रकार समय की सार्थक्ता समझ कर भी विचारों को कुछ रचनात्मक दिशा देने की और कवि कोई संकेत नहीं दे पाया है। संभवतः इसलिए कि पहले "तेज धूप" की जलन से बचाव तो हो तब कहीं कुछ और करने की सोची जा सकती है। कवि का दृष्टा चित्त अभी तो तपते चित्रों को उकेर रहा है। उसे पता है कि "यह आग आदिम है। नहीं बुझेगी तुम से आततायी हवन में तुम ही पड़ोगे।" उसे पता है कि जिन्दगी जिन्दगी है। सदा मीठी नहीं। नमकीन, खट्टी तिक्त भी है। वह न बीते हुए का रोना। आने वाला वक्त भी है। "आदिम आग" में हविष्य" के स्थान पर हविश और छिनाल कल्पनाओं पुरूषवाचक बनाना कवि की रचना का अंग है या प्राप्य संशोधन की कृपा। जो भी हो, ऐसी अशुद्धियां रस भंग करती है।

कुल मिलाकर कविता संकलन पठनीय है। हर रचना का मुद्धा मन-मस्तिष्क को उद्वेलित कर तीव्रता से सोचने को विवश करता है भले ही यह सब कुछ राजनीति के पूर्वाग्रहों की ओर संकेत क्यों न करे। समाज है, मनुष्य है, संघर्ष है और समस्याएं हैं और राजनीति के विचार भी होंगे और उनके प्रति आग्रह भी। समस्याओं के प्रति आंख में उंगली डालकर दिखाना भी समस्याओं के समाधान की दिशा में सोचने को विवश करना भी - तो आवश्यक होता है। यह कार्य कवि ने इसमें बाखूबी किया। कहना न होगा कि कवि ने बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में वर्तमान जीवन के यथार्थ को इस संकलन में वाणी देने का जो प्रयास किया है, उसके लिए उन्हें साधुवाद।

-दुर्गा कुमार, उप निदेशक, राजभाषा विभाग

लेखकः डॉ॰ सुधेश, प्रकाशकः साहित्य संगम, डी 34 विधा विहार, प्रीतम पुरा, दिल्ली, पृष्ठः 78, मूल्यः50 रुपये।

'तथापि' (कविता संग्रह)

"तथापि" शीर्षक कुछ अटपटा सा लगा। मन में उत्कंठा जागी। क्या होगा इसमें? तथापि शीर्षक क्यों चुना? प्रस्तावना से अन्त तक, क्लेवर का छोर सब एकाएक पढ़ा। लगा कवि बेजोड़ है, मौलिक है व अपने हृदय की प्रेषणीयता से जुड़ा है। भाषा प्रयोग और रचना शिल्प के धरातल पर मधुर शास्त्री अपना सानी नहीं रखते। सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति इनके गीतों का प्राण तत्व है।

गीतों को तीन क्रमों में विभाजित किया गया है। "त" क्रम में 17 व था तथा "पि" दोनों में भी 17 ही कवितायें हैं। यद्यपि कवि भाव प्रवणता, संवेदनशीलता व निजी नैतिक मूल्यों का अधिक महत्व देते हैं व बुद्धि प्रखरता को नगण्य पर दोनों का अद्‌भूत समन्वय है। दार्शनिक्ता भी यत्र तत्र दीखती है। छन्दोबद्ध व मुक्तक दोनों हैं।

कवि असहजता व विकृति के विरोध में जो आधुनिक जीवन में व्यापी हुई है, अपना स्तर प्रखर करते हैं। भौतिकता के धरातल से दूर नैतिक्ता से ग्राहय तत्व ही कवि को प्रिय है। भाषा व शैली ग्राहय हैं, उसमें नवीनता व मौलिकता है।

आज जो दिखावटीपन बढ़ रहा है, लोगों में बनावटी पन व मिलावटी पन आ रहा है। "मधुर" जी इनसे कोसों दूर है। इनके मिथक प्रयोग अपनी प्रतीकात्मक व्यंजना से पौराणिक तथ्यों को समाज के साथ गहन संवेदात्मक संबंध स्थापित करते हुए युगबोधता को प्रकट करते हैं।

गीतकार के प्रभूत यथार्थवादी अनुभव से काव्य-संग्रह ओत-प्रोत है। हिन्दी गीतों को मधुर जी नया आयाम प्रदान कर रहे हैं। सहृदय पाठक इस गीत संग्रह से प्रभावित व आनंदित होंगे। राष्ट्रीयता की भावना से कवि अत्यन्त प्रभावित है।

आज मानवीय संबंधों में कुटता, मूल्यहीनता, जीवन की विडम्बनाएं व असहजता घर कर गई हैं। शास्त्री जी के गीत इन सबकी ओछेपन को बेधड़क उभारते हैं। प्रहार करते हैं और असरदार प्रमाणित होते हैं। कविता में सौन्दर्यबोध भी परिलक्षित होता है।

"चांद बंधन", "अंग अनंग", अनन्त अन्त "ऐसी आंख खुली" "संभलकर", "आदि गीत बड़े आकर्षक हैं। "तब भी सच था" या मुझे अहसास जीवन का" और "पिपासा कब हुई है शान्त" पूर्ण आयाम देते हैं। "लगता है" कविता इनकी शैली को प्रकट करती दीखती है। देखिये:—

"आंसू में खारापन कुछ और आ गया,
लगता है
जन्मेगा गीतकार कोई।
चांदी के बर्तन का पानी मलिन हुआ,
लोह गीत गाता आज स्वर्ण का सितार"

कवि हमें उचित सचेत करता है
"चीर दे तू घृणा का
घना आवरण रख संभाल कर चरण"

पृष्ठ संख्या व मूल्य आज के लिए बहुत उचित है। कवि को इस अनूठक व मधुर प्रयास के लिये बधाई।

— राम निवास तिवारी,
663–अरूण विहार, सेक्टर 28, नोएडा,
पिन 201303

कवि	:	मधुर शास्त्री
पृष्ठ संख्या	:	70
मूल्य	:	35 रुपए
प्रकाशक	:	अक्षरा प्रकाशन जी 62, गली नं॰ 5, अर्जुन नगर, दिल्ली 51

सम्प्रति (कविता संग्रह)

"सम्प्रति" मधुर शास्त्री जी का स्फुट काव्य संग्रह है। यह संग्रह संवेदनशील हृदय की अनूठी कड़ियों की माला है। मधुर जी आधुनिक गीत परंपरा को नया आयाम देने वाले प्रमुख गीतकारों में शीर्ष पंक्ति में स्थान रखते हैं। कवि गीत के पर्याय बन चुके हैं। ये गीत आंतरिक अनुभूतियों के प्रतीक हैं। गीतकार की अनुभूतियां प्रवाहशील सतत् भावनाओं को निडर व्याख्यायित करती हैं। संस्कृत शास्त्री होने के कारण भाषा दार्शनिक होते हुए सुग्रहय् व सम्प्रेषण शील है। कवि भावुक होता है, उसका संबंध हृदय से है, बुद्धि से नहीं, इसका प्रमाण है इनकी कविताएं। कवि बे-परवाह है मानसिक उत्तेजना से और कोई क्या मूल्यांकन करता है; उनका इससे भी।

कविताओं की कोई गूंथी लड़ी सी नहीं बनती पर रस प्रवाहित होने पर पढ़कर आनंद विभोर होने पर लगता है जैसे पाठक उसका हिस्सा है। तुकान्त भी व अतुकान्त भी दोनों प्रवाह-शील हैं।

कुछ गीतों की बानगी देखते बनती है जैसे—

(अ) "बापू"

धरती पर रहकर
जग को,
आकाश दे दिया बापू।
सत्यों की एकता गही,
तर्पण किया पुरातन को,
दुर्बल की आत्मा कही,
आंधी मान गई तिनका।
युग युग की यातना गली,
देकर तुम्हें आमरण तप।

(ब)

"हे राम" शीर्षक

तुम्हारा नाम
आजकल नये मंदिर बनाने के काम आ रहा है।
इस बहाने मंहगाई में कुछ तो दाम आ रहा है।
पुराने मंदिरों से उब गया है आदमी,
तब एक रावण था जिसे तुमने पहचान लिया था,
यदि अब की बार अवतार लिया तो,
गली गली में बिखरे रावणों से लड़ना होगा।

(स)

"तुम कहां हो"।
रम रहा है आज रावण,
प्राण में मन में
तुम कहां हो राम।

आदि अनेक गीत हैं जो आधुनिक यथार्थ मूल्यों तक पहुंचाते हैं हमें। "दुर्बल मत होना, "प्रतीक्षा" "ओ अन्वेसी" "माना नहीं हृदय" आदि कई गीत हैं जो मन को भाते हैं। गीत संग्रह एक बैठक में पढ़ कर आनंद ले सकते हैं।

संग्रह का कलेवर आकर्षक है। मूल्य मध्यम है। हर घर व पुस्तकालय में यह पठनीय है।

कु० शिप्रा तिवारी,
जी-663, सेक्टर-28, नोएडा 201303

कवि	:	मधुर शास्त्री
पृष्ठ संख्या	:	91
मूल्य	:	40 रुपये
प्रकाशन	:	पराग प्रकाशन, दिल्ली 22

चार काव्य-संग्रह

1. रेत की मछली

समाज के साथ साहित्य में भी समय-समय पर तात्विक दृष्टिकोण से परिवर्तन होते रहे हैं। उसी आधार पर रचनाकार इसी समाज में से निकल कर सामने आता है और अपना माध्यम स्वयं ही खोज लेता है तथा समकालीन समाज का चरित्र-चित्रण करता है।

प्रस्तुत कृति "रेत की मछली" काव्य संग्रह तरसेम गुजराल द्वारा रचित है।

इन कविताओं में मध्य वर्ग की हताशा है तथा समाज की पीड़ाएं हैं। इस बात का अनुमान "घर" एक कविता से सहज ही लगाया जा सकता है:

"अब विपदा की मझदार में
बहुत मुश्किल है घर का संभलना
किसी ने घर को आंसू में तैरते हुए
पहले नहीं देखा"

उनमें अस्तित्व के लिए किए गए संघर्ष की अंतहीनता हैं तथा आस-पास कहीं भी हो रहे संघर्ष से सहानुभूति है जैसे:

"हम अभी सोकर उठे भी नहीं होते
कि चिड़िया दाने की तालाश में
निकल चुकी होती है"
एक बंधे हुए नियंत्रित आवेश के बीच बेबस खामोशी चीखती है:
"और इल्म के दरवाजे बन्द न कर दिए जाऐं
इन लड़कियों पर"।
"दरियाओं ने रास्ते नहीं बदले
तासीर बदल ली है"।
"तनाव और लापरवाही के बीच की खाई
शब्दों से पाटी नहीं जा सकती"।
"गरीबी की रेखा के नीचे जीते
लोगों के बारे में आंकड़ों में चमक होती है
लेकिन पीड़ा भोगते लोगों में
एक दहकती सलाख से जलने की
रंगत होती है"।

लेखक शुरू-शुरू में मध्य-वर्गीय मानसिकता का पहचाना हुआ चेहरा देखता है। बाद में बंधे बंधाएं चौखटों को तोड़कर बाहर आने को उतावला महसूस होता है।

लेखक की उपरोक्त अधिकांश कविताएं देश की पत्र-पत्रिकाओं में छप चुकी है। इस काव्य संग्रह के अतिरिक्त तरसेम गुजराल के कई उपन्यास, कहानियां, नाटक तथा काव्य संग्रह भी छप चुके है।

लेखक : तरसेम गुजराल प्रकाशक : साक्षी प्रकाशन, 16-एस, नवीन शाहदरा, दिल्ली 110032 मूल्य : 60/-रुपए

2. "आधी अधूरी जिन्दगी"

"आधी अधूरी जिन्दगी" काव्य संग्रह कृति नौजवान कवि मुकेश मानस द्वारा प्रस्तुत की गई है।

लेखक का अधिकांश जीवन समाज के उस स्थानीय धरातल पर बीता जहां जीवन की समकालीनता का एहसास होता रहा। उसके इस संग्रह में उसकी अधिकांश कविताएं उक्त चिन्तन की आदि से अंत तक आधार स्तम्भ बनी रही।

इनकी लगभग हर कविता में अपने आप को और अपने आस-पास को खोजना बड़ा आसान है। इन कविताओं में सहज मिलने वाले प्रतीक बहुत कम है। सहज व साधारण बोलचाल की भाषा का सुन्दर प्रयोग किया है।

कवि ने अपनी कविताओं में दार्शनिकता का भाव अतुलनीय ढंग से रख उसे दृढ़ता प्रदान की है। विशेषकर उसकी यह कविता:—

उसने
पांच वर्षों में
एक मोटी सी किताब लिखी
और लिखकर फाड़ दी
सच है
प्रेम कथाएं
अन्तहीन हुआ करती हैं

वास्तव में समकालीन परिस्थितियों का चित्रण उसने अत्यंत उत्कृष्णता से किया है-"लोकतंत्र का निर्माता", "संसद कब चुप होगी", "कुछ लोग", "विकिरण की झील", "टोपी पलट" और "मैं नहीं समझता" आदि कविताएं इसी दृष्टिकोंण पर खरी उतरी हैं।

एक और अति सुन्दर व विशिष्ट बात ये है कि वह अपनी कविता को कई बार कथात्मक रूप भी प्रदान करता है और पूर्ण कविता एक कथा की भांति ही चलती है।

जहां तक प्रश्न भाषा का है तो कवि की भाषाई सुन्दरता उसमें काव्य का प्रबल पक्ष सामने रखती है। कोमल आलंकारिक व व्यंजनात्मक भाषायी शैली की कविता अत्यंत सहज और सुलभ होने के लिए पठनीय है।

लेखक : मुकेश मानस, प्रकाशक : कलमकार प्रकाशन, एन 23, श्री निवासपुरी, नई दिल्ली 65

3. कोण से कटे हुए

वास्तव में कविता ज़िन्दगी का दूसरा नाम है। प्रस्तुत कृति "कोण से कटे हुए" युवा कवि वीरेन्द्र सारंग का काव्य संग्रह है जिसमें युवा मन की सोच ताज़ा होती है। इन कविताओं में अनुभूतियों की वह उपज है जो जिन्दगी के फलक पर ही अपनी पहचान बनाती है।

लेखक की इन कविताओं में गतिविधियों के इतिहास की झलक मिलती है। समय की धार को रचनाकार ने पहचानने की कोशिश की है। यह कविताएं अन्तर्दर्शन से शुरू हो कर समाज-दर्शन तक अपनी उड़ान लेती हैं।

ये कविताएं मुक्त छंद की असाध्य काव्य-वीणा को साधने की कोशिश करती हैं। उनमें तत्व हैं। अपने कच्चेपन में भी ये न केवल आश्वस्त करती हैं अपितु कवि के कवित्व को प्रमाणित भी करती हैं।

युवा कवि की इन कविताओं में मुख्य चिन्ता समाज और परिवार में मानवीय मूल्यों के विघटन से संबंधित है। "आश्वासन का धागा", "ओ मेरे राही मन", "मैं जा रहा हूं" आदि कई कविताओं में वे उच्च मूल्यों के हीनतर मूल्यों की दिशा में सक्रमण की त्रासदी को उभारते हैं। इसी त्रासदी के इर्द-गिर्द पीढ़ी अंतराल, दहेज, प्रतिभा, की अवमानना दो मुंहापन, अभाव ग्रस्तता आदि भी रेखांकित होते गए हैं, "छप्पर उजाड़ दिया गया", "तभी उपजी कविता" जैसी पंक्तियों से स्पष्ट है कि कवि की कविता हादसों की देन है और उनके अनुभवों की कड़वाहट ने उनका संस्कार किया है।

नारंग जी की कविताओं में अपने को और दुनिया को समझ पाने की खोज निरन्तर जारी है। पहले ही कविता संग्रह में परिवेश सजग और अनुभव सम्पन्न कवि के तौर पर प्रस्तुत हुए हैं।

लेखक : वीरेन्द्र सारंग, प्रकाशकः तूलिका प्रकाशन, 20 / 11 वार्ड नं० 1, महरौली, नई दिल्ली-1100391 मूल्य : 50 रुपए

4. एक पेड़ चांदनी

यह सत्य है कि कवि अपने जीवन को कविता में उतारता है या कहा जाए तो कविता कवि का सम्पूर्ण जीवन है।

देवेन्द्र कुमार ने "एक पेड़ चांदनी" (काव्य संग्रह) प्रस्तुत किया है।

इन कविताओं में एक सहज, कोमन छुअन है जो बहुत गहराई तक महसूस होती है। साधारण शब्दों में असाधारण भावों को अभिव्यक्ति मिली है जो बार-बार पढ़े जाने पर मन-मस्तिक पर एक अद्भुत सा प्रभाव छोड़ जाते हैं। कविताएं संवेदनशील है, लेकिन छुई-मुई नहीं, यथार्थवादी हैं। जीवन से जुड़ी हैं।

लेखक ने हर हालत में अपने कविपन को बड़ी गंभीरता से जीया है और पग-पग पर हर अनुभव को बड़ी सूबसूरती से अपनी कविता में सहेजा है। उसकी कविता उसके जीवंत संघर्ष का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है। उसकी रचना-धर्मिता कुछ नया ढूंढने में व्यस्त है।

कवि की कविताएं एक कल्पना की काल-छायाएं है जो समाज की यथार्थ-काया की ही छवियां हैं।

लेखक : देवेन्द्र कुमार, प्रकाशक : राजेश प्रकाशन, जी-62, गली नं० 5. अर्जन नगर, दिल्ली-110051 मूल्यः 45 रुपए

—शान्ति कुमार स्याल,
ई-43 सै० 15 नोएडा-201301

☆उपर्युक्त चारों काव्य संग्रहों के समीक्षक।

हिंदी में सर्वाधिक काम-काज के लिए "आशीर्वाद संस्था" की ओर से द्वितीय पुरस्कार

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी बम्बई महानगर की एक साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था "आशीर्वाद" द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 1993 को मध्य रेल, बम्बई वी० टी० सभागृह में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में बम्बई स्थित सार्वजनिक उपक्रमों में वर्ष 1992-93 के दौरान राजभाषा हिंदी में सर्वाधिक काम-काज के लिए नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एम०एन०) लि० बम्बई निगम कार्यालय को महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री माननीय श्री माणिकराव ठाकरे के करकमलों से द्वितीय पुरस्कार (आशीर्वाद स्मृति-चिह्न) प्रदान कर सम्मानित किया गया। श्री आर०एच० भट्ट, निदेश (कार्मिक) एवं अध्यक्ष रा०भा० कार्या० समिति, निगम कार्यालय ने पुरस्कार ग्रहण किया।

राजभाषा के उत्तम कार्यान्वयन के लिए टॉलिक द्वारा "प्रथम पुरस्कार"

दिनांक 1 नवम्बर, 1993 को बम्बई स्थित ताजमहल होटल के सेंट्रल हाल में आयोजित टॉलिक की 16 वीं बैठक में बम्बई उपक्रमों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान राजभाषा हिंदी के उत्तम कार्यान्वयन के लिए नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (महाराष्ट्र नॉर्थ) लि० बम्बई निगम कार्यालय को (300 तक कर्मचारियों के ख-समूह में) टॉलिक के अध्यक्ष श्री पी० रामकृष्णन के करकमलों द्वारा प्रथम पुरस्कार (चल वैजयंती) प्रदान किया गया। श्री ए०डी० जोशी, निदेशक (वित्त) तथा कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने पुरस्कार ग्रहण किया।

विशाखापटनम जिंक लेड स्मेल्टर

केन्द्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद, नई दिल्ली के तत्वाधान में दिनांक 20/07/1993 को अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता एवं दिनांक 25/08/1993 को अखिल भारतीय हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता तथा दिनांक 31/08/1993 को अखिल भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उक्त प्रतियोगिताओं में क्रमशः 17, 1 8 एवं 6 कर्मचारी उपस्थित हुए हैं।

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (महाराष्ट्र नार्थ) लि० बम्बई

एन०टी०सी० (एम०एन) लि० बम्बई निगम कार्यालय को वर्ष 1992-93 के दौरान उत्कृष्ट हिन्दी कार्य- निष्पादन के लिए सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त शील्ड तथा पुरस्कारों के संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट।

हिंदी में प्रशंसनीय कार्य हेतु "राजभाषा शील्ड"

बम्बई महानगर के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के कार्य में सेवा भाव से कार्यरत बम्बई की एक संस्था "केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद नगर समन्वय समिति बम्बई" द्वारा बिरला मातुश्री सभागार, मरीन लाईन्स, बम्बई में दिनांक 14-10-93 को आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के प्रधान समाहर्ता श्री वी०के० गुप्ता के करकमलों से वर्ष 1992-93 के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में प्रशंसनीय कार्य हेतु एन०टी०सी० (एम०एन०) लि०, निगम कार्यालय को "राजभाषा शील्ड" प्रदान कर सम्मनित किया गया। श्री आर०एच० भट्ट, निदेशक (कार्मिक) ने राजभाषा शील्ड" ग्रहण की।

बम्बई स्थित गुणता आश्वासन महानिदेशालय के कार्यालयों में हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी

वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेखन हिंदी में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जारी गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 18.12.90 को पत्र संख्या 20034 / 14 / 90 अ.वि. एकक के अनुसरण में बम्बई स्थित गुणता आश्वासन स्थापनाओं के संयुक्त प्रयास से दिनांक 16 नवम्बर, 93 को एक भव्य संगोष्ठी व कार्यशाला का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना (वाहन), (सामान्य भण्डार), (इलैक्ट्रानिकी), (इंजी. उपस्कर व (आयुध) ने भाग लिया।

संगोष्ठी का शुभारंभ दिनांक 16.11.93 को सरस्वती वंदना के साथ हुआ। श्री ए.पी. जैन (व.गु.आ.अ.) सामान्य भंडार ने मुख्य अतिथि डॉ. गिरिजा शंकर त्रिवेदी, संपादक नवनीत हिंदी डायजेस्ट, का स्वागत किया तथा कर्नल डी एन अग्रवाल (व.गु.आ.अ.) वाहन ने उनका माल्यार्पण किया।

मुख्य अतिथि ने द्वीप प्रज्वलित करके संगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन किया तथा संगोष्ठी एवं कार्यशाला के सफलता की शुभकामना की। तत्पश्चात् इस अवसर पर वैज्ञानिक एवं तकनीक विषयों पर विक्रोली स्थित स्थापनाओं द्वारा हिंदी में लिखे गये निम्नलिखित सर्वोत्तम पांच तकनीकी पत्र पढ़े गए और उन पर परिचर्चाएं हुई।

(क) टायर एवं गुणता आश्वासन लेखक श्री विनोद कुमार गुप्ता (अग्रजन) वाहन.

(ख) गुणता नियंत्रण चक्र, लेखक श्री त्रिलोचन सिंह जससल, कार्यवेक्षक-1 (सामान्य भण्डार).

(ग) पर्यावरण परीक्षण द्वारा गुणता आश्वासन, लेखक श्री प्रमोउ शेंडे, व.गु.अ. (इलैक्ट्रानिक्स).

(घ) गुणता अर्थात सर्वगुणयुक्त उत्पादन या सेवा, लेखक श्री दिलीप कुमार मिश्र कार्यवेक्षक-11 (आयुध).

(च) गुणता की अनिवार्यता, लेखक श्री जय प्रकाश लिमये.

मुख्य अतिथि ने अपने समापन भाषण में ऐसे जटिल तकनीकी पत्र हिंदी में सरल एवं सुरूचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की सराहना की। तकनीकी पत्रों की भाषा शैली व तकनीकी आयामों की उत्कृष्टता की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे पत्रों को विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित करना चाहिए जिससे सभी के लिए मार्[illegible]क सिद्ध हो सके। उनको, ओस्लो (नार्वे) एवं अन्य यूरो[illegible] के [illegible]तरालम, जो अनुभव प्राप्त हुए, उनका भी जिक्र किया। वहां पर उन्होंने अपनी मातृ भाषा में भाषण दिया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि संस्कारों एवं संस्कृति से संबद्ध रहना ही हमारी सच्ची पहचान है। उन्होंने यह भी कहा, कि लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम उनकी मानसिक सोच में बदलाव लाना होगा। उन्होंने प्रत्येक सरकारी कामकाज को हिंदी में करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के अन्त में तकनीकी पत्र लिखने वालों को पुरस्कार मुख्य अतिथि डॉ॰ त्रिवेदी द्वारा प्रदान किए गए। संगोष्ठी के अन्तर्गत एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। जो कि हिंदी के उपयोग एवं पुस्तकों की उपलब्धता से संबद्ध थी। इनमें विभिन्न विभागों द्वारा हिंदी में प्रकाशित सामग्री एवं सामान्य पुस्तकों के अलावा तकनीकी पुस्तकों का भी समावेश था। उन्होंने प्रत्येक स्टाल पर प्रदर्शित सामग्रियों एवं पुस्तकों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हिंदी में प्रदर्शित सभी सामग्री उपयोगी व प्रेरणा स्रोत थे। प्रत्येक विभाग द्वारा प्रदर्शित सामग्रियों से हिंदी के प्रति सजगता एवं तत्परता की झलक मिलती थी। यह सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रदर्शित हुआ।

तदुपरान्त एक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। वह कार्यक्रम भी मुख्य विषय हिंदी की उपयोगिता पर आधारित था। हिंदी के उपयोग एवं आवश्यकताओं पर कविताएं, गजल, नुक्कड नाटकों के सहारे संदेश प्रसारित किया गया। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुआ।

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद बम्बई में राजभाषा वैज्ञानिक संगोष्ठी

विक्रम साराभाई भवन में स्थित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न कार्यालयों के कार्मिकों में दिनांक 23.9.93 को "परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के विभिन्न आयामों" पर राजभाषा वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कुल 130 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

उद्घाटन भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी श्री सुरेन्द्र शर्मा के कर कमलों द्वारा द्वीप प्रज्वलित करके हुआ। उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि राजभाषा में आयोजित इन संगोष्ठियों से हिंदी में संप्रेषण का अभ्यास होता है एवं उसके विकास में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होता है। उन्होंन कहा कि जब कोरिया जैसा देश बिना अंग्रेजी के अपनी

भाषा से उन्नति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अपनी भाषा होना इसलिए भी आवश्यक है जिससे विदेश जाने पर अपनी गोपनीय बातें दूसरों की उपसिथति में कर सकें। भारी पानी बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी श्री ए० सुब्रहमण्यम के स्वागत के बाद श्री विजय कुमार भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद ने कहा कि संगोष्ठी के दो उद्देश्य हैं एक तो अपने प्रशासनिक एवं गैर-तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहायकों को परमाणु ऊर्जा की विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराना है—जैसे विद्युत उत्पादन, रेडियोधर्मी पदार्थों का कृषि, चिकित्सा एवं उद्योग में उपयोग, भारी पानी का योगदान, भौतिकी एवं रसायनिकी अनुसंधान एवं विकिरण संरक्षण, दूसरा हिंदी दिवस पर सार्थक कार्यक्रम प्रस्तुत करना क्योंकि कोई भी भाषा विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में प्रतिष्ठापित हुए बिना सक्षम नहीं बन सकती, सम्मान नहीं पा सकती। एन०पी०सी० के कार्यकारी निदेशक (प्रचालन) श्री वाई० एस० आर० प्रसाद ने अध्यक्षता की एवं एन०पी०सी० के हिंदी अधिकारी श्री एम० एन० सोधी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। परमाणु ऊर्जा विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कार्यक्रम का संचालन किया। अन्त में निर्माण एवं सेवा वर्ग के मुख्य अभियंता श्री जी०डी० चंद्रमोरे का उद्घाटन किया।

केनरा बैंक, मंडल कार्यालय, करनाल के राजभाषा संपर्क अधिकारियों की वार्षिक बैठक

करनाल मंडल के राजभाषा सम्पर्क अधिकारियों की वार्षिक बैठक दिनांक 25-10-93 को होटल रामा, करनाल में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता श्री यू०जी० आचार्य मंडल प्रबंधक ने की। बैठक में करनाल मंडल की शाखाओं/कार्यलयों के 19 प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

श्री अशोक कुमार सक्सेना, राजभाषा अधिकारी ने सभी उपस्थितियों एवं आमंत्रितों का स्वागत किया एवं पिछली वार्षिक बैठक से वर्तमान बैठक तक मंडल/मंडल की शाखाओं द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्राप्त की गयी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

श्री यू०जी० आचार्य, मंडल प्रबंधक ने अपने प्रेरणा-संबोधन में कहा कि जिन शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं उन्हें इस दिशा में तेजी से तथा सुनिश्चित प्रयास करने चाहिए तथा राजभाषा कार्यान्वयन केवल लक्ष्य प्राप्ति नहीं बल्कि राजभाषा कार्यान्वयन के उददेश्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। श्री सुदेश कुमार राणा, वरिष्ठ प्रबंध मंडल कार्यालय करनाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह सही है कि कई बार राजभाषा कार्यान्वयन में कठिनाईयों का सामना करना पडता है फिर भी यदि शाखा/प्रबंधक राजभाषा कार्यान्वयन में रुचि रखता हैं तो राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कोई बाधा नहीं है।

श्री सतीश कुमार, प्रबंधक मंडल कार्यालय, करनाल ने भी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शुरू में हिंदी में काम करना कठिन अवश्य लगता है किंतु बाद में यह अत्यंत सहज हो जाता है।

बैठक में शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा, वार्षिक कार्य योजना 93-94, शाखाओं का राजभाषा नियम 8(4) के अंर्तगत विनिर्दिष्ट करने तथा हिंदी जिले घोषित करने, शाखाओं के राजभाषा सम्पर्क अधिकारियों के दायित्व, तिमाही प्रगति रिपोर्ट एसटीआर-18, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों आदि मदों पर चर्चा की गयी। समापन-सत्र में अंचल कार्यलय चंडीगढ़ द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने के उपलक्ष्य में रवीन्द्र आहुजा, विशेष सहायक, करन्सी चेस्ट को यू०जी० आचार्य मंडल प्रबंधक ने पुरस्कार, प्रमाण-पत्र तथा प्रशास्ति पत्र प्रदान किया।

राजभाषा अक्षय योजना 1993 के अतंर्गत मंडल की रादौर शाखा चंडीगढ़ अंचल की सर्वश्रेष्ठ शाखा घोषित की गई थी। श्री यू०जी० आचार्य मंडल प्रबंधक ने सर्वश्रेष्ठ शाखा की ट्राफी शाखा के राजभाषा सम्पर्क अधिकारी श्री विनोद कुमार झा को प्रदान की।

यूजीसी के राष्ट्रीय भाषा चैनल की वार्षिक बैठक

विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग, नयी दिल्ली के भारतीय, प्राच्य एवम् आफ्रिकन भाषाओं के राष्ट्रीय पैनल की वार्षिक बैठक आयोग कार्यालय, नई दिल्ली के सम्मेलन-कक्ष में पद्मश्री डा० लक्ष्मीनारायण दुबे, यूजीसी प्रोफेसर इमेरिटस, डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर की अध्यक्षता में हाल ही में सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न भाषाओं के नामित सदस्यों-प्रतिनिधियों ने शिरकत की जिनमें प्रमुख नाम डा० सी० बालसुब्रमनियन, कुलपति, तमिल विश्वविद्यालय, मद्रास (तमिल), हिन्दी में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मनित हुए डा० कैदारनाथ सिंह, विभागायक्ष, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली, डा० गोपाल राय, प्राक्तन विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, डा० गोपीनाथन, प्रोफेसर, कालिक्ट विश्वविद्यालय (केरल), डा० के० महापात्रा, विभागाध्यक्ष, विश्वभारती, शांतिनिकेतन (उड़िया), डा० तान चुंग, विभागाध्यक्ष, जवाहरलाल, नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली (चीनी भाषा), डा० ए० ए० सिद्धीकी, विभागाध्यक्ष, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उर्दू) तथा डा० सावित्री विश्वनाथन, विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय (चीनी भाषा तथा जापानी भाषा) हैं। आयोग के संयुक्त सचिव श्री आइ० जे० गुप्ता ने समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया और बैठक का संचालन किया। समस्य सदस्यों ने भाषाओं के उच्च स्तरीय अध्ययन-अध्यापन तथा शोध की प्रविधि तथा स्तर-उन्नयन पर गहन विचार विमर्श किया। पैनल ने इस दिशा में आयोग को कुछ महत्वपूर्ण एवम् अकादमिक सुझाव दिए ताकि हमारे देश में भाषायी सौहार्द के साथ ही साथ विश्वविद्यालयों के भाषा-विभागों को उन्नत किया जा सके। श्री आइ० जे० गुप्ता ने पैनल अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण दुबे तथा समस्त प्रतिष्ठित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया।

ई०आर०डी० एल— हिंदी के बढ़ते चरण

विस्फोटक अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला (ई०आर० डी०एल) पुणे में इसकी स्थापना से ही विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होता आ रहा है। प्रयोगशाला में राजभाषा हिंदी का प्रयोग तब और अधिक प्रभावी रूप से होने लगा जब 1983-84 में गृह मंत्रालय के नियमानुसार डा० हरिद्वार सिंह की अध्यक्षता में प्रयोगशाला में "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" का गठन हुआ। इस समिति में प्रयोगशाला के विभिन्न विभागों से विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सदस्य के रूप में लिया गया। हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए समिति ने अपने वार्षिक कार्यक्रमों में कई

(शेष पृष्ठ 78 पर)

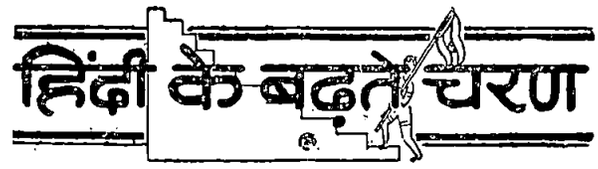

परमाणु ऊर्जा विभाग में हिंदी का प्रयोग

हिंदी का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों में किस प्रकार हो सकता है। "अणु परमाणु, न्यूक्लियर पावर" इत्यादि क्लिष्ट वातारण में हम हिंदी का प्रयोग किस प्रकार करें? ये प्रश्न कई बार उठाए जाते हैं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तो हमें अंग्रेजी में ही कार्य करना होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, मन को हम यह समझा कर अपनी असमर्थता व मजबूरी मान लेते रहे है और अंग्रेजी की पुरानी लकीर को पीटते रहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं जब हम कोई कार्य करना ही नहीं चाहते है तो मन को समझाने व औरों को बहलाने के लिए हमारे पास बहाने पहले से ही तैयार होते है परन्तु श्रद्धा आस्था, विश्वास, इच्छा, संकल्प हो तो बहुत कुछ कर सकना संभव है

हिंदी की याद सभी सरकारी कार्यालयों में अगस्त या फिर सितम्बर में ही आती है, "14 सितम्बर पर हिंदी दिवस पर कुछ करना है"। हमारा विभाग इससे अछूता नहीं है। सूक्ष्म स्तर पर या सप्ताह भर के लिए भी, परमाणु ऊर्जा विभाग व न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन के कई बिजलीघरों/परियोजनाओं व केंद्रो पर विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं। हिंदी में काम करने के लिए मुख्य अतिथि अपील करते हैं, कुछ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करते हैं व सभी उपस्थित कसमें खाकर घर चले जाते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समितियां भी हर संस्थान में है व इनकी नियमित या अनियमिय बैठके सम्पन्न होती हैं, पर हिंदी वहीं पर रहती है, जहां पर थी। आंशिक प्रगति पर हम स्वयं भले ही आत्मसंतुष्टि कर ले, पर यह कोई ठोस सार्थक प्रगति नहीं समझी जा सकती है।

प्रशासन लेखा विभाग के कई फार्म हिंदी में उपलब्ध हैं, पर आम कर्मचारी की कलम फार्म भरते समय अंग्रेजी में ही चलती है, इस आदत को बदलना होगा। हम मात्र इतना भर ही कर लें कि जो फार्म हिंदी में उपलब्ध है, उसे तो कम से कम हिंदी में ही भरें। हस्ताक्षर भी हिंदी में ही करें। हिंदी में फार्म भरना हिंदी अधिकारी-राजभाषा निदेशक का ही कार्य नहीं है, पर यह हम सभी का उत्तरदायित्व है, लगन व इच्छा हो तो शून्य प्रतिशत शनैः शनैः 5-10 से बढ़कर समय के साथ स्वयं ही बढ़कर हमारे बिजलीघरों में क्षमता, उपलब्धता गुणक के समान पहुचंकर टक्कर लेने लगेगा।

हमारा लक्ष्य होता है 70-80 व 90 प्रतिशत उपलब्धता गुणक प्राप्त करना। इसी प्रकर के लक्ष्य हिंदी में कार्य के प्रति भी रखने होंगे। राजभाषा अधिकारी के कक्ष में लगे सूचनापट्ट पर हिंदी की प्रगति का भी अवलोकन करने के लिए लक्ष्य व वर्तमान स्थिति की सूचना देने के लिए स्थान निश्चित होना चाहिए। तकनीकी क्षेत्रों में भी कई चार्ट हिंदी में रख पाना सम्भव है। आरंभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य आएंगी, परन्तु हिंदी विभाग या शब्दकोष की थोड़ी सी भी सहायता ले ली जाए, तो निश्चय ही कुछ ठोस प्रगति सम्भव होगी। मैंने अपने अनुभाग की सौ से अधिक फाइलों पर हिंदी में क्रमसंख्या व विषय स्वंय लिखे हैं और इसके लिए मुझे किसी से कभी कुछ पूछना नहीं पड़ा। मुख्यालय की रिपोर्ट, पत्र सब अंग्रेजी में लिखते हैं, लिखते रहें, उस पत्र की प्रतिलिपियां किस फाइल में रखते हैं, उस फाइल पर संदर्भ नाम तो हिंदी में लिखा ही जा सकता है। डिसपेच रजिस्टर में भी हिंदी में सूचना अंकित करना संभव है। अपने विभाग के कर्मचारियों का शिफ्ट-शिड्लू भी हिंदी में निकालना संभव है, कई पत्र, छुट्टी का आवेदन इत्यादि हिंदी में लिखना/भरना सरल व सुगम है, कोई करके तो देखें।

मेरे लेखों पर एक विद्वान सज्जन ने यह आलोचना की थी कि मैं अपने लेखों में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करता हूं। इस पर मेरा स्पष्टीकरण था कि मैं ऐसे शब्द प्रयोग में लाना चाहता हूं कि आम कर्मचारी या जन साधारण व्यक्ति समझ सके। इसके लिए प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख देने में मुझे दोष नजर नहीं आता। कहने का भाव व शैली सरल एवं समझने योग्य होनी चाहिए। मुझे अपना लेख प्रकाशित करने की इच्छा है तो मैं शब्दकोष से तलाशकर कंटामिनेशन व रेडियेशन का अर्थ लिख दूंगा पर आम पाठक को इतनी रूचि नहीं हो सकती है कि वह शब्दकोष में संदूपनक का अर्थ तलाश करे। परमाणु ऊर्जा विभाग व परमाणु बिजलीघरों में कई कर्मचारी औसतन 10 या 10 + 2 वाले हैं। उन्हें विकिरण क्षेत्र में कार्य करना होता है। रेडियेशन के बारे में अगर उन्हें हिंदी में उनकी समझ में आने वाली भाषा में जानकारी उपलब्ध होगी, तो उनमें जागरूकता भी रहेगी व मैनेजमेंट द्वारा निर्देशित नियमों का उल्लघंन भी नहीं होगा। रेडियेशन प्रोटेक्शन कोर्स व अन्य संयंत्रों की जानकारी आज हिंदी में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। संरक्षा पर भी सरल हिंदी में मैनुअल उपलब्ध होना आवश्यक है। उपलब्ध अंग्रेजी मैनुअलों का सरल भाषा में हिंदी में अनुवाद करने के लिए योग्य, कुशल वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक सहायकों व अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

वैज्ञानिक, परमाणु, न्यूपावर का अंतिम पृष्ठ अणुशक्ति व अणुभारती में प्रकाशित वैज्ञानिक व तकनीकी लेख यह सिद्ध करते हैं कि हिंदी में तकनीकी जानकारी उपलब्ध करना कठिन नहीं हैं। अधिकांशतः इन गिने लेखक ही हर स्थान व हर पत्रिका में नजर आते हैं, पर जागरूकता व प्रचार-प्रसार से इन संख्याओं में वृद्धि की जा सकती है। यथोचत पत्र-पुष्प भर का मानदेय ही कई छुपे हुए लेखकों को प्रकाश में ला सकता है। प्रतिभाओं की कमी नहीं हैं। पर उनके दैनिक कार्य किसी और को सौंप कर उनसे इसी क्षेत्र में और अधिक सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य करवाकर आशातीत सफलता प्राप्त की जा सकती है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन के मुख्य कार्यालय के पर्यावरण एवं लोक जानकारी निदेशालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका "न्यूक्लिर विद्युत और आप" प्रशंसनीय व सराहनीय है। ऐसी ही छोटी-छोटी पुस्तिकाएं सभी परमाणु बिजलीघर व परमाणु संयंत्र अपने आगन्तुकों व विशिष्ट व्यक्तियों को जानकारी के लिए

सरल हिंदी में उपलब्ध कराएं तो जनता—जर्नादन के मन से भ्रम के बादल छंट जाएंगे।

हिंदी मात्र 14 सितम्बर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हम जो भी है जहां भी है, जो भी कर रहे हैं, उनमें हम हिंदी का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, यह चिन्तन-मनन करेंगे तो कोई रास्ता निकल ही आएगा। काम करना हो तो रास्ते निकल आते हैं, काम नहीं करने का मन हो, तो सौ बहाने गढ़े जा सकते हैं। भारत सरकार का वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कई जानकारी वाली पुस्तकें प्रकाशित करता है। अन्य संस्थानों की तरह परमाणु ऊर्जा विभाग में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ाना आसान है। हमारी कई उपलब्धियां हमें आशा भी दिलाती है। पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। कथनी और करनी में सामंजस्य रखना होगा। सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य स्वयं ही संदेश व अपील का काम करेंगे व प्रेरणा-स्रोत बनेंगे। मन-प्राण से बस हिंदी की सेवा में जुट जाएं। अच्छे कर्म मीठे फल देते ही हैं। संकल्प कर, कर्म करते रहे।

—दिलीप भाटिया, वैज्ञानिक अधिकारी-एस ई
राजस्थान परमाणु बिजलीघर, कोटा

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा
–राजभाषा संबंधी गतिविधियां–

1. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को राष्ट्रीय हिंदी अकादमी कलकता द्वारा गोवा में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा प्रदर्शनी के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

2. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी श्री कोंजेटी रोशयाको राजभाषा हिंदी के लिए अति उत्तम सेवाएं देने के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कला एवं संस्कृतिक संघ, नजीबाबाद ने कुसुम कुमारी अंतरराष्ट्रीय हिंदीतर पुरस्कार से सम्मानित किया।

3. इस वर्ष में गोवा शिपयार्ड के हिंदी पुस्तकालय के लिए 5000/- रूपयों के पुस्तकें खरीदी गई।

4. 14, सितंबर, 1993 को हिंदी उत्सव मनाया गया। गोवा राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री भानुप्रकाश सिंह इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। इस अवसर पर हिंदी में काम करने वाले 17 अधिकारी एवं कर्मचारियो को प्रशंसा पत्र वितरित किए गए।

5. इस वर्ष में चार कार्यशालांए आयोजित की गई, इनमें 102 अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण पाए।

6. इस वर्ष में कंपनी ने 10 इलक्ट्रॉनिक द्विभाषी टाइपराइटर खरीदी गई।

7. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के हिंदी टंकक को अनुवाद प्रशिक्षण ब्यूरो, बेंगलूर में 3 माह के अनुवाद शिविर में भेजकर अनुवाद प्रशिक्षण दिलाया गया।

8. इस वर्ष में आयोजित सभी ट्रेड परीक्षाओं एवं लिखित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी में बनाये जा रहे हैं। उपस्थित परिक्षार्थियों से 60% कर्मचारी उत्तर हिंदी में दे रहे हैं।

9. केंद्रीय राजभाषा परिषद् बम्बई द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के चार अधिकारियों को नामित किया गया।

राष्ट्रीय हिंदी अकादमी, रूपांबरा द्वारा आयोजित छठे अखिल भारतीय सम्मेलन में दो अधिकारियों को नामित किया गया।

10. गोवा शिपयार्ड को पांच वर्षों से लगातार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से प्रशंसा पत्र प्राप्त होता रहा।

11. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा होली के अवसर पर आयोजित समूहगान प्रतियोगिता में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को द्वितीय पुरस्कार मिला।

12. केंद्रीय राजभाषा परिषद द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन में अत्यंत सहयोग देने के कारण गोवा शिपयार्ड के वरिष्ठ अधिकारी श्री कोनजेटि रोशय्या को सहकारिता पुरस्कार प्राप्त हुआ।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एवं हिंदी प्रेमी कमो. राजवेंकटेश को केंद्रीय राजभाषा परिषद बंबई द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में और राष्ट्रीय हिंदी अकादमी रूदांबरा द्वारा आयोजित छवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 'सम्माननीय अतिथि' के रूप में आमंत्रित किया गया।

13. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा राजभाषा प्रचार एवं प्रसार के अंतर्गत त्रैमासिक राजभाषा पत्रिका 'स्वाति' अंक 5,6,7,8 प्रकाशित किये गये।

14. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में गोवा राज्य स्तर पर 30, जनवरी 1993 की राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 20 राजभाषा अधिकारी एवं संपर्क अधिकारी (राजभाषा) उपस्थित हुए।

15. कंपनी में सभी स्टेशनरी द्विभाषिक रूप में जारी की गई हैं। परिपत्र, सामान्य आदेश भी द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं।

16. इस वर्ष में सभी स्थानीय निविदाएं एक ही समाचार पत्र में द्विभाषिक रूप में मुद्रण करने का काम शुरू किया गया हैं। राष्ट्रीय स्तर के निविदाएं द्विभाषिक रूप में अंग्रेजी एवं हिंदी समाचार पत्रों में अलग अलग रूपसे प्रकाशित किए जाते हैं।

17. राजभाषा कार्यान्वयन नीति में प्रगतिगत संवीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें ली जाती है।

18. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलुओं और स्वयंसेवी संस्थाओं और महापुरूषों द्वारा हिंदी के लिए हुए कार्य पर प्रकाश डालने वाले वृतचित्रों के तीन कसेटों को खरीदा गया और इन केसेटों को हिंदी कार्याशालाओं में दिखाया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली

संस्कृति विभाग में दिनांक 13 से 17 सितंबर, 1993 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया या। 13 सितबंर को शास्त्री भवन के प्रांगण में माननीय शिक्षा एवं संस्कृति उप मंत्री कुमारी शेलजा ने हिंदी दिवस का उद्घाट्न किया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली-110003

14 सितंबर, 1993 को हिंदी दिवस मनाया गया जिस की अध्यक्षता महानिदशक डा॰ एन॰ सेन राय ने की। उपमाहनिदेशक श्री वी॰ पी॰ काम्बले तथा श्री जितेन्द्र लाल विशेष रूप से आमंत्रित थे। हिंदी सप्ताह के दौरान हिंदी निबंध और हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन स्वरचित कविता पाठ और हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय और सांत्वना पुरस्कार के लिए क्रमशः 100,75 और 50 रुपये की राशि देने का निर्णय लिया। महानिदेशक ने विभागीय हिंदी पत्रिका "मौसम मंजूषा" के अंक का विमोचन किया।

आर्डनैन्स फैक्टरी खमरिया, जबलपुर— 482005.

14 सितंबर, 1993 को हिंदी दिवस के अवसर पर महाप्रबंधक श्री शिव मणवालन की अध्यक्षता में राजभाषा समारोह आयोजित किया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के आचार्य और अध्यक्ष दर्शन विभाग, डा॰ जगदीश प्रकाश शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सचिव/सहायक कार्यशाला प्रबंधक श्री बी॰बी॰ सिंह ने राजभाषा नीति के अंतर्गत संस्थान में हिंदी के क्रमिक उन्नयन एवं हिंदी के प्रगामी प्रयोग के अंतर्गत चलने वाली विविध योजनाओं, प्रशिक्षणों एवं कार्यक्रमों के जानकारी प्रदान की। कहानी लेखन, निबंध, वादविवाद, कविता पाठ, टंकण और हिंदी अनुवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। निर्माणी की गृह पत्रिका राजभाषा पत्रिका का विमोचन महाप्रबंधक द्वारा किया गया। एक हिंदी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसे लोगों द्वारा काफी सराहा गया।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, वाराणसी- (उ॰ प्रदेश)

14 से 20 सितमबर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया, जिसके दौरान कार्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर रामकुमार त्रिपाठी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। हिंदी का प्रबल समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्र देश की एक भाषा होनी चाहिए और वह हिन्दी ही होगी। उन्होंने हिन्दी प्रदेश के व्यक्तियों से हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने का आह्वान किया। अध्यक्षीय भाषण में क्षेत्रीय आयुक्त श्री के॰सी॰दर्दी ने राजभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रत्योगिताओं में सम्मिलित होने वाले सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी।

भारतीय डाक विभाग, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल,

14 से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया, जिसके दौरान 9 हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें हिंदी निबंध, टिप्पण लेखन, टंकण, वाद-विवाद और कहानी प्रतियोगिताएं प्रमुख हैं। प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 100,75 और 50 के नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री एस॰ के॰ बास्करन ने हिंदी को अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग करने पर जोर दिया।

मुख्य आयकर आयुक्त,केन्द्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली- 110002.

24 सितम्बर, 1993 को हिंदी सप्ताह समापन समारोह आयोजित किया गया जिसके कार्यक्रम की अध्यक्षता आयकर आयुक्त श्री ए॰के॰ बट्ब्याल ने की। मुख्य आयकर आयुक्त सर्वश्री दिनेश बिहारी लाल तथा श्री चंद्रकांत खुशालदास भी समारोह में उपस्थित थे। श्री विद्यानिवास मिश्र समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। श्री मिश्र ने हिंदी को जन-जन की भाषा बताया। उन्होंने कहा कि जब तक देश का काम देश की भाषा में नहीं होगा तब तक सभी को उचित न्याय नहीं मिल सकता। श्री बटब्याल ने कर्मचारियों को हिंदी में काम करने का संकल्प दिलवाया। आयकर उपायुक्त श्रीमती पैमिला भण्डारी ने विभाग के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा देते हुए सभी को हार्दिक धन्यवाद किया।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, मरू प्रदेशिक शाखा, जोधपुर-3420006 (राजस्थान)

14 से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसका उद्घाटन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कलकत्ता के संयुक्त निदेशंक, डा॰ एस॰ के॰ टण्डन ने किया। उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान किया कि सरकारी कामकाज में आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करें। हिंदी में रचनात्मक लेखन का कार्य सप्ताह के दौरान हिंदी निबंध, टिप्पण लेखन, हिंदी टाइपिंग एवं हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। डा॰ ईश्वर प्रकाश, प्रोफेसर एमिनेन्स ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार तथा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए।

तटरक्षक मुख्यालय, राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर नई दिल्ली-110001.

13 से 17 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसका शुभारम्भ महानिदेशक तटरक्षक वाइस एडमिरल कैलाश कोहली ने ए०वी०एस०एम० की अपील द्वारा किया गया। उन्होंने राजभाषा हिंदी के विकास के लिए निरन्तर प्रयास करते रहने का आह्वान किया। सप्ताह के दौरान हिंदी टिप्पण, मसौदा लेखन, निबंध,हिंदी अनुवाद, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें न केवल कर्मचारियों ने बल्कि अधिकारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। डी आई जी श्री आर०एल० टण्डन, स्थानापन्न उप महानिदेशक ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कार्मिकों को और सफल उक्त प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में अधिकारियों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा भविष्य में राजभाषा हिंदी को ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने का आग्रह किया।

दूरसंचार विभाग, दूरसंचार जिला प्रबंधक का कार्यालय, बेलगाम-59006

14 से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय था "राष्ट्रीय एकता और हिंदी"। वरिष्ठ सहायक अभियंता श्री एन०एस० ब्याहट्टीद्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

सीमा सड़क महानिदेशालय, कश्मीर हाऊस, नई दिल्ली-110011.

मुख्यालय 25 बी आर टी एफ में दिनांक 14 से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसका शुभारम्भ कनरल कुलदीप सिंह, कमांडर 25 बी आर टी एफ द्वारा किया गया। सप्ताह के दौरान टंकण, निबंध, नोटिंग/ड्राफ्टिंग और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जिन कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए उन्हें नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कमांडर सिंह ने सभी कर्मचारियों से भविष्य में कार्यालय में अधिक हिंदी का प्रयोग करने की अपील की।

सवारी बिब्बाखाना, मद्रास— 600038

4 से 6 अक्तूबर, 1993 तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान एक राजभाषा प्रदर्शनी लगाई गई जिसका उद्घाटन कारखाने के महाप्रबंधक श्री बी०टी० भिड़े ने किया। मुख्य राजभाषा अधिकारी तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी श्रीमती वृन्दा कुत्रीकृष्णन ने समारोह की अध्यक्षता की। दिनांक 5 दिसंबर, 1993 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाई गई। दक्षिण रेलवे के सेवा निवृत वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डा० एस० सुब्रह्मण्यम ने कवि गोष्ठी का संचालन किया। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री भिड़े ने सवारी डिब्बा कारखाने में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का विवरण देते हुए बताया कि कारखाने में राजभाषा का काम सही दिशा में चल रहा है।

मुख्यालय 15 बी आर टी एफ (ग्रेफ)

मुख्यालय 15 बी आर टी एझ (ग्रेफ) में दिनांक 14 सितम्बर से 20 सितम्बर, 93 तक बड़ी धूमधाम से हिंदी दिवस/सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के दौरान हिंदी निबन्ध व टाइपिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया

इस सप्ताह के दौरान 5 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में कर्मचारियों ने बड़े उत्साह व लगन से भाग लिया। इस कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान दिए गए और नोटिंग/ड्राफिटंग का अभ्यास करवाया गया।

कमाण्डर साहब ने आखिरी दिन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें और भी लगन से हिंदी को बढ़ावा देना है और आशा व्यक्त की कि भविष्य में हम और भी प्रगति करेंगे।

महानिदेशालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सी जी ओ काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली

14 सितम्बर, 1993 को महानिदेशालय में हिन्दी दिवस मनाया गया। समारोह का शुभारम्भ मुख्य अतिथि महानिदेशक, श्री डी०के० आर्य ने कर्मचारियों से हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए एक अपील जारी करके किया। नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मुख्य अतिथि द्वारा हिन्दी में सर्वाधिक डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों/हिन्दी में मूल रूप से आलेखन/टिप्पण करने वाले कर्मचारियों तथा विभिन्न प्रयोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली

दिनांक 14 से 20 सितंबर तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान मंत्रालय में हिन्दी निबन्ध, नोटिंग/ड्राफ्टिंग, हिन्दी टाइपलेखन, हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोतिाएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में 20 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 350 रुपये, 250 और 150 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय, विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय, राष्ट्रीय फैशन टैक्नालाजी संस्थानं, सैंट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, दि हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०; दि काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई, दि जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई, नैशनल हैण्डलूम डेवलपमैंट कारपोरेशन लि०, लखनऊ टैक्सटाइल कारपोरेशन लि० (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) आदि कार्यालयों में भी हिन्दी दिवस और हिन्दी सप्ताह मनाया गया।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि०, बम्बई

13 से 17 सितंबर, 1993 तक निगम के सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में हिन्दी सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान निबंध, अनुवाद, टिप्पण आलेखन और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें कुल 129 कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निगम के कार्यपालक निदेशक ने की।

कार्यालय, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली

कार्यालय प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली में दिनांक 8 नवंबर, 1993 से 12 नवंबर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण और आलेखन, हिंदी प्रश्नोत्तरी तथा हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के विजेता इस प्रकार हैं:—

निबंध प्रतियोगिता: श्री प्रवीण कुमार, श्री जतिंद्र कुमार, श्री विकल राज, श्रीमती चंद्र कांता, कु० सुनीता जुनेजा।

टिप्पण और आलेखन प्रयोगिता: श्री विकल राज, श्री विष्णु सिंह, श्रीमती अंशु भटनागर, श्री महेश चंद्र डागर, श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह, श्री अमरजीत सिंह, श्रीमती मधु गुप्ता, श्रीमती शक्ति मल्होत्रा, श्री अनिल शर्मा, कु० सुनीता जुनेजा, श्री हरचरण सिंह, श्री प्रवीण कुमार, श्रीमती सुनीता चोपड़ा, श्रीमती शशि जैन।

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता: विजेता टीम: श्री विष्णु सिंह, शी गुरदीप सिंह, श्री महेन्द्र सिंह, श्रीमती शक्ति मल्होत्रा, श्रीमती सुनीता चोपड़ा, श्री उपेन्द्र मल्होत्रा, श्रीमती ललिता गुप्ता, श्री वाई०पी० सिंह, श्री अमरजीत सिंह।

उपविजेता टीम: श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, श्रीमती अनिता जोशी, श्रीमती इंदु भटनागर, श्री भीमसेन, श्री अनिल निझावन, श्री विकल राज, श्री हरचरण सिंह, श्री अनूप गुप्ता, श्री अनिल, शर्मा।

वाद विवाद प्रतियोगिता: श्री अनूप गुप्ता, श्री ए० सुबैया तथा श्री विकल राज।

कार्यालय में 17 दिसंबर, 1993 को हिंदी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक, श्री ओ०पी० निगम समारोह के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि थे। सहायक निदेशक (राजभाषा), कु० आशा नय्यर ने भी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत किया और उन्हें मुख्यालय और क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में राजभाषा व हिन्दी के प्रयोग में हो रही प्रगति से अवगत कराया। तत्पश्चात् मुख्य अथिति श्री ओ०पी० निगम ने उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाणपत्र और पुरस्कार वितरित किए। अपने भाषण में उन्होंने हिन्दी समारोह के आयोजन पर अतिप्रसन्नता व्यक्त की और बधाई दी। उन्होंने कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने पर जोर दिया और आवश्वासन दिया कि हिन्दी में काम करने पर किसी भी कर्मचारी को हतोत्साहित नहीं किया जाएगा। अंत में उप लेखा नियंत्रक, श्री श्याम सुंदर दुबे ने सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और अपील की कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना काम सरल हिन्दी में करने का प्रयत्न करें।

उत्तर-पश्चिम सर्कल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़

दिनांक 15 सितम्बर, 1993 को टी०टी०टी०आई आडिटोरियम, चण्डीगढ़ में वार्षिक हिन्दी दिवस बहुत उत्साहपूर्वक मनाया गया। समारोह में अध्यक्षता ब्रिगेडियर अनिल मोहन चतुर्वेदी नी की। श्री एस० गोविन्दराज़न, मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़, मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन समारोह के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में विस्तार से बताया और कहा कि हिंदी पूरे भारत वर्ष में सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो रही है। इसमें दूरदर्शन व समाचार-पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने सबस आग्रह किया कि वे स्पष्ट व सरल हिंदी का प्रयोग करें और बार-बार प्रयोग से उनकी भाषा अभिव्यक्ति अपने आप सुदृढ़ व परिपक्व होती जाएगी, सभी भारतीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी को आगे बढ़ाएं और स्वाभिमान से हिंदी में काम करें और हिंदी साहित्य पढ़ें। अध्यक्षीय भाषण के उपरान्त श्रीमती सरोज डोगरा, हिंदी अनुवादक द्वारा वार्षिक हिंदी रिपोर्ट पढ़ी गई।

दूरसंचार विभाग, मुख्य अधीक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय तार घर, मद्रास

18 सितम्बर, 1993 को केन्द्रीय तारघर, मद्रास में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। मुख्य अधीक्षक श्री पी०वी० सेवास्टियन ने समारोह की अध्यक्षता की। प्रसिद्ध कवि और गीतकार श्री पी०वी० श्री निवास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। श्री सेबास्टियन ने कार्यालय में होने वाली हिंदी की गतिविधियों के बारे में उल्लेख किया। मुख्य महाप्रंबधक के कार्यालय में होने वाली हिंदी कार्यान्वयन की प्रगति की सराहना की गई।

आयकर आयुक्त, केंद्रीय राजस्व भवन, नई बिल्डिंग, जालंधर-144001।

14 सितम्बर, 1993 को राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसके समारोह की अध्यक्षता आयकर आयुक्त श्री एस०सी० ग्रोवर ने की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपना सरकारी काम अधिकाधिक हिंदी में करने का अनुरोध किया। पुस्तकालय हाल में एक भव्य साहित्य प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया जो पूरा सप्ताह केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के लिए खुली रही।

मुख्य अभियन्ता दीपक परियोजना

14 से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान हिंदी निबंध, नोटिंग/ड्राफ्टिंग, टंकण और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में 'दीपक' की अधीनस्थ इकाइयों ने भी भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए अधीक्षक अभियंता (सि०) श्री शिव दयाल बजाज ने राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सब का कर्तव्य है कि राजभाषा हिंदी को अपनायें तथा अपना अधिकाधिक काम हिंदी में करें। उन्होंने कहा कि हिंदी एक सरल भाषा है जिसे बड़ी आसानी से समझा और बोला जा सकता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल

दिनांक 14 से 30 सितम्बर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। समापन समारोह में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल के सचिव डा० प्रभाकर श्रोत्रिय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल के सचिव श्री अशोक कुमार ने की। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। विषय था "राजभाषा हिंदी एकता की कड़ी है"। डा० श्रोत्रिय ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए हिंदी के विकास की गाथा बताई तथा हिन्दी के सरलता और सुगमता का व्यावहारिक वर्णन

करते हुए यह स्पष्ट किया कि यह भाषा अभिव्यक्ति के लिए अधिक सटीक और उपयुक्त है। उप-अधीक्षक पुरात्वविद् भोपाल मण्डल, डा॰ डी॰ दयालन ने कहा कि विश्व की समस्त भाषाओं में हिंदी सबसे सरल और सुगम भाषा है।

आयुद्ध निर्माणी, कानपुर

14 सितम्बर से हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसके कार्यक्रम के उद्घाटन निर्माणी के अस्थाई कार्यभार अधिकारी श्री जी॰ कृष्णमूर्ति ने किया। हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान हिंदी काव्यपाठ, निबंध, लेखन, वाद-विवाद, हिंदी टंकण प्रतियोगताएं आयोजित की गई। महाप्रबंधक श्री अशोक रस्तोगी समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विजेता कर्मचारियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया। वर्ष 1992-93 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले अनुभागों को "चलवैजयन्ती" प्रदान की गई।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूती कोरिन, तमिलनाडु

22 नवंबर, 1993 को हिंदी दिवस समारोह मनाया गया जिसके दौरान शब्दावली, हिंदी अनुवाद, प्रश्नोत्तरी और हिंदी भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। श्री आर॰ बी॰ बुद्धिराजा ने समारोह का उद्घाटन किया। श्री बुद्धिराजा ने दक्षिण भारत के हिंदी पढ़ने के तरीके की सराहना की। उन्होंने अपील की कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में सभी लोग अपना अमूल्य सहयोग दें।

यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, अनुसंधान तथा विकास संगठन, देहरादून

14 से 21 सितंबर, 1993 तक हिंदी दिवस मनाया गया। समापन के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के डा॰ टी॰एस॰आर॰ प्रसाद राव मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। सप्ताह के दौरान श्रुतलेख, शब्दज्ञान, राजभाषा और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। संस्थान के निदेशक और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डा॰ ओमप्रकाश निझावन ने बताया कि राजभाषा को हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। समिति के सचिव श्री गोपाल कृष्ण शर्मा ने अपने वक्तव्य में हिंदी को राष्ट्रीय अस्मिता और गरिमा का प्रतीक बताते हुए कहा कि प्रत्येक राष्ट्र के निष्ठा रखने वाले प्रति व्यक्ति का कार्य है कि वह राजभाषा हिंदी के द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दें।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, उच्च प्रेशित्र, आकाशवाणी किंग्सवे, दिल्ली।

14 से 22 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान टिप्पण, आलेखन, श्रुतलेख, भाषण और शब्द ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समारोह का शुभारम्भ श्री ओ पी भट्टी के स्वागत भाषण से हुआ। श्री एस॰एम॰ अस्थाना मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। श्री अस्थाना ने हिंदी के महत्व को प्रकट करते हुए कहा कि देश की विशालता और इसकी पुरातन संस्कृति और धार्मिक परम्पराओं ने एकता की ऐसी कड़ी जोड़ रखी है जो विश्व में अद्वितीय है।

भारत सरकार के उपक्रम

नेशनल थर्मल पावर कापोरेशन लिममिटेड, ज्योतिनगर, आन्ध्र प्रदेश

"हिंदी बहुभाषी राष्ट्र भारत को एकता और अखण्डता के धागे से बांधती है और हिंदी के माध्य से बंधुत्व की भावना का विकास होता है" ये शब्द कवि, लेखक, काकतीय विश्वविद्यालय के रीडर डा॰ माधव राव रेगुलपाटी ने व्यक्त किए। वे दिनांक 11.12.1993 को रिक्रियेशनल क्लब में स्टेशन के कर्मचारियों के समक्ष हिंदी दिवस समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर महाप्रबंधक श्री सी॰वी॰पी॰ राव ने की। उन्होंने हिंदी की सरलता और मिठास पर प्रकाश डाला और सभी को अपने कामकाज में हिंदी अपनाने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि कार्मिक प्रबंधक श्री रवीन्द्र कुमार रस्तोगी ने कहा कि हिंदी का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहा है। डा॰ रेगुलपाटी ने 163 विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

केंन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर-440001

7 सितम्बर, 1993 से हिंदी सप्ताह और 19 अक्तूबर, 1993 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यकारी निदेशक डा॰ श्रीनारायणन ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा छोटी-छोटी टिप्पणियों से हिंदी में काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। हिस्लांप कालेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डा॰ ओमप्रकाश मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि "प्रांतीय भाषाओं के शब्दों को अपनाकर हमें हिंदी भाषा को समृद्ध करना होगा।" सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में निबंध लेखन के लिए क, ख और ग वर्ग समूह बनाए गए। प्रतियोगिता में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए डी॰ डी॰ जे॰ मुकाडे को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भटिंडा, पंजाब

14 सितम्बर, 1993 को हिंदी दिवस मनाया गया और 14 से 20 सितम्बर, 1993 तक राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन, हिंदी निबंध, हिंदी प्रश्नोत्तरी और हिंदी वाक् प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समापन अवसर पर अपर प्रबंधक श्री ए॰ के॰ मल्होत्रा ने कार्यालय में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करके राज़भाषा की प्रगति में सहायक बनने का आह्वान किया।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा-403802

14 सितम्बर, 1993 को हिंदी दिवस मनाया गया जिसके समारोह में गोवा के राज्यपाल महामहिम श्री भानु प्रकाश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की अत्यंत आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल अहिंदी क्षेत्रों में भी हिंदी का खूब प्रचार हो रहा है और लोग इसे मन से अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सभी लोग हिंदी चाहते हैं और हिंदी को प्यार करते हैं।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नरीमन पाईंट, बम्बई-400021

14 सितम्बर, 1993 को हिंदी दिवस मनाया गया जिसके दौरान पारिभाषिक शब्दावली , निबंध, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टंकण प्रतयोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 101, 71 और 51 रुपये के नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 31-31 रु० के प्रोत्साहन पुरस्कार भी वितरित किए गए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जयपुर-302001

4 से 8 अक्तूबर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। उप-महाप्रबंधक श्री जी० वी० रंगराथम ने सभी स्टाफ सदस्यों की आयोजित विशेष बैठक में कार्यालय कामकाज में हिंदी के प्रयोग को एक सावधिक आवश्यकता बताया और उसके और अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता पर बल दिया। श्रुतलेख, अनुवाद, प्रश्नमंच तथा आशु भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समापन कार्यक्रम 8 अक्तूबर, 1993 को भाषा और संस्कृति विभाग के निदेशक डा० कलानाथ शास्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। प्रबंधक श्री वी०वी० अरोड़ा इसके मुख्य अतिथि थे। डा० शास्त्री ने कहा कि मूल रूप से तथा सरल भाषा में किया गया कार्य अच्छा और मौलिक होता है। सप्ताह भर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रबंधक द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

पेट्रोफिल्स को-आपरोटिव लिमिटेड

14 सितम्बर से 29 सितम्बर, 1993 तक हिंदी दिवस मनाया गया। एक विशाल पुस्तक प्रदर्शनी का अयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मंडल रेलवे प्रबंधक श्री वी० के० विज ने किया। वाक, काव्य गोष्ठी, लेख, कहानी, निबंध, सामान्य ज्ञान और वाद-विवाद प्रतयोगिताएं भी आयोजित की गईं। गुजराती हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष तथा एम०एस० विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० विष्णु विराट द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विज़ेताओं को पुरस्कृत किया गया। निदेशक (वित्त) श्री जे० के० देसाई ने कहा कि हम सभी दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से सभी विभागों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर 208001

14 से 20 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सपताह मनाया गया। हिंदी दिवस समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त प्रबंधक श्री वेद प्रकाश मुगंई ने की। केंद्रीय कार्यालय के संयुक्त मुख्य निरीक्षक श्री वी० के० रस्तोगी मुख्य अतिथि थे। राजभाषा अधिकारी श्री सुरेश कुमार ने हिंदी दिवस के उद्देश्य के दौरान हिंदी टिप्पण, प्रारूप लेखन, हिंदी निबंध में सर्वाधिक कार्य करने वाले लोक लेखा विभाग को विभागीय राजभाषा शील्ड और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विधान भवन मार्ग, बम्बई-400021

8 से 14 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया जिसके कार्यक्रम का शुभारम्भ सहायक महाप्रबंखक श्री रा० नारायणस्वामी द्वारा किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्र की शाखाओं में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के लिए विविध प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए जिनमें लघुकथा, बैंकिंग शब्दावली, अनुवाद, निबंध लेखन एवं पत्र-लेखन आदि मुख्य थीं। हिंदी दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में बैंकिंग संकेताक्षर पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गईं। सहायक महाप्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र वितरित किए गए।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

1 से 30 सितम्बर, 1993 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया जिसका शुभारम्भ क्षेत्रीय प्रबंधक श्री माधव गणोरकी ने किया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से देश की आर्थिक-सामाजिक उन्नति में योगदान देना हमारा कर्त्तव्य ही नहीं दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि हिंदी मास के दौरान सुलेख, अनुवाद, राजभाषा बैंकिंग और तात्कालिक भाषा प्रतियोगताएं आयोजित की गईं।

इंडियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना-1

19 अगस्त से 18 सितम्बर 1993 तक हिंदी माह मनाया गया। हिंदी मास के दौरान आशु निबंध प्रतियोगिता, हिंदी निबंध, वाद-विवाद आदि प्रतियोगताएं आयोजित की गईं। राजभाषा पत्रिका "पूरवी" के प्रवेशांक का विमोचन मुख्य अतिथि श्री आरसी प्रसाद सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि हिंदी आए या न आए लेकिन इंडियन बैंक में हिंदी आ चुकी है। यह विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से ही स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हिंदी की लहर अब आ चुकी है और अब इसे भारत की राजभाषा के सम्पर्क के रूप में कोई नहीं रोक सकता।

बैंक आफ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय, बडोदरा

हिंदी मास बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न अंतरबैंक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें हिंदी काव्य पाठ, हिंदी निबंध, बैंकिंग शब्दावली, अनुवाद, बैंकिंग ज्ञान, पत्र लेखन, टिप्पण लेखन प्रमुख हैं। संयुक्त पत्रिका "समन्वय" के प्रवेशांक का विमोचन किया गया। समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्री आर० नरसिम्हन, उप महारप्रबंधक, बैंक आफ बड़ोदरा ने की।

इण्डियन ओवरसीज बैंक, अन्ना नगर, मदुरई-625020

13 से 18 सितम्बर, 1993 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया, जिसके दौरान स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं चलाई गईं। 20 अक्तूबर, 1993 को राजभाषा दिवस अंचल प्रबंधक की अध्यक्षता में मनाया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क मदुरई के समाहर्ता श्री ए०पी० सुधीर समारोह के मुख्य अतिथि थे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नई दिल्ली

बैंक द्वारा राजभाषा मास का आयोजन किया गया। शुरुआत 3 सितम्बर, 1993 को आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता से हुई। मास के दौरान कुल 11 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 14 सितम्बर, 1993 को काव्य गोष्ठी के साथ एक 5 दिवसीय हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इसी दिन प्रधान कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से हिंदी दिवस मनाया गया जिसका उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक श्री ए० के० सेन ने किया। श्री सेन ने बैंक कर्मियों का आह्वान करते हुए कहा कि हिंदी का प्रयोग मात्र आंकड़ों का गणित न होकर, हमारी दैनिकी का अंग होना चाहिए।

विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बैंगलूर

14 सितम्बर, 1993 को हिंदी दिवस समहारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बी० बी० शेट्टी ने की। राजाषा अधिकारी ने माननीय वित्तमंत्री श्री मनमोहन सिंह का प्रेरणादायक संदेश पढ़कर सुनाया। श्री शेट्टी ने बैंक में राजभाषा के प्रयोग की दिशा में राजभाषा प्रभाग के प्रयासों की प्रशंसा व्यक्त करते हुए यह आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी राजभाषा प्रभाग अपना दायित्व सक्रिय रूप से निभाता रहेगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1992-93 के दौरान 74 कार्यशालाएं चलाई गईं जिनमें 1353 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 146 सदस्यों ने विभिन्न हिंदी परीक्षाएं पास करके प्रोत्साहन राशि प्राप्त की। निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया।

(पृष्ठ 70 का शेषांश....)

प्रतियोगिताओं को शामिल किया। प्रयोगशाला में राजभाषा के प्रति कर्मचारियों की लगन के देखकर वर्ष 1987 में "नवचेतना' के रूप में प्रथम अंक प्रकाशित किया।

वर्ष 1988-89 में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने सरकारी काम-काज में एक वित्तीय वर्ष में 20,000 या उससे अधिक शब्दों का प्रयोग करने के लिए योजना बनायी। वर्ष 1989-90 में इस योजना के अंतर्गत प्रयोगशाला के 7 अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।

विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु डा० हरिद्वार सिंह के मार्गदर्शन में कुछ प्रोत्साहन प्रतियोगिताओं को वार्षिक कार्यक्रम में रखा गया। औद्योगिक, वैज्ञानिक एंव कार्यालयीन कार्यों से संबंधित कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से समिति के कुछ विशिष्ट प्रतियोगिताओं को वार्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया। हिंदी कार्यशाला के अवसर पर नवचेतना का "विज्ञान विशेषांक" भी प्रकाशित किया गया। 30 सितम्बर, से अक्तुबर, 1991 हिन्दी सप्ताह के रूप में मनाया गया। हिन्दी सप्ताह के उपलक्ष्य में प्रयोगशाला परिसार में एक "हिन्दी प्रगति प्रदर्शनी" का भी आयोजन किया गया।

समापन समारोह पर हिंदी "कवि सम्मेलन" का भी आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की स्थानीय इकाइयों एवं कुछ अन्य सरकारी संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

समाचार दर्शन

पद्मश्री डा० दुबे 'हिन्दी भूषण' से सम्मानित

डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के यू जी सी प्रोफेसर इमेरिटस (हिन्दी) जबलपुर की प्रसिद्ध राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था हिंदी मंच भारती द्वारा हाल ही में जबलपुर के पत्रकार भवन में आयोजित एक विशेष समारोह 'यस अर्चन' में उनकी हिंदी की सेवाओं के लिए 'हिन्दी भूषण' से सम्मानित किए गए। उनका संस्था के अध्यक्ष डा० निर्मलेन्दु मुखर्जी ने शाल, श्रीफल तथा उपाधि पत्र से अभिनंदन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए, दैनिक 'नवीन दुनिया' के उपसम्पादक डा० राजकुमार 'सुमित्र' ने उनका परिचय दिया और डा० लक्ष्मीनारायण दुबे का मित्र संघ, जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन, मिलन संस्था, साहित्य संघ, मध्यप्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषदल, चेतना संस्थान, गौरव संस्था एवम् मध्यप्रदेश आर्टिस्ट फोरम की ओर से पुष्पमालाओं द्वारा सम्मान किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष श्री रामकृष्ण उपाध्याय ने उपाधि पत्र का वाचन किंया और महासचिव श्री गणेश प्रसाद नामदेव ने समर्पण किया। इस अवसर पर पद्मश्री डा० लक्ष्मीनारायण दुबे ने अपने मारीशस के संस्मरण विस्तार से सुनायो और जबलपुर नर्मदा-अंचल, महाकोशल क्षेत्र एवम् मध्यप्रदेश की साहित्य-संस्कृति अवचारणा का प्रतिपादन किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के स्नातकोत्तर हिंदी एवम् शोध विभाग ने भी विभागाध्यक्ष डा० (श्रीमती) सुषमा दुबे के सभापतित्व में डा० दुबे के मारीशष संस्माणों पर व्याख्यान आयोजित किया जिसका आभार प्रदर्शन विभाग के व्याख्याता डा० राजकुमार डफरू ने किया। अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के हिंदी-विभाग में भी, बनारस हिंदू विश्विद्यालय वाराणसी के हिंदी विभागध्यक्ष डा० काशीनाथ सिह की अध्यक्षता में डा० लक्ष्मी-नारायण दुबे का मारीशस के संस्मरणों पर भाषण आयोजित किया गया जिसका संचालन कला संकाय के अधिष्ठाता डा० कमलाप्रसाद ने किया। इस कार्यक्रम में सतना शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डा० सत्येन्द्र शर्मा तथा टी०आर०एस० महाविद्यालय के हिन्दी-प्राध्यापक डा० सेवाराम त्रिपाठी भी उपस्थित थे। एम०ए०तथा एम० फिल के विद्यार्थियों ने डा० दुबे के मारीशस संस्मरणों से प्रेरणा ग्रहण की।

'वंशी और मादल' का गायक चला गया

— डा. राममनोहर त्रिपाठी —

वह जमाना था सन् 1940 के आसपास का. बच्चन-शैली के गीतकार कवि सम्मेलनों का जरूरी हिस्सा बने हुए थे. ठीक उसी समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक तरूण कंठ मधुर गीतों में फूटा. इस युवा गीतकार का नाम था अग्रदूत. अग्रदुत तो कविता के लिए उपनाम था. असली नाम था ठाकुर प्रसाद सिंह. तब कौन जानता था कि यही तरुण सचमुच एक दिन गीत विधा का अग्रदूत बन जायेगा और गीतों को एक नयी शैली प्रदान करने में सफल होगा.

संघर्षशील ठाकुर प्रसाद सिंह की पूरी जिंदगी जद्दोजेहद और जीतने की जिद का दस्तावेज है. पत्रकारिता, प्रिंसिपली और खेती करने के बाद उन्होंने अफसरी की और पूरी ठसक के साथ की. अल्हड़, मस्तमौला ठाकुर प्रसाद सिंह. अति संवेदनशील थे. इसी गुण के प्रभाव से वे कवि थे और बहुत सहज व्यक्ति थे. अगर यह सब न होता तो पूरब का यह ठाकुर फौजी

अफसर बन गया होता. जीवन में स्थापित होने में उन्हें हर दम काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनके ठहाके कभी कम नहीं हुए. यही उनके समग्र व्यक्तिव की बानगी बनी रही. न जाने कैसी-कैसी कठिन परिस्थितियों को उन्होंने अपने ठहाकों से सहज बना लिया.

सन् '40 और' 44 के बीच उनके गीतों में जो ताजापन और तेवर आया, उसकी सर्वत्र सराहना हुई. लेकिन साहित्य की राजनीति के चलते तत्कालीन समीक्षकों को ओर से उपेक्षा होती रही. बनारस में ही रचनाकार के रुप में ठाकुर प्रसाद सिंह के प्रति समीक्षकों का अनुदार रवैया बना रहा. बहुत बाद में स्वय डा॰ शंभूनाथ सिंह ने 'नवगीत अर्द्धशती' में उनका उल्लेख भर किया है. उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी और पुरानी गीत-विधा को वे नया शिल्प प्रदान कर चुके थे, पर उनको नवगीत की भीड़ में एक अदद के रुप में ही प्रस्तुत किया गया है. लेकिन ठाकुर प्रसाद सिहं को कभी इसका शिकवा शिकायत नहीं थी. वास्तविकता यह है कि ठाकुर प्रसाद सिहं को उस भीड़ में समान रुप से मान्यता की माला पहनायी गयी, जिसमें दो तिहाई लोग उनकी तुलना में कहीं नहीं आते.

ठाकुर प्रसाद सिंह गांव की सोंधी माटी से जुड़े हुए रचनाकार थे, महानगर में भी उन्हें अपने बंसवट या सीवान की सुध सालती रहती थी, जो खुल कर उनके गीतों में व्यक्त हुई है. केवल प्रतीक या बिंब ही नहीं, बल्कि स्वर भी वहीं के रहे हैं। आदिवासियों के बीच की निश्छल मुस्कान और थिरकते हुए पांवों की ताल उनको गीतों में संगुफित हुए हैं।

डा॰ इंदुकांत शुक्ल ने एक स्थान पर लिखा है "छांदसिकता में असमर्थ लोगों ने छंद को ही बहिकृष्त कर दिया अपनी असमर्थता को छंद पर आरोपित किया" ठाकुर प्रसाद सिंह छांदसिकता में पूर्ण समर्थ कवि थे, साथ ही छंद के आजन्म आग्रही बने रहे। इसलिए कई नये समीक्षक जिन्हें छंद से एलर्जी थी, वे ठाकुर प्रसाद सिंह को नजरअंदाज करते रहे। इस उपेक्षा की पीड़ा उनकी कुछ पंक्तियों में हलके से प्रतिबिंबित हुई है—

कोयलें उदास
मगर फिर-फिर वे गायेंगी
नये-नये चिन्हों से
राहें भर बनायेंगी

उनकी गीतधर्मिता गुरुओं से प्राप्त प्रसादी नहीं थी, बल्कि उनकी रचना जीवन जीने की कला और सौंदर्य का साक्ष्य थी। अकृत्रिम और उघड़ा जमीनी साक्षात्कार उनके गीतों में मिलता है। तभी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हुए उन्होंने लिखा—

धानों के खेतों-सी गीली
मन में यह जो राह गयी है
उस पर से लौट गये प्रियतम के
पैरों की छाप नयी है।

हिंदी गीतों में उनके प्रदेय को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके समकालीन समीक्षकों ने जो गलती की, उसे सुधारने का समय आ गया है। मगर वे अब नहीं है जो अपने सामने अपना सही मूल्यांकन होते देख सकें।

पर ठाकुर प्रसाद सिंह अपने पीछे अनेक यादें, संस्मरण और ठहाके छोड़ गये हैं। साथ ही चंदन और कंचन की तरह गीत जिन्हें लोग वर्षों गुनगुनायेंगे और उनकी यादों में खो जायेंगे।

ठाकुर प्रसाद सिंह की याद सिर्फ उनके गीतों में ही नहीं गूंजेगी, कई-कई मोड़ों पर खड़े नजर आयेंगे वे। जब भी किसी नये लेखक को प्रेरणा के संबल की आवश्यकता पड़ेगी। ठाकुर प्रसाद सिंह आकाशदीप की तरह दिखाई देंगे। उन्हें हर संभावना से प्यार था। नये रचनाकारों को वे उंगली पकड़ कर चलाते तो नहीं थे, पर उन्हें यह अहसास दिलाने में हमेशा सफल हो जाते थे कि चलते चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर बरगद के मीठे साये की तरह उनका सहारा बने रहते थे। हिन्दी के न जाने कितने साहित्यिक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना-विभाग के इस वरिष्ठ अधिकारी के ऋणी हैं—उन्हें हर नयी पत्रिका में नयी सम्भावनाओं का क्षितिज दिखता था और जब कोई ऐसी पत्रिका थक कर बैठ जाती थी तो वे कहते थे, हिन्दी के पौधे को पनपने के लिए ऐसी पत्रिकाओं की खाद बहुत जरूरी है। इतिहास बतायेगा कि ठाकुर प्रसाद सिंह स्वयं भी ऐसी ही खाद बन में अपनी सार्थकता समझते थे।

(धर्मयुग 16 नवंबर 1993 से साभार)

केनरा बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलूर में कार्यपालकों के लिए विशेष राजभाषा कार्यक्रम

बैंक के स्थानीय कार्यपालकों के लिए 23 नवंबर 1993 को विशेष राजभाषा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैंक द्वरा कार्यपालकों के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन एक नवोन्मेपी कदम एवं प्रथम प्रयास था।

कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती परिमला के प्रार्थना गीत से हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के उप महा प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य श्री एच॰के॰ केशवमूर्ति द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार की एवं बैंक की नीतियों के कार्यान्वयन में कार्यपालिका की अहम भूमिका है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अपने बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी नीति निर्णयों की जानकारी रखना ही नहीं बल्कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना एवं प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में भी कार्यपालकों को चाहिये कि वे एक आदर्श बनें।

कार्यक्रम के दौरान श्री अमजद अली खान, प्रबंधक बी॰ई॰एम॰एल॰ ने संविधान में राजभाषा के स्थान एवं भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में सविस्तार बताया। श्री खान के रोचक एवं ज्ञानवर्धक सत्र के दौरान सरकार की राजभाषा नीति संबंधी विभिन्न भ्रान्तियों को दूर किया गया। श्री खान ने राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के बारे में भी कार्यपालकों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में श्री एम॰बी॰ दुबे, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, बेंगलूर, ने राजभाषा संबंधी विभिन्न समितियों, उनका कार्य एवं कार्यपालकों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 1993-94 के प्रत्येक बिंदु पर विचार विमर्श हुआ। बैंकों के संदर्भ में वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु स्थापित जांच बिन्दुओं, सरकार/भा॰रि॰ बैंक से प्राप्त आदेश—निर्देश, विभिन्न रिपोर्टों का सही एवं समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता आदि के बारे में कार्यपालकों को अवगत कराया गया।

"राजभाषा प्रबंधन" पुस्तक का विमोचन

भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के सचिव श्री चन्द्रधर त्रिपाठी ने एन०एम०डी०सी०, हैदराबाद के श्री गोवर्धन ठाकुर द्वारा लिखित "राजभाषा प्रबंधन" पुस्तक का विमोचन दिनांक 22-12-93 को किया। इस अवसर पर राजभाषा विभाग के निदेशक (तकनीकी), श्री बृजमोहन सिंह नेगी, लेखक श्री गोवर्धन ठाकुर, दक्षिण-मध्य रेलवे के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री पी०एन०रेड्डी, हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री सी० रामचन्द्रन तथा एच०एम०टी० लिमिटेड, हैदराबाद के उपप्रबंधक (राजभाषा) श्री पी०आर० घनाते भी इस अवसर पर मौजूद थे।

"निर्झरणी" काव्य-संग्रह का विमोचन

20 अगस्त 93 की सांध्यबेला में बीएचईएल झांसी के सभागार हाल में स्व० श्री राजीव गांधी का जन्म दिन 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया गया। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि श्री योगेन्द्र कुमार पाठक, अवर महाप्रबंधक (लोको) बीएचईएल झांसी के कर कमलों द्वारा श्री जगदीश प्रसाद मालवीय विरचित काव्य-संग्रह 'निर्झरणी' का लोकार्पण हुआ। श्री मालवीय वित्त विभाग में सेवारत रहकर भी गंभीर, चिन्तनशील और लोक परक साहित्य लेखन से विगत तीन दशकों से जुड़े हैं। 'निर्झरणी' में संगृहीत 50 रचनाएं सन् 1962 के चीनी आक्रमण काल से लेकर सन् 1992 के आतंकवादी काल की विभिन्न वैयक्तिक अनुभूतियों पर आधारित हैं। लेखक श्री मालवीय ने आत्मकथ्य में रचनाधर्मिता और अपने काव्य सृजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उनकी उपर्युक्त पुस्तक में राष्ट्रीयता, कर्मठता, साम्प्रदायिकता और बन्धुत्व का सन्देश है जो आज की महती आवश्यकता है।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केन्द्रीय मृदा-लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा की दूसरी उपसमिति ने दिनांक 27 अक्तूबर, 1993 को केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के करनाल स्थित मुख्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संसदीय समिति की दूसरी उपसमिति का संयोजन श्री जगदीश प्रसाद माथुर, संसद सदस्य ने किया। उनके साथ समिति के अन्य सदस्य श्री चुनचुन प्रसाद यादव, सांसद, श्री मुहम्मद खलीलुर रहमान सांसद, श्री सैयद मसूदल हुसैन सांसद, श्री नन्दी एल्लैया सांसद तथा अवर सचिव श्री साहिब राम बतरा मौजूद थे। संस्थान की ओर से निदेशक डा० निर्मल तेज सिंह एवं अन्य विभागाध्यक्ष डा० बी०के० खोसला डा० बी० मिश्र, डा० एस०के०गुप्ता, डा० राजेन्द्र प्रसाद एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री ओम प्रकाश शर्मा एवं हिन्दी समिति के अन्य सदस्यगण भी मौजूद थे।

स्वागत भाषण में संस्थान के निदेशक डा० निर्मल तेज सिंह ने इस संस्थान में जारी हिन्दी कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया गया। समिति ने संस्थान की सील को द्विभाषी कराने का आदेश दिया तथा साथ ही संस्थान में उपलब्ध कम्प्यूटरों में भी द्विभाषिक सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए। अन्त में डा० श्रवण कुमार दुबे ने जोकि संस्थान की हिन्दी समिति के सदस्य सचिव हैं, समिति के सदस्यों को धन्यवाद किया।

पूर्वोत्तर में हिंदी को अपने ढंग से विकसित करने की जरूरत

(सेंटिनल संवाददाता)

गुवाहाटी, 12 जनवरी। देश में हिंदी को अनुशासित करने का एक डंडा नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा को इतना उदार होना पड़ेगा कि विभिन्न क्षेत्रों में वह विविध स्वरूपों में दिखे। इस विविधता से हिंदी का सम्मान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। पूर्वोत्तर में भी हिंदी को अपने ढंग से विकसित करने की जरूरत है। असमिया के शब्दों से हिन्दी का शृंगार करने की आवश्यकता है। यह बात भारत सरकार के गृहमंत्रालय में राजभाषा विभाग के सचिव श्री चंद्रधर त्रिपाठी ने कही। श्री त्रिपाठी 'सेंटिनल' से विशेष बातचीत कर रहे थे।

राजभाषा सचिव से विशेष बातचीत

धारा प्रवाह असमिया बोलनेवाले श्री त्रिपाठी असम कैडर के ही आई. ए. एस. अधिकारी हैं जो अब भारत सरकार की सेवा में हैं। असम के लोग उन्हें सी०डी० त्रिपाठी ने नाम से जानते हैं। 'असम वाणी' के संपादक डॉ. हीरेन बरगोहाई उनके गहरे मित्र हैं। डा. बरगोहाई के घर पर ही बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असम की 'आलोचना' हिंदी में चर्चा के रूप में प्रयुक्त नहीं होती। पर 'साहित्यालोचना' हिंदी पुस्तक का अर्थ साहित्य चर्चा ही है। 'बाण भट्ट की आत्मकथा' में डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दो पात्रों के चर्चा प्रसंग के लिए आलोचना शब्द का ही प्रयोग किया है। अतएव इस 'आलोचना' को हिंदी के अखबारों में चर्चा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि दिल्ली या उत्तर प्रदेश के साहित्यकार क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे।

श्री त्रिपाठी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र के स्तर पर ऐसा प्रयास किया जा रहा है ताकि एक ऐसे विभाग का सृजन हो जिस पर देश भर में विभिन्न भाषाओं में बोले जाने वाले समान शब्दों का हिंदी में प्रचलन कराने का दायित्व हो। अभी स्थिति यह है कि राजभाषा विभाग का काम सिर्फ कार्यालयीन हिंदी प्रयोगों तक ही सीमित है। जब तक समाज और शिक्षा जगत से तालमेल नहीं होगा तब तक कार्यालयों में हिंदी का प्रचलन नहीं बढ़ेगा। उन्होंने बैंकों के कामकाज का उदाहरण देकर कहा कि ऐसे बैंक की काफी बड़ी संख्या है जिनसे अभी भी अंग्रेज़ी में फार्म भरवाये जाते हैं, जबकि वे अंग्रेज़ी नहीं जानते। कार्यालयों में असमिया और हिंदी में फार्म उपलब्ध नहीं होते हैं। अतएव गृहमंत्रालय को एक सुझाव दिया गया है कि एक भाषा विभाग बने जो सरकारी कार्यालयों से लेकर शिक्षा जगत और जन सामान्य के बीच राजभाषा के प्रयोग की देखभाल करे और समान रूप से व्यवहृत होने वाले शब्दों की तलाश भी करे। असमिया और हिंदी में उपन्यास समान रूप से प्रचलित है। मराठी में इसे कादम्बरी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मराठी में वह कादम्बरी रहे, पर उपन्यास हिंदी और असमिया में राजभाषा के स्तर पर चले।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि गैर हिंदी प्रदेशों में हिंदी के वर्चस्व का जो भय था वह अब कम हुआ है। लोग अब मानने लगे हैं कि हिन्दी पढ़ने से उन्हें स्थानीय स्तर पर नौकरियां भी मिल सकती हैं। इस कारण विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रभाषा समितियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मिजोरम सरकार की हिन्दी में रूचि के कारण उस राज्य में हिन्दी की स्थिति काफी अच्छी है।

हिन्दी के स्तर की चिंता करते हुए श्री त्रिपाठी ने शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता बतायी और कहा कि हिन्दी प्रदेशों में भी शिक्षा संस्थानों में हिन्दी के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था प्रारंभ करनी होगी। जब तक हिन्दी प्रदेश में भारतीय भाषा को महत्व नहीं मिलेगा, तब तक गैर हिन्दी प्रदेश में हिन्दी का प्रचलन नहीं बढ़ेगा।

एक प्रश्न के उत्तर में श्री त्रिपाठी ने कहा कि देश का बहुभाषी होना कोई अभिशाप नहीं है। अगर बेरोजगारी की समस्या न हो तो भाषा की विविधता कोई समस्या नहीं है। विदेशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में फ्रेंच और अंग्रेजी दो राजभाषाएं हैं, पर वहां कोई समस्या नहीं है क्योंकि लोगों को वहां दोनों भाषाओं में व्यवहार की चीजें उपलब्ध करायी जाती हैं। स्विटजरलैंड में चार भाषाएं हैं और चारों भाषाओं में काम करने वाले कर्मचारी वहां उपलब्ध हैं। वहां पर बेकारी और गरीबी की कोई समस्या नहीं है। पर हम अगर यहां चाहें कि कम के कम संविधान स्वीकृत 18 भाषाओं के कर्मचारी बहाल करें तो हमारी गरीबी हमें ऐसा करने नहीं देगी। इसलिए समस्या भाषा की नहीं, गरीबी की है।

श्री त्रिपाठी ने आशा व्यक्त की कि 1956 में राजभाषा आयोग की संस्तुति के मुताबिक भारत के सरकारी कार्यालयों के देर-सबेर काम होने लगेगा और तब किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। उन्होंने स्मरण दिलाया कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी जी खेर थे जो हिन्दी भाषी नहीं थे। काका कालेलकर और सुनीति कुमार चटर्जी जैसे लोगों वाले उस आयोग की संस्तुति को हिन्दी भाषियों द्वारा थोपा जाना कैसे कहा जा सकता है।

"आस्त्रेय" को प्रथम पुरस्कार

लघु शस्त्र निर्माणी, कानुपर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली राजभाषा पत्रिका "आस्त्रेय" के वर्ष 1992-93 में जारी 6 वें अंक को रक्षा मंत्रालय की वार्षिक "पत्र-पत्रिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विगत 11 दिसम्बर, 1993 को एच०ए०एल०, हैदराबाद में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी द्वारा निर्माणी के महाप्रबंधक श्री एम० वेंकटरामन को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में 5,000/- रु० राशि का चैक एवं प्रशास्ति पत्र शमिल हैं। राजभाषा पत्रिका "आस्त्रेय" के प्रथम स्थान पाने से निर्माणी के गौरव में वृद्धि हुई है। इसके पूर्व निर्माणी की राजभाषा पत्रिका "आस्त्रीय" के वर्ष 1989 में जारी तीसरे अंक को सांत्वना पुरस्कार एवं उसके एक वर्ष के अन्तराल के पश्चात वर्ष 1990 में जारी पांचवें अंक को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है।

आयकर आयुक्त जालन्धर प्रभार में हिंदी टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना-1992-93

पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी आयकर आयुक्त जालन्धर प्रभार में हिन्दी टिप्पण/आलेखन को प्रोत्साहन देने हेतु नकद पुरस्कार योजना चलाई गई।

इस योजना के अंतर्गत आयकर प्रभार के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वर्ष के अंत में कुल 23. कर्मचारियों का रिकार्ड तथा कार्य के नमूने प्राप्त हुए।

आयकर आयुक्त जालन्धर प्रभार द्वारा गठित "मूल्यांकन समिति" की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जालन्धर प्रभार के निम्नलिखित 23. कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया:

आयकर आयुक्त जालन्धर

ऑ जसवाल, कर सहायक,	प्रथम
क्षमा शर्मा, उ० श्रे० लि०	द्वितीय
संत बलराज, उ० श्रे० लि०	द्वितीय
तरसेम लाल, नि० श्रे० लि	तृतीय

आयकर उपायुक्त रेंज-1, जालन्धर:

परमिन्द्र कौर, उ० श्रे० लि०	प्रथम
देवराज पाल, कर सहायक	द्वितीय
अमित कुमार ऐरी, नि० श्रे० लि०	तृतीय
मन्जू बारना, नि० श्रे० लि०	तृतीय
कान्ता देवी, नि० श्रे० लि०	तृतीय

आयकर आयुक्त रेंज-2 जालन्धर:

स्वर्ण लता खुराना, उ० श्रे० लि०	प्रथम
शशि भल्ला, उ० श्रे लि०	प्रथम
अशोक कुमार आनंद, मु० लि०	द्वितीय
सुनीता चोपड़ा, उ० श्रे लि०	द्वितीय
विजय कुन्दरा, कर सहायक	द्वितीय
तिलक राज शर्मा, नि० श्रे लि०	तृतीय
टी० एस० बत्तरा, नि० श्रे लि०	तृतीय

आयकर उपायुकत रेंज-बठिण्डा:

राजवंत सिंह, नि० श्रे लि०	प्रथम
केशो दास वर्मा, पर्यवेक्षक	प्रथम
बलवीर कुमार, आयकर अधिकारी	द्वितीय
हरीश चन्द्र, नि० श्रे लि०	द्वितीय
राजिन्दर आलड़िया, नि० श्रे लि०	तृतीय
रजनीश कुमार, उ० श्रे लि०	तृतीय
एन० सी० राही, मु० लि०	तृतीय

हिंदी निबंध प्रतियोगिता

हिन्दुस्तान जिंक लिमिड के प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता का परिणाम निम्नानुसार रहा:

श्री सुनील श्रीवास्तव—प्रथम, श्री चन्द्रप्रकाश गंधर्व—द्वितीय, श्री हर्षवर्धन औदच्य—तृतीय, श्री योगेशचन्द्र शेखर—तृतीय, श्री विमल पण्डया—प्रोत्साहन, श्री अशोक सोनी—प्रोत्साहन।

भर्ती प्रशिक्षण परीक्षाएं और हिंदी

रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की सीधी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प हुआ

11 दिसम्बर, 1993 को आयोजित रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की हिंदी सलाहकार समिति में प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार उसके निम्न कार्यालयों में सीधी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी के विकल्प की सुविधा दी गई है:-

1. आयुध निर्माणी बोर्ड, कलकत्ता:—जब भी कोई परीक्षा होगी तो प्रश्न-पत्र द्विभाषी बनाए जांएगे।
2. तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु):—दो परीक्षाएं होती हैं। दोनों में हिन्दी के विकल्प की सुविधा है और प्रश्न-पत्र द्विभाषी छपते हैं।
3. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (मुख्यालय):—वैज्ञानकि (राजपत्रित) के पदों पर नियुक्ति हेतु एक ही परीक्षा ली जाती है जो कि साक्षात्कार के आधार पर होती है, उसमें हिंदी में उत्तर देने की छूट है।
4. रक्षा अनुसंधान तथा विभिन्न प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं :—आठ परीक्षाएं होती हैं। कुछ साक्षात्कार से होती हैं और उनमें हिंदी में उत्तर देने की छूट है। जब कभी लिखित परीक्षाएं होती हैं तो हिंदी में उत्तर देने का विकल्प होता है।
5. गुणता आश्वासन महानिदेशालय:—28 परीक्षाओं में से 26 में हिंदी के विकल्प की सुविधा है। उनमें से अभी 3 परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र द्विभाषी होते हैं।
6. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड:—11परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में हिंदी का विकल्प है तथा प्रश्न-पत्र भी द्विभाषी छपते हैं।
7. माझगांव डाक लिमिटेड:—दो परीक्षाएं होती है जिनमें हिंदी में उत्तर देने की छूट होती है, किन्तु प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में होते हैं।
8. मिश्रधातु निगम लिमिटेड:—सभी परीक्षाओं और ट्रेड टेस्टों में प्रश्न-पत्र द्विभाषी छपते हैं।
9. भारत अर्थ मूवर लिमिटेड:—इंजीनियरिग के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक परीक्षा:—अभी परीक्षा अंग्रेजी में होती है, किन्तु आगे से प्रश्न-पत्र हिन्दी में भी तैयार कराए जाने का आश्वासन दिया गया है।
10. भारत डायनामिक्स लिमिटेड :—दो परीक्षाएं होती हैं, जिनका उत्तर हिन्दी में लिखने का विकल्प है, किन्तु प्रश्न-पत्र अभी अंग्रेजी में ही छपते हैं।
11. हिंदुस्तान ऐरानॉटिक्स लिमिटेड:—चार परीक्षाएं होती है और उनमें हिन्दी के विकल्प की व्यवस्था है।
12. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड :—7 परीक्षाएं होती हैं, जिनमें हिन्दी के विकल्प की व्यवस्था है।

ट्रेनी इंजन रूम पैटी आफिसर्स और ट्रेनी वायरमैन की भर्ती परीक्षा में हिन्दी माध्यम का विकल्प हुआ।

साप्ताहिक रोजगार समाचार के 11 दिसम्बर, 1993 के अंक मे छपे विज्ञापन के अनुसार द शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई शीघ्र ही ट्रेनी इंजिन रूम पैटी आफिसर्स और ट्रेनी वायरमैन के पदों पर नियुक्ति के लिए एक लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा लेने वाली है, जिसमें हिन्दी माध्यम का भी विकल्प दिया गया है।

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में हिंदी प्रतियोगिता

कर्मचारियों में हिंदी के अधिकाधिक प्रचार व प्रसार के उददेश्य से सम्मिश्र में कार्यरत हिंदी कर्मियों के अथक प्रयासों से निरंतर हिंदी संबधी कार्यक्रम होते रहते हैं जिनमें हिंदी कार्यशाला, हिंदी शब्द-ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी में लोकप्रिय व्याख्यानमाला एवं तकनीकी संगोष्ठियों / सेमिनार का आयोजन एवं स्मारिका का प्रकाशन शामिल है। इसी क्रम में-27 अगस्त को दो सत्रों में हिंदी निबंध लेखन व वाक्-पटुता प्रतीयोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी निबंध लेखन के विषय थे-1. सिनेमा / दरूदर्शन का समाज पर प्रभाव 2. सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका तथा 3. भारत में विज्ञान — सफलता के पथ पर. इसके अलावा हिंदी वाक्-पटुता का विषय था — "भारतीय समाज में नारी की स्थिति"। इन प्रतियोगिताओं में क्रमशः 35 तथा 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्य रूप से हिंदी वाक्-पटुता प्रतियोगिता के विषय पर प्रतिभागियों (महिला / पुरूष दोनों ने) ने खुलकर अपने स्वतंत्र विचार रखे। इस अवसर पर सारा हाल खचाखच भरा था। इस प्रतियोगिता में क्रमशः जटाशंकर मिश्र, दर्शन सिंह तथा श्याम-स्वरूप (हिंदी भाषियों में) प्रथम, द्वितीय, तथा तृतीय तथा अहिंदी भाषियों में क्रमशः के० जगन्नाथन, एम० एन० चारी तथा श्रीमती विजयालक्ष्मी। इसके निर्णयक थे—सर्वश्री एच० के० सीरिया, रामवृक्ष यादव तथा एस०एल० अग्रवाल। निबंध लेखन प्रतियोगिता में भी हिंदी तथा अहिंदी भाषियों को अलग-अलग पुरस्कृत किया गया। हिंदी भाषियों में क्रमशः श्री एच० के० सिंह-प्रथम, श्री पी०के० भसीन-द्वितीय, तथा श्री वरुण कुमार झा-तृतीय स्थान पर रहे। सांत्वना पुरस्कार सर्वश्री जटाशंकर मिश्र व दर्शन सिंह को दिये गये। अहिंदी भाषियों में क्रमशः सर्वश्री जगन्नाथन-प्रथम, मु० शरीफ जावेद-द्वितीय तथा रमाकांत बेऊरकर तृतीय रहे। हिंदी भाषियों में पांच सांत्वना पुरस्कार प्रोत्साहन स्वरूप दिये गये। इनके नाम इस प्रकार हैं-सर्वश्री मंडुव रंगा राव, के०आर०एल० कांतन, जी० वेंकटरमण, के०वी० श्रीनिवासराव तथा मु० करीमुल्ला। सहायक निदेशक (राजभाषा) पाण्डेय ने प्रतियोगिता का संचालन एवं सभी के प्रति आभार प्रकट किया। इसमें सम्मिश्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अमूल्य योगदान रहा।

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का दिनांक 29 दिसंबर 1993 का पत्र सं॰ 13017/2/84—रा॰भा॰ (ग)

विषयः अंग्रेजी से हिंदी तथा इसके विपरीत अनुवाद कार्य के लिए मानदेय के संबंध में।

अंग्रेजी से हिंदी तथा इसके विपरीत अनुवाद कार्य के लिए मानदेय देने के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा अब तक जारी किए गए सभी आदेशों दि॰ 21.2,76 का॰ज्ञा॰सं॰II/13017/13/75-रा॰भा॰(ग), दि॰ 15.1.79 का॰ज्ञा॰सं॰ 20013/2/77-रा॰भा॰(ग), दि॰ 19.7.88 का॰ज्ञा॰सं॰ 13017/7/87-रा॰भा॰(ग) में किया गया है का अतिक्रमण करते हुए ये आदेश जारी किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिनियिम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार कई कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाना है तथा कई कार्य केवल हिंदी में ही किए जाने हैं। कई कार्यालयों में अनुवाद की समस्या के कारण इन आदेशों का अनुपालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह तय किया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों जिनमें अनुवादक के पद नहीं हैं या जिनमें अनुवाद कार्य की अधिकता की वजह से उपलब्ध अनुवादक अनुवाद कार्य पूरा नहीं कर पाते, वहां अनुवाद कार्य मानदेय के आधार पर करवाया जाए तथा अनुवाद की दरें आकर्षक रखी जाएं। मानदेय की नई दरें इस प्रकार रखी गई हैं—(क) सामान्य प्रकार की सामग्री से अनुवाद किए जाने वाली भाषा में अनुवाद करने के लिए रु॰ 40/- प्रति हजार शब्द, (ख) संहिताओं, नियम पुस्तिकाओं आदि तकनीकी स्वरूप के अनुवाद कार्य के लिए रु॰ 45/- प्रति हजार शब्द।

2. मानदेय स्वीकार करते हुए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएं:—

(क) अनुवाद कार्य अपने कार्यालय या दूसरे कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से करवाया जा सकता है परन्तु गैर-सरकारी व्यक्तियों से नहीं। इसके लिए उचित होगा कि प्रत्येक कार्यलय अपने यहां योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार रखे।

(ख) अनुवाद कार्य इस बात को ध्यान में रखते हुए सौंपा जाना चाहिए कि यह संबंधित व्यक्तियों की सामान्य सरकारी ड्यूटी तथा उत्तरदायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन में बाध्यकारी न हो।

(ग) हिंदी से संबंधित पदाधिकारियों-निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवादक तथा कनिष्ठ अनुवादक से मानदेय के आधार पर अनुवाद नहीं करवाया जाए।

(घ) विभागाध्यक्ष यह प्रमाणित करें कि अनुवाद करवाना आवश्यक था और वास्तव में उतने शब्दों का अनुवाद किया गया जिसके लिए मानदेय स्वीकार किया जा रहा है।

(ङ) इस मानदेय पर होने वाला खर्च संबंधित कार्यालय द्वारा अपने स्वीकृत बजट से किया जाएगा।

(च) जो व्यक्ति पहले से ही हिंदी जानते हैं या जिन्होंने हिंदी की परीक्षा पास करके हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन्हें सामान्यतः हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। प्रयास यह किया जाए कि जो पत्र हिंदी में जाने हैं उनके मसौदे हिंदी जानने वाले अधिकारी और कर्मचारी मूल रूप में हिंदी में ही तैयार करें। जहां ऐसा करने में कठिनाई हो या जो कोई पत्र, परिपत्र आदि हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होना हो तभी अनुवाद का सहारा लिया जाए।

3. दि॰ 20.11.93 का.ज्ञा.सं. 13017/2/89-रा॰भा॰ (ग) के संदर्भ में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जहां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/निकायों तथा कार्यालयों के मैनुअलों, संहिताओं व फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्यविधि साहित्य का अनुवाद किया जाता है, में अनुवाद कार्य कार्यरत तथा ब्यूरो के बाहर के अनुवादकों जिनमें कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अनुवादक/अनुवाद अधिकारी/हिंदी अधिकारी तथा अनुवाद कार्य या अनुवाद प्रशिक्षण से संबद्ध अनुभवी सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्ति हो सकते हैं, के द्वारा करवाया जा सकता है।

4. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

5. यह कार्यालय ज्ञापन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 7.7.93 की अ.शा.टि.सं. 17013/3/86-स्था. (भत्ते) में दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।

जनवरी-जून, 1993 संयुक्तांक "राजभाषा भारती" सहर्ष प्राप्त हुई। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आपने, अपनी पत्रिका में राजभाषा के प्रत्येक पहलू को समाविष्ट करके पूर्णता प्रदान की है। राजभाषा हिंदी से संबंधित सभी लेख विचारात्मक एवं अनुकरणीय है। जैसे — "संघ की राजभाषा हिंदी और प्रशासन" व "ग्राहक सेवा और हिंदी" यह दोनों लेख चिंतन के साथ-साथ हमारी हिंदी राजभाषा के लिए चिन्तातुर भी है। पत्रिका में साक्षात्कार, साहित्यिकी एवं विश्व हिंदी दर्शन द्वारा ऐतिहासिक गरिमा को बनाये रखने में भी आपने न्याय किया है।

—श्रीमती कान्ता ए॰ शर्मा, हिंदी अधिकारी, पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड, गुजरात

प्रस्तुत अंक में प्रकाशित डा॰ यज्ञव्रत द्वारा "अनुवाद के क्षेत्र और तकनीकी आधार" राजभाषा कर्मचारियों के लिए, विशेषकर अनुवादकों के लिए, बहुत ही उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक है। पूरे देश में मनाई गई हिंदी सप्ताह / कार्यशाला का सचित्र विवरण इस पत्रिका में देखने को मिली। राजभाषा भारती में राजभाषा संबंधी विविध अद्यतन जानकारी तथा राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे रचनात्मक प्रयास सराहनीय एवं पठनीय है।

—श्याम बिहारी उपाध्याय, हिंदी अधिकारी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में चल रहे प्रयास को प्रकाशित कर हमें आपने कृतार्थ किया है।

—अजय कुमार बक्सी, सहायक हिंदी अधिकारी, नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि॰, नई दिल्ली

"राजभाषा भारती" हम हिंदीतर भाषी हिंदी साहित्यकारों के लिए मात्र त्रैमासिक ही नहीं है अपितु पथदर्शिका है। यह हमें हिंदी के नए सवेरों से परिचित तो कराती ही है साथ ही दशा एवं दिशा बोध भी कराती है। राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का यह प्रयास भारतीय भावात्मक एकता के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र भाषा प्रसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

—डा॰ प्रद्युम्नदास वैष्णव, पंचायत महाविद्यालय, ओड़िसा

पत्रिका (राजभाषा भारती) में दी गई अद्यतन जानकारी एवं निर्देश हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक है। 'अनुवाद के क्षेत्र और तकनीकी आधार', 'शब्दावली तथा अनुवाद की समस्या' लेख अत्यन्त प्रभावी एवं उपयोगी है। सामग्री की दृष्टि से यह निस्संदेह एक श्रेष्ठ पत्रिका है।

—डा॰ आशा पाटनी, हिंदी अधिकारी, नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, भोपाल

आप द्वारा प्रकाशित की जाने वाली "राजभाषा भारती" एवं "पुष्पमाला" को देखने से हमें ऐसा लगा कि ये किताबें राजभाषा के कार्यान्वयन में आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होती है।

—पी॰बी॰आर॰ हेगड़े, मंडल प्रबंधक, सिंडीकेट बैंक, कर्नाटक

राजभाषा भारती जनवरी-जून, 1993 अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। इस अंक में हिंदी की बहुत अच्छी सामग्री है।

—कु॰ गोकुलानंद शर्मा, सम्पादक, "युमर्शक्श", इम्फाल

हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार की राजभाषा नीति की संक्षिप्त तथा सम्पूर्ण भारत में राजभाषा में हुई प्रगति की हमें संक्षिप्त जानकारी मिलती है, जोकि सचमुच प्रेरणादायक है।

—जे॰के॰ सिन्हा, मुख्य प्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन), वाणी स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता

राजभाषा भारती के जनवरी-जून, 93 अंक में श्री गोवर्धन ठाकुर के लेख "उपक्रमों में राजभाषा प्रबंध" में राजभाषा कार्य से संबंधित अधिकारियों के अधिकार और स्थिति के संबंध में बड़ी ही सारभूत बातें कही गई हैं जो गंभीरता से विचारणीय हैं। भारतीय भाषा संगम की कविताएं पसन्द आईं।

—सन्त कुमार टण्डन "रसिका" उप प्रबंधक (राजभाषा) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि॰ नैनी, इलाहाबाद-211610.

गोवा में आयोजित छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर नवभारत टाइम्स के मुख्य संपादक डा० विद्यानिवास मिश्र दीप प्रज्वलित करते हुए। पास में खड़े हैं पूर्व सांसद डा० रत्नाकर पांडेय तथा राष्ट्रीय हिंदी अकादमी के अध्यक्ष श्री स्वदेश भारती।

पद्मश्री डा० लक्ष्मी नारायण दूबे मॉरीशस के चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन के एक सत्र में अध्यक्षीय भाषण देते हुए।

पं०सं० 3246/77
आई एस एस एन 0970-9398

गिरिजाकुमार माथुर के दो गीत

सूरज का पहिया

मन के विश्वास का यह सोनचक्र रुके नहीं
जीवन की पियरी केसर कभी चुके नहीं
उम्र रहे झलमल
ज्यों सूरज की तश्तरी
डंठल पर विगत के
उगे भविष्य संदली
आंखों में धूप लाल
छाप उन ओठों की
जिसके तन रोंओं में
चंदरिमा की कली
छाँह में बरौनियों के चाँद कभी थके नहीं
जीवन की पियरी केसर कभी चुके नहीं
मन में विश्वास
भूमि में ज्यों अंगार रहे
अगरई नज़रों में
ज्यों अलोप प्यार रहे
पानी में धरा गंध
रुख में बयार रहे
इस विचार बीच की
फ़सल बार-बार रहे
मन में संघर्ष फाँस गड़कर भी दुखे नहीं
जीवन की पियरी केसर कभी चुके नहीं
आगम के पंथ मिलें
रंगोली रँग भरे
सँतिए-सी मंज़िल पर
जन भविष्य दीप धरे
आस्था चमेली पर
न धूरी साँझ घिरे
उम्र महागीत बने
सदियों में गूँज भरे
पाँव में अनीति के मनुष्य कभी झुके नहीं
जीवन की पियरी केसर कभी चुके नहीं।

[लखनऊ : अक्तूबर, 1954]

सावन के बादल

काले अगरू-से उठे आज बादल
ये मिट्टी की गन्ध से सोंधी हवाएँ
ये जामुन के रंग-सी नीली घटाएँ
उड़ी आ रही हैं लहर-सी फुहारें
उमगते उरज मेघमाती भुजाएँ
खुली फूल बाँहें हटे लाज आँचल
काले अगरु-से उठे आज बादल
नहा कर वनस्पति हुई ऋतुमती-सी
नितम्बिनि धरा ज्यों कुँवरि रसवती-सी
नवोढ़ा नदी ने नवल अंग खोले
सजी दीपतन की मिलन आरती-सी
उठे नैन लालिम हँसी रेख काजल
काले अगरु-से उठे आज बादल
चमक बिजलियों की पलक चाँदनी-सी
खुले चाँद तन की झलक दामिनी-सी
झुके मेघ गीले अधर ज्यों झुके हों
लिपटती हवा मस्त गजगामिनी-सी
वियोगी, मिलन याद में दुख भुला चल
काले अगरु-से उठे आज बादल

[लखनऊ : अगस्त, 1947]

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली-110003 के उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक भारत सरकार फोटोलिथो मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।